बजट प्रेस, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में मुद्रित

सत्यमेव जयते

परिणाम बजट 2014-15

वित्त मंत्रालय

परिणाम बजट
2014-2015

सत्यमेव जयते

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

अर्थमूलं कार्यम्

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सारांश	(iii)-(xiii)
मांग सं. 33- आर्थिक कार्य विभाग	1-30
मांग सं. 34- वित्तीय सेवाएं विभाग	31-64
मांग सं. 39- व्यय विभाग	65-78
मांग सं. 42- राजस्व विभाग	79-105
मांग सं. 43- प्रत्यक्ष कर	107-141
मांग सं. 44- अप्रत्यक्ष कर	143-182
मांग सं. 45- विनिवेश विभाग	183-190

प्राक्कथन

"**परिणाम बजट**" व्यय की योजना बनाकर, उपयुक्त लक्ष्य सुनिश्चित कर, प्रत्येक योजना की निहित क्षमता का आकलन करके "**परिव्यय**" को "**परिणाम**" में बदलने की सरकार के प्रयास की अभिव्यक्ति है। "परिणाम बजट" लोगों के प्रति सरकार के पारदर्शी और जवाबदेह होने की कोशिश है।

कार्यकारी सारांश के अतिरिक्त, परिणाम बजट 2014-15 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सात मांगों से संबंधित सात अलग-अलग खण्ड हैं, जिनके लिए परिणाम बजट तैयार किया जाना है। ये हैं: आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय, राजस्व, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और विनिवेश। प्रत्येक खण्ड में परिव्यय और परिणाम; सुधारात्मक उपाय; नीतिगत पहल और आरंभ किए गए कार्यक्रम; पिछले कार्य-निष्पादन की समीक्षा; पिछले तीन वर्षों की वित्तीय समीक्षा तथा सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा संबंधी विवरणों का उल्लेख है।

कार्यकारी सारांश

वित्त मंत्रालय केंद्रीय सरकार के वित्त-साधनों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसका संबंध ऐसे आर्थिक और वित्तीय विषयों से है जिनका देश पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाता है, केंद्र सरकार के व्यय को विनियमित करता है तथा राज्यों को संसाधनों के अंतरण संबंधी मामलों पर कार्रवाई करता है। यह आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, व्यय के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करने, बजट के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ कार्य करता है। बहुपक्षीय एजेंसियों एवं विदेशी सरकारों के साथ इस मंत्रालय के कार्यनीतिक संबंध होते हैं। यह मंत्रालय निम्नलिखित तेरह मांगों को प्रबन्धित करता हैः-

मांग संख्या	विभाग
33	आर्थिक कार्य विभाग
34	वित्तीय सेवाएं विभाग
35	विनियोग- ब्याज अदायगियां
36	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्त-साधनों का अंतरण
37	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि
38	विनियोग - ऋण की अदायगी
39	व्यय विभाग
40	पेंशन
41	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
42	राजस्व विभाग
43	प्रत्यक्ष कर
44	अप्रत्यक्ष कर
45	विनिवेश विभाग

छः मांगें अर्थात्; 35- ब्याज अदायगियां, 36- राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण, 37- सरकारी कर्मचारियों को ऋण, आदि 38- ऋण की अदायगी, 40-पेंशन, और 41- भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, विशेष रूप से परिणाम बजट के क्षेत्र से बाहर हैं। इस मंत्रालय के अधीन सभी 13 मांगों के लिए बजटीय प्रावधानों का सारांश इस कार्यकारी सारांश के अनुबंध में दिया गया है।

मंत्रालय के परिणाम बजट 2014-15 का संक्षिप्त सार इस प्रकार हैः-

मांग संख्या 33 - आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय सरकार का नोडल विभाग है। यह देश की आर्थिक नीतियां और ऐसे कार्यक्रम बनाता है जिनका आर्थिक प्रबंधन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। यह विभाग वार्षिक केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा तैयार करता है। कुछ मुख्य कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख इस प्रकार हैः

- मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों (1496.00 करोड़ रुपए) के लिए अंशदान (आयोजना) - 2014-15 के दौरान इस योजना के अंतर्गत, रेल मंत्रालय ने 1000 रोड अंडर ब्रिजों/सबवे और 225 रोड ओवरब्रिजों का निर्माण करने का प्रस्ताव करते हुए व्यस्त लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने का लक्ष्य बनाया है।
- अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी की वित्तीय सहायता योजना में परियोजना की कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) की व्यवस्था का उल्लेख है। अब तक, 80,894.26 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत तथा 16005.36 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अंतर निधियन से 159 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता अंतर निधियन की वास्तविक राशि, नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी। 45 से अधिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिसमापन की स्थिति प्राप्त हो गयी है और विचाराधीन हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में 14 परियोजनाओं को प्रीमियम पर दिया गया है जहां किसी वीजीएफ सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2012-13 में 457.55 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। वीजीएफ योजना के अंतर्गत मार्च, 2014 तक 450.00 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। प्रायोजन प्राधिकारी की आवश्यकताओं और पहले से अंतिम अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या के आधार पर, ब.अनु. 2014-15 में 670.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- भारत अवंसरचना परियोजना विकास निधि योजना में, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के कुल परियोजना विकास व्यय के 75 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत सहायता से 53 परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। वर्ष 2012-13 में लगभग 1.76 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी तथा 2013-14 में मार्च, 2014 तक कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2014-15 के लिए 4.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है।
- वर्ष 2014-15 के दौरान, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज समकरण सहायता के लिए 450.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना 2003-04 में प्रारंभ की गयी थी। हमने 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (मार्च,

2014 तक) के दौरान क्रमशः 139.48 करोड़, 290.00 करोड़ और 407.66 करोड़ रुपए की ब्याज समकरण सहायता संवितरित की है।

- वायदा बाजार आयोग वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। यह आयोग पहले उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा था। इसे 5.9.2013 से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया है। वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अधीन वायदा बाजार आयोग के कृत्यों में एक्स्चेंजों को मान्यता प्रदान करने/वापस लेने में सरकार को सलाह देना, पण्य बाजारों को मानीटर एवं विनियमित करना, और वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में यथासमनुदेशित आवश्यक कार्रवाई करना, बाजार सूचना एकत्रित एवं प्रकाशित करना, बाजार के उन्नत कामकाज तथा पण्य एक्स्चेंजों के निरीक्षण और एक्स्चेंजों के सदस्यों के बारे में सरकार को सलाह देना शामिल है। 2014-15 के दौरान वायदा बाजार आयोग के लिए 50.00 करोड़ रुपए का आयोजना व्यय एवं 10.23 करोड़ रुपए के आयोजना-भिन्न व्यय का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और रिवार्ड स्कीम (मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन और रिवार्ड) के क्रियान्वयन के लिए 435.00 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन और रिवार्ड मौद्रित रिवार्ड की परिकल्पना करता है जो मूल्तः उन्हें वित्तीय सहायता देगा जिन्हें उच्चतर स्तर पर नए कौशल प्राप्त करने अथवा अपने कौशलों को उन्नयन करने के इच्छुक हों। मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन और रिवार्ड की शुरुआत 16 अगस्त, 2013 को 1000 करोड़ रुपए की बजट परिव्यय के साथ की गई थी और यह आशा है कि अफने क्रियान्वयन की पहले वर्ष के दौरान रोजगार परक कौशल प्राप्त करने के लिए 1 मिलियन युवाओं को प्रेरित कर लिया जाएगा।
- 2014-15 के दौरान, नए पहल के रूप में, संस्थानों के लिए 500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ताकि पीपीपी जिन्हें "3पी इंडिया" के नाम से जाना जाता है को मुख्य धारा में लाते हुए सहायता उपलब्ध कराना है।

मांग संख्या 34- वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कृषि ऋण, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा पेंशन सुधार से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। मुख्य कार्यकलाप का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने जोखिम भारित आस्ति अनुपात की तुलना में अपनी पूंजी (सीआरएआर) को सहज स्तर तक बनाए रखने के लिए सक्षम बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बेसेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड के अनुरूप बने रहें, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 20 बैंकों को 14000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 11200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सरकार भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक और भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता प्रदान करती है ताकि उनकी प्राधिकृत पूंजी में उनकी प्रदत्त पूंजी को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2013-14 के दौरान एक्जिम बैंक के लिए 700 करोड़ रुपए तथा आईआईएफसीएल के लिए 400 करोड़ रुपए के पूरे प्रावधान को जारी कर दिया गया था। बजट अनुमान 2014-15 में एक्जिम बैंकों के लिए 1300 करोड़ रुपए तथा आईआईएफसीएल के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान नाबार्ड को पूंजी सहायता के रूप में 700 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसके अलावा, 2014-15 में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों तथा प्रायोजक बैंकों द्वारा समानुपातिक भाग जारी किए जाने को ध्यान में रखते हुए 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को 82.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। बजट अनुमान 2014-15 में 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।
- भारतीय बैंक संघ के सदस्य बैंकों या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कौशल विकास ऋण को गारंटी प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) में कौशल विकास संबंधी एक ऋण गारंटी निधि स्थापित की गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान निधि के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2014-15 के दौरान इस निधि के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- बजट भाषण 2012-13 में वित्त मंत्री ने सिडबी में 500 करोड़ रुपए की मूल राशि के साथ फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य फैक्टरिंग विनियमन अधिनिम, 2011 को पारित किए जाने के परिणामस्वरुप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग को बढ़ावा देना है। आम चुनाव, 2014 तथा आदर्श चुनाव संहिता के लागू होने के कारण इस योजना को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया अतः सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- असंगठित क्षेत्र के लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु बढ़ावा देने के लिए उन्हें नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत नामांकन करवाने के लिए बढ़ावा देने हेतु 'स्वावलंबन योजना' को वर्ष 2010-11 के दौरान आरंभ किया गया था, जिसमें अभिदाताओं के एनपीएस खाते में सरकार के 1000 रुपए के योगदान का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत नामांकन की गति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान 152.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2014-15 में इस योजना के लिए 195 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

- वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के आवासीय इकाई के संबंध में 15 लाख रुपए तक के आवास ऋण के लिए 1% ब्याज सहायता के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2014-15 के दौरान 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

- कृषि आधारित लघु धारिता की आय में सुधार करने के उद्देश्य से बजट अनुमान 2014-15 में नाबार्ड में उत्पादक संगठन विकास निधि स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- वर्ष 2013-14 के दौरान महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देकर उनको सशक्त बनाने के लिए नाबार्ड में सृजित महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के लिए 84.18 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2014-15 के दौरान इस निधि के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

- आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान छात्रवृत्ति निधि में सरकार के अंशदान के रूप में 4.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक सुरक्षा निधि तथा छात्रवृत्ति निधि के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 39 - व्यय विभाग

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में समग्र सार्वजनिक व्यय-प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखता है। इसके प्रमुख कार्यों में महत्वपूर्ण स्कीमों और परियोजनाओं (योजना एवं गैर-योजना दोनों) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को केन्द्रीय बजट संसाधनों का पर्याप्त अंतरण तथा वित्त एवं केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। व्यय विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबंधित परिणाम बजट का संकलन करता है। विभाग के प्रमुख कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- योजना पक्ष की स्कीमों के लिए निधियां, योजना आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की जाती हैं। व्यय विभाग की मांग संख्या 36 में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु बजट प्राक्कलन 2013-14 में 102957.00 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 85558.52 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके थे। वर्ष 2013-14 तक मांग संख्या 36 में से जिन स्कीमों के लिए धनराशि जारी की गई थी उनमें सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (मिशन मोड योजना को छोड़कर) जैसी स्कीमें भी शामिल हैं जो अब संबंधित मंत्रालयों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। तथापि शेष स्कीमों के लिए राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के तौर पर व्यय विभाग की मांग संख्या 36 में बजट प्राक्कलन 2014-15 में कुल 72322.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। दिनांक 15.05.2014 तक 7261.74 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए वर्ष 2014-15 में राजस्व खंड के तहत 4.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इस प्रावधान में से 3.00 करोड़ रुपए, केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के 60 अधिकारियों को स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रबंधन डिप्लोमा (पी.जी.डी.बी.एम.) - वित्त के आधारभूत तत्वों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए हैं। वर्ष 2013-14 में विभिन्न केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा 57 उम्मीदवार प्रायोजित किए गए थे। राजस्व खंड के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से स्नातकोत्तर वित्तीय विपणन कार्यक्रम में केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 20 अधिकारियों को एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए है।

मांग सं0 42 - राजस्व विभाग

- मांग सं0 42 - राजस्व विभाग, के अंतर्गत मुख्य व्यय सरकारी अफीम एवं क्षारोध कार्य (जी. ओ. ए. डब्ल्यू) का है जिसके लिए 267.52 करोड़ रू0 रखे गए हैं। चूँकि 2010-11 के बाद भी राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए इसके लिए केवल 0.01 करोड़ रुपए का एक टोकन प्रावधान रखा गया है । मूल्य वर्धित कर(वैट)/वैट संबंधी व्यय के लिए 2014-15 के बजट में 1.02 करोड़ रूपये रखे गये हैं । परिणामी बजट में शामिल किया गया अन्य गैर-योजना व्यय कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना और माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीन) हेतु विशेष प्रायोजन वाहक के संबंध में है।

- 1133.41 करोड़ रूपये की समग्र लागत से राज्य सरकार के वाणिज्य कर प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक मिशन मोड परियोजना अनुमोदित की गई थी और 31 मार्च, 2014 तक केन्द्रीय हिस्से के रूप में 626.22 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2009-10 में जारी किए गए 145 करोड़ रूपये, वर्ष 2010-11 में 206.32 करोड़ रूपये, वर्ष 2011-12 में 102.83 करोड़ रूपये, वर्ष 2012-13 में 98.07 करोड़ रूपये और वर्ष 2013-14 में जारी किए गए 74 करोड़ रुपए शामिल हैं ।वर्ष 2014-15 से राज्य सरकारें अपने संसाधनों से इन परियोजनाओं को चलाएंगी ।

- सरकार ने माल एवं सेवा कर नेटवर्क को सुचारू रूप से लागू करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करने के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहक (एसपीवी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह केन्द्र और राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं प्रदान करेगा। विशेष प्रयोजन वाहक (एसपीवी) को एक धारा 25 कंपनी के रूप में पहले ही स्थापित कर दिया गया है । जीएसटीनः एसपीवी हेतु वर्ष 2014-15 में 100 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

- गाजीपुर और नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य निर्यात के लिए कच्ची अफीम का प्रसंस्करण, अफीम क्षारोद का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य करते हैं। उन्होंने 2012-13 में 366.73 करोड़ रूपये के बजट अनुमान की तुलना में 312.24 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली की है । 2013-14 में 347.73 करोड़ रूपये के बजट अनुमान की तुलना में उन्होंने 347.72 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली की है ।

- सरकार ने नई दिल्ली में 485.16 करोड़ रुपए की अनुमोनित लागत से एक राजस्व भवन के निर्माण के लिए अपनी अनुमति दे दी है । इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2014-15 में 100 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 43 - प्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सर्वोच्च निकाय है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीडीटी की सहायता 17 निदेशालयों द्वारा भी की जाती है जो इसके संबद्ध कार्यालयों के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त देश भर में प्रत्यक्ष कर संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं और करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को रोकने और बेहिसाबी धन का पता लगाने के उद्देश्य से जांच तंत्र का पर्यवेक्षण करते हैं। आयकर आयुक्तों (अपील) को शामिल करते हुए अपीलीय तंत्र भी हैं जो सहायता करने वाले अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपीलों के निर्धारण का अर्द्ध-न्यायिक कार्य करते हैं। मुख्य गतिविधियों का सार नीचे दिया गया हैः

- बजट अनुमान 2014-15 में 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत 448.54 करोड़ रू. का परिव्यय प्रदान किया गया है जिसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों/ योजनाओं पर खर्च किया जाना हैः
  - आयकर विभाग में व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के चरण-III के लिए भावी योजना-
    - प्रणाली एकीकरण
    - अखिल भारतीय कर नेटवर्क
    - डाटा केंद्रों को किराए पर लेना
    - 2003-09 की अवधि के बकाया पैन प्रपत्रों का भौतिक भंडारण
    - 2003-09 की अवधि के बकाया पैन प्रपत्रों की स्कैनिंग
  - कर सूचना नेटवर्क (टिन)
  - करदाता सेवाएं
  - आयकर संपर्क केन्द्र
  - आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग
  - करों का ई-भुगतान
  - प्रतिदायों की ऑनलाइन ट्रैकिंग
  - प्रतिदाय बैंकर
  - केन्द्रीकृत प्रसंसाधन प्रकोष्ठ (सीपीसी) टीडीएस (कागज आधारित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल दोनों)
  - केन्द्रीकृत प्रसंसाधन केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर
  - डाटा भंडार एवं व्यवसाय आसूचना (डीडब्ल्यू एवं बीआई) समाधान
  - अनुपालन प्रबंधन (सीपीसी)
  - नया आईटीडी अनुप्रयोग
- मोहाली में आरटीआई भवन का निर्माण, बंगलौर, लखनऊ में कार्यालय सह आवास भवन का निर्माण, साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण और मोहाली में भूमि की खरीद सहित विभिन्न स्थानों में कार्यालय स्थान की खरीद/निर्माण के लिए बजट अनुमान 2014-15 में पूंजी खंड के अंतर्गत 700.00 करोड़ रू. का परिव्यय प्रदान किया गया है।

- हदपसर, पुणे में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण और एमजी रोड, चेन्नई में 38 टाइप 6 क्वार्टरों के निर्माण के लिए बजट अनुमान 2014-15 में पूंजी खंड के अंतर्गत 50.00 करोड़ रू. का परिव्यय प्रदान किया गया है।

- विभाग द्वारा शुरू की गई पहलें तथा उपाय कर कानूनों एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण, करदाताओं को बेहतर सुविधा तथा करदाताओं एवं अधिकारियों के बीच संपर्क न्यूनतम करने पर केन्द्रित हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ आयकर विवरणियों को ऑनलाइन तैयार करने एवं दाखिल करने की सुविधा, विवरणियों का केंद्रीकृत प्रसंसाधन, प्रतिदाय बैंकर योजना जिसमें ईसीएस के माध्यम से करदाता के खाते में प्रतिदाय का सीधे भुगतान शामिल हैं, करों का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, प्रतिदायों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, कर विवरणी तैयारकर्ता योजना (टीआरपीएस), एकल खिड़की करदाता सेवा के लिए 60 आयकर सेवा केन्द्रों की स्थापना, आयकर संपर्क केन्द्र (कॉल सेंटर) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, नए सिरे से पुनः लिखे गए नागरिक चार्टर के आधार पर सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता लाने की दृष्टि से एक ''**सेवोत्तम**'' योजना शुरू की गई है।

- इस अनुदान के तहत 2012-13 में 3735.51 करोड़ रू. के संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय 3710.07 करोड़ रू. था जो 99.32 प्रतिशत की उपयोगिता दर्शाती है। वित्त वर्ष 2013-14 में, 4179.54 करोड़ रू. के संशोधित अनुमान की तुलना में 31 मार्च, 2014 (अनंतिम) तक वास्तविक व्यय 4081.28 करोड़ रू. है जो 97.65 प्रतिशत की उपयोगिता दर्शाती है।

मांग सं. 44 - अप्रत्यक्ष कर

यह मांग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के गठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और सेवा कर के उदग्रहण और संग्रहण, तस्करी तथा कर अपवंचन रोकने से संबंधित है। मुख्य क्रियाकलापों का नीचे उल्लेख किया गया है:-

- सी.बी.ई.सी. की, सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना समेकन परियोजना की 598.97 करोड़ रूपए की संशोधित लागत को 2007 में सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें सात घटक शामिल हैं जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो सभी कार्यालयों, बन्दरगाहों, हवाईअड्डों, कन्टेनर डिपो इत्यादि को जोड़ता है, डेटा वेयर हाऊस का गठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का आटोमेशन, प्रणाली एकीकरण, आयात की सुलभ निकासी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली। परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के ठेके, खुली संविदा के माध्यम से चुनिंदा वेन्डर को दिए गए। आई.टी. समेकन के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं कार्यान्वित कर दी गई हैं तथा देख-भाल के चरण में हैं। वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः 84.46 करोड़ रूपए, 167.17 करोड़ रूपए, 186.41 करोड़ रूपए, 145.58 करोड़ रूपए, 144.31 करोड़ रूपए 161.55 करोड़ रूपए, और 137.56 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं। ये आंकड़े आई.टी. शीर्ष के अन्तर्गत सी.बी.ई.सी. के सभी कार्यालयों के खर्च को दर्शाते हैं तथा इसमें आईटी समेकन परियोजनाएं भी शामिल है।
- सभी प्रमुख सीमाशुल्क पत्तनों/हवाई अड्डों पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) प्रचालनरत है जो भारत के 95% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करते हैं। आर एम एस का नया उन्नत रुपांतरण 89 अवस्थानों पर कार्यरत है। आर.एम.एस. निर्यात माड्यूल 88 स्थानों पर प्रचलन में है।
- कार्गो क्लीयरेंस हेतु 7 और कंटेनर स्कैनर (3 मोबाईल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स-रे स्कैनर) प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। मोबाईल और फिक्स्ड स्कैनरों को वर्ष 2014-15 में लगा दिए जाने की संभावना है। जल क्षेत्र में तस्करी रोधी संचालनों को सुदृढ़ करने के लिए 109 समुद्री जलयान भी प्राप्त जा चुके हैं। वर्ष 2014-15 के लिए कुल 133.22 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 27.42 करोड़ रू., 99.88 करोड़ रू., 78.64 करोड़ रु., 33.20 करोड़ रूपये, 46.52 करोड़ रूपये, 5.45 करोड़ रू. तथा 14.79 करोड़ रू. खर्च किए गए हैं।
- उत्पाद शुल्क, आय कर/कारपोरेट कर और सेवा कर का भुगतान करने वाले बड़े कर दाताओं के लिए बंगलौर, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में सिंगल विंडो सेवा की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति अथवा कम्पनी जो पिछले किसी भी वर्ष के दौरान 10 करोड़ रू. से अधिक आय कर/ कारपोरेट कर अथवा 5 करोड़ रू. उत्पाद शुल्क अथवा 5 करोड़ रू. सेवा कर का भुगतान कर चुका है, संबंधित बड़ी करदाता यूनिट को सहमति प्रदान करते हुए बड़े करदाता के रूप में कार्य करने के विकल्प का चयन कर सकता है।
- राजस्व का संग्रह करने, संगठनात्मक दक्षता, आधारभूत संरचना तथा साधन में वृद्धि करने हेतु बेहतर प्रयासों में प्रोत्साहन के लिए संवृद्धकारी राजस्व का 1% उपयोग करने के लिए योजना बनाने हेतु राजस्व उत्पादन करने वाले विभागों को अनुमति देते हुए व्यय प्रबंधन पर व्यय विभाग के दिशा निर्देशों/अनुदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न उद्देश्यों जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क रेजों, में आधारभूत संरचना के क्षमता निर्माण/सुधार, संगठनात्मक क्षमता तथा बाहरी निवारक क्रियाविधियों आदि में वृद्धि के लिए वाहनों को किराए पर देने के लिए 191.42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी/आबंटन किया है।

मांग संख्या 45 - विनिवेश विभाग

अधिदेश

विनिवेश विभाग मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उद्यमों में बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के जरिए केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करता है।

कार्यपद्धति (ऐपरोच)

इस समय, विनिवेश के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनायी गयी हैं:-

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध, लाभ कमाने वाले उद्यम, जो 10% की आम जनमानस की शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते, उन्हें सरकारी शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या संबंधित सीपीएसई द्वारा नई इक्विटी के निर्गम या दोनों के संयोजन से इस शर्त का अनुपालक बनाया जायेगा।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे सभी असूचीबद्ध उद्यम, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है और जिनका कोई संचित घाटा नहीं है तथा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है, उन्हें सरकारी शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या कंपनी द्वारा नई इक्विटी के निर्गम या दोनों के संयोजन के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।

(iii) अपनी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश कर सकते हैं और भारत सरकार उसके साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसे उद्यमों में अपनी शेयरधारिता के एक हिस्से की पेशकश कर सकती है।

(iv) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से विनिवेश के सभी मामलों में, सरकार को कम से कम 51% इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखना होगा।

(v) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटे में चलने वाले उद्यमों में, जब उनके पुनर्रूद्धार के प्रयास विफल हो जाएं, मामला-दर-मामला आधार पर सामरिक बिक्री पर विचार किया जाता है।

विनिवेश के लाभ -

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश और स्टॉक एक्सचेंजों में उनके सूचीकरण से आर्थिक सुधार कार्यक्रम को गति मिलती है और इसके साथ-साथः

➢ **निगमित शासन में सुधार**

- जैसा कि सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा और कंपनी नियम के तहत अधिदेशित है, उच्च प्रकटीकरण स्तर से बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही आती है। इसलिए निरीक्षण तंत्र मजबूत तथा बहुस्तरीय बन जाता है।
- स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने से निगमित नियंत्रण बेहतर होता है।
- उच्च स्तर की निवेशक सकेन्द्रित संवीक्षा और अनुसंधान, व्यवसाय के पेशेवर आचरण के अनुपालन की मांग करते हैं जिसके परिणामस्वरुप निगमित संस्कृति में सुधार आता है।
- कंपनी बाजार अनुशासन के अध्यधीन होगी जिससे प्रबंधकीय स्तर और कार्यशाला स्तर, दोनों स्तरों पर कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कारोबार मूल्य में दिन-प्रतिदिन के उतार-चढ़ाव से सीपीएसई के निष्पादन को आंका जा सकता है।

➢ **इक्विटी संस्कृति के विस्तार के माध्यम से पूंजी बाजार का विकास तथा विस्तार**

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने से पूंजी बाजार के विस्तार तथा विकास में सुविधा होती है और इक्विटी संस्कृति का विस्तार होता है।
- बाजार से निधियां जुटाने के लिए पर्याप्त रुप से विकसित क्षेत्रों में अवरुद्ध संसाधनों को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जो अपने आर्थिक विकास के चरण में होने के कारण बाजार से संसाधन जुटाने में समर्थ नहीं है।
- जब आधारभूत संरचना के विकास के लिए अधिक संसाधन प्रयोग में लाये जाते हैं तो इससे बेरोजगारों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होते हैं और साथ ही साथ इससे आर्थिक विकास को एक बड़ा मंच उपलब्ध होता है।

  इससे सीपीएसईस में अवरूद्ध संसाधनों के पुनर्नियोजन के लिए राजकोषीय दायरे का भी सृजन होता है।

➢ **सभी शेयरधारकों, जैसे कि निवेशकों, संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों, कंपनी और सरकार के लिए उद्यमों का वास्तविक मूल्य निर्मुक्त करना**

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने के परिणामस्वरुप वे अपनी पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूंजी बाजार में पहुंच बनाने में सक्षम हो जाएंगे जैसे कि निजी कंपनियों के मामले में होता है। इस प्रकार सरकारी वित्त पोषण पर निर्भरता कम हो जाएगी।

(ii) **सरकार के लिए बजटीय संसाधन जुटाना**

विनिवेश से प्राप्त निधियों का उपयोग

- सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 01 अप्रैल, 2013 से विनिवेश से प्राप्त समस्त धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) का हिस्सा होगी और निम्नलिखित अनुमोदित उद्देश्यों से संबंधित व्यय के लिए उपलब्ध होगीः
  - सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा राइट्स बेसिस पर जारी किए जा रहे शेयरों का पूर्वक्रय करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के 51 प्रतिशत स्वामित्व में कोई कमी न आए।
  - सेबी (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अनुसार प्रवर्तकों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का अधिमानी आबंटन ताकि उन सभी मामलों में, जहां केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम अपने पूंजीगत व्यय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नई इक्विटी जुटाने का इच्छुक हो, वहां सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम न होने पाए।
  - सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का पुनः पूंजीकरण।
  - सरकार द्वारा आरआरबी/आईआईएफसीएल/नाबार्ड/एक्जिम बैंक में निवेश।
  - विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी लगाना।
  - भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि0 और यूरेनियम कारपोरेशन इंडिया लि0 में निवेश।
  - भारतीय रेलवे में पूंजीगत व्यय के लिए निवेश।

बजटीय लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष 2013-14 के लिए विनिवेश के 40,000 करोड़ रुपए के बजटीय लक्ष्य को संशोधित अनुमान चरण पर कम करके 16,027 करोड़ रुपए कर दिया गया था। सरकार को, एमएमटीसी लि0, हिन्दुस्तान कॉपर लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., भारतीय पर्यटन विकास निगम लि., राज्य व्यापार निगम लि., नेवेली लिग्नाइट कारर्पोरेशन लि., एनएचपीसी लि., पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., इंजीनियर्स इंडिया लि., भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि., इंडियन ऑयल कारर्पोरेशन लि. में विनिवेश तथा सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिड फंड के माध्यम से विनिवेश प्राप्ति के रूप में 15,819.45 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

वर्ष 2014-15 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 51,925 करोड़ रुपए है, जिसमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के जरिए 36,925 करोड़ रुपए और गैर-सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का सारांश

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2012-13			बजट अनुमान 2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			बजट अनुमान 2014-15		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 33 आर्थिक कार्य विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**3824.90**	**3787.79**	**7612.69**	**4464.45**	**4400.67**	**8865.12**	**5054.90**	**5235.61**	**10290.51**	**9784.00**	**5935.27**	**15719.27**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	3824.90	3787.79	7612.69	4464.45	4400.67	8865.12	5054.90	5235.61	10290.51	9784.00	5935.27	*15719.27*
जोड़ - पूंजी भाग	**457.55**	**6393.24**	**6850.79**	**678.00**	**65730.89**	**66408.89**	**1678.00**	**5009.03**	**6687.03**	**1643.00**	**4628.15**	**6271.15**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	457.55	6393.24	6850.79	678.00	65730.89	66408.89	1678.00	5009.03	6687.03	1643.00	4628.15	*6271.15*
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***4282.45***	***10181.03***	***14463.48***	***5142.45***	***70131.56***	***75274.01***	***6732.90***	***10244.64***	***16977.54***	***11427.00***	***10563.42***	***21990.42***
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	*4282.45*	*10181.03*	14463.48	5142.45	70131.56	75274.01	6732.90	10244.64	16977.54	11427.00	10563.42	21990.42
मांग संख्या 34 वित्तीय सेवा विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**7265.10**	**7265.10**	**200.00**	**7268.99**	**7468.99**	**1300.00**	**9991.48**	**11291.48**	**650.00**	**7536.09**	**8186.09**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	7265.10	7265.10	200.00	7268.99	7468.99	1300.00	9991.48	11291.48	650.00	7536.09	8186.09
जोड़ - पूंजी भाग	**14651.99**	**0.66**	**14652.65**	**29888.00**	**12.40**	**29900.40**	**16888.00**	**0.22**	**16888.22**	**24650.00**	**0.01**	**24650.01**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	14651.99	0.66	14652.65	29888.00	12.40	29900.40	16888.00	0.22	16888.22	24650.00	0.01	24650.01
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***14651.99***	***7265.76***	***21917.75***	***30088.00***	***7281.39***	***37369.39***	***18188.00***	***9991.70***	***28179.70***	***25300.00***	***7536.10***	***32836.10***
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	14651.99	7265.76	21917.75	30088.00	7281.39	37369.39	18188.00	9991.70	28179.70	25300.00	7536.10	32836.10
विनियोग संख्या 35 - ब्याज अदायगियां												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**330182.68**	**330182.68**	**...**	**385000.46**	**385000.46**	**...**	**400500.66**	**400500.66**	**...**	**449882.66**	**449882.66**
भारित	...	*330182.68*	*330182.68*	...	*385000.46*	*385000.46*	...	*400500.66*	*400500.66*	...	*449882.66*	*449882.66*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***...***	***330182.68***	***330182.68***	***...***	***385000.46***	***385000.46***	***...***	***400500.66***	***400500.66***	***...***	***449882.66***	***449882.66***
भारित	...	*330182.68*	*330182.68*	...	*385000.46*	*385000.46*	...	*400500.66*	*400500.66*	...	*449882.66*	*449882.66*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

विवरण	वास्तविक 2012-13			बजट अनुमान 2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			बजट अनुमान 2014-15		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 36												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण												
जोड़ - राजस्व भाग	**78143.72**	**51419.82**	**129563.54**	**91957.00**	**72059.40**	**164016.40**	**82422.97**	**64978.41**	**147401.38**	**60332.00**	**75100.00**	**135432.00**
भारित	...	*45253.42*	*45253.42*	...	*62134.40*	*62134.40*	...	*55289.72*	*55289.72*	...	*64675.00*	*64675.00*
स्वीकृत	78143.72	6166.40	84310.12	91957.00	9925.00	101882.00	82422.97	9688.69	92111.66	60332.00	10425.00	70757.00
जोड़ - पूंजी भाग	**10652.70**	**...**	**10652.70**	**11000.00**	**1000.00**	**12000.00**	**11000.00**	**1000.00**	**12000.00**	**12000.00**	**1000.00**	**13000.00**
भारित	*10652.70*	...	*10652.70*	*11000.00*	*1000.00*	*12000.00*	*11000.00*	*1000.00*	*12000.00*	*12000.00*	*1000.00*	*13000.00*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***88796.42***	***51419.82***	***140216.24***	***102957.00***	***73059.40***	***176016.40***	***93422.97***	***65978.41***	***159401.38***	***72332.00***	***76100.00***	***148432.00***
भारित	*10652.70*	*45253.42*	*55906.12*	*11000.00*	*63134.40*	*74134.40*	*11000.00*	*56289.72*	*67289.72*	*12000.00*	*65675.00*	*77675.00*
स्वीकृत	78143.72	6166.40	84310.12	91957.00	9925.00	101882.00	82422.97	9688.69	92111.66	60332.00	10425.00	70757.00
मांग संख्या 37												
सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**184.18**	**184.18**	**...**	**225.00**	**225.00**	**...**	**200.00**	**200.00**	**...**	**200.00**	**200.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	184.18	184.18	...	225.00	225.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***...***	***184.18***	***184.18***	***...***	***225.00***	***225.00***	***...***	***200.00***	***200.00***	***...***	***200.00***	***200.00***
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	184.18	184.18	...	225.00	225.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
विनियोग संख्या 38												
ऋण की वापसी अदायगी												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**3426892.94**	**3426892.94**	**...**	**4014248.55**	**4014248.55**	**...**	**3531114.10**	**3531114.10**	**...**	**4064025.03**	**4064025.03**
भारित	...	*3426892.94*	*3426892.94*	...	*4014248.55*	*4014248.55*	...	*3531114.10*	*3531114.10*	...	*4064025.03*	*4064025.03*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***...***	***3426892.94***	***3426892.94***	***...***	***4014248.55***	***4014248.55***	***...***	***3531114.10***	***3531114.10***	***...***	***4064025.03***	***4064025.03***
भारित	...	*3426892.94*	*3426892.94*	...	*4014248.55*	*4014248.55*	...	*3531114.10*	*3531114.10*	...	*4064025.03*	*4064025.03*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

विवरण	वास्तविक 2012-13			बजट अनुमान 2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			बजट अनुमान 2014-15		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 39 व्यय विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**2.88**	**112.94**	**115.82**	**4.00**	**136.12**	**140.12**	**3.00**	**130.00**	**133.00**	**4.00**	**151.90**	**155.90**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	2.88	112.94	115.82	4.00	136.12	140.12	3.00	130.00	133.00	4.00	151.90	155.90
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***2.88***	***112.94***	***115.82***	***4.00***	***136.12***	***140.12***	***3.00***	***130.00***	***133.00***	***4.00***	***151.90***	***155.90***
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	2.88	112.94	115.82	4.00	136.12	140.12	3.00	130.00	133.00	4.00	151.90	155.90
मांग संख्या 40 पेंशन												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**19596.74**	**19596.74**	**...**	**21049.00**	**21049.00**	**...**	**22815.00**	**22815.00**	**...**	**24778.00**	**24778.00**
भारित	...	*77.18*	77.18	...	*95.00*	95.00	...	*95.00*	95.00	...	*95.00*	95.00
स्वीकृत	...	19519.56	19519.56	...	20954.00	20954.00	...	22720.00	22720.00	...	24683.00	24683.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***...***	***19596.74***	***19596.74***	***...***	***21049.00***	***21049.00***	***...***	***22815.00***	***22815.00***	***...***	***24778.00***	***24778.00***
भारित	...	*77.18*	77.18	...	*95.00*	95.00	...	*95.00*	95.00	...	*95.00*	95.00
स्वीकृत	...	19519.56	19519.56	...	20954.00	20954.00	...	22720.00	22720.00	...	24683.00	24683.00
मांग संख्या 41 भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**2647.86**	**2647.86**	**...**	**2794.54**	**2794.54**	**...**	**2939.74**	**2939.74**	**...**	**3322.08**	**3322.08**
भारित	...	*84.25*	*84.25*	...	*97.69*	*97.69*	...	*96.84*	*96.84*	...	*101.03*	*101.03*
स्वीकृत	...	2563.61	2563.61	...	2696.85	2696.85	...	2842.90	2842.90	...	3221.05	3221.05
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**4.59**	**4.59**	**...**	**10.00**	**10.00**	**...**	**9.00**	**9.00**	**...**	**15.00**	**15.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	4.59	4.59	...	10.00	10.00	...	9.00	9.00	...	15.00	15.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***...***	***2652.45***	***2652.45***	***...***	***2804.54***	***2804.54***	***...***	***2948.74***	***2948.74***	***...***	***3337.08***	***3337.08***
भारित	...	*84.25*	*84.25*	...	*97.69*	*97.69*	...	*96.84*	*96.84*	...	*101.03*	*101.03*
स्वीकृत	...	2568.20	2568.20	...	2706.85	2706.85	...	2851.90	2851.90	...	3236.05	3236.05

विवरण	वास्तविक 2012-13			बजट अनुमान 2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			बजट अनुमान 2014-15		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 42												
राजस्व विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**795.52**	**795.52**	**...**	**10117.19**	**10117.19**	**...**	**2700.36**	**2700.36**	**...**	**726.90**	**726.90**
भारित	...	...	...	...	*0.02*	*0.02*	...	*26.52*	*26.52*	...	*0.02*	*0.02*
स्वीकृत	...	795.52	795.52	...	10117.17	10117.17	...	2673.84	2673.84	...	726.88	726.88
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**6.86**	**6.86**	**...**	**100.71**	**100.71**	**...**	**13.51**	**13.51**	**...**	**106.01**	**106.01**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	6.86	6.86	...	100.71	100.71	...	13.51	13.51	...	106.01	106.01
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***802.38***	***802.38***	**...**	***10217.90***	***10217.90***	**...**	***2713.87***	***2713.87***	**...**	***832.91***	***832.91***
भारित	...	...	...	...	*0.02*	*0.02*	...	*26.52*	*26.52*	...	*0.02*	*0.02*
स्वीकृत	...	802.38	802.38	...	10217.88	10217.88	...	2687.35	2687.35	...	832.89	832.89
मांग संख्या 43												
प्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**3285.56**	**3285.56**	**...**	**3771.91**	**3771.91**	**...**	**3654.54**	**3654.54**	**...**	**4342.89**	**4342.89**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	3285.56	3285.56	...	3771.91	3771.91	...	3654.54	3654.54	...	4342.89	4342.89
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**424.51**	**424.51**	**...**	**589.98**	**589.98**	**...**	**525.00**	**525.00**	**...**	**752.00**	**752.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	424.51	424.51	...	589.98	589.98	...	525.00	525.00	...	752.00	752.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***3710.07***	***3710.07***	**...**	***4361.89***	***4361.89***	**...**	***4179.54***	***4179.54***	**...**	***5094.89***	***5094.89***
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	3710.07	3710.07	...	4361.89	4361.89	...	4179.54	4179.54	...	5094.89	5094.89
मांग संख्या 44												
अप्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**3476.44**	**3476.44**	**...**	**3830.25**	**3830.25**	**...**	**3861.28**	**3861.28**	**...**	**4884.52**	**4884.52**
भारित	...	*0.09*	*0.09*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*
स्वीकृत	...	3476.35	3476.35	...	3829.75	3829.75	...	3860.78	3860.78	...	4884.02	4884.02
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**9.95**	**9.95**	**...**	**149.25**	**149.25**	**...**	**82.78**	**82.78**	**...**	**271.31**	**271.31**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	9.95	9.95	...	149.25	149.25	...	82.78	82.78	...	271.31	271.31
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***3486.39***	***3486.39***	**...**	***3979.50***	***3979.50***	**...**	***3944.06***	***3944.06***	**...**	***5155.83***	***5155.83***
भारित	...	*0.09*	*0.09*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*
स्वीकृत	...	3486.30	3486.30	...	3979.00	3979.00	...	3943.56	3943.56	...	5155.33	5155.33

विवरण	वास्तविक 2012-13			बजट अनुमान 2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			बजट अनुमान 2014-15		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
					मांग संख्या 45 विनिवेश विभाग							
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**17.73**	**17.73**	**...**	**63.24**	**63.24**	**...**	**30.00**	**30.00**	**...**	**50.00**	**50.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	17.73	17.73	...	63.24	63.24	...	30.00	30.00	...	50.00	50.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***17.73***	***17.73***	**...**	***63.24***	***63.24***	**...**	***30.00***	***30.00***	**...**	***50.00***	***50.00***
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	17.73	17.73	...	63.24	63.24	...	30.00	30.00	...	50.00	50.00

आर्थिक कार्य विभाग

प्रस्तावना

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका आर्थिक प्रबन्धन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर होता है, को तैयार और मॉनीटर करता है। इस विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा को तैयार करना है। अन्य मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बृहत आर्थिक नीतियों को तैयार और मॉनीटर करना जिनके अंतर्गत शामिल हैं - राजकोषीय नीति और लोक वित्त, मुद्रास्फीति, लोक ऋण प्रबंधन और पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण से संबंधित विषय; तथा बाजार उधारों और लघु बचतों के जरिए आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए अर्थोपाय;
- बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता और सार्वभौम विदेशी उधारों, विदेशी निवेशों के जरिए विदेशी संसाधनों की मॉनीटरिंग एवं उन्हें जुटाना तथा भुगतान संतुलन सहित विदेशी मुद्रा संसाधनों की मॉनीटरिंग करना;
- विभिन्न मूल्यवर्गों के बैंक नोटों एवं सिक्कों, डाक-लेखन सामग्री, डाक टिकटों आदि का उत्पादन करना; और
- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों का संवर्ग प्रबन्धन, कैरियर प्लानिंग और प्रशिक्षण।

इस मांग में, बजट का अधिकांश हिस्सा लाभांश राहत के लिए रेलवे को सब्सिडी, स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइनों के संचालन पर रेलवे को हुई क्षतियों की प्रतिपूर्ति, रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/एशियाई विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अभिदान, भारत सरकार के लिए एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता, अन्य विकासशील देशों को रियायती ऋण श्रृंखलाएं और भारतीय रिजर्व बैंक को की गई सिक्कों की आपूर्ति की लागत देने के लिए है। इसके अलावा, किए जाने वाले व्यय में इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई); प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी); 14वां वित्त आयोग और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और वायदा बाजार आयोग (एफएमसी); राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों को दिया जाने वाला भारत सरकार का अंशदान विषयक व्यय सम्मिलित है। अतः बहुत कम ऐसे क्रियाकलाप और परिव्यय हैं, जिन्हें मूर्त, निर्धारित करने योग्य/मापीय शब्दों में वर्णित किया जा सके। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ''परिव्यय'' और ''परिणाम'' के रूप में दर्शाते हुए आयोजना और आयोजना-भिन्न कार्यकलापों का वर्णन निम्नलिखित विवरणों में दिया गया है:

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014 - 15 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) सीई बीआर*				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्प्रिट तथा उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान। (आयोजना)**	यातायात के लिए निर्बाध और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव रहित लेवल क्रासिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि सेतुओं/ अधोसेतुओं के निर्माण के वित्तपोषण हेतु किया जाता है।	...	1496.00	...	- 1200 स्थानों पर पहरेदारों की तैनाती। - 300 स्थानों पर अन्तःपाशन। - सभी मानवयुक्त फाटकों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। - 1000 सड़क अधोसेतुओं/सबवे का निर्माण। - 225 सड़क उपरिसेतुओं का निर्माण।	मानव रहित रेलवे क्रांसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क यातायात एवं रेल कार्यों के लिए निर्बाध रास्ता प्रदान करना। जहां उपरि सेतु/अधोसेतु बनाए जाते हैं वहां ईंधन में बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।	- मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को मानव युक्त बनाने के लिए फाटकों/उत्थापक अवरोधों का निर्माण किया जाता है और चौकीदारों के लिए ड्यूटी कुटीरों/ फाटकों और लॉजों का निर्माण किया जाना है। - स्टेशन से लेवल क्रॉसिंग स्थान तक केबल बिछाना, सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रॉसिंग स्थान से जोड़ना। - लागत विभाजन आधार पर व्यस्त लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर सड़क उपरिसेतुओं/सड़क अधोसेतुओं की व्यवस्था की जाती है। 1 लाख से अधिक की क्षमता की ट्रेन व्हीकल यूनिटों वाले आरओबी/आरयूबी का प्रस्ताव उपक्रमों अर्थात आरओबी पूर्ण करने, समान लागत विभाजन करने विलंगम मुक्त भूमि की व्यवस्था आदि के पश्चात एलसीके समापन जैसी सहमति के साथ राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा 50:50 के लागत विभाजन आधार पर प्रायोजित किया जाता है।	- उपरिसेतुओं/अधो सेतुओं का निर्माण करना रेलवे और राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। - संविदा संबंधी समस्या/भूमि की अनुपलब्धता, सड़क यातायात को मोड़ने, लेवल क्रॉसिंग गेटों के स्थानांतरण में विलंब, राज्य सरकार के पास निधि के संकट, दो एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे आरओबी के ब्रिज भाग और अप्रोच भाग के कारण, आरओबी निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब हो जाता है।

** सीईबीआर - अनुपूरक बजट-बाह्य संसाधन यानि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के सिवाय अन्य संगठनों के प्रयोजना के लिए प्रतिबद्ध व्यय।*

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) सीई बीआर				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना स्कीम)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।	...	670.00	...	कुल ₹88696.67 करोड़ की परियोजना लागत से और ₹16893.67 करोड़ के व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण (वीजीएफ) अनुदान से 178 प्रस्तावों को सिद्धांततया/ अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया है। एक बार बोली प्रक्रिया पूरी होने पर, इन प्रस्तावों की वीजीएफ की वास्तविक राशि का पता चलेगा।	सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना का विकास।	सिद्धान्ततः अनुमोदन और अंतिम संवितरण के अनुमोदन के बीच समयान्तर होता है। यह किसी प्रस्ताव को सिद्धांतया अनुमोदन दिए जाने के बाद वित्तीय समापन की प्रक्रिया से सामान्यतया 12 से 18 माह का समय लगता है।	संवितरण तभी हो सकता है जब परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो तथा निजी पक्षकार का चयन प्रति-स्पर्धात्मक बोली लगाने के जरिए हो गया हो और उसने अपना इक्विटी शेयर निवेश कर दिया हो।
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)**	इसका उद्देश्य भारत के नीतिगत आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावधि आर्थिक सम्बन्धों को विकसित करना है। यह योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण सहायता हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करती है।	450.00	...	...	भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से अन्य विकासशील देशों को क्रेडिट श्रृंखलाएं प्रदान करना।	भारत सरकार समर्थित भारतीय आयात निर्यात बैंक ऋण सहायता के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर जिबूती, गिनी बिसाऊ, गुयाना, आदि जैसे विकासशील देशों के साथ भारतीय निर्यात को बढ़ाने, नीतिगत तथा आर्थिक संबंधों के विकास हेतु ऋण श्रृंखला प्रदान की जाती है।	इस प्रावधान का उपयोग 31 मार्च, 2015 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्त्ता देश अदायगी नहीं करता है, भारत सरकार एग्जिम बैंक को राशि की अदायगी करेगी क्योंकि भारत सरकार की प्रति-गारंटी एग्जिम बैंक को ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में दी गई है।

परिव्यय और परिणाम 2014-15

क्र. सं.	स्कीम/कार्य का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15* (₹ करोड़)		प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	लक्षित परिणाम 6	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	अभ्युक्ति
1	2	3	4		5		7	8
			4(i) आयोजना भिन्न	4(ii) आयोजना				
1.	**वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण**	i. एकीकृत बाजार मानीटरिंग और निगरानी साफ्टवेयर की खरीद/आईटीसी उन्नयन ii. वायदा बाजार आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों, एक्स्चेंजों के अधिकारियों/ कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और पण्य व्युत्पन्न बाजार में कार्यरत अन्य स्टेक होल्डर संगठनों का प्रशिक्षण iii. पण्य व्युत्पन्न बाजार के क्षेत्र में अध्ययन संचालित करना और परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराना iv. किसानों को सम्मिलित करते हुए पूरे देश में व्यापारिक केंद्रों (एक्स्चेंजों) के सहयोग से हर वर्ष जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना। v. किसान-बहुल आधार वाले चिह्नित स्थानों पर प्राइस टिकर बोर्ड संस्थापित करना ताकि किसानों के लिए आवश्यकता के समय हाजिर और वायदा कीमतों के बारे में जानकारी प्रसारित की जा सके।	...	50.00	i. सूचना प्रौद्योगिकी के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर की खरीद। ii. क्षेत्रीय केंद्रों की सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाना। iii. 125 क्षमता निर्माण कार्यक्रम iv. 350 पण्य व्यापारिक केंद्रों और उनके सदस्यों की लेखा बहियों की जांच। v. 1200 जागरूकता कार्यक्रम।	बाजार और व्यापारिक केंद्रों तथा उनके व्यापारिक क्रियाकलापों तथा उनके सदस्यों और अन्य अन्तरवर्तियों की बेहतर निगरानी।बाजार में क्षमता निर्माण के लिए सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक केंद्रों के कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों के स्टेक होल्डरों का क्षमता निर्माण। पण्य वायदा बाजारों की जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना ताकि बाजार की समझ और उसमें सहभागिता बढ़ाई जा सके। हाजिर और वायदा पण्य कीमतों का बेहतर तरीके से प्रसार करना।	31.3.2015	

परिव्यय और परिणाम 2014 - 15

स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014 - 15 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक उपलब्धियां	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
2	3	4			5	6	7	8
		4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) ब.बाह्य संसा.				
1. **मुख्य शीर्ष 5465 - सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं (राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/ट्रस्ट) में निवेश। राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/ट्रस्ट राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के वित्तपोषण अंशदान के निधान के रूप में कार्य करता है।**	राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/ ट्रस्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच एक निवेश प्रबंध करार निष्पादित हुआ है जिसके आधार पर यह निधि/ट्रस्ट सभी प्रकार के अंशदानों के लिए निधान के रूप में कार्य करेगा और उन्हें निधियों के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को अंतरित करेगा ताकि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थात कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रबंध व उपयोग कर सके।	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के लिए ब. अनु. 2014-15 में ₹ 5 लाख की सांकेतिक राशि के प्रावधान के लिए कहा गया है।	लागू नहीं	-	यह प्रावधान एनएसडीसी को राशि अंतरित करने के लिए रखा गया है जिससे कि एनएसडीसी द्वारा मांगे जाने पर उसे दी जा सके।	कौशल विकास	एनएसडीसी के लिए सन् 2022 तक 150 मिलियन युवा भारतीयों को रोजगार संबंधी कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है।	आवेदन/प्रस्ताव की विश्वसनीयता की जांच क्या आवेदन/प्रस्ताव अपेक्षाओं के अनुरूप है। परियोजना अनुमोदन समिति, कौशल विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए एनएसडीसी में प्राप्त प्रस्तावों के लिए अनुसंशा करने वाला निकाय है। इस पर पहले परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाता है जहाँ विधिक, वित्तीय और तकनीकी दृष्टि से समुचित सावधानी बरती जाती है। परियोजना अनुमोदन समिति अपनी रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात, संविदा प्राधिकारी (एमडी एंडसीईओ, एनएस डीसी) प्रस्ताव स्वामियों के साथ करार निष्पादित करता है।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

आधारभूत ढांचा विकास हेतु सहायता (आयोजना)

यह योजना व्यवहार्यता अंतर के वित्तपोषण के माध्यम से आधारभूत-ढांचा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी के एक नवीन वित्तपोषण तंत्र को लागू करने के लिए है। सरकार देश में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और स्तर में काफी अधिक सुधार करने की जरूरत को स्वीकारती है ताकि अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और इसे उच्च वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। अधिक निवेश करके भौतिक आधारभूत ढांचे के विकास की गति बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी को बढावा देने का निर्णय लिया गया है। आधारभूत ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सड़कों, बंदरगाहों, हवाई-अड्डों, रेलवे, सम्मेलन केन्द्रों, विद्युत, जल पूर्ति, शहरी क्षेत्रों में मल-जल निपटान और ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटान इत्यादि में सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की सहायता हेतु प्रावधान किया गया है। राज्य एवं नगरपालिका स्तर पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण को त्वरित एवं सुदृढ़ बनाने तथा राज्य स्तर पर क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में सरकारी निजी भागीदारी के बारे में क्षमता निर्माण कार्यक्रम को समेकित करने हेतु, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एक बृहद राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाया गया है जिसे केएफडब्ल्यू विकास बैंक के सहयोग से, राज्य स्तर पर शुरू किया गया है। 145 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, लगभग 160 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इन प्रशिक्षित प्रशिक्षकों ने 5004 से अधिक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है। ये कार्यकर्ता अपने अधिकार क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं से संबंधित कार्य देखते हैं। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए एक आनलाइन टूलकिट्स, जोखिम एवं आकस्मिक देयता ढांचा तथा सरकारी निजी भागीदारी के लिए सम्प्रेषण कार्यनीति बनायी गयी है। ये पीपीपीज पर आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट www.pppinindia.com. पर उपलब्ध हैं। सरकारी निजी भागीदारी टूलकिट एक वेब आधारित साधन है जिसे भारत में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे के लिए निर्णय लेने तथा भारत में क्रियान्वित की जा रही सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता के लिए बनाया गया है। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित और यह सुनिश्चित करने कि पारदर्शिता, प्रतियोगी नीलामी प्रक्रिया, वहनीयता और धन के मूल्य की निर्धारित प्रक्रिया और सिद्धांतों का पालन करते हुए, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं का प्रबंध और क्रियान्वयन किया जाता हैं, के लिए सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की नीति का प्रारूप और इनके नियमों का प्रारूप तैयार किए गए हैं। इनको अंतिम रूप देने से पहले, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर इनके बारे में व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है।

अवसंरचना सेक्टर में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता (आयोजना)

अवसंरचना परियोजनाओं की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि परियोजनाओं से उत्पन्न सकारात्मक बाहरी सुविधाओं से केवल राजस्व प्राप्त करना नहीं हो सकता है। इस प्रकार कोई परियोजना वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम न होकर आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो सकती है। जो परियोजनाएं मामूली रूप से क्षम अथवा अक्षम होती हैं, उन्हें अनुदान के माध्यम से वित्तीय दृष्टि से आकर्षक बनाया जा सकता है। सरकार ने अवसंरचना सेक्टर में ऐसी परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (निधियन) की व्यवस्था की है। अब तक, 80,894.26 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत तथा 16005.36 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर निधियन सहायता से 159 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता अंतर निधियन की वास्तविक राशि, नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी। 45 परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिसमापन की स्थिति प्राप्त हो गयी है और वह विचाराधीन है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 14 परियोजनाओं को प्रीमियम पर दिया गया है जहां किसी वीजीएफ सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत 2012-13 में 457.55 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। 2013-14 में 450.00 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी। प्रायोजन प्राधिकारी की आवश्यकताओं और पहले से अंतिम अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या के आधार पर, बजट अनु. 2014-15 में 670.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (आयोजना-भिन्न)

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने, वर्ष 2007-08 के अपने बजट भाषण में, परियोजना तैयारी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 100 करोड़ रुपए की समग्र राशि से आवर्ती निधि की स्थापना की घोषणा की थी। भारत सरकार ने राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को स्तरीय परियोजना विकास क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रारंभ करने हेतु भारत अवसरंचना परियोजना विकास निधि हेतु योजना एवं दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इसका उद्देश्य परामर्शदाता तथा लेनदेन सलाहकार को नियोजित करने की लागत सहित संभावित सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्ययों का वित्तपोषण करना है ताकि सफल सरकारी निजी भागीदारी की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि हो सके तथा अच्छी व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर सरकार विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। भारत अवसरंचना परियोजना विकास निधि उन परियोजनाओं में सहायता करेगी जो सरकारी निजी भागीदारी परियोजना का चयन करने तथा उसे तैयार करने में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को आधार बनाए। अब तक, आईआईपीडीएफ सहायता से 53 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2012-13 में लगभग 1.76 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। मार्च, 2014 तक कोई व्यय नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 4.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है।

अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग - भारत के निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता

भारत सरकार भारतीय निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से विदेशी देशों को किफायती ऋण श्रृंखला प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, भारत के निर्यात-आयात बैंक का ब्याज समकरण सहायता (अर्थात भारत के निर्यात-आयात बैंक की ब्याज-दर और उस रियायती ब्याज दर जिस पर ऋण-श्रृंखला दी जाती है, के बीच अंतर की राशि), प्रदान की जाती है है। अधिकांश मामलों में, मूल राशि की अदायगी और ब्याज-अदायगी की भारत सरकार की प्रतिगारंटी भी एक्जिम बैंक को दी जाती है। क्रेडिट श्रंखला को सरकार से सरकार के बीच अधिक वृहत बनाने के लिए वित्त वर्ष 2003-04 के केंद्रीय बजट में "भारत विकास पहल" के नाम से ज्ञात एक कार्यक्रम शुरू करने का उल्लेख किया गया था। यह योजना अब "भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना" में परिवर्तित हो गयी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय मुख्य शीर्ष - 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग, लघु शीर्ष - 00.101 - अन्य देशों के साथ सहयोग, 30 - विकास सहायता के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, वर्ष 2006-07 से भारत के एक्जिम को ब्याज समकरण सहायता पर व्यय, जो उपर्युक्त शीर्ष अधीन के बजटीय प्रावधान का मुख्य भाग होता था, को एक नए बजट लेखा शीर्ष अर्थात् मुख्य शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवा, लघु शीर्ष - 00.800 - अन्य व्यय, 73 - भारत के एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता के अधीन अंतरित कर दिया गया है। भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना में, दूसरे देशों को लेंडिंग एजेंसियों के माध्यम से रियायती ऋण श्रृंखला प्रदान करके विदेश में भारत के स्ट्रैटेजिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास है।

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और अभिनव परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि सृजित की गयी है। भारत में उत्पादित कोयले पर, और आयातित कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जा रहा है। शर्त के अनुसार, इस प्रकार संग्रहित किए गए उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरित कर दिया जाता है। अभिज्ञात योजनाओं पर होने वाले व्यय का प्रावधान अनेक मंत्रालयों/विभागों की अनुदान-मांगों में किया जा रहा है।

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी)

बाजार सुदृढ़ करने और इसके आधार के विस्तार के लिए वायदा बाजार आयोग, वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अधीन वस्तु वायदा व्यापार का विनियामक है। इसने अनेक विनियामक उपाय तथा विकासात्मक क्रियाकलाप किए हैं। वायदा बाजार आयोग ने विनियामक मोर्चे पर, बाजार की विश्वसनीयता सुधारने, पारदर्शिता बढ़ाने, निवेशकों का संरक्षण सुदृढ़ करने और अत्यधिक अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैः

(i) निपटान गारंटी निधि - निपटान गारंटी निधि के 2013 में क्रियाशील होने से बाजार भागीदारों के बीच अधिक विश्वास जगा और स्टॉक केंद्रों ने निपटान गारंटी निधि संग्रह में 703.82 करोड़ रुपए अंतरित किए।

(ii) कारपोरेट अभिशासन - आयोग ने राष्ट्रीय स्टॉक केंद्रों के निदेशक मंडल के गठन संबंधी संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। निदेशक मंडल के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होते हैं जिनकी नियुक्ति एफएमसी के अनुमोदन से की जाती है। लेखापरीक्षा समिति और क्षतिपूर्ति समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होते हैं तथा इन समितियों के अध्यक्ष आयोग के पूर्वानुमोदन से नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशक हैं।

(iii) मूल न्यूनतम पूंजी आवश्यकता - आयोग ने राष्ट्रीय एक्स्चेंजों के सदस्यों हेतु मूल न्यूनतम पूंजी निर्धारित की है। मूल न्यूनतम पूंजी के बारे में एक्सचेंजों द्वारा कोई जोखिम नहीं उठाया जाना है।

(iv) भंडारण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण - इससे पण्य वायदा बाजार में भंडारण सुविधा सुदृढ़ होगी।

(v) जोखिम प्रबंध समूह - पण्य व्युत्पन्न बाजार के लिए जोखिम निवारण प्रबंध नीतियां व दिशा-निर्देश बनाने में वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) की सहायता करने के लिए, जोखिम प्रबंध समूह (आरएमजी) का गठन किया गया था। जोखिम प्रबंध समूह के अध्यक्ष, प्रो. जे.आर. वर्मा, आईआईएम, अहमदाबाद हैं।

(vi) आयोग द्वारा प्रोद्यौगिकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यह प्रोद्यौगिकी के प्रयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विषयों के बारे में सलाह देगी।

ख. विकासात्मक गतिविधियां

एफएमसी ने स्ट्राक एक्सचेंजों के साथ मिलकर विभिन्न हितधारक समूहों के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जहाँ मुख्य ध्यान किसानों पर दिया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान दिसम्बर, 2013 तक, 667 जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इनमें से, 444 कार्यक्रम किसानों के लिए चलाए गए हैं।

परिव्यय 2012-13 के अनुसार परिणाम की प्राथिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 (₹ करोड़)		प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च, 2013 तक की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों हेतु रेलवे सुरक्षा निर्माण के लिए अंशदान। (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव-तैनात व्यस्त रेलवे क्रासिंग्स पर ऊपर के और नीचे के पुलों के निर्माण तथा मानव-रहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेल सुरक्षा कार्यों में वित्त पोषण हेतु किया जाएगा ताकि सुरक्षित और सुचारु यातायात सुनिश्चित किया जा सके।	1102.45	1102.45	- 1163 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 1735) पर व्यक्तियों की तैनाती। - 110 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोध। - 928 स्थानों पर आधारभूत अव-संरचना। - मानव तैनाती वाले सभी गेटों पर टेलीफोन लगाया जाना। - 425 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - सीमित ऊचाई वाले 648 सबवे का निर्माण। - सड़क के उपर के/नीचे के 89 पुलों का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए, गेटेड/ लिफ्टिंग बैरियर्स का निर्माण किया जाना है और डयूटी हट्स/गेट लॉजों का निर्माण गेटकीपरों के लिए किया जाना है। योग्य/ उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन किया जाना है और उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रॉसिंग स्थान से जोड़ने हेतु स्टेशन/ लेवल क्रॉसिंग स्थान के बीच केबल बिछाना।	सड़क के ऊपर/नीचे पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों द्वारा, संविदात्मक समस्याओं, भूमि की अनुपलब्धता, अनधिकृत कब्जों/वित्तीय साधनों की कमी आदि की वजह से कार्य को समय पर न शुरू किए जाने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है।	₹1102.45 करोड़ के संपूर्ण परिव्यय की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उप-लब्धियां हासिल हुई हैं: - 1163 स्थानों पर व्यक्तियों की तैनाती। - 110 स्थानों पर लिफ्टिंग बैरियर्स। - 928 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। - 425 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 329 स्थानों पर टेलीफोन। - 648 सबवेज का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे 89 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किया गया सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण का प्रावधान करके अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	437.55 (आयोजना)	437.55 (आयोजना)	इस स्कीम के अंतर्गत 78496.55 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और ₹15528.49 करोड़ की वीजीएफ सहायता से मार्च, 2013 तक 147 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया।	'सिद्धांततः' अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है। सामान्यतः किसी प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया और वित्तीय समापन में 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, निधि का संवितरण किया जाता है, और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए निजी पक्षकार अपने इक्विटी शेयर का निवेश करता है।	इस योजना के अंतर्गत 147 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा सिद्धांततया अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजना के प्रायोजन प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए भुगतान संबंधी निर्देशों की जांच करने के बाद, बजट अनु. 2012-13 में किया गया ₹437.55 करोड़ का पूरा बजट आबंटन संशो. अनु. 2012-13 में बनाए रखा गया। तथापि, वास्तव में 457.55 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी।
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता**	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावाधिक स्थायी आर्थिक संबंध विकसित करना है। इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था है।	225.00	290.00	अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर, जीबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत एवं आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए प्रदत्त भारत सरकार समर्थित एक्जिम बैंक क्रेडिट श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2013 तक किया जाना था।	यदि प्राप्तकर्त्ता देश द्वारा अदायगी में चूक हो जाती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को इस राशि की वापसी करेगी क्योंकि ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक को भारत सरकार की प्रतिगारंटी दी हुई है।	वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज समकरण सहायता के तौर पर ₹ 290.00 करोड़ की राशि भारतीय निर्यात आयात बैंक को दे दी गई है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
4.	**मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता; अंशदान**	कोलंबो प्लान के अंतर्गत, भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के जरिए मानव संसाधन विकास को सहायता उपलब्ध कराते हुए, देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।	1.00	1.62	कोलंबो प्लान देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के जरिए मानव संसाधन विकास।	कोलम्बो प्लान देशों को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।	विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से प्रशिक्षण के संबंध में वित्तीय देन-दारियों को पूरा करने के लिए ₹1.61 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

विगत कार्य-निष्पादन की समीक्षा
परिव्यय 2013-14 के अनुसार परिणाम की प्राप्तिथिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013 - 14 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च, 2014 तक की स्थिति
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई-स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानवरहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि-सेतुओं/अधोसेतुओं के निर्माण के वित्त पोषण हेतु किया जाता है ताकि यातायात के लिए सहज और सुरक्षित मार्ग मुहैया कराया जा सके।	1102.45	1102.45	...	- 682 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 1352) पर व्यक्तियों की तैनाती। - तैनाती वाले सभी गेटों पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। - 300 स्थानों के इंटरलॉकिंग लक्ष्य के मुकाबले 162 स्थानों पर इंटरलाकिंग। - 976 सबवे के निर्माण कार्य के लक्ष्य के मुकाबले 420 सबवे का निर्माण। - सड़क के ऊपर/नीचे के 134 पुलों के निर्माण कार्य के लक्ष्य के मुकाबले 37 का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए फाटकों/ उठाए जाने वाले अवरोधों का, और गेट कीपरों के लिए ड्यूटी कुटीरों/ फाटकों लॉजों का निर्माण किया जाना है। योग्य/ उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन करके उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - सिग्नल प्रणाली और टेलीफोन को आपस में जोड़ने के लिए स्टेशन/ लेवल क्रॉसिंग स्थल के बीच केबल बिछाना।	सड़क के ऊपर/नीचे के पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी संविदागत समस्याओं, भूमि की अनुपलब्धता के कारण, तथा वित्तीय तंगी/ अनधिकृत कब्जों इत्यादि की वजह से राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के समय पर कार्य न शुरू किए जाने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है।	मार्च, 2014 तक 1102.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उपलब्धियां हुई हैं: - 682 स्थानों पर तैनाती की गई। 239 स्थानों पर अवसंरचना का कार्य पूरा, पर तैनाती नहीं की गई। - 162 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 182 स्थानों पर टेलीफोन लगाए गए। - दिसंबर, 2013 तक 420 सबवे का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे के 37 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण का प्रावधान (वीजीएफ) का प्रावधान करके, अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	678.00 (आयोजना)	678.00 (आयोजना)	...	₹80.894.26 करोड़ की परियोजना लागत और ₹16005.36 करोड़ की वीजीएफ सहायता से आज की तारीख तक, 159 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया।	सिद्धांततः अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है और सामान्यतः किसी प्रस्ताव में सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया से/ वित्तीय समापन तक 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाने, तथा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए चयनित निजी पक्षकार के अपने इक्विटी शेयर का निवेश कर दिए जाने के बाद, संवितरण होता है।	ब.अनु. ब.अनु. 2013-14 में ₹678.00 करोड़ का प्रावधान, प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग के आधार पर, किया गया था और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए शेष वीजीएफ अभी संवितरित किया जाना है। बजट अनु. 2013-14 में किए गए ₹678.00 करोड़ के प्रावधान को संशो. अनु. 2013-14 स्तर पर बनाए रखा गया है। मार्च, 2014 तक, 21 सड़क परियोजनाओं के लिए ₹450.00 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)**	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और स्थायी आर्थिक सम्बन्ध विकसित करना है। यह स्कीम, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करती है।	416.50	416.50	...	अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट-डी-आइवर, जिबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत और आर्थिक संबंध विकसित करने आदि के लिए दी गई भारत सरकार समर्थित भारतीय आयात बैंक ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जानी है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2014 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्ता देश द्वारा अदायगी में चूक हो जाती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को यह राशि अदा करेगी क्योंकि स्वीकृत ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक को भारत सरकार की प्रति-गारंटी दी हुई है।	वर्ष 2013-14 के दौरान मार्च, 2014 तक, ब्याज समीकरण सहायता के तौर पर ₹407.66 करोड़ की राशि का भुगतान एक्जिम बैंक को किया गया है।
4.	**मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता, अंशदान**	भारतीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास को सहायता प्रदान करके, कोलंबो योजना के अंतर्गत देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।	0.50	0.50	...	कोलंबो योजना देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देकर मानव संसाधन विकास।	अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया, मलेशिया, लाओस, नेपाल, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्विष्ट नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में उल्लिखित उद्देश्य हेतु किया जा रहा है ।	कोलम्बो योजना से संबंधित कार्य अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित हो गया है। विभिन्न कोलम्बो प्लान देशों से आए विद्यार्थियों के संबंध में शेष वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान मार्च, 2014 तक ₹0.77 करोड़ व्यय किए गए हैं।

अनुदान सं.33-आर्थिक कार्य विभाग के तहत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़)

क्र.सं.	योजना	2012-13			2013-2014			2014-15
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (अनंतिम)	ब.अनु.
1.	अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी), व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) (मु.शीर्ष 5475) - आयोजना	437.55	437.55	457.55	678.00	678.00	450.00	670.00
2.	मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (मु.शीर्ष 3054) - आयोजना	1102.45	1102.45	1102.45	1102.45	1102.45	1102.45	1496.00
3.	भारत के निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (मु.शीर्ष 3475) - आयोजना-भिन्न	225.00	290.00	290.00	416.50	416.50	407.66	450.00
4.	अन्य देशों के साथ तकनीकी आर्थिक सहयोग - कोलम्बो योजना के तहत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता (मु.शीर्ष 3605) - आयोजना-भिन्न	1.00	1.62	1.61	0.50	0.50	0.77	0.50
	जोड़	**1766.00**	**1831.62**	**1851.61**	**2197.45**	**2197.45**	**1960.88**	**2616.50**

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की स्थिति की तुलना में हुआ वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	मुख्य शीर्ष	2011-12			2012-13			2013-14		
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भाग-क आयोजना-भिन्न मद										
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	**2052**	**84.71**	**76.68**	**75.80**	**81.03**	**88.23**	**80.14**	**98.26**	**120.65**	**105.23**
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**2046**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.50**
राष्ट्रीय बचत संस्थान	2047	12.40	12.45	13.61	12.94	12.41	11.90	13.40	12.12	10.76
अनिवार्य जमा (आयकर दाता योजना, 1974) के अन्तर्गत जमाराशियों पर ब्याज	2047	0.03	0.03	0.01	0.05	0.03	0.02	0.05	0.02	0.02
अन्य व्यय	2047	0.23	0.24	0.47	0.21	0.20	0.21	0.23	0.25	0.24
जोड़	**2047**	**12.66**	**12.72**	**14.09**	**13.20**	**12.64**	**12.12**	**13.68**	**12.40**	**11.02**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
14वां वित्त आयोग	2070	0.00	0.00	0.00	3.00	6.34	4.41	15.24	13.61	13.30
वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)	2070	1.00	4.40	4.21	5.10	4.86	4.65	0.12	0.10	0.19
अन्य व्यय (प्रति.अपील अधि.)	2070	3.28	3.87	3.24	4.05	5.57	4.76	4.78	4.26	4.50
जोड़	**2070**	**4.28**	**8.27**	**7.45**	**12.15**	**16.77**	**13.82**	**20.14**	**17.97**	**17.99**
विविध सामान्य सेवाएं										
गारंटी मोचन निधि	2075	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
अन्य कार्यक्रम	2075	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
जोड़	**2075**	**300.01**	**300.01**	**300.00**	**300.01**	**300.01**	**300.00**	**300.01**	**300.00**	**300.00**
सामान्य शिक्षा										
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
संरक्षित बचत स्कीम (अन्य प्रभार)	2235	0.14	0.05	0.00	0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00
जोड़	**2235**	**0.14**	**0.05**	**0.00**	**0.10**	**0.05**	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.00**
अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफडी)	2416	40.00	39.76	39.76	50.00	54.00	54.66	55.00	62.00	61.90
जोड़	**2416**	**40.00**	**39.76**	**39.76**	**50.00**	**54.00**	**54.66**	**55.00**	**62.00**	**61.90**
अन्य परिवहन सेवाएं										
लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को सब्सिडी	3075	3022.61	2598.26	2034.37	3003.89	2384.23	2286.14	2746.00	3530.00	3530.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइनों के संचालन पर हानियां	3075	657.92	652.00	652.00	600.00	637.00	637.00	660.00	640.00	640.00
जोड़	**3075**	**3680.53**	**3250.26**	**2686.37**	**3603.89**	**3021.23**	**2923.14**	**3406.00**	**4170.00**	**4170.00**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत कार्यक्रम के संबंध में अंशदान की अदायगी	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय निर्धारण प्रभार	3466	0.23	0.39	0.38	0.42	0.38	0.38	0.39	0.18	0.18
विश्व बैंक पीपीए	3466	7.50	1.87	1.78	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
साउथ एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि(एसईईटीफ)	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	2.73	2.73
जोड़	**3466**	**7.73**	**2.26**	**2.16**	**0.43**	**0.38**	**0.38**	**3.12**	**4.19**	**4.19**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	3475	19.33	20.73	19.91	20.55	21.23	20.63	11.23	37.23	36.73
अन्य प्रभार/आई ई एस/टोक्यो, बीजिंग और वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास	3475	20.25	17.92	15.94	19.80	18.69	18.26	20.99	19.09	18.13
अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान	3475	2.93	22.93	22.90	3.23	28.22	27.89	2.36	16.78	14.84
यूएन एजेंसियों में गैर भारतीय कार्मिकों पर सीमाशुल्क और आयात शुल्क	3475	0.03	0.03	0.00	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.00
अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	3475	139.69	139.00	139.48	225.00	290.00	290.00	416.50	416.50	407.66
यमन सरकार को दी गयी ऋण श्रृंखला के तहत बकाया ऋण और उन पर ब्याज/ दंडात्मक ब्याज की माफी	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00
तुर्कमेनिस्तान सरकार को 1995 में विस्तारित ऋण श्रृंखला के तहत बकाया ऋणों और उन पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज को माफ करना।	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेशेल्स गणराज्य को दिए गए बकाया ऋणों और उन पर ब्याज को माफ करना	3475	18.00	6.22	6.24	3.53	3.56	1.79	1.52	1.18	1.18
कज़ाकस्तान सरकार को 1993 में वितरित ऋण श्रृंखला के अंतर्गत बकाया ऋणों और उन पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज को माफ करना	3475	0.00	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उजबेकिस्तान सरकार को 1994 में वितरित ऋण श्रृंखला के अंतर्गत दिए गए बकाया ऋणों और उन पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.40	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**3475**	**200.73**	**242.64**	**239.77**	**272.64**	**363.79**	**360.66**	**452.62**	**490.80**	**478.54**
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग										
यूएनडीपी को अंशदान	3605	22.55	21.21	21.20	22.55	24.72	24.71	23.73	28.68	28.72
अन्य देशों के साथ सहयोग	3605	14.06	12.67	1.76	1.07	1.68	1.67	0.56	0.58	0.83
वैश्विक पर्यारण सुविधा(जीईएफ)	3605	0.00	0.00	11.75	11.00	12.54	12.54	12.50	14.18	14.09
एशियाई विकास बैंक की 40वीं वार्षिक आम बैठक	3605	0.00	0.15	0.07	8.38	16.00	3.95	15.00	14.17	14.04
जोड़	**3605**	**36.61**	**34.03**	**34.78**	**43.00**	**54.94**	**42.87**	**51.79**	**57.60**	**57.68**
मुद्रा, सिक्का एवं टकसालों का पूंजी परिव्यय										
एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	4046	1584.80	1225.00	1225.00	1645.35	1000.00	1000.00	1645.00	2000.00	1934.17
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय										
बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद	4075	1.50	1.47	1.44	3.00	3.91	0.00	6.00	6.00	4.63
सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं में निवेश										
नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निमार्ण निगम लिमिटेड(एसपीएमसीआईएल)	5465	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एनएसडीसी)	5465	0.00	501.90	501.90	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00
जोड़	**5465**	**400.00**	**501.90**	**501.90**	**400.00**	**1.00**	**1.00**	**500.00**	**250.00**	**250.00**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश										
आईबीआरडी को अभिदान	5466	183.65	183.65	206.11	183.65	205.04	205.03	203.20	231.15	231.23
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अभिदान	5466	0.01	9.17	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एशियाई विकास बैंक को अभिदान	5466	199.85	205.52	205.52	205.53	234.95	234.95	245.00	350.00	279.23
अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान	5466	22.12	22.12	22.11	22.21	22.11	22.11	0.01	1.32	1.34
अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण सहायता का भुगतान	5466	1.83	1.83	1.83	2.13	2.11	2.11	2.15	0.00	0.00
अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान	5466	5.21	0.01	0.00	5.35	5.85	5.89	6.20	7.12	6.82
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान(प्रतिभूतियों में)	5466	11729.41	0.00	2444.53	42000.00	0.00	0.00	42000.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान(नकद)	5466	0.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00
मूल्य अनुरक्षण दायित्व(एमओवी)	5466	0.01	1609.79	1609.78	0.01	4005.44	4005.44	0.01	192.79	192.79
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के लिए भारत का अंशदान	5466	50.00	25.00	0.00	50.00	2.16	0.00	0.01	0.00	0.00
चुनिंदा पूंजी वृद्धि(एससीआई) के संबंध में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के लिए अदायगी	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	139.83	132.65
जोड़	**5466**	**12192.09**	**2057.09**	**4499.06**	**56468.88**	**4477.66**	**4475.53**	**56574.58**	**922.21**	**844.06**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय										
सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि में अंतरण	5475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00
पीपीपी के मुख्य क्रियाकलाप	5475	0.80	2.67	1.70	1.30	1.17	0.32	1.30	0.32	0.02
भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि(आईआईपीडीएफ)	5475	5.00	9.00	7.00	5.00	4.50	1.76	4.00	0.50	0.00
जोड़	**5475**	**5.80**	**11.67**	**8.70**	**6.30**	**5.67**	**2.09**	**7005.30**	**0.82**	**0.02**
नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अन्य आर्थिक सेवा ऋणों के लिए ऋण	**7475**	**0.00**	**9003.04**	**7269.58**	**0.00**	**11294.60**	**914.63**	**0.01**	**1830.00**	**1486.05**
जोड़	**7475**	**0.00**	**9003.04**	**7269.58**	**0.00**	**11294.60**	**914.63**	**0.01**	**1830.00**	**1486.05**
जोड़ आयोजना-भिन्न		**18551.59**	**16766.85**	**16905.86**	**62899.98**	**20694.88**	**10181.03**	**70131.56**	**10244.64**	**9725.98**
भाग ख - योजना मद										
असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा निधि	2235	500.00	500.00	500.00	1000.00	120.00	120.00	609.55	200.00	200.00
महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया निधि	2235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2810	0.00	1066.46	1066.46	1500.00	1500.00	1500.00	1650.00	1650.00	1650.00
सड़क एवं पुल	3054	2081.26	2119.12	2119.12	2204.90	2204.90	2204.90	2204.90	2204.90	2204.90
राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
अवसंरचना विकास के लिए सहायता-वीजीएफ	5475	499.37	300.00	300.00	437.55	437.55	457.55	678.00	678.00	450.00
कुल आयोजना		**3080.63**	**3985.58**	**3985.58**	**5142.45**	**4262.45**	**4282.45**	**5142.45**	**6732.90**	**6504.90**
कुल जोड़		***21632.22***	***20752.43***	***20891.44***	***68042.43***	***24957.33***	***14463.48***	***75274.01***	***16977.54***	***16230.88***

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में हुआ मद शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(सकल) (करोड़ रुपए)

विवरण	2011-12			2012-13			2013-14		वास्तविक (अनंतिम)
	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व भाग									
01 वेतन	59.17	52.32	58.99	59.50	66.23	62.08	71.53	71.53	67.81
02 मजदूरी	0.45	0.28	0.39	0.31	0.44	0.42	0.45	0.46	0.41
03 समयोपरि भत्ता	0.41	0.17	0.13	0.22	0.16	0.06	0.18	0.08	0.07
06 चिकित्सा उपचार	1.35	1.17	0.77	1.43	1.22	1.27	1.38	1.24	1.23
11 घरेलू यात्रा व्यय	2.15	2.54	2.10	2.54	2.29	1.99	2.54	2.32	2.47
12 विदेशी यात्रा व्यय	5.82	5.82	5.00	6.95	6.04	5.56	6.95	6.10	6.38
13 कार्यालय व्यय	8.38	8.99	8.73	9.00	8.14	8.59	10.49	10.74	18.93
14 किराया, दर एवं कर	4.65	4.30	2.49	4.80	8.99	6.85	11.79	8.05	7.90
16 प्रकाशन	4.37	5.27	4.96	5.27	5.19	5.43	5.27	4.97	4.39
20 अन्य प्रशासनिक व्यय	4.99	5.25	3.96	11.00	20.71	7.45	19.44	17.82	17.04
21 पूर्ति एवं सामग्री	1.05	0.85	0.74	0.85	0.77	0.69	0.85	0.70	0.85
26 विज्ञापन एवं प्रचार	0.65	0.61	1.86	0.65	0.50	0.25	0.55	0.41	0.38
27 लघु निर्माण कार्य	2.16	1.97	1.34	2.95	2.54	1.69	1.76	1.91	1.57
28 प्रोफेशनल सेवाएं	4.30	5.18	3.78	5.80	8.45	5.26	7.81	33.60	20.87
31 सामान्य सहायता-अनुदान	2.95	22.95	22.90	3.25	28.23	26.55	0.85	15.14	13.34
32 अंशदान	96.11	94.55	94.85	105.34	114.37	114.42	105.95	146.92	146.51
33 सब्सिडी	3820.22	3389.26	2824.84	3828.89	3311.23	3213.14	3822.50	4586.50	4577.66
35 पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	0.00
36 सहायता द्व अनुदान ''वेतन''	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.51	1.51	1.51
42 एकमुश्त	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	मुद्रा घट-बढ़	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	ब्याज	0.09	0.09	0.02	0.09	0.04	0.02	0.09	0.02	0.02
50	अन्य प्रभार	26.36	19.91	17.12	20.27	17.90	17.47	19.46	17.29	11.03
51	मोटर वाहन	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.15	0.12	0.09	0.08
52	मशीनरी एवं उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	बृहद कार्य	1040.63	1059.56	1059.56	1102.45	1102.45	1102.45	1102.45	1102.45	1102.45
63	अंतर-खाता अंतरण	1840.63	2926.02	2926.02	3902.45	3022.45	3022.45	3662.00	4252.45	4252.45
64	बट्टे खाते डालना/ हानियां	18.00	41.52	41.54	3.53	5.63	3.86	1.52	1.18	1.18
50	सूचना प्रौद्योगिकी- अन्य प्रभार	3.15	3.06	2.56	3.18	2.85	3.25	0.00	0.00	0.00
13	सूचना प्रौद्योगिकी- कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	6.90	5.43
	जोड़ राजस्व भाग	**6948.66**	**7652.26**	**7084.76**	**9081.35**	**7736.94**	**7612.69**	**8865.12**	**10290.51**	**10261.96**
पूंजी भाग										
32	अंशदान	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	250.00	1250.00
42	एकमुश्त प्रावधान	499.37	300.00	300.00	437.55	437.55	457.55	678.00	678.00	450.00
50	अन्य प्रभार	5.80	11.67	8.69	6.30	5.67	2.09	5.30	0.82	0.02
52	मशीनरी और उपकरण	1.50	1.47	1.45	3.00	3.91	0.00	6.00	6.00	4.63
54	निवेश	12542.09	2033.99	4500.96	56818.88	4474.66	4476.53	56574.57	1922.21	844.06
55	ऋण एवं अग्रिम	0.00	9003.04	7269.58	0.00	11294.60	914.63	0.01	1830.00	1486.04
60	अन्य पूंजी व्यय	1634.80	1250.00	1225.00	1695.35	1004.00	1000.00	1645.01	2000.00	1934.17
63	अंतर-खाता अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00
	जोड़-पूंजी भाग	**14683.56**	**13100.17**	**13805.68**	**58961.08**	**17220.39**	**6850.79**	**66408.89**	**6687.03**	**5968.92**
	कुल जोड़	***21632.22***	***20752.43***	***20890.44***	***68042.43***	***24957.33***	***14463.48***	***75274.01***	***16977.54***	***16230.88***

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान किए गए व्यय का विश्लेषण

आयोजना-भिन्न

मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय, जी-20 सचिवालय एवं करेंसी निदेशालय के व्यय के लिए रखा गया है। सं.अनु. 2012-13 में कमी, जी-20 सचिवालय और करेंसी निदेशालय में पदों को न भरे जाने के कारण, की गई है। वेतनों के कारण वर्धित आवश्यकता, दिल्ली आर्थिक समागम सहित विभिन्न सम्मेलन आयोजित करने, अन्य प्रशासनिक व्यय और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए भी भुगतान की व्यवस्था के लिए सं.अनु. 2012-13 और 2013-14 में प्रावधान बढ़ाया गया है। मार्च, 2014 तक, 105.23 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान और इसके तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के व्यय के लिए है। इसमें अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) योजना, 1974 के अधीन जमाराशियों पर ब्याज, आईएमएफ रेजीडेंट आफिस की किराया लागत और अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थाओं में भारत के अंशदान के संबंध में प्रावधान भी शामिल है। मार्च, 2014 तक 11.02 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान निवेश आयोग, 14वें वित्त आयोग, प्रतिभूति अपील अधिकरण और वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) के व्यय के लिए है। नए बने एफएसएलआरसी के लिए किए गए प्रावधान के कारण 2011-12 में वृद्धि की गई। 14वें वित्त आयोग के अग्रिम कक्ष के लिए व्यवस्था करने हेतु ब.अनु. 2012-13 में वृद्धि की गयी है। 14वें वित्त आयोग के गठन के कारण उसके लिए किराया प्रभार आदि की व्यवस्था तथा प्रतिभूति अपील अधिकरण के किराए और बकायों का भी भुगतान करने के लिए ब.अनु. 2012-13 में किया गया प्रावधान सं.अनु. 2012-13 में बढ़ा दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 2075 - विविध सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष में प्रावधान कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज अदायगियों तथा सरकारी लेखाओं में जमा की गई दावा न की गयी प्रतिभूतियों के बारे में भुगतान के लिए है। 300.00 करोड़ रुपए का प्रावधान गारंटी मोचन निधि के अंतरण के लिए रखा जा रहा है।

मुख्य-शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

यह प्रावधान संरक्षित बचत योजनाओं के लिए किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान, पूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से 1,000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया निधि में अंतरित किया जा सके।

मुख्य-शीर्ष 2416 - कृषि वित्तीय संस्थाएं (अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि)

अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधिः भारत अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) के संस्थापक देशों में है और उसने 8वें आपूरण तक आईएफएडी संसाधनों में, अब तक, 124 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। वर्ष 1979 से, आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तिकरण, नैसर्गिक संसधान प्रबंध क्षेत्र में और ग्रामीण वित्तीय सेक्टर में लगभग 748.3 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता के साथ 26 परियोजनाओं में सहायता की है। इनमें से, 16 परियोजनाएं समाप्त हो गयी हैं। इस समय, 351.04 मिलियन अमरीकी डालर की कुल सहायता से 09 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। 9वें आपूरण के लिए, भारत ने 30 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करने की वचनबद्धता दी है। इसका भुगतान 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में 10-10 मिलियन अमरीकी डालर की तीन किस्तों में किया जाएगा। भारत ने आईएफएडी संसाधनों के लिए 9वें आपूरण की दूसरी किस्त के रूप में 10 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान दिसंबर, 2013 में कर दिया है। ब.अनु. 2012-13 में किया गया 50.00 करोड़ रुपए का प्रावधान विनिमय दर घट-बढ़ के कारण बढ़ाकर 54.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा बजट अनु. 2013-14 में किया गया 55.00 करोड़ रुपए का प्रावधान विनिमय दर के बढ़ने के कारण बढ़ाकर 62.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आईएफएडी के प्रचालन क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निष्पादन आधारित आबंटन प्रणाली (पीबीएएस) चक्र 2013-15 के लिए, भारत को 131 मिलियन अमरीकी डालर आबंटित किए गए हैं।

मुख्य शीर्ष 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं (रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी)

लाभांश राहत और अन्य रियायत के लिए रेलवे को दी जाने वाली सब्सिडी, सामान्य राजस्वों से रेलवे में निवेशित संपूर्ण पूंजी (लाभांश रहित पूंजी को छोड़कर) पर, रेल मंत्रालय द्वारा सामान्य राजस्वों में अदा किए जाने वाले लाभांश पर आधारित होती है। 2011-12 में, सामान्य राजस्वों को रेलवे द्वारा अदा किए जाने वाले लाभांश की दर, ''2011-12 के लिए लाभांश की दर और अन्य सहायक विषयों'' पर बनी रेलवे अभिसमय समिति की दूसरी रिपोर्ट में वर्णित सिफारिश संख्या 77 के द्वारा 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी थी। लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में प्रदत्त सब्सिडी चल रहे पूंजीगत कार्य पर भी निर्भर करती है। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण (स्ट्रेटेजिक) लाइनों के संचालन पर होने वाली हानियों की भरपाई ऐसी लाइनों के संचालन पर रेलवे के कार्यशील व्ययों पर निर्भर करती है। इस प्रकार हुए वास्तविक व्यय और किए गए प्रावधान के बीच अंतर होता है। लाभांश राहत एवं अन्य रियायतों के संबंध में तथा महत्वपूर्ण रेल लाइनों के संचालन पर हुई हानियों की क्षतिपूर्ति के संबंध में रेलवे को सब्सिडी के लिए, 2013-14 के दौरान रखा गया 3406.00 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरक अनुदान-मागों के जरिए बढ़ाकर 4170.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तथापि, मार्च, 2014 तक 4170.00 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 3466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय वार्षिक निर्धारण प्रभारों, अफगान पुनर्निर्माण न्यास निधि, विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण और दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि में अंशदान के लिए है। दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि में अंशदान के लिए, 2013-14 में बजट अनु. स्तर पर 2.73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तथापि, मार्च, 2014 तक 2.73 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

इस शीर्ष के अधीन, इस प्रावधान में तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रमंडल निधि, और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वाशिंगटन, टोकियो और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के आर्थिक स्कन्ध, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण, एशियाई विकास बैंक में भारत न्यास निधि, मुद्रा दर अंतर और अन्य संस्थाओं को सहायता-अनुदान और एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता का प्रावधान आता है। ब.अनु. 2011-12 और 2012-13 के लिए यह प्रावधान क्रमशः 139.69 करोड़ रुपए और 225.00 करोड़ रुपए किया गया है। 2011-12 में वास्तविक व्यय 139.48 करोड़ रुपए हुआ। 225 करोड़ रुपए का प्रावधान, लिबोर दर 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 0.64 प्रतिशत हो जाने, विनिमय दर बढ़ जाने के कारण और नई ऋण श्रृखला के अनुमोदन के कारण भी, बढ़ाकर सं.अनु. 2012-13 स्तर पर 290.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था। कजाकस्तान (34.92 करोड़ रुपए) एवं उज्बेकिस्तान (0.40

करोड़ रुपए) की सरकार को दी गई एलओसी के संबंध में बकाया देयों/ ब्याज की माफी; एक बजट (2011-12) उदघोषणा के क्रियान्वयन के अनुसरण में, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स को सहायता अनुदान; धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का विरोध करने के लिए यूरेशिया ग्रुप को अंशदान; तथा सीएफटीसी में अंशदान की बाबत विनिमय दर बढ़ जाने के कारण ब.अनु. 2011-12 में किए गए प्रावधान को सं.अनु. 2011-12 में बढ़ा दिया गया है। यमन सरकार को 1981 में दी गयी ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया देयों (2.07 करोड़ रुपए) की माफी; राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (15.00 करोड़ रुपए) और राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग, ईटानगर (10.00 करोड़ रुपए) का सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए 2012-13 में किया गया बजट प्रावधान सं.अनु. 2012-13 में बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए रखा गया 452.62 करोड़ रुपए का बजट अनुमान संशोधित अनु. स्तर दर बढ़ाकर 490.80 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तथापि मार्च, 2014 तक 478.54 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), कोलम्बो योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता और विकास सहायता के लिए अंशदान शामिल है। प्रारंभिक तैयारी संबंधी कार्यों के लिए, एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की मई, 2013 में दिल्ली में होने वाली 46वीं वार्षिक आम सभा के लिए बजट अनु. 2011-12 में प्रावधान (0.15 करोड़ रुपए) किया गया था। 46वीं वार्षिक आम बैठक के लिए प्रावधानों को ब.अनु. और सं.अनु. 2012-13 स्तर पर बढ़ा दिया गया है। कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया तकनीकी सहायता संबंधी यह योजना अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है। तथापि, विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से वर्ष 2009-10 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से संबंधित लम्बित बिलों का भुगतान करने हेतु 2011-12 और 2012-13 में प्रावधान किए गए। यूएनडीपी और जीईएफ में अंशदान के लिए ब.अनु. 2012-13 में किए गए प्रावधान को, विनिमय दर बढ़ जाने के कारण अतिरिक्त मांग की वजह से, सं.अनु. स्तर पर बढ़ा दिया गया है। 2013-14 के दौरान अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए रखा गया 51.79 करोड़ रुपए का बजट अनुमान संशो. अनु. स्तर पर बढ़ाकर 57.60 करोड़ रुपए तथा पूरक अनुदान-मांग द्वारा और बढ़ाकर 58.43 करोड़ रुपए कर दिया गया। मार्च, 2014 तक 57.68 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 4046 - करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल का पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है। 2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए बजट प्रावधान, सिक्कों की लागत कम हो जाने के कारण सं.अनु. अवस्था पर घटा दिए गए हैं। 2013-14 के दौरान बजट अनु. स्तर पर रखा गया 1645.00 करोड़ रुपए का प्रावधन संशो. स्तर पर बढाकर 2000.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मार्च, 2014 तक वास्तविक व्यय 1934.17 करोड़ रुपए हुआ। इस पर कोई नकद खर्च नहीं होता है क्योंकि सम्पूर्ण राशि सिक्कों के प्रचालन से भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण से वसूली के रूप में काट ली जाती है।

मुख्य शीर्ष 4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

बजट अनु. 2011-12 में, शेष अदायगी करने के लिए 1.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। परफेक्ट बाइंडिंग मशीन की खरीद के लिए ब.अनु. 2012-13 में 3.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसे सं.अनु. 2012-13 में बढ़ाकर 3.91 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2013-14 के दौरान, बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद हेतु बजट अनु. स्तर पर 6.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। परन्तु यह सारा प्रावधान, बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद के संबंध में व्यय करने के लिए मुख्य शीर्ष 4075 से मुख्य शीर्ष 4058 में आबंटन अंतरित करने के कारण, अप्रयुक्त रहा। तथापि, मुख्य शीर्ष 4058 - स्टेशनरी व मुद्रण पर पूंजी परिव्यय के अंतर्गत मार्च, 2014 तक 4.63 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 5465 - सामान्य वित्तीय तथा व्यावसायिक संस्थाओं में निवेश

टकसालों और मुद्रणालयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए ब.अनु. 2011-12 में 400.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। आशा थी कि कार्यविधि अपेक्षाओं/औपचारिकताओं को वित्त वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा। तथापि, इस कवायद को पूरा न किए जाने के कारण इस राशि को सं.अनु. 2011-12 में अभ्यर्पित कर दिया गया था। चूंकि यह कवायद 2011-12 में पूरी नहीं की जा सकी थी, 400.00 करोड़ रुपए का प्रावधान ब.अनु. 2012-13 में किया गया था। बाद में इस मामले की पुनः जांच की गयी और यह निर्णय लिया गया कि इस अवस्था पर भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा ब.अनु. 2012-13 में किए गए प्रावधान को सं.अनु. 2012-13 में अभ्यर्पित कर दिया गया। इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि तकनीकी सहायता की संग्रह-राशि में अतिरिक्त अंशदान प्रदान करने के लिए 500.00 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में भारत सरकार इक्विटी के लिए 1.90 करोड़ की राशि शामिल है। इसके लिए, पूरक अनुदान-मांग 2011-12 के द्वितीय बैच के जरिए कुल 501.90 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। 1.00 करोड़ रुपए की राशि, नए बने नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड में प्रदत्त पूंजी के भारत सरकार के हिस्से के लिए पूरक अनुदान-मांग 2012-13 के प्रथम बैच के माध्यम से, प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के गठन की घोषणा 2008-09 के बजट भाषण (पैरा 101) में की गई थी। इसके बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 मई, 2008 को हुई अपनी बैठक में, योजना आयोग के "कौशल विकास हेतु समन्वित कार्य" प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, निजी सेक्टरों के प्रयासों का समन्वय करने/प्रेरणा देने हेतु कौशल विकास में सरकारी निजी भागीदारी के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना का भी अनुमोदन किया था।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम शेयरों तक सीमित एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी है। इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत 10 करोड़ रुपए की आरंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी से विधिवत निगमित किया गया था। यह अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को अंतरित निधियों का उपयोग और प्रबंध करेगा। 10 करोड़ रुपए के इक्विटी आधार में से, भारत सरकार का हिस्सा 49% है जबकि निजी सेकटर का हिस्सा शेष 51% है। राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/ट्रस्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने एक निवेश प्रबंध करार निष्पादित किया है। इसके आधार पर यह निधि/ट्रस्ट सभी तरह के अंशदानों के लिए निधान का कार्य करेगा और उन्हें एनएसडीसी को अंतरित करेगा ताकि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका प्रबंध एवं उपयोग कर सके। एनएसडीसी का पंजीकरण भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के तहत किया गया है।

अनेक सेक्टरों में कुशल जनशक्ति हेतु भारत में बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने एवं कौशल की मांग व पूर्ति के बीच मौजूदा अन्तर को कम करने के लिए, एनएसडीसी की स्थापना एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के भाग के रूप में की गई थी। इस निगम का लक्ष्य, सन् 2022 तक 150 मिलियन युवा भारतीयों को रोजगार संबंधी कौशल प्रदान करना है। यह भारत

में अपनी तरह का एक सरकारी निजी भागीदारी निकाय है। एनएसडीसी सकारात्मक सक्रियता से सतत (स्थायी) और बाजार संचालित तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं का सृजन और निधियन करता है। एक ओर यह अध्यवसायी पूंजी लगाकर और पारंपरिक ऋण-दात्री संस्थाओं की प्रक्रियाएं अपनाकर बाजार को उत्प्रेरित करता है, वही इसका प्रत्येक निधि प्राप्तकर्ता 150 मिलियन लोगों को कुशल बनाने के एनएसडीसी के लक्ष्य में भागीदार है। निगम की भी अपनी सन 2022 तक सुस्पष्ट रूप से निर्धारित अपनी कार्यनीति और योजना है। इसमें निवेश तथा प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित किए जाने वालों की संख्या का ब्यौरा है। महत्वाकांक्षी लक्ष्य उच्च प्रभाव की आवश्यकता एवं भारत की जनसंख्या कम निवेशी कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए एनएसडीसी भागीदारों को अल्पावधिक, परिणाम देने वाले ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो रोजगार गारंटी दें। वार्षिक लक्ष्यों पर कड़ी नजर रखी जाती है एवं कार्य निष्पादन के आधार पर और निधियन जारी किया जाता है।

एनएसडीसी भारत में अपनी तरह का एक सरकारी निजी भागीदारी निकाय है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक संस्थाओं को फायदा पहुँचाने के लिए बड़ी मात्रा में गुणवत्ता का सृजन उत्प्रेरित करके कौशल विकास को प्रोत्साहन देना है। यह मापनीय फायदेमंद व्यावसायिक प्रशिक्षण के कदम उठाने हेतु अर्थक्षमता अन्तराल निधि प्रदान करता है। इसको सहायता प्रणाली समर्थ बनाने जैसाकि गुणवत्ता का आश्वासन, सूचना प्रणाली और प्रशिक्षित करने तथा सेकटर कौशल परिषद की स्थापना करने का भी अधिदेश प्राप्त है। एनएसडीसी उद्यमों, कंपनियों और कौशल प्रशिक्षण देने वाले संगठनों को अर्थक्षमता अन्तराल निधि प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। यह निजी सेकटर के प्रयासों को बढ़ावा देने, सहायता और समन्वय करने के लिए उपयुक्त मॉडल भी विकसित करेगा।

आवेदन/प्रस्ताव की जवाबदेही की परख क्या यह आवेदन/प्रस्ताव शर्तों के अनुसार है। तत्पश्चात, परियोजना अनुमोदन समिति कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए एनएसडीसी में प्राप्त प्रस्तावों के बारे में सुझाव देने वाला निकाय है। इससे पहले उस पर परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाता है जहाँ विधिक, वित्तीय और तकनीकी दृष्टिकोणों से पूरी इमानदारी बरती जाती है। परियोजना अनुमोदन समिति अपनी सिफारिशें निदेशक मंडल को प्रस्तुत करती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, संविदा प्राधिकारी (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रा.को.वि.नि.) प्रस्तावकर्ताओं के साथ करार निष्पादित करता है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, 30 नवम्बर, 2013 तक, 2,124.55 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता से 112 कौशल प्रस्तावों और 27 सेक्टर कौशल परिषदें अनुमोदित की है। आशा है कि इन प्रस्तावों से अगले 10 वर्षों तक लगभग 75.77 मिलियन व्यक्ति प्रशिक्षित होंगे। इस निगम के वित्तपोषित साझेदारों ने 30 नवम्बर, 2013 तक 9,91,713 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है जिनमें वित्त वर्ष 2012-13 में प्रशिक्षित किए गए 4,02,506 विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं। नियोजन के लिए भेजे गए व्यक्तियों की संख्या 6,00,209 है जिनमें वित्त वर्ष 2012-13 में भेजे गए 2,16,741 विद्यार्थी भी शामिल हैं। नवम्बर, 2013 माह में, कुल 80,442 विद्यार्थी प्रशिक्षित किए गए और 64,419 को नियोजन के लिए भेजा गया। इस समय, 6634 एनएसडीसी केंद्र हैं जिनमें 5164 चल केंद्र है।

एनएसडीसी ने वर्ष दर वर्ष अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है (राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड, अब राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, द्वारा नियत प्रशिक्षितों की संख्या (वित्त वर्ष 2011-12: 1,81,691 जबकि लक्ष्य 1,20,000 था; वित्त वर्ष 2012-13 : 4,02,354 जबकि लक्ष्य 4,00,000 था)।

स्टार स्कीम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं पुरस्कार योजना (मानक प्रशिक्षण निर्धारण और पुरस्कार) का क्रियान्वयन करने में अग्रणी रहा। स्टार में एक मौद्रिक पुरस्कार देने की परिकल्पना है। इससे उन लोगों को वित्तीय मदद मिलेगी जो नया कौशल प्राप्त करना या अपना कौशल उच्च स्तर का करना चाहते हैं। स्टार योजना 16 अगस्त, 2013 को 1000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से शुरू की गयी थी। आशा है कि यह अपने क्रियान्वयन के पहले वर्ष में 01 मिलियन व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। यह निगम इस योजना के क्रियान्वयन की निर्दिष्ट एजेंसी है और विभिन्न सेक्टर कौशल परिषदों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और निर्धारण एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहा है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/ट्रस्ट

राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/ट्रस्ट को 995.10 करोड़ रुपए के सरकारी अंशदान की कुल राशि से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन निगमित किया गया था। यह केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के संगठनों, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एवं अन्य दाताओं से प्राप्त वित्तपोषण अंशदान के निधान के रूप में कार्य करेगा ताकि ये अंशदान राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान किए जा सकें। इस संबंध में एक पब्लिक ट्रस्ट विलेख पर 23.12.2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस ट्रस्ट के प्रबंध का संचालन ट्रस्टी बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह बोर्ड तीन न्यासियों अर्थात् आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, योजना आयोग के सचिव और इस निगम के अध्यक्ष से मिलकर बना है। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव इस ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्ष 2011-12 में इस ट्रस्ट/निधि को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2), धारा 12क और धारा 12कक के अधीन भी पंजीकृत किया गया है।

27 मार्च, 2009 को, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/ट्रस्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच निवेश प्रबंध करार निष्पादित हुआ है। इसमें इस निधि से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को उसकी आवश्यकताओं के आधार पर निधियों के अंतरण की व्यवस्था है।

अन्य मुख्य बातें:

इन निधियों को कर-छूट प्रदान करने का विषय राजस्व विभाग के साथ लिया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग ने, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (iii) के उपखंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक राजपत्र अधिसूचना संख्या 272 (ई) तारीख 24.01.2013 जारी की है जिसमें पूर्वोक्त धारा 194क की उपधारा(3) के खंड (iii) के उपखंड (च) के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि को अधिसूचित किया गया है।

मुख्य शीर्ष 5466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश

इसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी विकास निधि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अंशदान, वैल्यू बाध्यता पूरी करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों की बाबत भारत के अंशदान के लिए प्रावधान है। आईएमएफ में भारत का कोटा बढ़ने के संबंध में, वर्ष 2010-11 के दौरान, 11,327.15 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुआ था। आईएमएफ से प्राप्त सूचना के आधार पर, कोटा वृद्धि पर आईएमएफ के संकल्प का वित्त वर्ष में ही शायद अनुसमर्थन न हो, इस प्रावधान को सं.अनु. 2010-11 में अभ्यर्पित करने तथा उसका ब.अनु. 2011-12 में प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, आईएमएफ का कोटा संकल्प 3 मार्च, 2011 को प्रभावी हो गया और भारत द्वारा 4 अप्रैल, 2011 तक भुगतान करना अपेक्षित था। इसलिए भुगतान वित्त वर्ष 2010-11 में ही कर दिया गया था तथा इस प्रयोजन के लिए ब.अनु. 2011-12 में रखा गया प्रावधान सं.अनु. 2011-12 में अभ्यर्पित कर दिया गया। 2010-11 के लिए, आईएमएफ द्वारा प्राप्य भारतीय रुपयों के मूल्य

समायोजन के संबंध में मूल्य बनाए रखने के लिए आईएमएफ को अभिदान के लिए 0.01 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। इसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि भारत को रुपए के पक्ष में एसडीआर विनिमय दर के घट-बढ़ के कारण भुगतान प्राप्त हुए थे। आईएमएफ/मूल्य बनाए रखने के लिए 2011-12 और 2012-13 के दौरान 1609.79 करोड़ रुपए और 4005.44 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त हो गया है। इस राशि का पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) में निवेश के लिए ब.अनु. 2012-13 में 183.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विनिमय दर बढ़ जाने के कारण, ब.अनु. वाला प्रावधान सं.अनु. 2012-13 में बढ़ाकर 205.04 करोड़ कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) में अभिदान के लिए, 9.17 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान 2011-12 में प्राप्त हो गया है। आईएमएफ के उधार संसाधनों के संबंध में भारत के अंशदान के लिए, ब.अनु. 2010-11 में 63.67 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज के रूप में प्राप्त एसडीआर के समतुल्य रुपए के अंतरण के लिए किया जाता है। नोट क्रय करार के अधीन प्रतिभूतियों पर ब्याज के सबंध में भुगतान करने के लिए कम आवश्यकता के कारण 2.85 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ। इसी प्रकार, ब.अनु. 2011-12 और ब.अनुमान 2012-13 में किए गए प्रावधान, सं.अनु. 2011-12 और सं.अनु. 2012-13 में क्रमशः कम कर दिए गए हैं। 2013-14 के दौरान, बजट अनु. स्तर पर 56,574.58 करोड़ रुपए का प्रावधान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश के लिए रखा गया था जिसे भारत के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटा की आवश्यकता न होने के कारण घटाकर संशो. अनु. स्तर पर 922.21 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस पर मार्च, 2014 तक 844.06 करोड़ का व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना विकास निधि के लिए तथा सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों के लिए है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 5.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया था और वित्त वर्ष 2012-13 में लगभग 1.76 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है। चूंकि इस वित्त वर्ष में आज की तारीख तक संवितरण का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, संशो. अनु. 2013-14 में 50.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। आईआईपीडीएफ सहायता के लिए अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या तथा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए संवितरित की जाने वाली शेष आईआईपीडीएफ को ध्यान में रखते हुए, 2014-15 के लिए बजट अनुमान स्तर पर 4.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

2012-13 में, पीपीपीइनइंडिया काम, संसाधन सामग्री के मुद्रण (राष्ट्रीय पीपीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम, टूलकिट्स और संचार नियम-पुस्तिका और ज्ञान श्रृखला) एवं अन्य सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के अन्य कार्यों के संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए 1.30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी। एक (01.00 करोड़) करोड़ रुपए की राशि में से, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्यकलापों के तहत 32.38 लाख रुपए की राशि संवितरित की गयी है। चूंकि कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं किए जा सके हैं तथा किफायत विषयक उपायों को देखते हुए, इस मद के वास्ते संशो. अनु 2013-14 में 32.00 लाख रुपए का प्रावधान किया है। बजट अनु. 2014-15 के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत 1.65 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

मुख्य शीर्ष 7475 - अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण

नई उधार व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण प्रदान करने के लिए अनुपूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से सं.अनु. 2011-12 में 9003.04 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष के दौरान 7269.58 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। वर्ष 2012-13 के दौरान, इस नई व्यवस्था के लिए पूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से 11,294.60 करोड़ का प्रावधान प्राप्त हुआ है तथा वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक लेन-देन 914.63 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान, इस नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण प्रदान के लिए पूरक अनुदान-मागों के माध्यम से संशो. अनुमान 2013-14 में 1830.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत मार्च, 2014 तक 1486.05 करोड़ की राशि के संव्यवहार किए गए।

आयोजना

मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसरण में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, ब.अनु. 2010-11 में 1000.00 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आबंटन से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है। वर्ष 2011-12 के लिए, इस निधि को 500.00 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गयी थी। वर्ष 2012-13 के दौरान, 1,000.00 करोड़ का बजट प्रावधान, सं.अनु. 2012-13 में घटाकर 120.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान, 609.55 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले केवल 200.00 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गयी है।

मुख्य शीर्ष 2810 - नई और नवीकरणीय ऊर्जा

स्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान संबंधी विभिन्न नई परियोजनाओं, जो अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी, में वित्तपोषण के लिए व्यय की पूर्ति के लिए भारत के लोक लेखा में बनाए रखी जाने वाली 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' में प्रारंभिक अंतरण के लिए 2011-12 की पहली अनुपूरक अनुदान-मांग के माध्यम से 1066.46 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 के लिए 1,500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा 2013-14 के लिए 1650.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

मुख्य शीर्ष 3054 - सड़क और पुल

यह प्रावधान रेल सुरक्षा कार्यों के लिए है। पेट्रोल और डीजल पर उद्ग्रहीत किया जा रहा उपकर, रेलवे ओवर/अंडर ब्रिजों एवं अन्य सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण हेतु केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार आवंटित किया जाता है। यह प्रावधान, कड़ाई से, रेलवे से प्राप्त मांगों तथा उपकर संग्रहणों के उनके हिस्से के अनुसार ही किया जाता है। अंतरखाता अंतरण के रूप में, समतुल्य राशि केंद्रीय सड़क प्रारक्षित निधि में अंतरित की जाती है। 2011-12 में 1040.63 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसे बढ़ाकर सं.अनु. 2011-12 में 1059.56 करोड़ रुपए कर दिया गया और उसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। ब.अनु. 2012-13 के लिए प्रावधान 1102.45 करोड़ रुपए है और उसका उपयोग कर लिया गया है। 2012-13 के दौरान रखे गए 1102.45 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का पूरा उपयोग मार्च, 2014 तक कर लिया गया है।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

अवंसरचना विकास - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) की सहायता के लिए रखे गए 437.55 करोड़ रुपए के प्रावधान में, अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए पूरक अनुदान-मांगों द्वारा 20.00 करोड़ की वृद्धि की गयी थी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 457.55 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। वीजीएफ योजना के अंतर्गत, 678.00 करोड़ की अनुमोदित राशि में से, 2013-14 के दौरान (अप्रैल-मार्च, 2014) 21 सड़क परियोजनाओं के लिए 450.00 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी। 2014-15 के बजट अनुमान स्तर पर 670.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव रखा गया है।

2013-14 में आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के मद शीर्षवार मुख्य संघटक

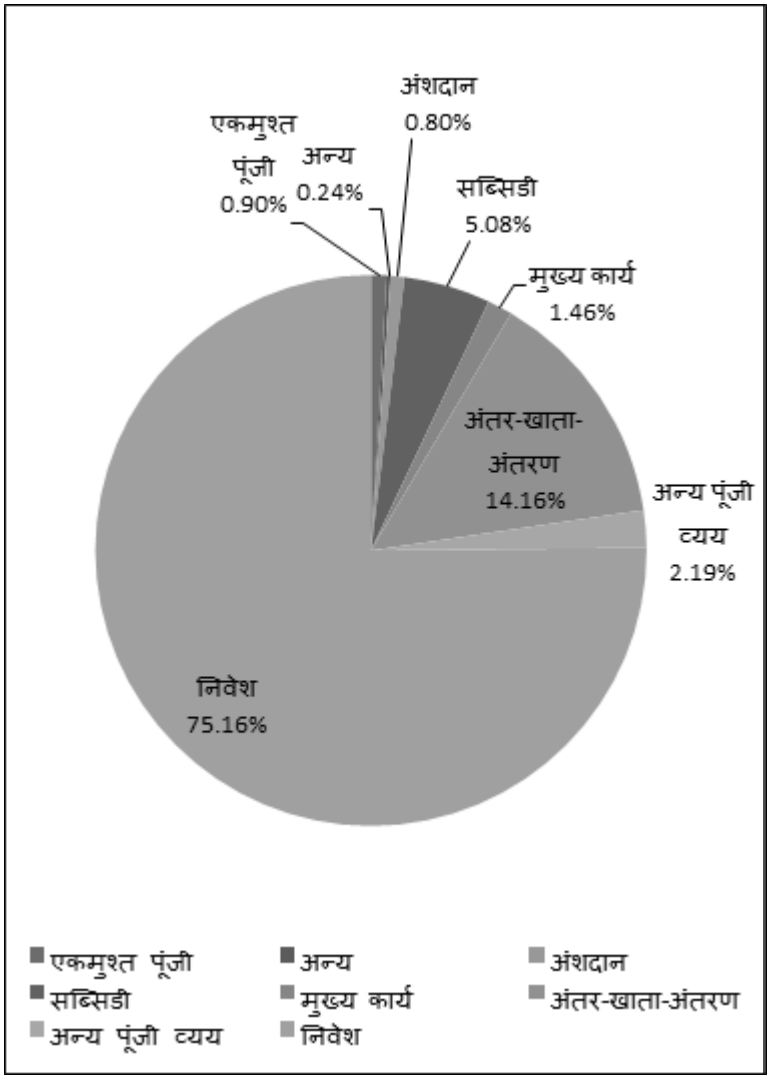

- निवेश - मुख्य अंश, भारत के कोटा वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान (₹56,000.00 करोड़), एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान, आईबीआरडी को अभिदान।
- सामान्य/चयनात्मक पूंजीगत वृद्धि (₹203.20 करोड़) (कुल ₹56,574.57 करोड़) है।
- सब्सिडी - सब्सिडी का मुख्य अंश, लाभांश राहत एवं अन्य रियायतों के लिए रेलवे को तथा एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता (₹416.50 करोड़) के लिए जाता है (कुल ₹3,822.50 करोड़)।
- मुख्य कार्यों के लिए प्रावधान, रेलवे उपरि/अधोसेतुओं और अन्य रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण के लिए है (कुल ₹1,102.45 करोड़)।
- अंतर-खाता अंतरण, असंगठित क्षेत्र कामगार, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि और गारंटी मोचन निधि के लिए केन्द्रीय सड़क निधि, सामाजिक सुरक्षा निधि में निधियों के अंतरण के लिए है (कुल ₹10,662.00 करोड़)।
- अन्य पूंजी व्यय, एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद के लिए है (कुल ₹1,645.01 करोड़)।
- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों और संगठनों को अंशदान (कुल ₹605.95 करोड़)।
- अन्य- इसमें वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय शामिल है (कुल ₹183.53 करोड़)।
- एकमुश्त पूंजी, व्यवहार्यता अंतराल निधियन के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र के विकास में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है (कुल ₹678.00 करोड़)।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अभ्यर्पण और बचत संबंधी विवरण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, मूल अनुदान 68042.43 करोड़ रुपए था। इसे, 118.42 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त करके, बढ़ाकर 68160.85 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसमें से, वास्तविक व्यय 14,463.48 करोड़ रुपए हुआ, फलस्वरूप निवल बचत 53,697.37 करोड़ रुपए की हुई।

53,697.37 करोड़ रुपए की बचत, 58,728.68 करोड़ रुपए की कुल बचतों का निवल प्रभाव था और विभिन्न अनुदान उप-मदों के अंतर्गत 5031.31 करोड़ रुपए का कुल आधिक्य हुआ।

मुख्य बचतों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

(i) **संसाधनों के किफायती प्रयोग के कारण सामान्य बचत**

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	उप-मद/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्ति/कारण
1.	आर्थिक कार्य विभाग (सचिवालय)	2.17	आर्थिक सम्मेलनों के लिए एसबीआई, आईओबी और एक्जिम बैंक से प्रायोजन की उपलब्धता और व्यय में किफायत के चलते बचत हुई।
2.	रेलवे को लाभांश राहत के लिए सब्सिडी	98.09	लाभांश राहत के लिए रेलवे को दिए जाने वाली सब्सिडी, सामान्य राजस्वों से रेलवे में निवेश की गई पूंजी पर रेलवे द्वारा दिए जाने वाले लाभांश पर आधारित होती है। लाभांश राहत के लिए रेलवे को कम सब्सिडी की आवश्यकता के कारण बचत हुई।
3.	भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.03	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने में आने वाली लागत में किफायत।
4.	यू.एन.डी.पी. को अंशदान	1.35	अनुकूल विनिमय दर अंतर
5.	प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद	645.35	सिक्कों की लागत सीमित कर दिए जाने के कारण बचत हुई।
	(ii) **परियोजनाओं/योजनाओं का क्रियान्वयन न किया जाने/क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण बचत**		
1.	जी-20 सचिवालय	0.47	कार्यालय आवास को अंतिम रूप न दिए जाने एवं किफायत संबंधी उपायों की वजह से बचत हुई।
2.	करेंसी निदेशालय	2.65	प्रक्रिया के समापन और आर्थिक उपायों के कारण बचत हुई।
3.	सेशल्स गणराज्य को दिए गए ऋण की माफी	1.67	निर्यात-आयात बैंक को एक बार में पूरा भुगतान करने के लिए यह प्रावधान किया गया था। बाद में, यह निर्णय लिया गया कि 6 वर्षों की अदायगी अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाए।
4.	एशियाई विकास बैंक 46वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन	4.05	एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 46वीं वार्षिक आम बैठक की पुष्टि नहीं हो पाई है।
5.	बजट मुद्रणालय के लिए मशीनों की खरीद	3.01	मशीनों की खरीद प्रक्रिया के पूरी न किए जाने के कारण सारी राशि, बिना खर्च किए रही।
6.	प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड में बजटीय सहायता/निवेश	400.00	एसपीएमसीआईएल को लाभप्रद बनाने में निवेश की आवश्यकता न होने के कारण सारी राशि, बिना खर्च के पड़ी रही।
7.	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि	0.39	अपेक्षाकृत कम आवश्यकताएं।
8.	भारत कोटा बढ़ने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभिदान	56000.00	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों में और नकद) की आवश्यकता न होने के कारण सारी राशि, बिना खर्च के रही।
9.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के सबंध में भारत का अंशदान	50.00	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के संबंध में भारत के अंशदान की आवश्यकता न होने के कारण सारी राशि, बिना खर्च के रही।
10.	नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए ऋण	1038.33	लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आरबीआई द्वारा प्रस्तुत मांग और अनुमानों के आधार पर थे। तथापि, भारत में इस निधि द्वारा वास्तविक मांग और आहरण अपेक्षाकृत कम रहे जिसके कारण बचत हुई।

(iii) पुरानी/समाप्त परियोजना/योजना के कारण अथवा परियोजना/योजना के पूर्ण होने के कारण अभ्यर्पण/बचत - शून्य

नोट: *वित्त वर्ष 2012-13 के लिए सामान्य बचतों, निधियों के कम प्रयोग/उपयोग न करने, और अभ्यर्पण के कारण अलग-अलग बचतों के संबंध में बजट प्रभाग के तारीख 23 मार्च, 2012 के का.ज्ञा. सं. 7(1)-बी(एसी)/2011 के अनुपालन में, यह अनुबंध शामिल किया जाता है।*

भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

- भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड 13 जनवरी, 2006 को निगमित किया गया था। इसका मुख्यालय 16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में स्थित है। इसे 10 फरवरी, 2006 से काम करने की स्वीकृति दी गई थी। यह वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। इसके प्रमुख, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हैं। सरकार और प्रयोक्ता विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन-तीन निदेशकों के अलावा, निगम के बोर्ड में तीन कार्यात्मक निदेशक हैं। वर्तमान में, निदेशक (वित्त) का पद रिक्त है। श्री मदन मोहन, पूर्व निदेशक (वित्त) के अपने मूल कैडर अर्थात् सीसीए में वापस चले जाने के परिणामस्वरूप, निदेशक (वित्त) का पद, इस समय, 14 अक्तूबर, 2011 से रिक्त है।

- सभी नौ टकसालों/मुद्रणालयों/कागज कारखाना के निगमीकरण के पश्चात, भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये टकसाल/मुद्रणालय पहले आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के करेंसी और सिक्का प्रभाग के नियंत्रण में काम करती थी। ये निम्नलिखित हैं:
  - भारत सरकार टकसाल, मुम्बई;
  - भारत सरकार टकसाल, कोलकाता;
  - भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद;
  - भारत सरकार टकसाल, नोएडा;
  - प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद;
  - भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक;
  - चालार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक;
  - बैंक नोट मुद्रणालय, देवास; और
  - प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद
- भारत सरकार द्वारा इन नौ यूनिटों की सारी आस्तियों एवं देयताओं को 10.02.2006 से अंतरित करने का निर्णय किया गया। कंपनी की अनंतिम रूप से आस्तियां और देयताएं 3,237 करोड़ रुपए हैं। इस निगम की सभी नौ यूनिटों की कर्मचारी संख्या, इस समय, लगभग 12,300 है। करेंसी नोटों के लिए दो करेंसी मुद्रणालयों का ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक है। नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपरों और संबद्ध स्टाम्पों के लिए अन्य दो प्रतिभूति मुद्रणालयों के ग्राहक राज्य सरकारें हैं। साथ ही, डाक-सामग्री, स्टाम्पों आदि के लिए ग्राहक डाक विभाग है। प्रतिभूति मुद्रणालय अनेक ग्राहकों के लिए चेक जैसे विभिन्न प्रतिभूति वस्तुएं, तथा विदेश मंत्रालय के लिए पासपोर्ट, वीजा स्टीकर और अन्य यात्रा संबंधी दस्तावेज भी उत्पादित करते हैं। टकसालों का मुख्य कार्य आरबीआई के लिए सिक्कों का निर्माण करने तथा कारपोरेट निकायों के माध्यम से वितरण के लिए मेडल तैयार करने से संबंधित है। तथापि, स्मारक सिक्कों आदि के लिए व्यक्तियों से छोटे-मोटे भुगतान प्राप्त होते हैं।
- निगमीकरण के फौरन बाद, एसपीएमसीआईएल को संगठन के सृजन की व्यवस्था करनी पड़ी, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों और भारत सरकार द्वारा नियत शर्तों के अनुसार काम करना पड़ा। इसने अवसंरचना सृजित करने की व्यवस्था की है तथा कारपोरेट कार्यालय के लिए कार्मिक नियुक्त किए हैं। यह 16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, जनपद, नई दिल्ली में अपना कार्य करता है। सरकारी विभागीय संरचना से कारपोरेट संरचना में बदलाव को अत्यंत सुचारु रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है और कामगारों एवं प्रभावी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समाधान बैठकें की जा रही हैं। "एसपीएमसीआईएल द्विपक्षीय फोरम" के नाम से ज्ञात संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी गठित की गयी है। कामगारों/स्टाफ की शिकायतों को सुनने के लिए इसकी नियमित बैठकें की जा रही है। इसने वित्त वर्ष 2006-07 से 2012-13 की अवधि के लेखा संकलन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों तथा भारत सनदी लेखाकार संस्थान दवारा समय-समय पर नियत किए गए मानकों के अनुसार किया गया है। वाणिज्यिक तर्जों पर तैयार किए गए इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गयी है और कंपनी की सालाना आम बैठकों में इनको विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, निगम का 6808 करोड़ रुपए का आस्ति आधार है और उसे 2012-13 में कर पश्चात लाभ 423 करोड़ रुपए हुआ है। इसने भारत सरकार को वित्त वर्ष 2012-13 में 84.70 करोड़ रुपए का लाभांश तथा 13.74 करोड़ रुपए का लाभांश वितरण कर दिया है। उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न एजेंसियों के साथ पंजीकरण संबंधी अन्य सांविधिक आवश्यकताएं भी पूरी की गयी हैं। देय कर, देय होने पर, समय पर चुकाए गए हैं।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, एसपीएमसीआईएल करेंसी/बैंक नोटों के उत्पादन के लक्ष्य से अधिक करने में समर्थ रहा। इसने भारत सरकार के लिए सिक्कों के निर्माण का लक्ष्य पार कर लिया और डाक विभाग के लिए डाक स्टेशनरी का लक्ष्य पूरा किया तथा राज्य और अन्य एजेंसियों के लिए स्टाम्प पेपर मुद्रित किए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इन सभी यूनिटों को सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान की गयी है। सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार, आसूचना ब्यूरो ने निगम की कुछ यूनिटों में अपनी आसूचना टीम भी तैनात की है। सुरक्षा परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से उनके महत्व के होते हुए भी, ये व्यवस्थाएं अत्यधिक खर्चीली हैं जिसके कारण सुरक्षा पर अतिरिक्त उपरि-व्यय होता है और इसे युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है।
- इस निगम की नौ यूनिटें प्रतिभूति कागज के उत्पादन, प्रतिभूति दस्तावेजों के मुद्रण और सिक्कों, मेडलों आदि का निर्माण कार्य करती हैं। मौजूदा वर्ष में निर्मित मुख्य उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार है:

01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान उत्पादन का ब्यौरा

क्र. सं.	उत्पाद	उत्पादन (मिलियन नग) अनाकेंक्षित
1.	बैंक नोट	8018.00
2.	सिक्के	7650.00
3.	पोस्ट कार्ड	75.94
4.	लिफाफे	34.33
5.	अंतरदेशीय पत्र कार्ड	29.58
6.	डाक टिकट और भारतीय पोस्टल आर्डर	73.30
7.	चिपकने वाले स्टाम्प	24.39
8.	नॉन जुडिशियल एवं संबद्ध स्टाम्प	411.09
9.	बचत लिखतें	44.70
10.	एमआईसीआर चेक	62.05
11.	विविध प्रतिभूति फॉर्म व न्यायालय शुल्क स्टाम्प्स	89.45
12.	पासपोर्ट एवं संबद्ध पुस्तिकाएं	6.30
13.	स्टीकर्स/लेबल/पहचान-पत्र/मोहरें	35.91
14.	अन्य परमिट और सर्टिफिकेट	3.19

01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान मुख्य उत्पादों की बिक्री का ब्यौरा

क्र. सं.	उत्पाद	बिक्री (₹करोड़) अनार्केक्षित
1.	बैंक नोट	1350
2.	सिक्के	1682
3.	अन्य प्रतिभूति उत्पाद	760
	जोड़	**3792**

कंपनी प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में स्टाक प्रिपेरेशन प्लांट सहित एक नई बैंक नोट पेपर लाइन की भी स्थापना कर रही है। बैंक नोटों की वार्निशिंग कोटिंग मशीन ने चालार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक में काम करना शुरू कर दिया है।

कंपनी ने बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएम आईपीएल), मैसूर के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने का करार करके भारत में करेंसी पेपर के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कार्य की शुरुआत भी की है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है (मूल्य बढ़ जाने, संशोधित स्कोप एवं विदेशी मुद्रा आदि में वृद्धि होने के कारण संशोधित 1490 करोड़ रुपए) और इसे 31 मार्च, 2015 तक पूरा करना लक्षित है। इस परियोजना के क्रियान्वित हो जाने पर, कंपनी करेंसी पेपर की अपनी अधिकांश जरूरतों को स्वदेश में ही पूरा करेगी तथा करेंसी पेपर के आयात पर निर्भरता कम होगी।

इस वर्ष कंपनी ने प्रतिभूति कागज, प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का धातु-कर्म के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में शुरू की गई अभिनव सीएसआर परियोजनाएं भी पूर्ण की हैं। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की सहायता से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल वैन भी शुरू की गयी है।

कंपनी को आशा है कि वह प्रचालन नोटों के मुद्रण और सिक्कों के निर्माण के लिए आरबीआई के लक्ष्यों को पूरा कर लेगी। कम्यूनिकेशन टूल्स में बदलाव के कारण डाक सामग्री और ई-पासपोर्ट की सुरक्षा स्वीकृति में अपसामान्य विलम्ब के कारण पासपोर्ट के उत्पादन में गिरावट आई है।

एसपीएमसीआईएल ने प्रतिभूति कागज कारखाना को आधुनिक बनाने, प्रतिभूति कागज उत्पादन की क्षमता बढ़ाने, करेंसी मुद्रण यूनिटों के आधुनिकीकरण और परम्परागत तरीके से किए जा रहे विभिन्न कार्यों के स्वचालन की योजना बनाई है। यह संगठन, इस समय, लाभ अर्जित करने वाला संगठन है। जाली करेंसी से बचने के लिए स्ट्रेटजिक अभिक्रमों को पूरा करने के लिए तथा देश हित में, बैंक नोट पेपर, इंक एवं अनुसंधान और विकास आदि के स्वदेशीकरण की परियोजनाओं की सहायता करने के लिए सरकार ने समझौता ज्ञापन तारीख सितंबर, 2008 के अनुसार सहमति दे दी है। भारत सरकार इन निवेशों के लिए लगभग 1200-1500 करोड़ रुपए का वित्तपोषण प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है।

वर्ष 2014-15 में एसपीएमसीआईएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही/की जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा

(₹करोड़)

परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (* राशि करोड़)	पूरा होने की नियत तारीख	वर्ष के शुरु होने तक कुल संचयी व्यय	2014-15 के दौरान आयोजनागत कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	उपलब्धि/ परिणाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) कागज कारखाना/मुद्रणालय							
1. प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में एक पेपरलाइन (नई पेपर लाइन)	496.50	13.11.2014	402.80	80.31	30.11.2014		मशीन को चालू करने का काम चल रहा है।
2. बैंक नोट पेपर मिल परियोजना, मैसूरः एसपीएमसीआईएल और बीआरबीएनएमपीएल के बीच समान आधार पर संयुक्त उद्यम (कुल परियोजना लागत लगभग 1490 करोड़ रुपए है)	300 (एसपीएमसी आईएल का अंशदान)	31.03.2015	300.00	0.00	31.03.2015		सिविल निर्माण कार्य पूरे किए जा रहे हैं। फर्स्ट लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा है।
3. प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में पल्पिंग प्लांट सहित विद्यमान पेपर मशीन का उन्नयन।	130.00	31.12.2016	0.00	0.00	31.12.2016		मशीन लगभग 50 साल पुरानी है। पेपर की क्वालिटी और मशीन की क्षमता बढ़ाने के लिए, उन्नयन किया जाएगा।
4. करेंसी नोट प्रेस और बैंक नोट प्रेस में पुरानी मुद्रण और तैयार दो लाइनों को बदलना।	400.00	31.03.2017	-	00.00	31.03.2017		दो पुरानी विद्यमान लाइन को बदलना।
5. करेंसी नोट प्रेस, नाकि में एक इन्टैगलियो मीन का कायाकल्प	30.00	30.09.2015	0.00	30.00	30.09.2015		एसओआई मीनों का डाउन टाइम कम हो जाएगा। मुद्रण की क्वालिटी सुधर जाएगी। रद्दी प्रतिातता घट जाएगी। प्राासनिक अनुमोदन लंबित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6. करेंसी नोट प्रेस और बैंक प्रेस नोट में सहायक मीन का उन्नयन/उसे बदलना।	52.00	31.03.2017	0.00	00.00	31.03.2017		मैन्युअल निरीक्षण प्रक्रिया समाप्त होने से जनाक्ति की बचत, क्वालिटी में सुधार, रद्दी प्रतितता में कमी।
7. करेंसी नोट प्रेस, नाकि और बैंक नोट प्रेस देवास में कंप्यूटर टू इन्टैगलियो प्लेट मेकिंग सिस्टम।	48.00	31.12.2016	0.00	00.00	31.12.2016		इनहाऊस इन्टैगलियो प्लेट का निर्माण क्षमता तैयार करना।
8. आईएसपी और एसपीपी में एक-एक सिक्स कलर ऑफसेट प्रिटिंग मीन।	45.00	31.12.2016	0.00	00.00	31.12.2016		आईएसपी और एसपीपी की उत्पादन क्षमता बढ़ाना।
9. एसपीपी हैदराबाद में सिक्स कलर रील फेड मीन	15.00	30.06.2016	0.00	0.00	30.06.2016		प्रतिभूति मुद्रण क्षमता बढ़ाना
10. ई पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट मीन का उन्नयन	21.50	31.03.2016	0.00	21.54	31.03.2016		पासपोर्ट पुस्तिकाओं की क्वालिटी सुधारना।
11. आईएसपी के लिए माइक्रो परफोरेान मीन (चार नग)	25.00	31.03.2016	0.00	0.00	31.03.2016		एनजेएसपी उच्चतर मूल्य वर्गों में सुरक्षा विोषताएं बढ़ाना।
12. सभी सहायक कार्यों सहित बैंक नोट प्रेस और करेंसी नोट प्रेस में बैंक नोट प्रिंटिंग का क्षमता विस्तार (पांच नग)	1250 (अनुमानित लागत)	31.03.2018	0.00	0.00	31.03.2018		आरबीआई की ांोधित मांग को पूरा करने के लिए। उत्पादन क्षमता 08 बिलियन पीस से बढ़ाकर लगभग 12 बिलियन पीस की जाएगी।
मुद्रणालयों और कागज कारखाना का कुल पूंजी व्यय (क)	**2813.00**		**702.80**	**131.85**			
ख) टकसाल							
13. सभी सिविल, इलेक्ट्रीकल और अन्य सहायक निर्माण सहित चार टकसालों की क्षमता का विस्तार।	350.00	31.03.2018	0.00	0.00	31.03.2018		टकसालों की क्षमता 7.5 बिलियन सिक्के प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 13 बिलियन सिक्के करने के लिए क्षमता का विस्तार।
14. टकसालों में सिक्का निर्माण मुद्रणालयों और पैकिंग लाइनों की पूरी तरह मरम्मत और उन्नयन।	144.00	31.3.2016	0.00	60.00	31.03.2016		मीनों की पूरी तरह मरम्मत और उन्नयन से डाउन टाइम कम हो जाएगा तथा विद्यमान क्षमता का उपयोग सुनिचित हो सकेगा।
15. टकसालों में बनने वाले मेडलों और डाई की सहायक मीनों की बदलना।	52.00	31.03.2016	0.00	10.00	31.03.2016		मेडलों और डाइओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाना।
टकसालों का कुल पूंजी व्यय (ख)	**546.00**		**0.00**	**70.00**			
कुल जोड़ (क+ख)	**3359.00**		**702.80**	**201.85**			

वित्तीय सेवाएं विभाग

प्रस्तावना

वित्तीय सेवाएं विभाग मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्यों सहित उनसे संबंधित नीतिगत मामलों, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) और कार्यपालक निदेशकों (ईडी) की नियुक्ति, विधायी मामलों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), कृषि वित्त निगम, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), ग्रामीण/कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन, बीमा क्षेत्र से संबंधित मामले और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन, विभिन्न बीमा अधिनियमों का संचालन, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सहित पेंशन सुधार से संबंधित नीतिगत मामलों, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विधायी प्रस्ताव और प्रशासनिक मामलों आदि के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

(i) किसानों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज सहायता

सरकार ब्याज सहायता योजना के माध्यम से किसानों को दिए गए ऋणों के ब्याज दर में सब्सिडी देती है ताकि किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकें। यह योजना वर्ष 2006-07 से कार्यान्वित की जा रही है और इसे वर्ष-दर-वर्ष जारी रखा जा रहा है। सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है तथा वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7% प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता दिए जाने के अलावा इसमें वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित संघटकों को शामिल किया गया था:

(क) ऐसे किसानों को 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता देना जो अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को फसल की कटाई के पश्चात छः अतिरिक्त महीनों के लिए उसी दर पर ब्याज सहायता दिया जाना जिस दर पर किसानों को मालगोदामों में अपनी उपज रखने के लिए परक्राम्य गोदाम रसीदों के एवज में अल्पावधि फसल ऋण दिया जाता है।

योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः 3,282.70 करोड़ रूपये, 5,400.00 करोड़ रूपये तथा 6,000.00 करोड़ जारी किए गए थे। बजट अनुमान 2014-15 के लिए 6,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पूंजीकरण

चूंकि ऋण आस्ति सृजित करने के लिए बैंक की क्षमता का मुख्य साधन पूंजी है और तुलन-पत्र विस्तार के लिए भी यह आवश्यक है, इसलिए भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विकास में सहायता देने तथा उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ रखने के लिए उनमें अतिरिक्त पूंजी का नियमित रूप से निवेश करती रही है ताकि अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी टीयर-I पूंजी को जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के न्यूनतम 8% पर बनाए रखने में सक्षम बनाने हेतु तथा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता बढ़ाने हेतु वर्ष 2011-12 के दौरान सरकारी क्षेत्र के सात बैंकों में 12,000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 13 बैंकों में 12,517 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2013-14 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 20 बैंकों में 14,000 करोड़ रूपये पूंजी के रूप में निवेश किए गए हैं।

वर्ष 2014-15 के लिए भी सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की टीयर-I सीआरएआर को बढ़ाने हेतु उनमें पूंजी निवेश को अनुमोदित कर दिया है ताकि टीयर-I सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड के अनुरूप बने रहें तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी अनुषंगियों तथा सहयोगियों के जरिए उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन में सहायता दी जा सके। इस प्रयोजन हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 11,200 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर को कम से कम 9% पर लाने के लिए डॉ. के. सी. चक्रवर्ती समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 21 राज्यों में 40 आरआरबी को 2,200 करोड़ रुपए तक की पुनर्पूंजीकरण सहायता की सिफारिश की थी, जिसका वहन भागीदारों द्वारा आरआरबी में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में किया जाना है, अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% तथा संबंधित प्रायोजक बैंकों द्वारा 35% का वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार का भाग 1,100 करोड़ रुपए बैठता है। मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2010-11 में आरंभ की गई थी जिसे वर्ष 2011-12 तक पूरा किया जाना था। संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक द्वारा अपना भाग जारी किए जाने पर भारत सरकार को अपना भाग जारी करने के लिए मंत्रिमण्डल का निर्णय अपेक्षित है।

वर्ष 2011-12 तक 21 आरआरबी को केवल 468.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी (वर्ष 2010-11 में 66.49 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2011-12 में 402.43 करोड़ रूपये)। पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को वर्ष 2011-12 के दौरान पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का अपना भाग जारी नहीं किया। अतः मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से पुनर्पूंजीकरण योजना को मार्च 2014 तक बढ़ाया गया था।

केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 19 आरआरबी को 535.00 करोड़ रुपए की राशि तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 4 आरआरबी को 82.78 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी।

इस प्रकार 38 आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण का कार्य पूरा हो गया है। राज्य सरकार का भाग जारी न होने के कारण उत्तर प्रदेश में 2 आरआरबी को अभी भी पुनर्पूंजीकरण सहायता उपलब्ध कराई जानी है। तदनुसार, बजट अनुमान 2014-15 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

(iv) 15 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज सहायता

इस योजना के अंतर्गत ऐसी आवासीय इकाई जिसकी लागत 25 लाख रुपए से कम हो, के लिए 15 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए 1% की ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी को वर्ष 2011-12 में 300 करोड़ रुपए की राशि तथा वर्ष 2012-13 में 400 करोड़ रुपए की राशि तथा वर्ष 2013-14 में 80 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बजट अनुमान 2014-15 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(v) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)

55 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के निमित्त वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना दिनांक 14.07.2003 को शुरु की गई थी और दिनांक 08.07.2004 को यह योजना वापस ले ली गई थी। योजना के अंतर्गत

पेंशनभोगी अपने निवेश पर 9% प्रति वर्ष का प्रभावी लाभ प्राप्त करते हैं। पेंशनभोगी को प्रदत्त 9% के प्रभावी लाभ और एलआईसी द्वारा अर्जित लाभ के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एलआईसी को सब्सिडी के रूप में की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान 182.04 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 99.55 करोड़ रूपये और वर्ष 2013-14 के दौरान 115.81 करोड़ रुपए की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को जारी की गई थी। बजट अनुमान 2014-15 में जीवन बीमा निगम से ऐसे संभावित दावों को ध्यान में रखते हुए 111.49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(vi) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध करवाने में बेहतर प्रशासन और सेवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की दो जीवन बीमा योजनाओं अर्थात जनश्री बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) का दिनांक 01.01.2013 से आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) में समेकित कर दिया है। यह योजना देश में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना में "ग्रामीण भूमिहीन परिवारों" सहित 47 पहचान किए गए व्यवसाय/पेशा समूहों के तहत गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से मामूली रूप से उपर रहने वाले 18 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को जीवन तथा विकलांगता का कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, एएबीवाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के सभी लाभार्थियों के लिए भी बढ़ाया गया है, बशर्ते कि वे एएबीवाई योजना के अंतर्गत पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हों। सदस्य को परिवार का मुखिया या पात्र समूहों के अंतर्गत परिवार का एक अर्जक सदस्य होना चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000 रुपए, दुर्घटना के मामले में 75,000 रुपए, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति) के मामले में 37,500 रुपए तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता (दोनों आंख या दोनों हाथ/पैर या एक आंख और एक हाथ/पैर की क्षति) के मामले में 75,000 रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है। इस योजना में अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा 100 रुपए प्रतिमाह, की छात्रवृत्ति छमाही आधार पर प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के लाभ इस प्रयोजन हेतु सृजित भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित "एएबीवाई छात्रवृत्ति कोष" से प्रदान किया जाता है।

योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी वार्षिक प्रीमियम 200 रुपए है, जिसमें से 50% का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा सृजित तथा एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मामले में शेष 50% प्रीमियम का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अन्य समूहों के मामले में यह अंशदान राज्य सरकार/ नोडल एजेंसी/लोगों द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था/ पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की श्रेणी के मामले में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र नोडल एजेंसी होंगे। वर्ष 2013-14 के दौरान 4.50 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी। बजट अनुमान 2014-15 में इस योजना के अंतर्गत 150.00 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(vii) महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि

महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने तथा उनके स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को बढ़ावा देने के लिए एक "महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि" का गठन किया गया है जिसका संचालन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2011-12 में की गई थी। यह योजना वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों सहित देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार इन जिलों में 1,19,706 महिला एसएचजी को बचत सहबद्ध किया गया है जिसमें 26,990 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गए हैं। महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड को 2013-14 के दौरान 84.183 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इस योजना के लिए बजट अनुमान 2014-15 में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

(viii) भारतीय महिला बैंक लिमिटेडः

स्त्री-पुरुष समानता के संवर्द्धन तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने (क) महिलाओं के सभी वर्गों को वित्तीय सहायता की उपलब्धता (ख) महिलाओं के सशक्तिकरण तथा (ग) वित्तीय समावेशन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रथम महिला बैंक, नामतः भारतीय महिला बैंक लिमिटेड, स्थापित करने का निर्णय लिया है।

आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आर्थिक संस्थाओं तथा आस्ति स्वामित्व की समान सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। चूंकि, दोनों संघटक एक-दूसरे से अंतः संबद्ध हैं, इसलिए वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के लिए आस्ति पर अधिकार होना तथा आस्ति पर अधिकार के लिए वित्तीय सुविधा प्राप्त होना अनिवार्य है। अतः आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति पहला कदम संपार्श्विक की कमी की समस्याओं का समाधान करते समय महिलाओं को वित्तीय सेवाओं की समान सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे महिलाओं द्वारा आस्ति स्वामित्व (संसाधनों पर अधिकार) तथा उद्यमशिलता दोनों को बढ़ावा मिलेगा जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी।

सरकार ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड में 1000 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी का निवेश किया है। दिनांक 19.11.2013 से बैंक ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ix) दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया ब्याज संघटक के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा ऋण योजना

वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण 2014-15 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों, जिन्हें दिनांक 31.03.2009 तक शिक्षा ऋण स्वीकृत/ संवितरित किया गया था तथा जिनके शिक्षा ऋण दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया थे, को राहत प्रदान करने के लिए एक ब्याज माफी योजना की घोषणा की थी। केन्द्र सरकार दिनांक 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया ब्याज संबंधी दायित्व का वहन करेगी और उधारकर्ता को दिनांक 01.01.2014 के बाद की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा। योजना के लिए नोडल बैंक होने के कारण केनरा बैंक को 2600 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना से लगभग नौ लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

(x) कौशल विकास के संबंध में ऋण गारंटी निधि

कौशल विकास के संबंध में 1,000 करोड़ रुपए की मूल निधि के साथ ऋण गारंटी निधि स्थापित किए जाने की बजट घोषणा 2012-13 के अनुसरण में राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) स्थापित की गई और बजट अनुमान 2014-15 में इस उद्देश्य के लिए 500 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं।

(xi) फैक्टरिंग के संबंध में ऋण गारंटी निधि

बजट भाषण 2012-13 में वित्त मंत्री ने सिडबी में 500 करोड़ रुपए की मूल राशि के साथ फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य फैक्टरिंग विनियमन अधिनिम, 2011 को पारित किए जाने के परिणामस्वरुप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग को बढ़ावा देना है। आम चुनाव, 2014 तथा आदर्श चुनाव संहिता के लागू होने के कारण इस योजना को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया अतः सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (रूपए करोड़ में)			मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	परकिल्पित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*				
1.	मुख्य शीर्ष 2235- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करना।	वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए आर्थिक सहायता देना।	111.49	-	-	स्कीम के अंतर्गत पेंशनभोगी 9% प्रति वर्ष का प्रभावी लाभ प्राप्त करते हैं।	स्कीम की प्रवर्तनावधि के दौरान लगभग 3.5 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने पंजीकरण करवाया था। उन्हें स्कीम के अंतर्गत हितलाभ प्रदान किए जा रहे हैं।	यह योजना 14.07.2003 से 09.07.2004 तक परिचालन में थी। तथापि, अभिदाताओं को अभी लाभ हो रहे हैं।	कोई जोखिम नहीं है।
2.	मुख्य शीर्ष 2235- स्वावलंबन योजना	असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवरेज का विस्तार करना।	195.00	-	-	स्कीम का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत करवा कर उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है।	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 17.50 लाख अभिदाताओं को पंजीकृत करना।	2016-17 तक	परिकल्पित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, अल्प विरामशील आमदनी और निम्न वित्तीय जानकारी, एग्रीगेटरों और पीओपी के कार्यनिष्पादन की शर्तों के अधीन है।
3.	मुख्य शीर्ष 2235-आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) में सरकार का योगदान	इस स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और गरीबी रेखा से मामूली रूप से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को जीवन तथा विकलांगता का कवर प्रदान किया जाता है।	150.00	-	-	इस स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम 200/- रु. प्रति लाभार्थी है, जिसमें 50% का योगदान केन्द्र सरकार द्वारा सृजित तथा एलआईसी द्वारा देख-रेख की जा रही सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है। ग्रामीण भूमि एवं परिवारों के मामले में शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अन्य समूहों के मामले में यह अंशदान	इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के लाभार्थियों सहित 18 से 59 वर्ष के आयु-समूह के ऐसे व्यक्तियों को बीमा कवर दिया जाता है जो पहचान किए गए 47 पेशागत/ व्यवसायिक समूहों के सदस्य हैं। लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा		

* सीईबीआर - अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत अर्थात उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य कंपनियों द्वारा प्रतिबद्ध व्यय।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
						राज्य सरकार/नोडल एजेंसी/लोगों द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालय/ विभाग /राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था/ पंजीकृत गैर सरकारी संगठन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकते हैं।	(आईटीआई पाठ्यक्रम सहित) तक पढ़ने वाले दो बच्चों को प्रति छात्र प्रति माह 100 रूपये की दर से छमाही आधार पर छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है।		
4.	मुख्य शीर्ष 2416-किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत	6000.00	-	-	किसानों को 3.00 लाख रुपए की राशि तक अल्पावधि उत्पादन ऋण 7% प्रतिवर्ष पर प्रदान करना। 3% की अतिरिक्त राहत उन किसानों को प्रदान की जाएगी जो समय पर अपना फसल ऋण चुकाते हैं।	किसान अल्पावधि ऋणों पर अत्यंत जरूरी ब्याज राहत का लाभ उठाएंगे।	वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कार्यान्वयन की अवधि का विस्तार किया जाता है।	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं हे।
5.	मुख्य शीर्ष 2416-महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान देना।	महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने तथा उनके स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए	-	50.00	-	यह देश के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों के वित्त पोषण को बढ़ावा देगा।	इससे बैंक पिछड़े क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं तक अपनी पहुंच का विस्तार करने में सक्षम हो पाएंगे। इससे महिला स्वयं सहायता समूह जीविका संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने में समर्थ होंगे।	एक वर्ष	यह अनुदान सहायता है और यह परिणाम आधारित है। अतः इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।
6.	मुख्य शीर्ष- 2416 उत्पादक संगठन विकास निधि के लिए नाबार्ड को अनुदान।	छोटी जोत के आधार पर कृषि की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए उत्पादक संगठन में छोटे और सीमांत किसानों के आयोजन की पहल की गई है। तदनुसार, नाबार्ड उत्पादक संगठन विकास निधि को अगले दो वर्षों में देश भर में 2000 उत्पादक संगठनों के गठन के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि के साथ अनुपूरित किया जा रहा है।	200.00	-	-			दो वर्ष	

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
7.	मुख्य शीर्ष 2885-नोडल एजेंसी, अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान करना।	नोडल एजेंसी, अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15.00 लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान	50.00	-	-	यह ब्याज सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से दी जाएगी।	आवास लोगों की आधारभूत आवश्यकता है। आवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से श्रम प्रधान कार्यकलापों के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से सीमेंट तथा स्टील जैसे उद्योगों के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न करके रोजगार सृजन करने की अपार संभावना है।	एक वर्ष	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं।
8.	मुख्य शीर्ष 3465-भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अभिदान के मद में प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करना।	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर, 2008 के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गई एसएलआर विपणन योग्य प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	-	-	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में नियत तिथि को अंशदान के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का मोचन करने के लिए सृजित प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करने के लिए है।	इन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए सृजित निधि में सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 625 करोड़ रु. का अंतरण किया जाना है।	2024 तक	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला एक अंतरण है।
9.	मुख्य शीर्ष- कौशल विकास के संबंध में ऋण गारंटी निधि स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) को वित्तीय सहायता	भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार भारतीय बैंक संघ के सदस्य बैंकों या अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कौशल विकास ऋणों को गारंटी प्रदान करने के लिए।	-	500.00	-	यह अनुदान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए दिया जाना है।	इस योजना के अन्य उपबंधों के अधीन यह निधि उधारदात्री संस्था, जिसने इस प्रयोजन हेतु निधि के साथ अपेक्षित समझौता किया हो, द्वारा पात्र उधारकर्त्ता को दिए गए कौशल विकास ऋण के संबंध में उधारदात्री संस्थाओं द्वारा दिए गए शिक्षा ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के प्रति गारंटी प्रदान करता है।	दो वर्ष	यह अनुदान सहायता है और परिणाम आधारित है। अतः इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
10.	मुख्य शीर्ष- 3465 फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु सिडबी को वित्तीय सहायता।	भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग को बढ़ावा देना।	50.00	-	-			एक वर्ष	
11.	मुख्य शीर्ष- 4416 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जोखिम भारित आस्ति अनुपात सीआरएआर को 9% करना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूंजी आधार को बढ़ाना।	50.00	-	-	अपने सीआरएआर को 9% तक लाने के लिए 40 आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना ताकि क्षति को कम किया जा सके और उनकी उधार क्षमता में वृद्धि की जा सके।	एक वर्ष	यह सरकारी निवेश है। कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।
12.	मुख्य शीर्ष 4416 नाबार्ड की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूंजी आधार को बढ़ाना।	-	300.00	-	नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करना तथा तदनुसार इसके विकासात्मक कार्यात्मक आदेश को पूरा करने के लिए उधार क्षमता को बढ़ाना।	इससे नाबार्ड की उधार लेने तथा कृषि ऋण देने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकास कार्य करने वाले बैंकों की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि होगी।	एक वर्ष	यह नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार का अभिदान है। इसमें कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।
13.	मुख्य शीर्ष 4885 भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड . (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी में अभिदान	आईआईएफसीएल के इक्विटी आधार को सुदृढ़ करने के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध दीर्घावधिक वित्त में सहायता करना।	-	600.00	-	आईआईएफसीएल दीर्घावधि अवसंरचना वित्त सुविधा में उस कमी को पूरा करेगी जिसे बैंक और अन्य संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती हैं।	कंपनी की प्रदत्त पूंजी को बढ़ाना। इससे कंपनी को अपने ऋण पोर्टफोलियों का विस्तार करने और अपनी बुनियादी स्थिति को सुदृढ़ करने की सुविधा उपलब्ध होगी।	एक वर्ष	आईआईएफसीएल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को दीर्घावधिक वित्त उपलब्ध कराती है। वित्तीय संस्था के रूप में कंपनी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
14.	मुख्य शीर्ष 4885 एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान करना।	एक्जिम बैंक का ईक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना	-	1300.00	-	वर्ष 2014-15 के दौरान निर्यात ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक का संवितरण बढ़ाकर 880 मिलियन यूएस डालर करना। (वर्ष 2013-14 के दौरान 802 मिलियन यूएस डॉलर अनुमानित संवितरण से 10 प्रतिशत अधिक)		एक वर्ष	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।
15.	मुख्य शीर्ष 5465 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण	सरकारी क्षेत्र के बैंकों को टीयर-I सीआरएआर को बढ़ाने हेतु पूंजी सहायता प्रदान करना ताकि उनके टीयर-I सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाये रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके।	-	11200.00	-	सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने टीयर-I सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने और बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के विनियामकीय मानदण्डों का अनुपालन करने एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी अनुषंगियों एवं सहयोगियों के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन करने में सहायता देने में समर्थ बनाना।	सीआरएआर का सहज स्तर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं के लिए सहायता करने में सक्षम बनाएगा ताकि अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार के अवसरों एवं समग्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सके।	एक वर्ष	यह देश के उत्पादक क्षेत्रों की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा करने तथा सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाये रखने में बैंकों को सक्षम बनाने के लिए पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

1. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देश की अब तक असेवित बड़ी आबादी को उसकी विकास क्षमताओं की बढ़ोत्तरी के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर के लोगों तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विभिन्न पहल कर रहे हैं।

(क) **बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तारः** सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2012-13 के 4432 शाखाओं की तुलना में वर्ष 2013-14 में 7840 शाखाएं खोली।

(ख) **एटीएम नेटवर्क का विस्तारः** सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एटीएम की कुल संख्या दिनांक 31.03.2013 को 69652 थी जो दिनांक 31.01.2014 को बढ़कर 96853 हो गई।

(ग) **बीसीए नेटवर्क का विस्तारः** वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा बैंकों को 1000-1500 परिवारों वाले उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) की अवधारणा के आधार पर देश भर में बैंकिंग सेवा का विस्तार करने की सलाह दी है। पूर्वोत्तर, पर्वतीय राज्यों और अन्य राज्यों के छिट-पुट आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में बैंक उपयुक्त रूप से प्रत्येक व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (बीसीए) द्वारा कवर किए जाने वाले परिवारों का निर्णय करे। यदि ग्राम पंचायत अपेक्षाकृत बड़े हैं तो वहां एक से अधिक बीसीए की नियुक्ति की जा सकती है। छोटे ग्राम पंचायतों के मामले में भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बीसीए को एक से अधिक निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को सौंपा जा सकता है।

बैंकों ने 121 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जिलों में प्रत्येक उप-सेवा क्षेत्र के लिए बैंकिंग आउटलेट [एटीएम वाली शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट (बीसीए)] प्रदान करने की योजना की उपर्युक्त प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 121 जिलों में बैंक ने पहचान किए गए 30855 उप सेवा क्षेत्रों में से 30751 उप सेवा क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं।

(घ) **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):** डीबीटी योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत धन सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुंचे। बैंक डीबीटी/डीबीटीएल के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें चार महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं, जैसेः

(i) सभी लाभार्थियों के खाते खोला जाना;

(ii) बैंक खातों को आधार संख्याओं से जोड़ा जाना और एनपीसीआई मैपर पर अपलोड किया जाना;

(iii) राष्ट्रीय स्वचलित समाशोधन गृह- आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एनएसीएच-एपीबीएस) का उपयोग करके निधियों का अंतरण शुरू करना।

(iv) धन आहरण करने में लाभार्थियों को समर्थ बनाने के लिए बैंकिंग अवसंरचना को मजबूती प्रदान करना।

(घ) (i) **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** देश में यह योजना जनवरी, 2013 में शुरू की गई थी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। पहले चरण में 43 जिलों (चरण-I) में 25 कल्याण योजनाएं शुरू की गई, जिसे दूसरे चरण में बढ़ाकर 78 अतिरिक्त जिलों (चरण-II) में लागू किया गया तथा 3 अतिरिक्त योजनाएं 01 जुलाई, 2013 से शुरू की गई।

(घ)(ii) **एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):** डीबीटीएल को 01.06.2013 से 18 जिलों में शुरू किया गया था, एक जिले (मैसूर) में 01.07.2013 को और एक अन्य जिले (मंडी) में 01.08.2013 से शुरू किया गया था, 34 जिलों में 01.09.2013 से और अतिरिक्त 43 जिलों में 01.10.2013 से शुरू किया गया था। सरकार ने 01.01.2014 तक चरणबद्ध तरीके से 194 अतिरिक्त जिलों में भी डीबीटीएल योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने डीबीटीएल योजना के लाभार्थियों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए श्री एस. जी. ढ़ांडे (आईआईटी कानपुर के पूर्व निदेशक) की अध्यक्षता में 28.02.2014 को डीबीटीएल योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया।

2. पेंशन सुधार

इस पृष्ठभूमि की तुलना में की कुल श्रमिकों का सिर्फ 12-13% ही किसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में शामिल किया गया था, देश में सुदृढ़ तथा धारणीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत में पेंशन क्षेत्र में सुधार आरंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 01 जनवरी, 2004 से आरंभ की गई है। इसे निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर सरकारी सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। सुदृढ़ विनियमन समर्थित व्यक्तिगत विकल्प पर आधारित किफायती तथा कुशल पेंशन प्रणाली के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। पूर्णतः "परिभाषित अंशदान" उत्पाद के रूप में बिना किसी निर्धारित लाभ घटक के प्रतिलाभ पूर्णतः बाजार से संबद्ध होंगे। कुछेक विनियामकीय प्रतिबंधों के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में लोगों को विभिन्न निवेश विकल्पों तथा एक निवेश से दूसरे निवेश या एक निधि प्रबंधक से दूसरे प्रबंधक में परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्षेत्र

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), जिसे सरकारी संकल्प के माध्यम से गठित किया गया था, ने सितंबर, 2013 में संसद में पारित किए जाने के पश्चात 01 फरवरी, 2014 से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के साथ सांविधिक स्थान प्राप्त कर लिया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अधिनियमन के माध्यम से सरकार विशेष रूप से अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र के लोगों को वृद्धावस्था में संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहेगी।

एनपीएस को 01 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। सभी नागरिकों के लिए एनपीएस उपलब्ध कराने

की प्रक्रिया में उपस्थिति स्थान (पीओपी) रूप में 61 संस्थागत कंपनियों सहित एनपीएस मध्यवर्तियों, जो पेंशन खाता खोलने तथा संग्रह केंद्रों, जो एक केंद्रीयकृत रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी (सीआरए) के रूप में कार्य करेंगी, तथा निवेशकों के पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए 8 पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति शामिल है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुरूप एनपीएस मध्यवर्तियों की चयन की प्रक्रिया के लिए पारदर्शी, भेदभाव रहित, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनायी गयी है, जिसे इष्टतम लागत पर एनपीएस के अंशदाताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित होती है।

संगठित कंपनियों को अपने मौजूदा तथा नए कर्मचारियों को एनपीएस संरचना में ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोर एनपीएस के विशेष रूप से तैयार किए गए मॉडल, जिसे "एनपीएस-कॉर्पोरेट" क्षेत्र मॉडल के रूप में जाना जाता है, को दिसंबर, 2011 से आरंभ किया गया है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, 1266 कॉर्पोरेट्स तथा 2.62 लाख कर्मचारियों को इस मॉडल के अंतर्गत नामांकित किया गया है। एनपीएस कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत प्रबंधन के तहत एयूएम 2627.60 करोड़ रुपए है।

एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष में इसमें कई परिवर्तन किए गए हैः

i. एनपीएस खाते की परिपक्वता पर अंशदाताओं को वार्षिकी योजना का प्रस्ताव देने के लिए सात वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) को सूचीबद्ध किया गया हैः

   1. भारतीय जीवन बीमा निगम
   2. भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा कंपनी लि.
   3. आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
   4. बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
   5. स्टार यूनियन दा-इची इंश्योरेंस कंपनी लि.
   6. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
   7. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

ii. निवेश प्रबंधन शुल्क (आईएमएफ), जिसका अभिदाताओं के टर्मिनल पेंशन धन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारित करने के लिए 16 जनवरी, 2014 को निजी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत पेंशन निधि के चयन के लिए प्रस्ताव संबंधी अनुरोध जारी किया गया था।

iii. **केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में ई-केवाईसी की स्वीकार्यता**

अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के परामर्श से केवाईसी सत्यापन की वैध प्रक्रिया के रुप में यूआईडीएआई द्वारा शुरू की गई ई-केवाईसी सेवा को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जनसांख्यिकी ब्यौरे और फोटोग्राफ वाले यूआईडीएआई द्वारा अधिप्रमाणित और हस्तांतरित सूचना को ग्राहक की पहचान एवं पते का पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा।

iv. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास मार्गनिर्देश-अभिदाता द्वारा संचित पेंशन धन के संपूर्ण आहरण का विकल्प**

एनपीएस लाइट-स्वावलंबन योजना के अभिदाताओं को छोड़कर अभिदाताओं को समस्त संचित पेंशन निधि आहरित करने का विकल्प देने का निर्णय इस शर्त के अध्यधीन लिया गया है कि अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन धन सरकारी कर्मचारी अभिदाताओं के लिए अधिवर्षिता के समय या सर्व नागरिक मॉडल (ऑल सिटीजन मॉडल) और कॉर्पोरेट मॉडल के अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं के लिए 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर 2,00,000/- रुपए के बराबर या उससे कम है।

v. **60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में पंजीकरण**

पीएफआरडीए ने प्रवेश के समय आयु पर ध्यान दिए बिना सरकार के उपस्थिति रजिस्टर में विद्यमान सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों (केंद्र और राज्य) को इस शर्त के अध्यधीन एनपीएस में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है कि एनपीएस खाते में अंशदान की कुल अवधि 42 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसे अभिदाताओं के एनपीएस आवेदनों को 60 वर्ष से नीचे की आयु के सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सरकारी विभाग के उपयुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का दायित्व अभिदाता पंजीकरण फॉर्म जमा करने वाले विभाग का होगा कि कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के योग्य है और कि ऐसे कर्मचारी के लिए समस्त सेवा अवधि के दौरान 42 वर्ष से अधिक अवधि के एनपीएस अभिदान का भुगतान नहीं किया गया है।

vi. **पीआरएएन की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)- एनपीएस लाइट/एनपीएस स्वावलंबन- सर्व नागरिक मॉडल और अन्य क्षेत्र**

सर्व नागरिक मॉडल (यूओएस) में शामिल होने के इच्छुक एनपीएस लाइट/स्वावलंबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अभिदाता सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत अब एनपीएस नियमित प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। ऐसा एनपीएस लाइट/स्वावलंबन के उन अभिदाताओं की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है, जो एनपीएस लाइट प्लेटफॉर्म में शामिल हुए लेकिन विभिन्न कारणों से एनपीएस नियमित मॉडल से अलग होकर अंतर प्लेटफॉर्म स्थानांतरण प्रक्रिया के माध्यम से एनपीएस लाइट/स्वावलंबन से एनपीएस के सर्व नागरिक मॉडल में अपने पीआरएएन को स्थानांतरित करना चाहा।

विगत कार्यनिष्पादन की समीक्षा

1. कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 (विगत कार्य निष्पादन की समीक्षा)

वर्ष 2008-09 में सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), यूसीबी सहित सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों (एलएबी) द्वारा 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय, 29.02.2008 तक अदेय, सभी कृषि ऋणों को शामिल करके किसानों के लिए एडीडब्ल्यूडीआरएस की घोषणा की थी। "छोटे और सीमांत किसानों" के लिए पूर्ण माफी योजना थी जबकि इन अवधियों के दौरान शामिल ऋणों के लिए अन्य किसानों के लिए एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) थी। ओटीएस में 75% की शेष राशि की अदायगी पर 25% की छूट का प्रस्ताव था। यह योजना ऋणदात्री संस्थाओं से नया ऋण प्राप्त करने के लिए उन्हें पात्र बनाने के लिए क्रियान्वित की गई थी।

संबंधित नोडल एजेंसियों, अर्थात आरबीआई और नाबार्ड के जरिए विधिवत रूप से सत्यापित और लेखापरीक्षित दावों के आधार पर उधार देने वाली संस्थाओं के दावों की प्रतिपूर्ति किश्तों में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कुल 52,259.86 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी जिससे 3.73 करोड़ किसानों को लाभ हुआ था।

इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित खातों का शत-प्रतिशत सत्यापन वर्ष 2013-14 के दौरान किया गया था।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की गई थी और 01 जनवरी, 2004 से सरकार में भर्ती किए गए सभी नए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया है और इसमें शामिल हो गए हैं। इनमें से 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने एनपीएस न्यास के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इन 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने एनपीएस के क्रियान्वयन के लिए सीआरए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य राज्य एनपीएस को शुरू करने की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के 33.48 लाख से अधिक कर्मचारी पहले से ही एनपीएस में शामिल हैं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत प्रबंधित की जा रही आधारभूत निधि (कार्पस) 44272.32 करोड़ रु. है। असंगठित क्षेत्र के लोगों तक एनपीएस का लाभ पहुंचाने के लिए बजट भाषण 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। यह योजना 79 एग्रीगेटरों के माध्यम से परिचालित होती है। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 3,01,920 अभिदाता, 2011-12 के दौरान 6,39,480 अभिदाता को नामांकित किया गया है, वर्ष 2012-13 में स्वावलंबन के लिए पात्र 11,01,079 अभिदाता और वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 15,94,790। अभिदाता पात्र हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित सभी नागरिकों के लिए 61 उपस्थिति केंद्रों के लगभग 36030 सेवा प्रदाता शाखाओं के माध्यम से एनपीएस उपलब्ध था।

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) /ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों के त्वरित न्याय निर्णयन एवं त्वरित वसूली और उससे जुड़े मामलों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन केंद्र सरकार ने देश भर में 33 ऋण वसूली अधिकरणों और 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों की स्थापना की है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई), 2002 के अधिनियमन से ऋण वसूली अधिकरणों की भूमिका और बढ़ गई है, जो पीड़ित पक्षों को डीआरटी के समक्ष अपील करने का अवसर प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त दो अधिनियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाहियों को आयोजित करने में बैंकों को पेश आने वाली कतिपय कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 को 04 जनवरी, 2013 को अधिनियमित किया गया है।

वर्ष 2012 में 16,321 करोड़ रु. की राशि वाले निपटाए गए 9395 मामलों की तुलना में डीआरटी ने वर्ष 2013 में 21,495 करोड़ रु. के 11,194 मामलों का निपटान किया है।

परिव्यय तथा परिणाम का विवरण 2012-13

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-2013 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	जोखिम कारक	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष 2235- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करना।	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन को आर्थिक सहायता देना	182.25	140.00	योजना के अंतर्गत पेंशनरों को 9% प्रति वर्ष की प्रभावी आय प्राप्त होती है।	योजना 14.07.2003 तथा 09.07.2004 के बीच प्रचालनरत थी। तथापि, अभिदाताओं को लाभ अभी भी दिए जा रहे हैं।	कोई जोखिम निहित नहीं।	लगभग 3.50 लाख वरिष्ट नागरिक थे, जिन्होंने योजना के चालू रहने के दौरान इसमें अपना नामांकन करवाया था, उन्हें प्रतिफल प्रदान किया जा रहा है।
2.	मुख्य शीर्ष 2235- स्वावलंबन योजना	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कवरेज को 30 लाख अभिदाताओं तक बढ़ाना।	220.00	128.00	स्कीम का उद्देश्य है - असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत करवा कर उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।	स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष और 11 लाख अभिदाताओं को पंजीकृत करवाना	परिकल्पित परिणाम संभावित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, अल्प विरामशील आमदनी और निम्न वित्तीय जानकारी, एग्रीगेटरों और पीओपी के कार्यनिष्पादन की शर्तों के अधीन है।	योजना के अंतर्गत कुल 11,01,079 अभिदाता पात्र थे।
3.	मुख्य शीर्ष 2235-जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी की देख-रेख में सामाजिक सुरक्षा निधि में बढ़ोतरी हेतु सरकार का योगदान	इस योजना में ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को बीमा सुरक्षा दिया जाता है।	175.00	175.00	इस स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम 200/- रु. प्रति वर्ष था, जिसमें 50% का योगदान लाभार्थी/राज्य सरकार/नोडल एजेंसी द्वारा किया जाता था तथा शेष 50% केन्द्र सरकार द्वारा सृजित तथा एलआईसी द्वारा देख-रेख की जा रही सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता था।	इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के लाभार्थी सहित 18 से 59 वर्ष के आयु-समूह के ऐसे व्यक्तियों को बीमा कवर दिया जाता है जो अभिचिह्नित 47 पेशागत/व्यवसायिक समूहों के सदस्य हैं।	सरकार द्वारा समय-समय पर इस योजना हेतु सामाजिक सुरक्षा निधि की पुनः पूर्ति अपेक्षित होती है।	31.12.2012 की स्थिति के अनुसार जेबीवाई के अंतर्गत कुल 2,89,94,424 जीवन कवर किए गए हैं और तत्पश्चात् इस योजना को आम आदमी बीमा योजना के साथ समेकित कर दिया गया है।
4.	मुख्य शीर्ष 2416-किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत	6,000.00	5,400.00	किसानों को 3.00 लाख रुपए की राशि तक अल्पावधि उत्पादन ऋण 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रदान करना। समय पर फसल	कार्यान्वयन की अवधि को वार्षिक आधार पर बढ़ाया जाता है।	यह किसानों को एक सब्सिडी है। कोई जोखिम कारक निहित नहीं है।	5,400 करोड़ रुपए जारी किए गए।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
					ऋण का पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।			
5.	मुख्य शीर्ष 2416 - दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना(एलटीसी सीएस) के पुनरुज्जीवन के लिए अनुदान सहायता	देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना का पुनरुज्जीवन	500.00	0.01	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनरुज्जीवन हेतु पुनरुद्धार पैकेज प्रदान करना	एलटीसीसीएस के पुनरुज्जीवन के लिए ड्राफ्ट आशोधित पैकेज सरकार के विचाराधीन है।	यह देश की सहकारी ऋण संरचना के लिए एक सब्सिडी है। कोई जोखिम कारक निहित नहीं है।	-
6.	मुख्य शीर्ष 2416 - वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)	विशेष रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय समूहों तथा पिछड़े इलाकों/अब तक बैंकिंग रहित क्षेत्रों में बेहतर वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियों की सहायता करना	20.00	0.00	वित्तीय समावेशन हासिल करने के उद्देश्य से पेशेवर तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों को वहनीय लागत पर समयबद्ध तथा पर्याप्त ऋण एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना	इस निधि का संचालन वर्ष 2007-08 एवं इसके बाद के वर्षों से किया जा रहा है।	नाबार्ड की देख-रेख में भारत सरकार, आरबीआई तथा नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में भागीदारी सहित निधि बनाई गई है। भारत सरकार के अंश के रूप में वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 प्रत्येक वर्ष में 10.00 करोड़ रुपए जारी किए गए।	नाबार्ड, जो कि इस निधि की देख-रेख कर रहा है, ने बताया है कि भारत सरकार के अंशदान की अब कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
7.	मुख्य शीर्ष 2416 - वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)	वित्तीय समावेशन के संवर्धन, वित्तीय समावेशन में अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी के अंतरण को बढ़ावा देने, वित्तीय सेवा प्रदाताओं/उपयोगकर्ताओं की ग्राह्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना संचार प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ाना	30.00	0.00	वित्तीय समावेशन हासिल करने के उद्देश्य से पेशेवर तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों को वहनीय लागत पर समयबद्ध तथा पर्याप्त ऋण एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना	इस निधि का संचालन वर्ष 2007-08 एवं इसके बाद के वर्षों से किया जा रहा है।	नाबार्ड की देख-रेख में भारत सरकार, आरबीआई तथा नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में भागीदारी सहित निधि बनाई गई है। भारत सरकार के अंश के रूप में वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 प्रत्येक वर्ष में 10.00 करोड़ रुपए जारी किए गए।	नाबार्ड, जो कि इस निधि की देख-रेख कर रहा है, ने बताया है कि भारत सरकार के अंशदान की अब कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
8.	मुख्य शीर्ष 2416 - महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान देना।	महिला एसएचजी को असेवित तथा कम सेवित क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।	200.00	0.00	यह देश के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में महिला एसएचजी के वित्तपोषण का संवर्धन करेगा।	इससे बैंक पिछड़े क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं तक अपनी पहुंच का विस्तार करने में सक्षम हो पाएंगे। इससे महिला स्व-सहायता समूह जीविका संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने में समर्थ होंगे।	यह सहायता अनुदान है और यह आउटकम आधारित है, अतः इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार इस निधि से 16.94 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता जारी की गई है। 50,001 एसएचजी को सेक्विस लिंक्ड किया गया हैं।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
9.	मुख्य शीर्ष 2885-नोडल एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान करना।	नोडल एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15.00 लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान	400.00	500.00	यह सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से दी जाती है।	आवास लोगों की आधारभूत आवश्यकता है। आवास क्षेत्र में श्रम प्रधान कार्यकलापों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से और सीमेंट तथा स्टील जैसे उद्योगों के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न करके अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करने की अपार संभावना है।	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	400.00 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
10.	मुख्य शीर्ष 3465 - भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अंशदान के मद में प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करना।	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गई विक्रय प्रतिभूति के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में अंशदान के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का देय तिथि पर मोचन करने के लिए सृजित निधि में अंतरण करने के लिए है।	इन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए सृजित इस निधि में सरकार द्वारा 625.00 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण प्रतिवर्ष किया जाना है।	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला एक अंतरण है।	समस्त निधियां समय से जारी की गई थी।
11.	मुख्य शीर्ष 4416 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात (सीआरएआर) को समयबद्ध तरीके से कम से कम 7% तथा आगे 9% करना।	200.00	535.00	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर को कम से कम 7% तक लाने के लिए उनका पुनर्पूंजीकरण	आरआरबी की वित्तीय स्थिति बेहतर करना जिससे कि उनकी हानि कम हो सके और उधार देने की उनकी क्षमता बढ़ सके।	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	2012-13 में पुनर्पूंजीकरण के लिए 19 आरआरबी को 535 करोड़ रुपए का संपूर्ण प्रावधान जारी किया गया। इस प्रकार 31.03.2013 तक 36 आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण पूरा हो गया था।
12.	मुख्य शीर्ष 4416 - नाबार्ड की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	3000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पूंजी आधार को बढ़ाना।	500.00	1,000.00	नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करना तथा इसके द्वारा उसके विकासात्मक अधिदेश को पूरा करने के लिए उसकी उधार क्षमता को बढ़ाना तथा इसके साथ-साथ कृषि ऋण प्रदान करने वाले तथा	कार्यान्वयन अवधि दो वर्ष थी।	इस पूंजी निवेश से नाबार्ड की उधार क्षमता में वृद्धि होगी। कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	1,000 करोड़ रुपए जारी किए गए।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
					ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकासात्मक कार्यकलाप कर रहे बैंकों की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकता को पूरा करना।			
13.	मुख्य शीर्ष 4885 - भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी में अंशदान	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक वित्त उपलब्ध कराने में सहायता करना	400.00	400.00	आईआईएफसीएल दीर्घावधि अवसंरचना वित्त सुविधा में जो कमी है उसे पूरा करेगी, जो कि बैंक और अन्य संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती हैं।	एक वर्ष	आईआईएफसीएल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्त उपलब्ध करा रही है। वित्तीय संगठन के रूप में आईआईएफसीएल लि. ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।	400.00 करोड़ रुपए का समस्त प्रावधान जारी किया गया। आईआईएफसीएल ने संचयी रूप से 72,906 करोड़ रुपए की कुल राशि की 325 परियोजनाओं की स्वीकृतियां जारी की।
14.	मुख्य शीर्ष 4885 - एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	एक्जिम बैंक का इक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना	200.00	200.00	वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यात हेतु ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक संवितरणों को 907 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना (वर्ष 2011-12 के दौरान एलओसी के अंतर्गत अनुमानित 756 मिलियन अमेरिकी डॉलरों के संवितरण पर लगभग 20% की वृद्धि)।	एक वर्ष	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।	200 करोड़ रुपए जारी किए गए। एक्जिम बैंक ने कुल 62,964.61 करोड़ रुपए (भारत सरकार द्वारा समर्थित एलओसी सहित) के ऋण प्रदान किए।
15.	मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण	अपनी टीयर-1 सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुपालनरत रहे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय पीएसबी द्वारा उनकी अनुषंगियों एवं सहयोगियों के माध्यम से किए जा रहे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालनों को मदद करने हेतु उनके टीयर-I सीआरएआर को बढ़ाने के लिए पीएसबी को पूंजी सहायता प्रदान करना।	14588.00	12517.00	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार टीयर-1 सीआरएआर का सहज स्तर बनाए रखने एवं बासेल-III मानदण्डों के अनुपालन में पूंजी पर्याप्तता विनियामकीय मानदण्डों को पूरा करने में सक्षम बनाना।	एक वर्ष	यह पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है जिससे कि वे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा कर सके।	सरकारी क्षेत्र के 13 बैंकों को 12,517 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसने बैंकों को हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के साथ-साथ सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने में मदद की।

परिव्यय तथा परिणाम का विवरण 2013-14

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2013-2014 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (अनंतिम)
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष 2202-केनरा बैंक के जरिए मेधावी तथा जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋणों के संबंध में ब्याज सहायता	यह ब्याज राहत उन छात्रों के लिए थी जिन्हें 31.03.2009 तक शिक्षा ऋण स्वीकृत/ संवितरित किए गए थे और जो शिक्षा ऋण 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया थे।	-	2,600.00	यह 31.03.2009 तक स्वीकृत/ लिए गए शिक्षा ऋण जो 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया थे, के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया ब्याज संघटक के संबंध में राहत उपलबध करायेगा।	एक वर्ष	यह ब्याज राहत उन छात्रों के लिए जिन्हें 31.03.2009 तक शिक्षा ऋण स्वीकृत/ संवितरित किए गए थे और जो 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया थे, को राहत पहुंचाने के लिए एक अनुदान सहायता है। इस प्रकार कोई जोखिम शामिल नहीं है।	इस योजना से लगभग 9 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
2.	मुख्य शीर्ष 2235-वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करना।	वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त पेंशन योजना	134.23	115.81	योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को 9% प्रति वर्ष की प्रभावी आय प्राप्त होती है।	योजना 14.07.2003 तथा 09.07.2004 के बीच प्रचालनरत थी। तथापि, अभिदाताओं को लाभ अभी भी दिए जा रहे हैं।	कोई जोखिम शामिल नहीं है।	कुल 3,05,632 (अनंतिम) लाभार्थी थे जिन्होंने योजना के चालू रहने के दौरान इसमें अपना नामांकन करवाया था, जिन्हें 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान किया जा रहा है।
3.	मुख्य शीर्ष 2235-स्वावलंबन योजना	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कवरेज को 30 लाख अभिदाताओं तक बढ़ाना।	170.00	155.00	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 15 लाख अभिदाताओं को पंजीकृत करना	मार्च, 2014.	अनुमानित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, अल्प विरामशील आमदनी और निम्न वित्तीय जानकारी, एग्रीगेटरों और पीओपी के कार्यनिष्पादन की शर्तों के अधीन है।	कुल 15,94,790 (अनंतिम) नए अभिदाताओं को पंजीकृत किया गया है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
4.	मुख्य शीर्ष 2235-आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) में सरकार का योगदान	यह योजना गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से मामूली रूप से ऊपर रहने वाले लोगों को जीवन तथा विकलांगता का कवर प्रदान करता है।	5.01	4.51	योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयुवर्ग के व्यक्तियों जो 47 चिह्नित व्यावसायिक/पेशेवर समूहों के सदस्य हैं, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के लाभार्थियों के साथ बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना में अतिरिक्त लाभ के रूप में लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा (आईटीआई पाठ्यक्रम सहित) में पढ़ने वाले बच्चों, के लिए अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा 100 रूपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, जो कि अर्द्धवार्षिक आधार पर देय होती है, प्रदान की जाती है।		इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सरकार को समय-समय पर छात्रवृत्ति निधि' की प्रतिपूर्ति करना अपेक्षित है।	वर्ष 2013-14 के दौरान एएबीवाई के अंतर्गत 281.80 करोड़ रुपये की राशि के 45,07,719 छात्रवृत्तियां संवितरित की गई।
5.	मुख्य शीर्ष 2416-किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत	6,000.00	6,000.00	किसानों को 3.00 लाख रुपए की राशि तक अल्पावधि उत्पादन ऋण 7% प्रतिवर्ष की दर पर प्रदान करना। अपना फसल ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कार्यान्वयन की अवधि का विस्तार किया जाता है।	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं हे।	वर्ष के दौरान 6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए।
6.	मुख्य शीर्ष 2416-महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान देना।	महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने तथा उनके स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए	100.00	100.00	यह देश के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों के गठन एवं इनके वित्त पोषण को बढ़ावा देगा।	2013-14 तक।	इससे बैंक पिछड़े क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं तक अपनी पहुंच का विस्तार करने में सक्षम हो पाएंगे। इससे महिला स्व-सहायता समूह जीविका संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने में समर्थ होंगे।	उक्त अवधि के दौरान 84.183 करोड़ रुपए जारी किए गए। 1,19,706 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है और 26,990 स्व-सहायता समूह को ऋण संबद्ध किया गया है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
7.	मुख्य शीर्ष 2885-नोडल एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान करना।	नोडल एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15.00 लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान	200.00	80.00	यह सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से दी जाएगी।	एक वर्ष	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।	योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए जारी किए गए।
8.	मुख्य शीर्ष 3465 भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अंशदान की मद में प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करना।	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर, 2008 के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गई विपणन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में नियत तिथि को अंशदान के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का मोचन करने के लिए सृजित निधि में अंतरण करने के लिए है।	2024 तक	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन हेतु पहले से सृजित प्रतिभूति मोचन निधि में केवल अंतरण है।	पूरी राशि समय पर जारी की गई।
9.	मुख्य शीर्ष 3465-कौशल विकास के संबंध में ऋण गारंटी निधि स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को वित्तीय सहायता	भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सदस्य बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कौशल विकास ऋणों को गारंटी देने हेतु।	-	500.00	यह अनुदान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए दिया जाना है। यह निधि योजना के अन्य उपबंधों की शर्त पर किसी ऋणदात्री संस्था, जिसने इस उद्देश्य हेतु निधि से आवश्यक करार किया हो, द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए कौशल विकास ऋणों के संबंध में ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक ऋणों के पुनर्भुगतान में हुई चूक के बदले गारंटी प्रदान करने का वचन देता है।	दो वर्ष	यह अनुदान सहायता है और परिणाम आधारित है। अतः इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।	500 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
10.	मुख्य शीर्ष 4416 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात (सीआरएआर) को समयबद्ध तरीके से कम से कम 7% तथा आगे 9% करना।	88.00	88.00	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर को 9% तक लाने के लिए उनका पुनर्पूंजीकरण ताकि उनकी हानि में कमी करने एवं उनकी उधार क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके।	वर्ष 2013-14 तक।	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम कारक शामिल नहीं है।	4 आरआरबी को 82.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इस प्रकार 38 आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश में

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
								राज्य सरकार द्वारा अपना भाग जारी न किए जाने के कारण 2 आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण नहीं किया गया था।
11.	मुख्य शीर्ष 4416 - नाबार्ड की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	3000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पूंजी आधार को बढ़ाना।	700.00	700.00	नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करना तथा इसके द्वारा उसके विकासात्मक अधिदेश को पूरा करने के लिए उसकी उधार क्षमता को बढ़ाना तथा साथ ही कृषि ऋण प्रदान करने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकासात्मक कार्यकलाप कर रहे बैंकों की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकता को पूरा करना।	कार्यान्वयन अवधि दो वर्ष थी।	इस पूंजी निवेश से नाबार्ड की उधार क्षमता में वृद्धि होगी। कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	700 करोड़ रुपए जारी किए गए।
12	मुख्य शीर्ष 4885 - भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी में अंशदान	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध दीर्घावधिक वित्त में सहायता करना।	400.00	400.00	आईआईएफसीएल दीर्घावधि अवसंरचना वित्त सुविधा में उस कमी को पूरा करेगी जिसे बैंक और अन्य संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती हैं।	एक वर्ष	आईआईएफसीएल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को दीर्घावधिक ऋण उपलबध कराती है। वित्तीय संस्था के रूप में कंपनी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।	400 करोड़ रुपए का संपूर्ण प्रावधान जारी कर दिया गया है। आईआईएफसीएल ने 350 से अधिक परियोजनाओं के लिए 94,728 करोड़ रुपए की राशि के संबंध में स्वीकृति जारी की है।
13	मुख्य शीर्ष 4885 - एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	एक्जिम बैंक का ईक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना	700.00	700.00	वर्ष 2013-14 के दौरान निर्यात हेतु ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक संवितरणों को 8506 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना।	एक वर्ष	ऋण जोखिम, नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम।	700 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी का संपूर्ण प्रावधान जारी कर दिया गया। बैंक वर्ष 2013-14 के दौरान 3,759 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
14	मुख्य शीर्ष 5465- सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के टीयर-I सीआरएआर को बढ़ाने हेतु उन्हें पूंजी सहायता प्रदान करना ताकि उनके टीयर-I सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाये रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदंड के अनुरूप बने रहें तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी अनुषंगियों और सहयोगियों के जरिए उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन में सहायता दी जा सके।	14,000.00	14,000.00	बासेल-III के अंतर्गत पूंजी एक वर्ष पर्याप्तता के विनियामकीय मानदण्डों के अनुपालन में 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार टीयर-1 सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सक्षम बनाना।		यह अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा करने में बैंकों को सक्षम बनाने के लिए पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है।	सरकारी क्षेत्र के 20 बैंकों को 14000 करोड़ रुपए का संपूर्ण प्रावधान जारी किया गया। यह बैंकों को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की ऋण आवश्यकाताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने तथा सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने में मदद करेगा।
15	मुख्य शीर्ष- 5465 भारतीय महिला बैंक लिमिटेड में आरंभिक इंक्विटी पूंजी का निवेश	स्त्री-पुरूष समानता तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के सभी वर्गों तक वित्तीय पहुंच, महिलाओं का सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन की स्त्री-पुरूष भेद-भाव संबंधी समस्याओं को दूर करना।	-	1000.00	आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक संस्थाओं तथा आस्ति स्वामित्व की समान सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। चूंकि दोनों संघटक एक-दूसरे से अंतः संबद्ध हैं, इसलिए वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के लिए आस्ति पर अधिकार होना तथा आस्ति पर अधिकार के लिए वित्तीय सुविधा प्राप्त होना अनिवार्य है। अतः आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति पहला कदम संपार्श्विक की कमी की समस्याओं का समाधान करते समय महिलाओं को वित्तीय सेवाओं की समान सुविधा उपलबध कराना है। इससे महिलाओं द्वारा आस्ति स्वामित्व (संसाधनों पर अधिकार) तथा उद्यमशीलता दोनों को बढ़ावा मिलेगा जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष	यह बैंक की स्थापना के लिए सरकार द्वारा एक निवेश है। कोई जोखिम कारक निहित नहीं है।	1000.00 करोड़ रुपए का समग्र परिव्यय जारी किया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंक के रूप में भारतीय महिला बैंक 19.11.2013 से कार्यशील हो गया है। तदुपरांत, बैंक ने देशभर में 9 केंद्रों से प्रचालन प्रारंभ किए।

वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ तथा अदा किए गए लाभांश का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक/बीमा कंपनी का नाम	31.03.2013 के अनुसार कुल चुकता पूंजी	31.03.2013 के अनुसार चुकता पूंजी में सरकार का अंश	2012-13 में करोपरान्त लाभ	2012-13 में अदा किया गया लाभांश	2013-14 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान	2013-14 में लाभांश की अदायगी हेतु संशोधित अनुमान	2014-15 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान
1.	इलाहाबाद बैंक	500.03	276.21	1185.21	165.73	200.53	200.53	220.58
2.	आन्ध्रा बैंक	559.58	324.58	1289.13	162.28	216.01	216.01	237.61
3.	बैंक आफ बड़ौदा	421.25	233.41	4480.72	501.84	459.29	459.29	505.22
4.	बैंक आफ इंडिया	595.90	382.01	2749.35	382.01	304.82	304.82	335.30
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	661.47	537.39	759.52	173.58	191.51	191.51	210.66
6.	केनरा बैंक	443.00	300.00	2872.00	390.00	399.30	399.30	439.23
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1044.57	891.09	1015.00	373.27	296.60	296.60	326.26
8.	कार्पोरेशन बैंक	152.91	91.47	1434.67	173.81	215.04	215.04	236.54
9.	देना बैंक	350.05	193.38	810.38	90.89	70.20	70.20	77.22
10.	इंडियन बैंक	429.77	343.82	1581.14	263.42	360.41	360.41	396.45
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	924.09	681.95	567.23	136.39	302.12	302.12	332.33
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	291.76	169.22	1327.95	155.68	161.75	161.75	177.93
13.	पंजाब नैशनल बैंक	353.47	204.57	4747.67	552.34	506.52	506.52	557.17
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	254.02	202.87	339.22	71.37	44.30	44.30	48.73
15.	सिंडिकेट बैंक	601.94	398.28	2004.42	266.87	183.13	183.13	201.44
16.	यूको बैंक	752.62	521.25	618.20	251.92	330.06	330.06	363.07
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	596.79	345.46	2158.54	285.80	302.40	302.40	332.64
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	374.71	308.13	391.90	132.71	177.46	177.46	195.21
19.	विजया बैंक	495.53	272.66	585.61	170.17	220.43	220.43	242.47
20.	भारतीय स्टेट बैंक	684.03	426.24	14105.00	1769.00	1750.12	1750.12	1925.13
21.	आईडीबीआई बैंक लि.	1332.77	955.85	1882.08	334.55	318.82	318.82	350.70
22.	एक्जिम बैंक	3059.37	3059.37	742.32	263.00	245.00	263.00	339.00
23.	आईआईएफसीएल	2900.00	2900.00	1046.99	221.13	0.00	0.00	0.00
24.	भारतीय जीवन बीमा निगम	100.00	100.00	28727.64	1436.38	1564.48	1582.92	1751.44
25.	भारतीय साधारण बीमा निगम	430.00	430.00	2344.62	468.70	250.00	515.00	515.00
26.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100.00	100.00	697.85	139.14	0.00	60.00	60.00
27.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	200.00	200.00	843.66	170.00	60.00	175.00	185.00
28.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.00	150.00	527.33	106.00	120.00	110.00	120.00
29.	ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.00	150.00	533.88	106.50	56.80	85.00	60.00
	कुल	**18909.63**	**15149.21**	**82369.23**	**9714.48**	**9307.10**	**9801.74**	**10742.33**

वित्तीय सेवाएं विभाग मांग संख्या 34 के अन्तर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2012-13			2013-14			2014-15
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (अनंतिम)	बजट अनुमान
	गैर-योजना							
1	केनरा बैंक के जरिए मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋणों के संबंध में ब्याज सहायता।				...	2600.00	2600.00	...
2	कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008-किसान ऋण राहत नीधि का अंतरण (मुख्य शीर्ष-2235)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
3	एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के प्रति ऋणदात्री संस्थाओं के जरिए ऋण राहत/माफी (मुख्य शीर्ष- 2235)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के प्रति ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान (मुख्य शीर्ष – 2235)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी (मुख्य शीर्ष - 2235)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सब्सिडी (मुख्य शीर्ष - 2235)	182.25	140.00	99.55	134.23	115.81	115.81	111.49
7.	**असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलंबन योजना**							
7.1	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष -2235)	200.00	110.00	90.00	150.00	135.00	135.00	175.00
7.2	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता (मुख्य शीर्ष - 2235)	20.00	18.00	14.41	20.00	20.00	17.90	20.00
8	जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा निधि के संवर्धन हेतु सरकारी अंशदान (मुख्य शीर्ष -2235)	175.00	175.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9	आम आदमी बीमा योजना के प्रति सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष -2235)	0.00	0.00	0.00	5.01	4.51	4.50	150.00
10	लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के लिए नाबार्ड के जरिए अनुदान (मुख्य शीर्ष - 2416)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	उत्पादक संगठन विकास निधि के लिए नाबार्ड को अनुदान (मुख्य शीर्ष्-2416)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
12	किसानों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज सहायता (मुख्य शीर्ष - 2416)	6000.00	5400.00	5400.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
13	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) को पुनः प्रयोग में लाना (मुख्य शीर्ष - 2416)	500.00	0.01	0.00	0.01	0.01	...	0.01
14	वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान (मुख्य शीर्ष - 2416)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) में अंशदान (मुख्य शीर्ष -2416)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
16	आवास ऋण के लिए नोडल एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक को 1% सब्सिडी का भुगतान (मुख्य शीर्ष -2885)	400.00	500.00	400.00	200.00	80.00	80.00	50.00

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2012-13			2013-14			2014-15
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (अनंतिम)	बजट अनुमान
17	विदेशी सहायता संघटक हेतु आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान (मुख्य शीर्ष -2885)	8.90	8.90	8.88	0.01	0.01	...	46.02
18	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) के लिए जारी प्रतिभूति का प्रतिदान (मुख्य शीर्ष -2285)	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	250.00	0.00
19	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम में अभिदान हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान (मुख्य शीर्ष- 3465)	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
20	विनिमय भिन्नता हेतु आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान (मुख्य शीर्ष -3475)	69.09	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21	विश्व बैक समर्थित सूक्ष्म वित्तीय परियोजना के अंतर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त सुविधा में सुधार लाने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक की सहायता (मुख्य शीर्ष -6885)	14.00	1.00	0.66	12.40	0.22	0.22	0.01
	कुल गैर-योजना	**8244.29**	**7347.04**	**7165.09**	**7146.67**	**9880.57**	**9828.43**	**7377.54**
	योजना							
22	महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के गठन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष -2416)	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	84.18	50.00
23	भारतीय सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधि का सृजन करने के लिए लघु उघोग विकास बैंक को वित्तीय सहायता (मुख्य शीर्ष -3465)	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	50.00
24	फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु सिडबी को वित्तीय सहायता (मुख्य शीर्ष - 3465)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	50.00
25	कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता।	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
26	नाबार्ड की शेयर पूंजी को अभिदान (मुख्य शीर्ष - 4416)	500.00	1000.00	1000.00	700.00	700.00	700.00	300.00
27	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के प्रति अंशदान (मुख्य शीर्ष - 4416)	200.00	535.00	535.00	88.00	88.00	82.78	50.00
28	भारतीय आयात निर्यात बैंक की शेयर पूंजी के लिए अभिदान (मुख्य शीर्ष - 4885)	200.00	200.00	200.00	700.00	700.00	700.00	1300.00
29	भारत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को ईक्विटी सहायता (मुख्य शीर्ष - 4885)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00
30	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (मुख्य शीर्ष - 5465)	14588.00	12517.00	12517.00	14000.00	14000.00	14000.00	11200.00
31	भारतीय महिला बैंक लि. के संबंध में इक्विटी पूंजी (मुख्य शीर्ष - 5465)	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
	कुल योजना	**16088.00**	**14652.00**	**14652.00**	**16088.00**	**18188.00**	**17666.96**	**14100.00**
	सकल योग	**24332.29**	**21999.04**	**21817.09**	**23234.67**	**28068.57**	**27495.39**	**21477.54**

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक	2012-13 बजट अनुमान	2012-13 संशोधित अनुमान	2012-13 वास्तविक	2013-14 बजट अनुमान	2013-14 संशोधित अनुमान	2013-14 वास्तविक (अनंतिम)
	भाग क गैर-योजना मदें										
1	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	15.02	14.08	14.04	15.07	21.62	18.65	19.81	18.58	18.45
	अन्य राजकोषीय सेवाएं										
2	अन्य व्यय (विशेष न्यायालय और अभिरक्षक का कार्यालय)	2047	7.78	7.78	7.48	8.23	6.50	6.05	7.32	7.72	7.19
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
3	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर)	**2070**	2.57	2.38	2.23	2.53	2.32	2.20	2.50	2.66	2.28
4	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)	**2070**	12.19	10.98	9.69	12.34	9.97	9.86	11.82	11.34	11.26
5	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	**2070**	48.06	43.67	43.44	44.25	51.50	48.09	67.50	52.18	52.25
6	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	**2070**	16.00	16.00	16.00	22.00	20.95	15.22	25.30	18.25	18.25
	कुल अन्य प्रशासनिक सेवाएं		**78.82**	**73.03**	**71.36**	**81.12**	**84.74**	**75.37**	**107.12**	**84.43**	**84.04**
	सामान्य शिक्षा										
7	मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋणों के संबंध में ब्याज सहायता।	**2202**							...	2600.00	**2600.00**
	कुल सामान्य शिक्षा							...	2600.00	2600.00	
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
8	अन्य व्यय (न्यायालय परिसमापक का कार्यालय, कोलकाता)	**3475**	0.62	0.62	0.50	0.52	0.52	0.61	0.47	0.40	0.38
9	विनिमय भिन्नता हेतु आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान	**3475**	...	....	...	69.09	69.09	69.09	...		
	कुल अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**0.62**	**0.62**	**0.50**	**69.61**	**69.61**	**69.70**	**0.47**	**0.40**	**0.38**
	लोक निर्माण संबंधी पूंजीगत परिव्यय										
10	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)										
10.01	डीआरटी, चंडीगढ़ के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि की खरीद	**4059**	...	0.01	...	0.01	...	...			
	कुल लोक निर्माण के संबंध में पूंजीगत परिव्यय		...	0.01	...	0.01	...	...			
	औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं										
11	नोडल एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान	**2885**	500.00	300.00	300.00	400.00	500.00	400.00	200.00	80.00	80.00
12	एसएएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों का प्रतिदान	**2885**	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	250.00
13	विदेशी सहायता संघटक हेतु आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	**2885**	...	...	...	8.90	8.90	8.88	0.01	0.01	...
	कुल औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं		**500.00**	**600.00**	**600.00**	**408.90**	**808.90**	**708.88**	**200.01**	**380.01**	**258.00**

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक	2012-13 बजट अनुमान	2012-13 संशोधित अनुमान	2012-13 वास्तविक	2013-14 बजट अनुमान	2013-14 संशोधित अनुमान	2013-14 वास्तविक (अनंतिम)
	कृषि वित्तीय संस्थाए										
14	अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिए अनुदान	**2416**	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...			
15	किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	**2416**	4868.00	4000.00	3282.70	6000.00	5400.00	5400.00	6000.00	6000.00	6000.00
16	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) को पुनरुज्जीवन देना	**2416**	1000.00	0.01	...	500.00	0.01	...	0.01	0.01	...
17	वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के लिए योगदान	**2416**	10.00	10.00	10.00	20.00	...	...			
18	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) के लिए अंशदान	**2416**	10.00	10.00	10.00	30.00	...	...			
	कुल कृषि वित्तीय संस्थाएं		**5888.01**	**4020.02**	**3302.70**	**6550.01**	**5400.02**	**5400.00**	**6000.01**	**6000.01**	**6000.00**
	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं										
19	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम अंशदान के प्रति प्रतिभूतियों के प्रतिदान के लिए प्रतिभूति मोचन निधि का अंतरण	**3465**	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
20	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच में सुधार करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	**5465**	14.00	...	...	...	...	...			
		6885	...	14.00	14.00	14.00	1.00	0.66	12.40	0.22	0.22
21	गोवान बैंक को ब्याज सब्सिडी	**2885**	0.08	0.04	0.04	...	...	...			
	कुल सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं		**639.08**	**639.04**	**639.04**	**639.00**	**626.00**	**625.66**	**637.40**	**625.22**	**625.22**
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण										
22	किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना										
22.01	किसान ऋण राहत निधि में अंतरण	**2235**	2000.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...
22.02	किसानों को ऋण माफी एवं ऋण राहत के प्रति ऋणदात्री संस्थाओं को भुगतान	**2235**	6000.00	1500.00	1176.39	0.01	...	...			
22.03	ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान	**2235**	287.00	287.00	178.46	0.01	0.01	...			
	कुल- किसानों के लिए ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना		**8287.00**	**1787.01**	**1354.85**	**0.03**	**0.02**	**...**	**0.01**	**0.01**	
23	समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी	**2235**	20.00	20.00	13.60	0.01	0.01	...			

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक	2012-13 बजट अनुमान	2012-13 संशोधित अनुमान	2012-13 वास्तविक	2013-14 बजट अनुमान	2013-14 संशोधित अनुमान	2013-14 वास्तविक (अनंतिम)
24	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी	**2235**	199.61	190.38	182.04	182.25	140.00	99.55	134.23	115.81	115.81
25	असंगठित क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलम्बन योजना										
25.01	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का अंशदान	**2235**	200.00	100.00	30.00	200.00	110.00	90.00	150.00	135.00	135.00
25.02	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता	**2235**	20.00	10.00	10.00	20.00	18.00	14.41	20.00	20.00	17.90
26	जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि के संवर्धन हेतु सरकार का अंशदान	**2235**	...	100.00	100.00	175.00	175.00	157.50			
27	आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा छात्रवृत्ति के लिए सरकार का अंशदान	**2235**							5.01	4.51	4.50
	कुल सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		**8726.61**	**2207.39**	**1690.49**	**577.29**	**443.03**	**361.46**	**309.24**	**275.32**	**273.21**
	कुल गैर-योजना		**15855.94**	**7561.97**	**6325.61**	**8349.24**	**7460.42**	**7265.77**	**7281.39**	**9991.70**	**9938.49**
	<u>भाग ख - योजनागत मदें</u>										
1	भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	**4885**	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	700.00	700.00	700.00
2	भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)	**4885**	1000.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3	महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सहायता अनुदान	**2416**	...	100.00	100.00	200.00	...	...	100.00	100.00	84.18
4	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	**4416**	...	1000.00	1000.00	500.00	1000.00	1000.00	700.00	700.00	700.00
5	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार का अंशदान	**4416**	500.00	200.00	402.43	200.00	535.00	535.00	88.00	88.00	82.78
6	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	**5465**	6000.00	12000.00	12000.00	14588.00	12517.00	12517.00	14000.00	14000.00	14000.00
7	भारतीय जीवन बीमा निगम की ईक्विटी पूंजी	**5465**	...	...	95.00						

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2011-12			2012-13			2013-14		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (अनंतिम)
8	स्वाभिमान योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन योजना के भाग के रुप में 'नो फ्रिल्स खाते' खोलने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता	**5465**	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	1000.00
9	इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड के निर्माण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता	**3465**	50.00	...	...	...	...	...	-		
10	फैक्टरिंग के संबंध में ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता	**3465**	...	100.00	100.00	...	...	...	100.00	200.00	200.00
11	कौशल विकास हेतु ऋण गारंटी कोष स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता	**3465**							...	500.00	...
12	भारतीय महिला बैंक के संबंध में इक्विटी पूंजी	**5465**							...	500.00	500.00
	कुल योजना		**7850.00**	**14200.00**	**14497.43**	**16088.00**	**14652.00**	**14652.00**	**16088.00**	**18188.00**	**17666.96**
	कुल योग		**23705.94**	**21761.97**	**20823.04**	**24437.24**	**22112.42**	**21917.77**	**23369.39**	**28179.70**	**27605.45**
	संशोधित अनुमान के सन्दर्भ में प्रतिशतता			**95.69%**			**99.11%**			**97.96%**	

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-143 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान प्रावधानों की तुलना में प्रयोजन शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2011-12			2012-13			2013-14		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (अनन्तिम)
	राजस्व खंड									
1	वेतन	51.51	46.06	47.78	49.75	53.41	53.90	57.95	59.77	59.91
2	मजदूरी	0.26	0.31	0.24	0.51	0.51	0.47	0.63	0.63	0.58
3	समयोपरि भत्ता	0.16	0.11	0.08	0.15	0.06	0.05	0.09	0.07	0.05
4	चिकित्सा उपचार	1.00	0.99	0.80	0.99	0.94	0.88	1.00	0.86	0.84
5	देशीय यात्रा व्यय	1.37	1.22	1.27	1.38	1.28	1.26	1.43	1.16	1.13
6	विदेश यात्रा व्यय	0.45	0.50	0.36	0.50	0.15	0.12	0.40	0.20	0.15
7	कार्यालय व्यय	9.04	7.97	7.79	8.38	14.47	11.35	27.52	12.55	12.33
8	किराया, दरें एवं कर	17.45	16.35	14.99	13.29	14.03	12.78	17.21	15.33	14.73
9	प्रकाशन	0.30	0.30	0.22	0.35	0.23	0.20	0.29	0.24	0.21
10	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.28	0.21	0.24
11	विज्ञापन एवं प्रचार	0.26	0.46	0.31	0.38	0.21	0.43	0.36	0.20	0.10
12	गौण कार्य	0.26	0.36	0.35	0.31	0.30	0.37	0.52	0.10	0.09
13	वृत्तिक सेवाए	1.32	1.12	0.83	1.32	1.01	1.06	1.27	1.16	1.07
14	सहायता अनुदान (सामान्य)	86.01	226.01	226.00	244.41	40.86	31.52	238.01	1331.26	813.33
15	अंशदान	845.00	220.00	150.00	425.00	285.00	247.50	155.01	139.51	139.50
16	सब्सिडी	6587.69	4510.43	3778.38	7082.26	6040.02	5899.55	6334.24	8795.82	8795.81
17	सहायता अनुदान (वेतन)	0.00	0.00	0.00	6.50	7.00	6.99	7.30	7.00	7.00
18	एकमुश्त	0.62	0.62	0.50	0.52	0.52	0.61	0.47	0.40	0.38
19	विनिमय विभिन्नता	0.00	0.00	0.00	69.09	69.09	69.09	...		
20	ब्याज	287.00	287.00	178.46	0.01	0.01	0.00	...		
21	अन्य प्रभार	6001.99	1802.89	1478.01	4.87	305.06	301.73	...	300.00	250.00
22	अंतर खाता अंतरण	2000.00	625.01	625.00	625.01	625.01	625.00	625.01	625.01	625.00
	जोड़ राजस्व खंड	**15891.94**	**7747.96**	**6511.61**	**8535.23**	**7459.42**	**7265.10**	**7468.99**	**11291.48**	**10722.45**
	पूंजी खण्ड									
23	निवेश	7814.00	14000.01	14297.43	15888.01	14652.00	14652.00	15888.00	16888.00	16882.78
24	ऋण	0.00	14.00	14.00	14.00	1.00	0.66	12.40	0.22	0.22
25	अंतर खाता अंतरण							14000.00	...	
	कुल पूंजी भाग	**7814.00**	**14014.01**	**14311.43**	**15902.01**	**14653.00**	**14652.66**	**29900.40**	**16888.22**	**16883.00**
	कुल योग (सकल)	**23705.94**	**21761.97**	**20823.04**	**24437.24**	**22112.42**	**21917.76**	**37369.39**	**28179.70**	**27605.45**

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 के दौरान बजट अनुमान में 23,705.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था (राजस्व खंड के अंतर्गत 15,891.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 7,814.00 करोड़ रुपए)। इसे संशोधित अनुमान 2011-12 में कम करके 21,761.97 (राजस्व खंड के अतंर्गत प्रावधान को कम करके 7,747.96 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाकर 14,014.01 करोड़ रुपए) कर दिया गया। वास्तविक व्यय 20,823.04 करोड़ रुपए था (राजस्व खंड के अंतर्गत 6,511.61 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 14,311.43 करोड़ रुपए)। वर्ष 2011-12 में 99% निधियां विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों तथा ओद्यौगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के संबंध में पूंजीकरण पहल के प्रति आवंटित की गई थी।

वर्ष 2012-13 के दौरान बजट अनुमान में 24,437.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था (राजस्व खंड के अंतर्गत 8,535.23 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 15,902.01 करोड़ रुपए)। इसे संशोधित अनुमान 2012-13 में कम करके 22,112.42 (राजस्व खंड के अतंर्गत 7,459.42 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 14,653.00 करोड़ रुपए) कर दिया गया। वास्तविक व्यय 21,917.76 करोड़ रुपए था (राजस्व खंड के अंतर्गत 7,265.10 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 14,652.66 करोड़ रुपए)। वर्ष 2012-13 में भी 99% निधियां विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों तथा ओद्यौगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के संबंध में पूंजीकरण पहल के प्रति आवंटित की गई थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान बजट अनुमान में 37,369.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था (राजस्व खंड के अंतर्गत 7,468.99 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 29,900.40 करोड़ रुपए)। इसे संशोधित अनुमान 2013-14 में कम करके 28,179.70 (राजस्व खंड को बढ़ाकर 11,291.48 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड को कम करके 16,888.22 करोड़ रुपए) कर दिया गया। वास्तविक व्यय 27,605.45 करोड़ रुपए था (राजस्व खंड के अंतर्गत 10,722.45 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 16,883.00 करोड़ रुपए)। वर्ष 2013-14 में भी 99% निधियां विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों तथा ओद्यौगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के संबंध में पूंजीकरण पहल के प्रति आवंटित की गई थी।

गत तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में व्यय की समग्र प्रवृत्ति (करोड़ रुपए में) को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है।

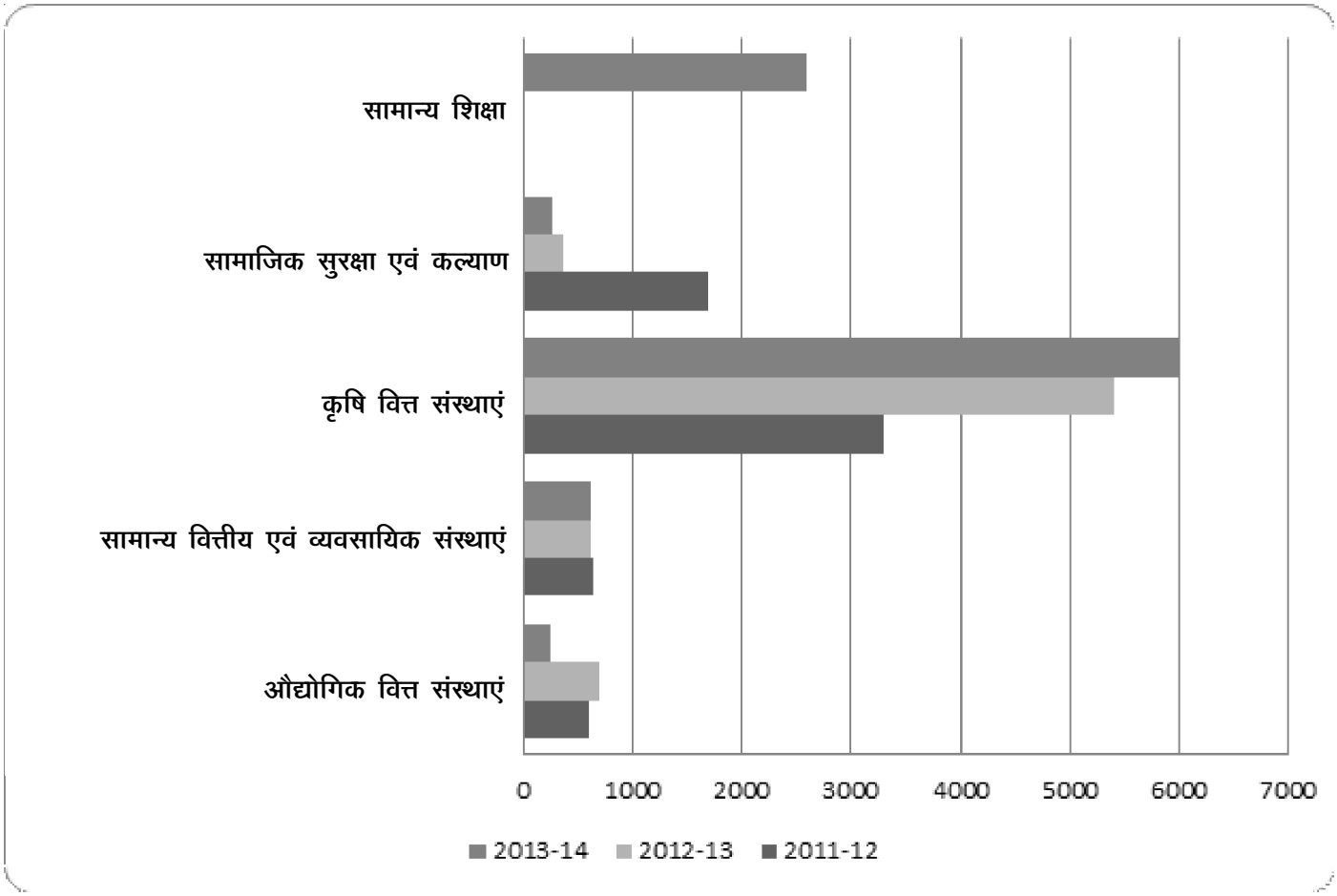

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अभ्यर्पण तथा बचत संबंधी विवरण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, वास्तविक प्रावधान 24,437.24 करोड़ रुपए था (राजस्व के अंतर्गत 8,535.23 करोड़ रुपए तथा पूंजी भाग के अंतर्गत 15,902.01 करोड़ रुपए)। 0.04 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान (राजस्व के अंतर्गत 0.03 करोड़ रुपए तथा पूंजी भाग के अंतर्गत 0.01 करोड़ रुपए) प्राप्त करके इसे 24,437.28 करोड़ तक बढ़ाया गया। इसके मुकाबले, 21917.76 करोड़ रुपए का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप 2519.52 करोड़ रुपए की निवल बचत हुई। 2519.52 करोड़ रुपए की बचत 3,662.01 करोड़ रुपए की कुल बचत तथा 1,142.49 करोड़ रुपए के कुल अत्यधिक का निवल प्रभाव था। प्रमुख बचतों का श्रेणीकरण (एक करोड़ से अधिक) नीचे दर्शाया गया है:-

(i) **सामान्य बचतः संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप हुई बचतः**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्तियां/कारण
1.	विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन	2.18	बचत 'वेतन', 'पेशेवर सेवाए' तथा 'चिकित्सा उपचार', के अंतर्गत निधियों की कम वास्तविक आवश्यकता के कारण थी, जिनकीअग्रिम में प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी। 'वेतन' के अंतर्गत बचत कुछ रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण थी जिनके भरे जाने की आशा थी।
2	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बीआईएफआर) हेतु	2.48	बचत निधियों की कम वास्तविक आवश्यकताओं के कारण थी, जिनकी अग्रिम में प्रत्याशा नहीं की जा सकी। 'वेतन' के अंतर्गत बचत कुछ रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण थी जिनके भरे जाने की आशा थी। 'किरायों, दरों तथा करों' के अंतर्गत बचत किराया-आशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण था।
3	पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अनुदान सहायता	6.79	वर्ष 2011-12 के दौरान जारी अनुदान सहायता के खर्च न हुए शेष 1.24 करोड़ रुपए तथा पेंशन निधि प्रबंधकों से वार्षिक शुल्क उपस्थिति बिन्दुओं से प्रसंस्करण शुल्क, जमानत जमा इत्यादि के रूप में वर्ष 2012-13 में पीएफआरडीए द्वारा आंतरिक रूप से सृजित 5.72 करोड़ रुपए की राशि के कारण पीएफआरडीए को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण बचत हुई।
4.	किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता हेतु नाबार्ड को अनुदान	600.00	सभी आयोजना-भिन्न योजनाओं में 10% कटौती लागू करने के व्यय विभाग के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, 6000 करोड़ रुपए के मूल प्रावधान को सं.अ. में घटाकर 5400 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप बतायी गयी बचत हुई।

(ii) **कम उपयोग/अनुपयोगः परियोजनाओं/योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन/कार्यान्वयन में देरी के कारण हुई बचतः**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्तियां/कारण
1	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत न्यू पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए असंगठित क्षेत्र से लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु	115.59	चूंकि स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन सम्भावित स्तर से कम थे, अतः सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका, परिणामस्वरुप बचत हुई।
2	वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को भुगतान	82.70	वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को सब्सिडी की राशि निवेशक को 9% की प्रभावी आय हेतु अपेक्षित वास्तविक गणना के आधार पर होती है। चूंकि वास्तविक आवश्यकता कम थी इसलिए बचत हुई।

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्तियां/कारण
3	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अनुदान	200.01	ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना के सहयोग से इस योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी द्वारा स्थापित महिला स्व-सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों को धन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के पुनर्वित्त संबंधी संघटकों की द्विरावृत्ति हुई थी। तदनुसार, 2012-13 के दौरान इन दो संघटकों के संबंध में योजना के अंतर्गत धन न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण प्रावधान की बचत हुई।
4	दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढ़ांचे का पुनरुज्जीवन (एलटीसीसीएस)	500.00	दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढ़ांचे का पुनरुज्जीवन (एलटीसीसीएस) संबंधी पैकेज का आशोधन हो रहा था और इसलिए सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोगी रहा।
5	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण	2071.00	सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा टीयर-I सीआरएआर को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए उन्हें कम पूंजी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया, तदनुसार, सं.अ. स्तर पर प्रावधान को कम करके 12517 करोड़ रुपए कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।
6	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	13.34	भारत में सूक्ष्म वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार लाने हेतु बजट अनुमान के **14** करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में अंतराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) से सिडबी को कम राशि उपलब्ध होने के कारण **0.66** करोड़ रुपए की राशि का उपयोग हुआ, इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

(iii) **अभ्यर्पण: अप्रचलित/समाप्त परियोजना/योजना अथवा परियोजना/योजना के पूरा हो जाने तथा निधियों की और आवश्यकता न होने के कारण बचत:**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्तियां/कारण
1	जनश्री बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बनायी गयी सामाजिक सुरक्षा निधि	17.51	वर्ष **2012-13** के दौरान योजना हेतु **157.50** करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी थी। तथापि, बाद में सरकार ने योजना को अन्य योजना यथा आम आदमी बीमा योजना में मिलाने का निर्णय लिया ताकि समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जीवन बीमा कवर प्रदान करने में बेहतर प्रशासन तथा सेवाएं सक्षम हो सकें। इसलिए इस योजना के अंतर्गत और निधियां जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परिणामस्वरूप बचत हुई।
2	वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) तैयार करने के लिए नाबार्ड को सरकारी अंशदान का भुगतान	20.00	नाबार्ड जो कि इन निधियों का प्रबंधन कर रहा है ने सम्प्रेषित किया है कि भारत सरकार द्वारा और किसी अंशदान की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए योजना के अंतर्गत समग्र प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका।
3	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) के लिए नाबार्ड को सरकारी अंशदान	30.00	

नोट: *यह अनुबंध वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचत, निधियों का कम उपयोग/अनुपयोग तथा अभ्यर्पण के कारण हुई बचतों को अलग-अलग करने के बजट प्रभाग के दिनांक 23 मार्च, 2012 के का. ज्ञा. सं. 7(1)-बी (एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है जैसा कि स्थायी वित्त समिति की 33वीं रिपोर्ट में अपेक्षित था।*

सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)

हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), वित्तीय क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अपने अधिदेश के भाग के रूप में पीएसबी ने कृषि क्षेत्र, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, कमजोर वर्गों, स्व-सहायता समूहों और सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों आदि सहित विविध क्षेत्रों और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिया है।

कई पीएसबी के तुलन-पत्र के आकार में वर्ष 2012-13 के दौरान काफी वृद्धि हुई। कृषि तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जैसे रोजगार गहन क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ पीएसबी ने कारपोरेट क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को भी पूरा किया है। पिछले वर्ष के दौरान करीब-करीब सभी मोर्चों पर अच्छे प्रदर्शन के बावजूद पीएसबी वर्ष 2013-14 के दौरान अनगिनत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों में दबाव के कारण एनपीए के कारण अपेक्षाकृत अधिक अपेक्षाओं के प्रावधान करने की आवश्यकता है।

पीएसबी से यह अपेक्षा है कि वे विनियमित कंपनियों तथा सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में पूंजी को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखें और उनमें लोगों का विश्वास बनाए रखें। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके लिए सभी पीएसबी में पर्याप्त पूंजी हो तथा सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को समुचित रूप से पूरा करने के साथ-साथ जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में अपनी साझा इक्विटी टीयर-I को सुविधाजनक स्तर तक बनाए रखने हेतु सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान पीएसबी में 14,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने का निर्णय लिया।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड कृषि, लघु और कुटीर तथा ग्राम उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर एकीकृत ग्रामीण विकास को समुन्नत करता है तथा राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कृषि विकास के लिए प्रदत्त ऋण का पुनर्वित्तीयन करता है तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, मौसमी कृषि कार्यों, फसलों का विपणन, कृषि निविष्टियों का विपणन एवं वितरण, उत्पादन, एकत्रीकरण, कुटीर, ग्राम और लघु पैमाने के औद्योगिक सहकारी समितियों की बाजार गतिविधियां, प्राथमिक और उच्च बुनकर समितियों और राज्य हैंडलूम और हस्तशिल्प विकास निगमों को प्रदत्त अल्पकालिक ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों को भी राज्य हथकरघा विकास निगम की कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अल्पकालिक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त पुनर्वित्त निम्न प्रकार से हैः

(करोड़ रु. में)

अभिकरण	2011-12		2012-13		2013-14	
	संस्वीकृत	अधिकतम बकाया	संस्वीकृत	अधिकतम बकाया	संस्वीकृत	अधिकतम बकाया
सहकारी बैंक	34410.15	34402.62	45079.60	44955.54	54572.68	54266.38
आरआरबी	14602.66	14578.66	21338.59	21139.55	26631.31	26592.93
कुल	**49012.81**	**48981.28**	**66418.19**	**66095.09**	**81203.99**	**80859.31**

उन किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि पुनर्वित्त भी प्रदान किए जाते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बैंकों को उत्पादन ऋण बकायों का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

किसानों और उद्यमियों को उत्पादन और आय में वृद्धि करने वाले कृषि और गैर-कृषि कार्यकलापों में निवेश के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। वित्तपोषित निवेश में लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि यंत्रीकरण, पौध-रोपण तथा बागवानी, भंडारण तथा बाजार परिसर, डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़/बकरी/सुअर/मत्स्य पालन जैसी कृषि संबंधी गतिविधियां, ग्रामीण आवास, गैर-कृषि कार्यकलाप इत्यादि शामिल हैं। ये निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी संरचना को बढ़ावा देते हैं। बैंक द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उद्देश्यों के लिए पुनर्वित्त (एसएचजी वित्त पोषण सहित) प्रदान किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः-

(करोड़ रु. में)

अभिकरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
	संवितरण	संवितरण	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण
एससीएआरडीबी	2351.85	2,444.93	1,741.31	1828.00	1,814.95
एसीबी	1356.62	1,192.29	2071.06	1,746.00	1,713.32
वाणिज्यिक बैंक	7348.49	8,433.75	8,708.78	11,500.00	13,254.62
आरआरबी	2287.84	3,086.19	4,753.66	4,316.00	4,303.66
पीयूसीबी/एडीएफसी	141.07	264.53	100.85	200.00	67.72
अन्य	0.00	0.00	298.64	400.00	331.90
कुल	**13485.87**	**15,421.70**	**17,674.30**	**19,990.00**	**21,486.17**

वर्ष 2012-13 के दौरान, 5,75,000 करोड़ रुपए के कृषि क्षेत्र लक्ष्य की तुलना में, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 703.57 लाख किसानों को 6,07,375.62 करोड़ रुपए का धन उपलब्ध कराया था। वर्ष 2013-14 के दौरान, 7,00,000 करोड़ रुपए के कृषि क्षेत्र ऋण लक्ष्य की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल 7,30,765.61 करोड़ (अनंतिम आंकड़े) का कृषि ऋण संवितरित किया।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

पेंशन क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरुआत की गई है। एनपीएस की संरचना पारदर्शी और वेब सक्षम है। यह अभिदाता को उनके निवेश और विवरणियों को मॉनीटर करने की अनुमति देता है। अभिदाता को बाद में अपने निवेश विकल्पों/पेंशन निधि प्रबंधकों को परिवर्तित करने में सक्षम होने के अतिरिक्त अपनी पसंद के फंड प्रबंधक और निवेश विकल्प उपलब्ध है। निर्विघ्न सुविधा इस प्रकार अभिकल्पित की गई है जिससे की अभिदाता अपनी संपूर्ण बचत अवधि के दौरान एकल पेंशन खाता बनाये रख सकते हैं।

पेंशन क्षेत्र के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में सरकारी संकल्प के माध्यम से स्थापित पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सितंबर, 2013 में संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद 01 फरवरी, 2014 से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के साथ सांविधिक दर्जा प्राप्त कर लिया है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियमन के माध्यम से सरकार विशेषकर अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी वृद्धावस्था में संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहेगी।

पीएफआरडीए पूरी एनपीएस संरचना के संबंध में अभी तक की गई पहलों को समेकित करने तथा एनपीएस संवितरण नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने में लगा है। एनपीएस को सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में यह आवश्यक हो गया था कि उपस्थिति केंद्रों (पीओपी) के रूप में ऐसी 61 संस्थागत कंपनियां गठित की जाएं, जो पेंशन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगी और वसूली केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगीं। इसके अलावा एनपीएस बिचौलियों, केन्द्रीकृत रिकॉर्ड कीपिंग और लेखा एजेंसी (सीआरए) तथा निवेशकों की पेंशन संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए 8 पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति करने की भी आवश्यकता थी। पीएफआरडीए ने सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप एनपीएस बिचौलियों के चयन के लिए पारदर्शी, गैर-भेदकारी प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया अपनाई, जिसने एनपीएस अभिदाताओं को इष्टतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित हुआ।

आज की तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों ने एनपीएस को अधिसूचित किया है और सीआरए के साथ पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए एनपीएस के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य राज्य एनपीएस को प्रारम्भ करने की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों के 33.48 से अधिक कर्मचारी पहले से एनपीएस का हिस्सा हैं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के तहत प्रबंधित की जा रही आधारभूत निधि (कार्पस) 44272.32 करोड़ रुपए है।

सभी नागरिकों के लिए एनपीएस के तहत, एक अभिदाता को पीएफआरडीए द्वारा नियुकत किए गए 61(पीओपी) की पंजीकृत शाखाओं (अब तक 36030 शाखाएं) से किसी भी शाखा में एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है। प्रस्ताव पत्र, जिसमें एनपीएस का ब्यौरा, एनपीएस खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र होता है, पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) और अन्य एनपीएस बिचौलियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह महत्वपूर्ण है कि भारत में पेंशन सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। वित्तीय क्षेत्र में उतार-चढ़ाव के बावजूद परिभाषित अंशदान पेंशन योजनाओं और बाजार संबंधित निवेशों में पर्याप्त रूझान पैदा हुआ है। अपने दीर्घावधिक निवेश क्षेत्रों के साथ पेंशन निधियों में वित्तीय बाजारों के स्थिरीकरण हेतु बल प्रदान करने के लिए अन्तर्निहित लाभ होता है। यह महसूस किया गया है कि जैसे-जैसे भारत में पेंशन क्षेत्र बढ़ेगा, यह सामाजिक आर्थिक स्थिरता उपलब्ध कराने में साथ ही अर्थव्यवस्था के दीर्घावधिक वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा क्षेत्र को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियम द्वारा गैर-सरकारी भागीदारी के लिए खोला गया था। वर्तमान में आईआरडीए में 1 अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य हैं। यह प्राधिकरण हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश स्थित अपने मुख्यालय से कार्य कर रहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में (i) बीमाकर्ताओं तथा बीमा बिचौलियों को लाइसेंस प्रदान करना; (ii) वित्तीय तथा विनियामक पर्यवेक्षण; (iii) प्रीमियम दरों का नियंत्रण एवं विनियमन; और (iv) पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना इत्यादि सम्मिलित हैं। बीमा क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए; ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में उत्तरदायित्वों; सूक्ष्म बीमा तथा एजेंटों, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियम जारी किए हैं। यह बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए, शोधक्षमता अंतर को बनाए रखने के लिए निवेश तथा वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं इत्यादि के लिए विनियामक ढांचे संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त है।

भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीबी) से अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के माध्यम से अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के लिए वर्ष 2006 में स्थापित आईआईएफसीएल भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसको व्यापक रूप से एसआईएफटीआई कहा गया है। आईआईएफसीएल गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी - अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी - आईएफसी) के रूप में सितम्बर 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है। आईआईएफसीएल सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को अभिभावी प्राथमिकता देता है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत एवं चुकता पूंजी क्रमशः 5,000 करोड़ रुपए एवं 3,300 करोड़ रुपए थी। कंपनी परिचालन शुरु होने के समय से लाभ कमा रही है।

एकल आधार पर, 31 मार्च, 2014 तक आईआईएफसीएल ने प्रत्यक्ष उधार के अंतर्गत 54,148 करोड़ रुपए की (समेकित आधार पर 94,728 करोड़ रुपए) संचयी सकल मंजूरी दी है और 6,256 करोड़ रुपए के पुनर्वित्त एवं 3,819 करोड़ रुपए की अंतरण वित्त सहित 32,064 करोड़ रुपए (समेकित आधार पर 38,571 करोड़ रुपए) का संचयी वितरण किया गया है।

बैंकों के एक्सपोजर और आस्ति देयता विसंगति अवरोधों का निवारण कर अवसंरचना क्षेत्र को वृद्धिशील ऋण को सुकर बनाने के लिए आईआईएफसीएल ने भेदभाव रहित और विवेकाधीन बाह्य दर निर्धारण (रेटिंग) आधारित मूल्य निर्धारण के साथ अंतरण वित्त योजना को कार्यान्वित किया है। 31 मार्च, 2014 तक आईआईएफसीएल ने इस योजना के अंतर्गत 27 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से 3,819 करोड़ रुपए का अंतरण वित्त पूरा कर लिया है।

बीमा कंपनियों तथा पेंशन निधियों जैसे निवेशकों से दीर्घावधिक निधियों को सरणीबद्ध करने के लिए आईआईएफसीएल अपने ऋण संवर्धन पहल के अंतर्गत प्रायोगिक लेन-देन कर रही है। 31 मार्च, 2014 तक आईआईएफसीएल ने लगभग 2,200 करोड़ रुपए की क्षमता के ऋण संवर्धित बाण्डों को जारी करने के लिए आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए चार प्रायोगिक लेन-देनों को सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है।

आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी आईआईएफसी (यू.के.) को वर्ष 2008 में लंदन में भारत में अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा पूंजी उपस्कर के आयात के वित्तपोषण के उद्देश्य से स्थापित कया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान आईआईएफसी (यू.के.) ने 1387.73 मिलियन यूएसडी की सकल मंजूरियां दी जिससे संचयी सकल मंजूरियां 6.75 बिलियन यूएसडी हो गई। आईआईएफसी (यू.के.) ने 1082.66 मिलियन यूएसडी (154.26 मिलियन यूएसडी के बकाया चुकौती आश्वासन-पत्र सहित 1236.93 मिलियन यूएसडी) का संचयी संवितरण किया है।

इसके अतिरिक्त आईआईएफसीएल ने दो और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों की स्थापना की है, नामतः अवसंरचना परियोजनाओं के परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआईएफसीएल परियोजना लिमिटेड एवं म्युचुअल फंड रुट के माध्यम से प्रारंभ की गई, अपनी अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) के प्रबंध के लिए आईआईएफसीएल प्रबंध कंपनी लिमिटेड। आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड के प्रथम आईडीएफ योजना फरवरी 2014 में पूर्णतः अभिदत्त था और इस योजना ने स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली देश में पहली आईडीएफ-एमएफ होने का गौरव हासिल किया।

(iii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की स्थापना भारतीय विदेशी व्यापार को वित्तपोषण, सुविधा सेवा देने एवं संवर्धन के उद्देश्य से संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। एक्जिम बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं से इस बात में अलग है कि यह विदेशी संस्थाओं, राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है ताकि भारत के निर्यात को भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने की दिशा में वित्त प्रदान करने और परियोजना निर्यातों को सहायता दे सके। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान

एक्जिम बैंक ने (i) 1,772 मिलियन यूएस डालर के 24 नए ऋण (अधिकांशतः भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत) प्रदान किए। (ii) वर्ष 2012-13 के दौरान 41,919 करोड़ रुपए की तुलना में 48,264 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ऋण आस्तियां (निवल एनपीए प्रावधान) 31 मार्च, 2013 के 64,353 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार बढ़कर 74,598 करोड़ रुपए हो गया। (iii) 47 भारतीय कंपनियों को निधिबद्ध और गैर-निधिबद्ध सहायता मंजूर की जो 40 देशों में उनके विदेशी निवेशों के आंशिक वित्तपोषण के लिए 71.18 बिलियन है (31.03.2014 तक एक्जिम बैंक ने 80 देशों में 391 कंपनियों द्वारा स्थापित 494 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है)।

(iv) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आवास वित्त के लिए देश में शीर्ष वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत की गयी है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। बैंक आवास वित्त कंपनियों को विनियमित करने के अलावा, देश में किफायती आवास के लिए विकासात्मक वित्त का महत्वपूर्ण प्रदाता भी है। बैंक विशेष रूप से ग्रामीण आवास एवं कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के माध्यम से देश में आवास की कमी को दूर करने के लिए संस्थागत निधियों को उत्प्रेरित करता है। बैंक का देश में आवास वित्त बाजार के सम्पूर्ण विकास पर ध्यान केन्द्रित है।

राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यनिष्पादन पैरामीटर

(करोड़ रुपए)

समाप्ति वर्ष 30 जून	2010	2011	2012	2013
पूंजी	450	450	450	450
आरक्षित निधियां	2,072	2,352	2739	3190
निवल स्वाधिकृत निधि	2,485	2,770	3154	3599
मंजूरियां	12,715	14,293	23460	24266
संवितरण	8,160	12,035	14454	17635
ऋण एवं अग्रिम	19,837	22,581	28490	34603
कुल आस्तियां	22,753	25,781	31332	38721
सकल अनर्जक आस्तियां	**शून्य**	**शून्य**	**3.56**	184.05
निवल अनर्जक आस्तियां	**शून्य**	**शून्य**	**3.03**	156.10
करोपरांत लाभ (पीएटी)	280	279	387	450
प्रति कर्मचारी पीएटी	3.15	3.21	4.07	4.84
सीआरएआर (%)	19.6	20.6	19.82	16.59

ग्रामीण आवास निधि

केन्द्रीय बजट घोषणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर आवास वित्त प्रदान करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों की निधियों तक पहुंच बनाने हेतु वर्ष 2008-09 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आवास बैंक में ग्रामीण आवास निधि की स्थापना की गई थी। वर्ष 2008-09 के लिए आधारभूत निधि 1778 करोड़ रुपए थी। तब से, 15,778 करोड़ रुपए की कुल राशि इस निधि के तहत बैंक द्वारा प्राप्त की गई है और बैंक ने लक्षित वर्गों के लिए ग्रामीण आवास हेतु पुनर्वित्त के रूप में लगभग 15,239 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है जिससे लगभग 10.28 लाख आवासीय इकाइयों को लाभ पहुंचा है।

शहरी आवास निधि

वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्रीय बजट घोषणा के समय शहरी आवास निधि का सृजन किया गया था। इस निधि का भी राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है और वर्ष 2013-14 के लिए आधारभूत निधि 2000 करोड़ रुपए है। आज तक, 500 करोड़ रुपए की राशि बैंक को प्राप्त हुई है तथा इसमें से 441 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

क: वित्त मंत्रालय की 1% ब्याज सहायता योजना का कार्यान्यवन

देश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की आबादी के आवास ऋण की मांग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 के दौरान 01 अक्तूबर, 2009 से 10 लाख रुपए के व्यक्तिगत आवास ऋणों पर 1% ब्याज सहायता शुरु की है बशर्ते कि घर की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक न हो। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बढ़ा दिया गया था जिसमें आवास ऋण की सीमा तथा आवास की कीमत क्रमशः 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए एवं 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी। इसे वित्त वर्ष 2012-13 हेतु भी बढ़ाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से राष्ट्रीय आवास बैंक को योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 420.05 करोड़ रुपए की सहायता राशि बैंक और एचएफसी को दी गई थी, ताकि अभिप्रेत पात्र लाभार्थियों को उसका संवितरण किया जा सके।

ख: आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की शहरी गरीब आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी)

शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के द्वारा आवास ऋण की वहनीयता में सुधार लाने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने 26 दिसम्बर, 2008 को 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में आईएसएचयूपी लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत 8.22 करोड़ रुपए की कुल सहायता राशि संवितरित की गई है। 30 सितम्बर, 2013 के बाद से योजना परिचालन में नहीं है।

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह की आवास संबंधी आवश्यकताओं में समाधान के रूप में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने अब संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) शुरु की है। इस योजना में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी संवर्गों को नया आवास खरीदने अथवा निर्माण करने अथवा मौजूदा भवन या परिसर में संवर्धन करने के लिए उनको देय 5 लाख रुपए तक के ऋण राशि पर प्रभारित ब्याज पर 5% की निर्धारित ब्याज सब्सिडी (500 आधार बिन्दु) के प्रावधान की अवधारणा है। राजीव ऋण योजना 01 अक्तूबर, 2013 से परिचालन में है।

ग: वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रतिगामी बंधक ऋण (आरएमएल)

केन्द्र सरकार ने अपनी 30 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2310(ई) के तहत प्रतिगामी बंधक योजना अधिसूचित की है। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक उधारकर्ता शामिल हैं जो किसी बैंक/एचएफसी में अपनी आवास संपत्ति बंधक रखते हैं जो कि 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए उनके जीवनकाल के दौरान उधारकर्ता को आवधिक भुगतान करता है। वरिष्ठ नागरिक को अपने जीवनकाल के दौरान ऋण की चुकौती करना आवश्यक नहीं है तथा इसलिए वह उधारदाता मूलधन तथा ब्याज की मासिक वापसी नहीं करता। केवल उधारकर्ता की मृत्यु पर अथवा उधारकर्ता द्वारा आवास संपत्ति छोड़ने पर, आवास संपत्ति की बिक्री के माध्यम से संचित ब्याज सहित ऋण की चुकौती की जाती है। उधारकर्ता/उत्तराधिकारी संपत्ति की बिक्री किए बिना संचित ब्याज सहित ऋण को चुका सकते हैं अथवा उसका पूर्व भुगतान कर सकते हैं और अपना बंधक-मुक्त करा सकते हैं।

घ: निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) की तर्ज पर, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 01 मई, 2012 को

इसके पंजीकरण के साथ निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की स्थापना की गई है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं तथा कम से कम 20 सदस्यों वाले पात्र उधारकर्ताओं से बने समूह अथवा आवासीय सोसाइटी (जो कि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवार हैं) को बिना किसी संपार्श्विकों तथा/अथवा अन्य पक्ष गारंटियों के 5 लाख रुपए तक के आवासीय ऋणों पर प्रभावी गारंटी देने का प्रावधान है। अब तक सीआरजीएफ योजना के अंतर्गत भागीदारी हेतु 43 वित्तीय संस्थाओं ने न्यास के साथ समझौता किया है।

ङ: एनएचबी रेसीडेक्स

वर्ष 2007 में एनएचबी ने राष्ट्रीय स्तर पर आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक संसूचक तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन किया और उससे उद्योगों में संपत्तियों के मूल्यांकन में बेहतर एकरूपता, मानकीकरण और पारदर्शिता लाने की आशा की जाती है।

इस प्रायोगिक अध्ययन में 5 शहरों, अर्थात् बंगलौर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को शामिल किया गया, जिसके लिए संसूचक 2005 तक की अवधि के लिए बनाया गया था, जिसका आधार वर्ष 2001 लिया गया था। प्रायोगिक अध्ययन के परिणामों के आधार पर एनएचबी ने जुलाई, 2007 में संसूचक शुरू किया जिसे एनएचबी रेसिडेक्स के रूप में जाना जाता है। एनएचबी रेसिडेक्स के क्षेत्र तथा कवरेज में विस्तार हुआ है, जिसमें आधार वर्ष 2007 के साथ 26 शहर शामिल हैं, नामतः (अहमदाबाद, बंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, ग्रेटर दिल्ली,(गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद सहित), फरीदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, पटना, पुणे, सूरत, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, देहरादून, मेरठ, रायपुर और नागपुर)। एनएचबी रेसिडेक्स तिमाही आधार पर जारी किया जा रहा है। नवीनतम जारी एनएचबी रेसिडेक्स अक्टूबर-दिसंबर, 2013 तिमाही के लिए है जिसमें 26 शहर शामिल हैं।

एनएचबी रेसिडेक्स क्रेताओं, आवासीय ऋण उधारकर्ताओं, वित्तीय संस्थाओं, निर्माण एजेंसियों और नीति निर्माताओं, जो उपयुक्त पॉलिसी निर्णय लेने में सक्षम हों, सहित व्यवसायों में सभी स्टेक होल्डरों के लिए उपयोगी रहा है। एनएचबी रेसिडेक्स को भारत सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टों में भी नियमित रूप से सम्मिलित किया जा रहा है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

भारतीय संसद के अधिनियम के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1990 को स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन वित्त पोषण और विकास तथा समान क्रियाकलापों में लगी संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करती है। (क) एमएसएमई को आगे उधार देने के लिए बैंक, राज्य वित्तीय निगम आदि जैसे पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करके, (ख) एमएसएमई, जो बैंकों की अपनी शाखाओं के माध्यम से सारणीबद्ध है, को प्रत्यक्ष सहायता देकर और (ग) सिडबी अधिनियम के अनुसार अन्य क्रियाकलापों का वित्त पोषण करके वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सिडबी की व्यवसायिक रणनीति एमएसएमई पारिस्थितिकीय तंत्र में वित्तीय और विकासात्मक अंतरों को दूर करना है। वित्तीय अंतर, जिसका सिडबी द्वारा निवारण किया जा रहा है, वे मंदी के इन क्षेत्रों में हैं जैसे जोखिम पूंजी/इक्विटी, धारणीय वित्त (जो एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और मार्जक उत्पादन प्रौद्योगिकीयों का संवर्धन है), प्राप्य वित्तीयन, सेवा क्षेत्र वित्तीयन आदि। इस प्रकार सिडबी एमएसएमई की विभिन्न पूंजी आवश्यकता को पूरा करने में बैंकों के प्रयासों का सम्पूरण करेगी। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सिडबी द्वारा उपलब्ध कराई गई संचयी वित्तीय सहायता का कुलयोग लगभग 3,36,780 करोड़ रुपए रहा जिससे लगभग 3.5 करोड़ व्यक्तियों को लाभ मिला है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार (जीओआई) (तत्कालीन लघु उद्योग (एसएसआई) मंत्रालय) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने जुलाई, 2000 में लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी न्यास नामक न्यास की स्थापना की थी जो अब संपार्श्विक अथवा तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना को कार्यान्वित करने के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास के नाम से पुनः नामित किया गया है। वर्तमान और नई यूनिटें दोनों ही इस योजना के तहत कवर किए जाने हेतु पात्र हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान 115 से अधिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/अन्य ऋण दात्री संस्थाओं द्वारा न्यास के सदस्य के साथ पंजीकृत होने से ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत कवरेज ने गति पकड़ ली है। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, सीजीएस के तहत लगभग 70,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए 14 लाख से अधिक गारंटी (जिसके 97% ऋण 25 लाख रुपए से कम थे) स्वीकृत की गई है।

व्यय विभाग

परिचय

संगठन और कार्य

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने के लिए नोडल विभाग है। इस विभाग के प्रमुख कार्यों में सभी प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर योजना दोनों) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को केन्द्रीय बजट संसाधनों का पर्याप्त अंतरण; वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है।

व्यय विभाग वित्त सलाहकारों के साथ अपने इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखता है। वित्त सलाहकार विभिन्न मंत्रालयों में एकीकृत वित्त प्रभागों के प्रमुख होते हैं और वित्तीय नियमावली एवं व्यय विभाग द्वारा अधिसूचित आदेशों के दायरे में प्रशासनिक मंत्रालय सचिवों को समग्र वित्तीय प्रबंधन के संबंध में परामर्श देते हैं।

यह विभाग वेतन, पदों के सृजन और संवर्ग समीक्षा आदि जैसे मामलों में केन्द्र सरकार में कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं का प्रबंध करता है। महालेखा नियंत्रक और मुख्य लागत सलाहकार के कार्यालय व्यय विभाग के दो संबद्ध कार्यालय हैं। मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय केन्द्रीय मंत्रालयों को सार्वजनिक माल और सेवाओं की लागत एवं मूल्यों के मूल्यांकन में सहायता करता है। महालेखा नियंत्रक का कार्यालय मुख्यतः केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करने के लिए जिम्मेदार है तथा लेखा नियंत्रक और भुगतान एवं लेखा अधिकारियों के अपने संवर्ग के माध्यम से धनराशि जारी करने में मंत्रालय की सहायता करता है। भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा तथा भारतीय लागत लेखा सेवा से संबंधित सेवा मामले व्यय विभाग द्वारा देखे जाते हैं। व्यय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दो स्वायत्त संस्थान हैं: राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान तथा शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान।

. व्यय विभाग अपना कार्य अपने स्थापना प्रभाग, प्रापण नीति प्रभाग, योजना वित्त-I एवं योजना वित्त-II प्रभाग, वित्त आयोग प्रभाग, स्टाफ निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा, महालेखा नियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से करता है।

व्यय विभाग रक्षा मंत्रालय तथा एनटीआरओ एवं एनआईए जैसी अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित भारी मूल्य के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मामलों की भी जांच करता है। व्यय विभाग में अभी हाल में एक लोक प्रापण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जो प्रापण नीति से संबंधित कार्य करता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए योजना आयोग में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रभाग की स्थापना की गई थी। जुलाई, 2013 में यह प्रभाग व्यय विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया।

व्यय विभाग व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की व्यय की दृष्टि से जांच करता है।

व्यय विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबंधित परिणाम बजट का संकलन और प्रकाशन करता है।

प्रशासन प्रभाग

प्रशासन प्रभाग, विभाग का सचिवालयी कामकाज देखता है और इसमें वित्त मंत्री का कार्यालय, संवर्ग प्रशासन अनुभाग, लेखा एवं बजट, सामान्य तथा कार्मिक प्रशासन एवं राजभाषा अनुभाग शामिल हैं। यह व्यय विभाग से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए भी जिम्मेदार है।

संस्थापना प्रभाग

संस्थापना प्रभाग, संयुक्त सचिव (कार्मिक) के अधीन कार्य करता है और यह केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन संरचना तथा सेवा-शर्तों के निर्धारण, वेतन नीति के निर्धारण, वेतनमानों के उन्नयन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के आधारभूत सिद्धांतों, मकान किराया भत्ते, यात्रा/दैनिक भत्ते, महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न अन्य प्रतिपूरक भत्तों, सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, आर्थिक अनुदेशों आदि मामलों से संबंधित कार्य देखता है।

केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसार, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना तथा आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और इसे www.eprocure.gov.in पर देखा जा सकता है। इस समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्रों तथा सौंपी गई निविदाओं के विवरण का ई-प्रकाशन दिनांक 01.01.2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-प्रापण को लागू किए जाने का निर्णय भी लिया गया है और सभी मंत्रालयों/विभागों को 10 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के लिए चरणबद्ध रूप में ई-प्रापण शुरू किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ई-प्रापण के प्रयोग से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और प्रापण अधिक दक्ष बनेगा। इससे विलंब पर निगरानी रखने और प्रापण चक्र में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

राज्य वित्त प्रभाग

(योजना वित्त-I एवं वित्त आयोग प्रभाग)

व्यय विभाग का राज्य वित्त (योजन वित्त–I) प्रभाग राज्य सरकारों के वित्त संबंधी सभी मामले देखता है जिनमें वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य क्षेत्र में योजना निधियां और गैर-योजना निधियां जारी किया जाना भी शामिल है। यह प्रभाग राज्य सरकार की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी करता है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत ऋण सीमा का निर्धारण, ऋण के लिए अनुमति का जारी किया जाना, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय कायम रखते हुए राज्यों की अर्थोपाय स्थिति पर निगरानी रखा जाना, ऋण माफी (12वें और 13वें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार) आदि शामिल हैं। यह प्रभाग, वित्त मंत्रालय की मांग संख्या - 36 का संचालन करता है जिसमें से योजना एवं गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

योजना वित्त-I प्रभाग एवं वित्त आयोग प्रभाग, योजना आयोग से निकट समन्वय कायम रखते हुए राज्यों के वित्त और योजना परिव्यय, राज्यों में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी किए जाने से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है तथा राज्यों के वार्षिक ऋणों की गणना करता है और उस पर निगरानी रखता है। यह राज्यों के लिए लागू वित्त आयोगों के अधिनिर्णयों को लागू करता है तथा राज्यों के लिए आपदा राहत, केन्द्र-राज्य तथा अंतर-राज्यीय वित्तीय संबंधों से जुड़े मामलों पर भी कार्रवाई करता है।

योजना वित्त-II प्रभाग

योजना वित्त-II प्रभाग मुख्यतः केन्द्रीय योजना से जुड़े मामलों से संबंधित है और वित्त मंत्रालय में एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करता है जिससे परियोजना तथा क्षेत्र नीति, दोनों स्तरों पर केन्द्र सरकार के विकास कार्यों के संपूर्ण परिदृश्य का सिंहावलोकन किया जाता है। इसके द्वारा बेहतर परियोजना निरूपण, परिणामों एवं सेवाओं पर विशेष बल, प्रभाव मूल्यांकन, परियोजनाकरण (मिशन दृष्टिकोण) एवं समाभिरूपता के माध्यम से विकास व्यय की गुणवत्ता में सुधार को केन्द्र में रखा गया है। यह प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्संरचना ब्यूरो की सिफारिशों पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय पुनर्संरचना से संबंधित कार्य भी करता है। यह प्रभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की कार्यविधि तैयार करने, बजट तैयार करने के लिए आई एंड ईबीआर सृजन की मात्रा निर्धारण, उत्पादन में अधिकाधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु संयंत्रों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण को अंतिम रूप देने में भी सक्रिय रूप से शामिल है। सूक्ष्म स्तर पर योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम सब्सिडी और उनकी मात्रा के निर्धारण तथा स्टेकहोल्डरों को सहायता देने से संबंधित मामलों पर भी कार्य करता है। सूक्ष्म स्तर पर यह प्रभाग संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ प्रभावी लक्ष्य सुनिश्चित किए जाने हेतु सरकार की भावी सब्सिडी नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

एकीकृत वित्त एकक

एकीकृत वित्त एकक, मांग संख्या 39 - व्यय विभाग जिसमें सचिवालय सामान्य सेवाएं और अन्य प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं तथा मांग संख्या 40 - पेंशन जिसमें विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान शामिल है, के तहत व्यय और बजट संबंधी प्रस्तावों पर कार्य करता है। दो अन्य मांगों अर्थात् मांग संख्या 36 - राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण तथा मांग संख्या 41 - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के संबंध में बजट प्राक्कलनों पर संबंधित प्रभागों द्वारा सीधे कार्रवाई की जाती है। तथापि, समग्र मॉनिटरिंग एकीकृत वित्त एकक द्वारा की जाती है। यह एकक, विभाग के खर्च को मॉनिटर करने और उसे नियंत्रित करने तथा विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा अनुपालन हेतु मितव्ययिता अनुदेशों को लागू कराने के लिए भी जिम्मेदार है।

विविध विभाग प्रभाग

यह प्रभाग राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के संबद्ध वित्त के रूप में वित्त सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करता है।

वेतन अनुसंधान एकक

यह एकक मुख्यतः केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारियों के वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों पर होने वाले वास्तविक व्यय तथा कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है।

कर्मचारी निरीक्षण एकक

कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन वर्ष 1964 में प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप सरकारी संगठनों में स्टाफिंग में मितव्ययिता सुनिश्चित करने तथा निष्पादन मानदंड एवं कार्य मानक तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन, एसआईयू के दायरे में नहीं आते किंतु विभागाध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति जिसमें मुख्य सदस्य के रूप में एसआईयू का एक प्रतिनिधि होता है, ऐसे संगठनों के स्टाफिंग अध्ययन करता है।

बदले हुए परिदृश्य में और सरकार द्वारा बेहतर शासन तथा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी को महत्व दिए जाने को ध्यान में रखते हुए एसआईयू की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है। संबंधित मंत्रालयों और स्वायत्त संगठनों को अपनी संगठनात्मक कार्यसाधकता में सुधार करने में तथा आदर्श संगठनात्मक संरचना सुझाने, प्रक्रियाओं का पुनः निर्माण, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और न्यूनतम व्यय के साथ अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों को बाह्य स्रोत से कराने की संभावना तलाशने के अतिरिक्त होने वाले विलंब को दूर करने में सहायता के लिए एसआईयू उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नए अधिदेश के अनुसार, एसआईयू अब पांच अलग-अलग क्षेत्रों में अर्थात् संगठनात्मक प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, डिलीवरी प्रणाली, ग्राहक-उपभोक्ता संतुष्टि तथा कर्मचारियों के सरोकारों आदि में संगठनात्मक विश्लेषण अध्ययन भी करेगा।

लागत लेखा शाखा

उत्पादन लागत का सत्यापन करने और रक्षा-खरीद सहित सभी किस्म की सरकारी खरीद का उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने और प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) के तहत पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अनेक उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित एक स्वतंत्र एजेंसी। यह विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को लागत, प्रबंधन तथा सरकार में वित्तीय लेखांकन में विशेषज्ञ सहायता भी प्रदान करती है।

महालेखानियंत्रक

महालेखानियंत्रक, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं और तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। महालेखानियंत्रक, केन्द्र सरकार के शीर्ष लेखांकन प्राधिकारी हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लेखाओं के स्वरूप के निर्धारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महालेखानियंत्रक, केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों और लेखाओं के स्वरूप के निर्धारण, उनसे संबंधित नियमों और मैनुअलों को तैयार करने और उनके पुनरीक्षण तथा संविधान के अनुच्छेद 283 के तहत एक समर्थ आय और भुगतान प्रणाली की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। महालेखानियंत्रक, संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए केन्द्र सरकार के वार्षिक विनियोजन लेखे (सिविल) और केन्द्रीय वित्त लेखे एवं संक्षेप में 'लेखे एक नजर में' तैयार करते हैं। महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्री के लिए प्रत्येक माह व्यय, राजस्व, ऋण और घाटे का समीक्षात्मक विश्लेषण तैयार करते हैं। महालेखानियंत्रक, सिविल मंत्रालयों में एक मजबूत और कारगर आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करते हैं। महालेखानियंत्रक, भारतीय सिविल लेखा सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरी हैं और 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार इस संवर्ग में समूह-क के 238 अधिकारी हैं।

मॉनिटरिंग सेल

यह सेल, महालेखानियंत्रक के कार्यालय के अधीन कार्य करता है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.एंड ए.जी.) की रिपोर्टों में निहित विभिन्न पैराओं पर की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने पर निगरानी रखने और उनके समन्वय एवं संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। यह लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की रिपोर्टों में शामिल पैराओं/सिफारिशों के निपटान पर भी निगरानी रखता है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

यह कार्यालय "केन्द्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के लिए प्राधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान स्कीम" का संचालन करता है। यह मुख्यतः पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करने और उसके लेखांकन; विशेष सील प्राधिकार (एस.एस.ए.) जारी करने तथा बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य लेखा नियंत्रक

मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय के भुगतान और लेखांकन व्यवस्था के समग्र प्रभारी हैं। आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग और विनिवेश विभाग के पांच अनुदानों के लिए बजट से संबंधित कार्य मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय के साथ एकीकृत हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के इन पांचों विभागों के भुगतान, लेखांकन और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों पर निगरानी रखते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य मुख्य लेखांकन प्राधिकारी (अर्थात् संबंधित विभाग के सचिव) और महालेखा नियंत्रक को वित्तीय सूचना देना है। पांच विभागों के मासिक लेखों और वार्षिक लेखों जिनमें वित्त मंत्रालय की 9 मांगे/विनियोजन शामिल हैं, भारत सरकार के लेखाओं में समेकन हेतु महालेखा नियंत्रक के कार्यालय को भेजे जाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक प्रत्येक विभाग के सचिव के सूचनार्थ आय और व्यय की मासिक एवं तिमाही समीक्षाएं तैयार करते हैं। सारांश विवरण भी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इसके अन्य कार्यों में स्टाफ निरीक्षण इकाई का समग्र पर्यवेक्षण और अधीक्षण; नियंत्रक सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा के लिए सहायक स्टाफ प्रदान करना; अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों के तहत पेंशन प्राधिकार; श्रीलंका, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और बर्मा की ओर से भारत में रह रहे विदेशी पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करना, दूसरे देशों को दिए गए ऋणों का लेखांकन और निगरानी रखना; नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा पैरा के निपटान पर निगरानी रखना; आर्थिक कार्य विभाग में 14, राजस्व विभाग में 2, व्यय विभाग और विनिवेश विभाग में एक-एक कोष के मामले में सीएफआई के लिए और से भारत के लोक खाते में निधियों का अंतरण; भारत के लोक खाते में रखी गई धनराशि के संबंध में विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया का निरूपण तथा एसपीएमसीआईएल के आमेलित कर्मचारियों के संयुक्त पेंशन, यथानुपात पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान, 2006-पूर्व पेंशन के संशोधन इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटान शामिल है।

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान

नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और कोलकाता, चेन्नै, नवी मुंबई और आइजोल स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, वित्तीय प्रबंधन एवं शासकीय लेखा और वित्त की विविध विधाओं में लेखा कर्मियों और सिविल मंत्रालयों/विभागों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं। इसने वर्ष 1995 से अन्य देशों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

7वां केन्द्रीय वेतन आयोग

भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. 1/1/2013-ई.III(ए) के तहत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। आयोग के सदस्यों, सचिव और सहायक अधिकारियों और स्टाफ की कुल संख्या 50 होगी। 7वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 माह की समय-सीमा दी गई है।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग का मूल उद्देश्य कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तनों की जांच करना, समीक्षा करना, विकास करना और सिफारिश करना जिनसे परिलब्धियों की संरचना, वेतन, भत्ते एवं नकद अथवा वस्तु रूप में अन्य सुविधाएं/लाभ शासित होने चाहिए; और ऐसा करते हुए इन सिफारिशों के यौक्तिकीकरण और सरलीकरण के साथ-साथ विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की विशेषीकृत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया हो:-

(i) केन्द्र सरकार के कर्मचारी - औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक;

(ii) अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक;

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक;

(iv) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी;

(v) संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों (आरबीआई को छोड़कर) के सदस्य; और

(vi) उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम

हमारे देश में नागरिकों विशेषतः समाज के शोषित वर्गों को सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों वरीयतः आधार से जुड़े खातों में सीधे नकद/लाभ अंतरण का निर्णय लिया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत 1.1.2013 को हुई थी।

इस समय केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 27 स्कीमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संरचना के अंतर्गत हैं और यह देश के 121 जिलों में चल रही है। लाभ प्राप्त करने के लिए आधार संख्या से जुड़ना स्वैच्छिक है और अभी अनिवार्य नहीं है।

1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि में कुल 1717.6 करोड़ रुपए अंतरित किए गए जिसमें से 269.1 करोड़ रुपए आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से, 514.6 करोड़ रुपए गैर-आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से और 933.9 करोड़ रुपए एनईएफटी मोड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अंतरित किए गए।

एलपीजी सब्सिडी स्कीम के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत 1.6.2014 को 6 चरणों में 291 जिलों में की गई। अभी तक 184 जिलों के 2.84 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को 8.97 करोड़ सफल लेन-देन के जरिए कुल 5,391.37 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। एलपीजी सब्सिडी स्कीम के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत के सभी छह चरणों में आधार से जुड़े 4 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 6.18 लाख दोहरे कनेक्शनों की पहचान की गई जिससे सब्सिडी में 251 करोड़ रुपए की बचत हुई। तथापि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिनांक 28.02.2014 की अधिसूचना के तहत एलपीजी सब्सिडी स्कीम का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रोक दिया गया है।

परिव्यय और परिणामों का विवरण 2014-15

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रुपए)			परिमेय सेवाएं/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय-सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*				
1.	**मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	(i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रबंधन सोसाइटी द्वारा लेखा और वित्त संबंधी कामकाज देखने वाले अधिकारियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन (वित्त) में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के मूलभूत तत्वों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	-	3.00	-	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 60 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में छह तिमाही कार्यक्रम हैं और प्रत्येक की अवधि 12 से 14 सप्ताह है। यह क्लासरूम टीचिंग और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्त प्रबंधन कौशल तथा वाणिज्यिक और शासकीय लेखांकन, सार्वजनिक वित्त, बजटिंग, वित्तीय नीति निरूपण/निर्णय लेने की क्षमता और परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। वर्ष 2014 में इस स्कीम के अंतर्गत 60 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।	दो वर्ष	राजस्व खंड के तहत 3.00 करोड़ रुपए जिसमें इस कार्यक्रम का शुल्क घटक शामिल होगा।
		(ii) केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए वित्तीय विपणन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम।	-	1.00	-	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से केंद्र/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 20 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम एक वर्ष का है। यह क्लासरूम टीचिंग और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्तीय बाजारों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के क्षेत्र में जानकारी देगा। वर्ष 2014 में 20 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।	एक वर्ष	शुल्क घटक के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए।

* *सीईबीआर/पूरक बजटेतर संसाधन अर्थात् केन्द्र सरकार से भिन्न इकाइयों द्वारा इस प्रयोजन के लिए वचनबद्ध खर्चे।*

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

व्यय विभाग

व्यय विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए और उससे बेहतर सुशासन के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख क्षेत्रों में 5 स्तरीय संस्थागत सुधार शामिल हैं यथा-विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ई-गवर्नेंस। इसकी प्रतिध्वनि बजट 2005-06 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण (एफ.पी.एस.एस.) में वित्त मंत्री द्वारा घोषित व्यय प्रबंधन संबंधी पहलों में देखी जा सकती थी तथा ये कार्ययोजना स्थापित करने के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए थे।

परिणाम बजट/कार्यनिष्पादन बजट के लिए दिशा-निर्देश

व्यय विभाग और योजना आयोग ने संयुक्त रूप से पहली बार वर्ष 2005-06 का परिणाम बजट तैयार किया था जिसे 25 अगस्त, 2005 को संसद में पेश किया गया था। तत्पश्चात् 'परिणाम बजट' और 'कार्य निष्पादन बजट' दस्तावेजों को एकल दस्तावेज में शामिल करने के लिए नए दिशा निर्देश (का.ज्ञा.सं. 2(1)/कार्मिक/संस्था समन्वय/ओ.बी./ 2005 दिनांक 12 दिसंबर, 2006) जारी किए गए थे। परिणाम बजट वर्ष 2005-06 से बजट प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन चुका है। इस संबंध में नवीनतम दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2013 को जारी किए गए थे।

व्यय को युक्तिसंगत बनाना

वित्त मंत्रालय सरकार की प्रचालन संबंधी कुशलता को सीमित किए बगैर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यय प्रबंधन/ मितव्ययिता उपाय एवं व्यय को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। इन निर्देशों का पिछला सेट 18 सितम्बर, 2013 के का.ज्ञा.सं. 7(2)/ई कॉर्ड/2013 के तहत जारी किया गया था। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-योजना व्यय (ब्याज के भुगतान, ऋण अदायगी, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन और राज्यों के लिए वित्त आयोग के अनुदानों को छोड़कर) में 10% की कटौती, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के आयोजनों पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, पदों के सृजन पर प्रतिबंध और राज्यों आदि को राजकोषीय अंतरण में अनुशासन बरतना तथा व्यय की संतुलित गति संबंधी निर्देश शामिल हैं। वित्त सलाहकारों से उम्मीद की जाती है कि वे विभिन्न व्यय प्रस्तावों को अपनी सहमति प्रदान करते समय उचित किफायत बरतेंगे।

केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना और आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्र तथा सौंपी गई संविदाओं के विवरण का ई-प्रकाशन दिनांक 01.01.2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बना दिया गया है। 10 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के संबंध में ई-प्रापण के कार्यान्वयन से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और प्रापण अधिक दक्ष बनेगा। इससे विलंब पर निगरानी रखने और प्रापण चक्र में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।

राज्य योजना स्कीमों के तहत अनुदान

योजना आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित राज्यों की वार्षिक योजनाओं का वित्तपोषण राज्यों के अपने संसाधनों, राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता से किया जाता है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, विभिन्न राज्य योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मांग सं. 36 से भी प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता में सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता एवं विशेष केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विशिष्ट स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शामिल है।

योजना पक्ष की स्कीमों के लिए धनराशि, योजना आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की जाती है। व्यय विभाग की मांग सं.36 में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु बजट प्राक्कलन 2013-14 में 102957.00 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 85558.52 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2013-14 तक, मांग सं.36 से जारी की गई धनराशि में सीमा क्षेत्र विकास परियोजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (एमएमपी को छोड़कर) के लिए एससीए जैसी स्कीमें भी शामिल हैं जो अब संबंधित मंत्रालयों को हस्तांतरित कर दी गई हैं। तथापि, व्यय विभाग की मांग संख्या 36 में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में बजट प्राक्कलन 2014-15 में कुल 72322.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान है। दिनांक 15.05.2014 तक 7261.74 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

गैर-योजना अनुदान

वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, गैर-योजना अनुदानों के माध्यम से मांग संख्या 36 से राज्यों को सहायता दी जाती है। तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-XIII) की अधिनिर्णय अवधि 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 तक है। वर्ष 2013-14, तेरहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि का चौथा वर्ष है। वर्ष 2013-14 में गैर-योजना पक्ष में गैर-योजना राजस्व घाटा, कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन, स्थानीय निकायों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, न्याय प्रणाली, सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार, जिला नवाचार कोष, प्राथमिक शिक्षा, सड़कों एवं पुलों, जल क्षेत्र प्रबंधन, वन एवं राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं (वर्ष 2013-14 के लिए 62134.40 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का 86%) के लिए राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में 53904.54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी की गई सहायता के अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 4649.94 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

02 जनवरी, 2013 की अधिसूचना के तहत चौदहवें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इस आयोग के 01 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ पांच वर्ष के लिए सिफारिशें करने की संभावना है।

ऋण

वर्ष 2010-15 के दौरान राज्यों की वार्षिक ऋण सीमा निर्धारित करने की कार्यविधि 13वें वित्त आयोग की रिपार्ट के अनुरूप तैयार की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित राजकोषीय सुधार विधि के अनुसार राज्यों के लिए ऋण सीमा की गणना की जा रही है और उसे लागू किया जा रहा है। निर्धारित राजकोषीय मानदंडों के अनुपालन से राज्यों का समग्र ऋण वर्ष 2014-15 के अंत तक कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 24.3 प्रतिशत रह जाने की संभावना है।

राज्यों का राजकोषीय समेकन (2010-15)

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा तैयार की है जिसमें राज्यों को वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटा समाप्त करना होगा और राजकोषीय घाटे को अपने-अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद

के 3 प्रतिशत तक लाना होगा। आयोग ने इसी अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 24.3 प्रतिशत का संयुक्त राज्य ऋण लक्ष्य प्राप्त करने की भी सिफारिश की है। प्रत्येक राज्य के लिए संस्तुत राजकोषीय समेकन की रूपरेखा को समाविष्ट करने के लिए राज्यों को अपने राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधित/अधिनियमित करने होंगे।

27 राज्यों ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा-निर्धारित अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और ऋण के लक्ष्यों को समाविष्ट करते हुए अपने राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बना लिए हैं/संशोधित कर लिए हैं। शेष एक राज्य के संबंध में, वर्ष 2006 में अधिनियमित उसके वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम में राजकोषीय समेकन की रूपरेखा पहले से ही थी, और वह अधिनिर्णय अवधि के पहले तीन वर्षों (अर्थात् 2010-11 से 2012-13) के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम को तेरहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के शेष दो वर्षों तक बढ़ाए जाने के लिए अधिनियम में संशोधन कर दिया है।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित नियम आधारित राजकोषीय समेकन जिसमें व्यय को युक्तिसंगत बनाए जाने के उपाय शामिल हैं, के परिणामस्वरूप राजकोषीय कार्यनिष्पादन में चहुंमुखी सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, राज्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। वर्ष 2013-14 (ब.प्रा.) की स्थिति संक्षेप में इस प्रकार हैः-

i. कुल राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का लगभग 0.49% है जो तेरहवें वित्त आयोग के 0.1% के राजस्व घाटे के अनुमान से अधिक है।

ii. तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 2.4% के लक्ष्य की तुलना में कुल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.11% है।

iii. जीडीपी के अनुपात में कुल ऋण 20.9% है जो तेरहवें वित्त आयोग के 24.8% के लक्ष्य के अंदर ही है।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण राहत

तेरहवें वित्त आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सिफारिश की है कि राज्यों के लिए अपने नियत राजकोषीय लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए अपने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन/ संशोधन, ऋण राहत उपायों, एनएसएसएफ ऋणों की ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण और मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय से भिन्न) से लिए गए केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते डालने और सभी राज्य विशिष्ट अनुदानों को जारी करने के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

केन्द्रीय ऋणों (सीएसएस/सीपीएस) को बट्टे खाते डालना

तेरहवें वित्त आयोग ने भारत सरकार द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/ केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए वित्त मंत्रालय से भिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से दिए गए और दिनांक 31.03.2010 को बकाया ऋणों को तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों द्वारा अपने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन/ संशोधन के अध्यधीन बट्टे खाते डाले जाने की सिफारिश की है। राज्यों द्वारा अपने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन/संशोधन कर लिए जाने के पश्चात् केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों की बकाया 2050.10 करोड़ रुपए की ऋण राशि वर्ष 2011-12 में बट्टे खाते डाली गई है। केन्द्रीय निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 31.03.2010 के पश्चात् राज्यों द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/ केन्द्रीय योजना स्कीमों के तहत मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए दी गई कुल 220.83 करोड़ रुपए की धनराशि का समायोजन वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त मंत्रालय के बकाया केन्द्रीय ऋणों में किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2010 के पश्चात् राज्यों द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के तहत मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए दी गई कुल 63.68 करोड़ रुपए की धनराशि का समायोजन भी वर्ष 2013-14 के दौरान वित्त मंत्रालय के बकाया केन्द्रीय ऋणों में किया गया है।

योजना वित्त-II प्रभाग

ईएफसी और पीआईबी द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के बीच सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की 156 बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 721555.18 करोड़ रुपए के 159 योजना निवेश प्रस्तावों/स्कीमों पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक निवेश बोर्ड की 11 बैठकें हुई जिनमें 81190.75 करोड़ रुपए के मामलों पर विचार किया गया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्तुत किया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	परियोजनाओं की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपए)
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	1567.52
2.	शहरी विकास मंत्रालय	1	26405.14
3.	कोयला मंत्रालय	2	2074.45
4.	विद्युत मंत्रायल	1	2074.02
5.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रायल	1	37230.00
6.	भारी उद्योग मंत्रायय	1	3700.00
7.	पोत परिवहन मंत्रालय	1	448.00
	जोड़	**8**	**73499.13**

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुमोदनार्थ संस्तुत परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रुपए)
1.	डाक मंत्रालय	1	4502.00
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	1424.08
3.	विदेश मंत्रालय	1	1765.54
	जोड़	**3**	**7691.62**

परिव्यय 2012-13 के परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-13 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समयावधि	31 मार्च, 2013 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.प्रा.	4(ii) सं.प्रा.			
1.	**मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी द्वारा लेखा और वित्त संबंधी मामलों का कार्य देखने वाले अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें एमबीए (वित्त) के मूलभूत तत्व शामिल हैं।	4.00 (योजना) (राजस्व -4.00) (पूंजी-शून्य)	2.88 (योजना) (राजस्व -2.88) (पूंजी-शून्य)	केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 60 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	(i) राजस्व खंड के अंतर्गत एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 47 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। वास्तविक व्यय 2.88 करोड़ रुपए है।

परिव्यय 2013-14 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	2013-14 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समयावधि	31 दिसम्बर, 2014 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.प्रा.	4(ii) सं.प्रा.			
1.	**मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं ।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी द्वारा लेखा और वित्त संबंधी मामलों का कार्य देखने वाले अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें एमबीए (वित्त) के आधारभूत तत्वों को शामिल किया गया है और संस्थान का विस्तार।	4.00 (योजना) (राजस्व -4.00) (पूंजी-शून्य)	3.00 (योजना) (राजस्व 3.00) (पूंजी-शून्य)	केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 80 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	(i) राजस्व खंड के अंतर्गत, एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 57 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। 31 मार्च, 2014 तक वास्तविक व्यय 3.00 करोड़ रुपए है।

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

			2011-12			2012-13			2013-14		
क्र. सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक (अनंतिम)
1.	**सचिवालय - सामान्य सेवाएं**	**2052**	55.91	74.67	67.40	89.45	84.39	77.64	93.91	88.69	82.35
2.	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**	**2070**	44.06	52.79	50.30	45.80	40.46	38.18	46.21	44.31	41.10
	i) सिविल लेखा संगठन (शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान) के लिए प्रशिक्षण केन्द्र		3.65	3.93	3.61	4.39	4.17	3.93	4.80	4.00	3.92
	ii) एन.आई.एफ.एम. सोसाइटी की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए स्कीम		4.40	3.85	3.85	5.40	4.28	4.28	5.40	4.40	4.40
	iii) अंशदान		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	iv) नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के लिए सेवा प्रभार		36.00	45.00	42.83	36.00	32.00	29.97	36.00	32.40	32.56
	v) सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.22
3.	**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं**										
	i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का विकास	**4070**	2.00	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़		**101.97**	**128.49**	**118.73**	**135.25**	**124.85**	**115.82**	**140.12**	**133.00**	**123.45**

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन के मुकाबले में मद शीर्षवार व्यय

(करोड़ रुपए में)

		2011-12			2012-13			2013-14		
क्र.सं.	विवरण	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक (अनंतिम)
राजस्व खंड										
1	वेतन	40.14	45.37	41.79	55.15	54.97	50.88	59.45	59.00	54.26
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
3	समयोपरि भत्ता	0.17	0.17	0.10	0.17	0.10	0.08	0.11	0.11	0.07
4	चिकित्सा उपचार	0.67	0.73	0.55	0.84	0.82	0.72	0.93	0.91	0.76
5	घरेलू यात्रा व्यय	0.92	1.06	0.96	1.60	1.49	1.22	1.76	1.58	1.26
6	विदेश यात्रा व्यय	0.95	0.94	0.73	1.08	0.97	0.87	1.18	1.11	0.77
7	कार्यालय व्यय	10.19	12.41	12.13	12.93	12.44	12.65	13.02	14.83	12.73
8	किराया, दरें एवं कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.10
9	प्रकाशन	0.25	0.38	0.30	0.33	0.30	0.29	0.39	0.41	0.32
10	अन्य प्रशासनिक खर्चे	36.39	45.87	43.60	37.20	33.10	31.09	37.46	33.99	33.96
11	विज्ञापन एवं प्रचार	0.01	3.73	3.48	2.25	0.55	0.33	1.25	1.12	0.00
12	लघु निर्माण कार्य	0.82	1.42	1.12	2.32	2.07	1.83	3.08	3.82	2.45
13	व्यावसायिक सेवाएं	1.65	2.58	1.93	3.25	2.30	1.25	2.16	1.57	0.95
14	सहायता अनुदान	4.40	3.85	3.85	5.40	4.28	4.28	5.40	4.40	4.40
15	अंशदान	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
16	सूचना प्रौद्योगिकी	3.40	8.94	7.15	12.72	11.45	10.33	13.92	9.99	11.42
	जोड़	**99.97**	**127.46**	**117.70**	**135.25**	**124.85**	**115.82**	**140.12**	**133.00**	**123.45**
पूंजी खंड										
17	प्रमुख निर्माण कार्य	2.00	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	**101.97**	**128.49**	**118.73**	**135.25**	**124.85**	**115.82**	**140.12**	**133.00**	**123.45**

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अभ्यर्पण और बचत का विवरण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान पूरक अनुदानों सहित 135.25 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले 115.82 करोड़ रुपए का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई और राजस्व खंड के अंतर्गत 19.43 करोड़ रुपए का अभ्यर्पण किया गया।

इन बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

i) **सामान्य बचत: संसाधनों के किफायती उपयोग के परिणामस्वरूप हुई बचतें**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप शीर्ष/ स्कीम/कार्यक्रम	बचत (निवल)	टिप्पणी/ कारण
1.	व्यय विभाग	8.66	प्रशासनिक व्यय के लिए कम आवश्यकता
2.	सिविल लेखांकन विभाग (शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान) में प्रशिक्षण केन्द्र	0.46	आईटी हार्डवेयर परामर्शदाताओं की कम आवश्यकता एवं किफायत उपाय

ii) **अल्प/गैर-उपयोग: परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन न किए जाने/ निष्पादन में विलंब के कारण बचत**

क्र. सं.	उप शीर्ष/ स्कीम/कार्यक्रम	बचत (निवल)	टिप्पणी/ कारण
1.	व्यय विभाग	4.27	रिक्त पदों का नहीं भरा जाना
2.	नई पेंशन स्कीम के लिए एनएसडीएल के सेवा प्रभार	6.04	कम दावों की प्राप्ति

iii) **अभ्यर्पण:** पुरानी/अप्रचलित परियोजना/ स्कीम के कारण अथवा परियोजना/ स्कीम के पूरा हो जाने के कारण बचत तथा धनराशि अब आवश्यक नहीं है: कुछ नहीं।

नोट:- वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचत, धनराशि के कम/गैर-उपयोग एवं अभ्यर्पण के कारण बचत के पृथक्करण के संबंध में बजट प्रभाग के 23 मार्च, 2012 के का. ज्ञा. सं. 7(1)-बी(एसी)/2011 के अनुपालन में यह अनुलग्नक शामिल किया गया है जैसी कि स्थायी वित्त समिति ने अपनी 33वीं रिपोर्ट में इच्छा जाहिर की थी।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थानः कार्यनिष्पादन की समीक्षा

उद्देश्य

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय (सोसाइटी) है और केन्द्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इस संस्थान की स्थापना वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, लोक अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। इसे प्रतिभागी सेवाओं के समूह "क" के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं सतत् व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्य भी सौंपा गया है।

कार्यनिष्पादन

यह संस्थान जनवरी, 1994 से कार्य कर रहा है तथा निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हैः

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमः

अब तक, विभिन्न लेखा, लेखापरीक्षा और वित्त सेवाओं के परिवीक्षार्थियों के बीस बैचों को 44 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है। 06 जनवरी, 2014 से शुरू हुए परिवीक्षार्थियों के 21वें बैच में 48 परिवीक्षार्थियों ने प्रवेश लिया है।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न अवधियों के प्रबंधन विकास कार्यक्रम संचालित करता है। इनमें से कुछ कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों, विदेशी सरकारों, विश्व बैंक आदि द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि संस्थान द्वारा संचालित विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी प्रायोजित करते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, प्रबंधन विकास कार्यक्रम का ध्यान निम्नलिखित क्षेत्रों पर केन्द्रित हैः

(क) बजट व्यवस्था एवं लोक व्यय प्रबंधन

(ख) सरकार की लेखांकन प्रणाली एवं वित्तीय प्रबंधन

(ग) माल एवं सेवाओं का प्रापण

(घ) निविदा और संविदा प्रक्रिया

(ड़) लोक वित्तीय प्रबंधन

(च) माल, कार्यों और सेवाओं के प्रापण के लिए विश्व बैंक के मानक नियम एवं प्रक्रियाएं

(छ) साइबर अपराध एवं विधि चिकित्साशास्त्र

स्नातकोत्तर प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन) डिप्लोमाः

एन.आई.एफ.एम. वर्ष 2002 से स्नातकोत्तर प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन) डिप्लोमा का संचालन कर रहा है। पी.जी.डी.एम.(एफ.एम.) का मौजूदा बैच मई, 2013 में शुरू हुआ है जिसमें विभिन्न केन्द्र/राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के 56 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। पी.जी.डी.एम. (एफ.एम.) का नया बैच जून, 2014 में शुरू होगा जिसमें 60 अभ्यर्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य है।

शासकीय लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमाः

एक वर्षीय लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा, संघ सरकार की संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों की तकनीकी योग्यता में सुधार के लिए है। यह पाठ्यक्रम, नव नियुक्त अधिकारियों को लोक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़ी जिम्मेदारियों को वहन करने में समर्थ बनाने के लिए तैयार किया गया है। डीजीए एंड आईए का नया बैच जून, 2014 से आरंभ होगा जिसमें 31 प्रतिभागियों को प्रवेश देने का लक्ष्य है।

प्रबंधन में फेलो कार्यक्रमः

यह एक खुला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य, सक्षम शोधकर्त्ता, शिक्षक तथा परामर्शदाता तैयार करने के लिए शोध कार्य करना है। यह ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से विशेष वित्तीय विपणन कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) के सहयोग से एक वर्षीय सप्ताहांत विशेष कार्यक्रम (50 प्रतिभागियों के साथ) और एक वर्षीय नियमित कार्यक्रम (13 प्रतिभागियों के साथ) शुरू किया है जो नकद इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कोमोडिटीज़ तथा विदेशी मुद्रा जैसे सभी वित्तीय बाजारों को शामिल करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों, कमोडिटी एक्सचेंजों, विनियामक निकायों, बाजार मध्यस्थों, बैंकों, म्युच्युअल फंडों तथा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों और इसी तरह के अन्य संगठनों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करने में सक्षम प्रशिक्षित विशेषज्ञों को तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस कार्यक्रम का दूसरा बैच मई-जुलाई, 2013 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का अगला बैच मई-जून, 2014 में शुरू होगा।

परामर्शी परियोजनाएं:

वर्ष के दौरान सौंपी गई/पूरी की गई/चल रही परामर्शी परियोजनाएं इस प्रकार थीं:-

(i) भारत के अंदर और बाहर बेहिसाबी आय/संपत्ति का अध्ययन।

(ii) केंद्रीय स्वायत्त निकायों के संबंध में अध्ययन।

(iii) झारखंड सरकार का जल एवं स्वच्छता के संबंध में अध्ययन।

(iv) नेपाल सरकार के साथ सह-जल।

(v) सीआरआरआई।

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय का लेखा निम्न प्रकार हैः

(राशि रुपए में)

आय	31.03.2014	31.03.2013
सेवाओं से आय	**12,21,11,410**	**14,34,21,164**
अनुदान	**1,40,00,000**	**1,40,00,000**
अर्जित ब्याज	**1,18,68,541**	**1,15,37,141**
अन्य आय	**43,84,001**	**40,29,392**
जोड़ (क)	**15,23,63,952**	**17,29,87,697**
व्यय		
संस्थापना व्यय	**4,92,84,405**	**4,53,34,274**
अन्य प्रशासनिक व्यय	**9,09,65,197**	**8,82,13,241**
मूल्य ह्रास	**1,82,59,080**	**92,63,755**
जोड़ (ख)	**15,85,08,682**	**14,28,11,270**
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष/घाटे की शेष राशि (क-ख)	**-61,44,730**	**3,01,76,427**
घटाएं: अवधि-पूर्व समायोजन (निवल)	**0**	**(36,470)**
जोड़ें: पूंजीगत परिसंपत्ति निधि से अंतरित राशि जो सरकारी अनुदान से प्राप्त की गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास (वर्ष के लिए) दर्शाती है	**97,98,871**	**26,93,038**
तुलन-पत्र में आगे ले जाई गई अधिशेष/घाटे की शेष राशि	**36,54,141**	**3,28,32,995**

राजस्व विभाग

परिचय

राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों को दो सांविधिक बोर्डों, नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है । प्रत्येक बोर्ड का प्रमुख अध्यक्ष होता हैं जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होता है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सभी प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से संबंधित कार्य देखता है, जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लगाने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आते हैं । ये दोनों बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में 6 सदस्य हैं । ये सदस्य भारत सरकार के पदेन अपर सचिव भी होते हैं ।

राजस्व विभाग मुख्यतया निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है :-

- प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- अप्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- आर्थिक अपराधों की जॉच और आर्थिक कानून का प्रवर्तन ।
- अफीम की खेती, प्रसंस्करण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के लिए नीति तैयार करना ।
- स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी द्रव्यों के दुरुपयोग तथा उनके अवैध व्यापार का मुकाबला करना एवं रोकथाम करना ।
- फेमा का प्रवर्तन एवं कोफेपोसा के तहत नज़र बन्दी हेतु सिफारिश ।
- तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत सम्पत्ति को जब्त करने से संबंधित कार्य ।
- अन्तर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर लगाना ।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के संबंध में समेकन/कमी/छूट से संबंधित मामले ।
- स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से जुड़ा शेष कार्य ।

राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है :-

— आयकर अधिनियम, 1961;

— धनकर अधिनियम, 1958;

— व्यय कर अधिनियम, 1987; *

— बेनामी कारोबार(प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;

— अधिलाभ कर अधिनियम , 1963; *

— कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964; *

— अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974; *

— वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय VII (प्रतिभूति कारोबार कर लगाने से संबंधित)

— वित्त अधिनियम, 2005 का अध्याय VII (बैंकिंग, रोकड़ कारोबार कर से संबंधित)

— वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V (सेवा कर से संबंधित)

— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले

— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले

— औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955

— केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;

— स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;

— स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988

— तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976; (सफेम)

— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है ।)

— विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974;

— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999; और

— धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;

* इन अधिनियमों का प्रशासन केवल उस अवधि के दौरान हुए मामलों के लिए सीमित है, जब ये लागू थे ।

यह विभाग उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों पर प्रभागों एवं सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है जिनके कार्य निम्न प्रकार हैं :-

- **केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :**

  प्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

- **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड**

  अप्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

- **राज्य कर स्कन्ध :**

  बिक्री कर कानून (वैधीकरण) अधिनियम, 1956, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट), भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 आदि का प्रशासन ।

- **स्वापक नियंत्रण प्रभागः**

  अफीम पोस्त की खेती, अफीम के उत्पादन और निर्यात के लिए लाइसेंस नीति तैयार करना तथा अफीम एवं क्षारोध का मूल्य निर्धारण । प्रबंध समिति के कार्य का समन्वय करना और संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित मुद्दे ।

  प्रबंध समिति :

  विभागीय उपक्रमों, नामतः सरकारी अफीम और क्षारोध कार्य नीमच (म0प्र0) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) का प्रशासन, जो निर्यात के उद्देश्यों से कच्ची अफीम का संसाधन और अफीम से क्षारोद निष्कर्षण का भी कार्य करते हैं, जिनका औषध उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है ।

- **प्रशासन प्रभागः**राजस्व विभाग के सभी प्रशासनिक मामले । भारतीय राजस्व सेवा (समूह-क), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और के0उ0शु0) (समूह-क) विभाग के स्टाफ और अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों का रख-रखाव । समन्वय कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अनुवाद संबंधी कार्य ।

- **पुनरीक्षा आवेदन एकक:**सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षा याचिकाओ और के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड के समक्ष 11.10.1982 से पहले दाखिल मामलों से संबंधित कार्य ।
- **एकीकृत वित्त एकक :**

  राजस्व विभाग और सी0बी0डी0टी0 एवं सी0बी0ई0सी0 के तहत इसके संघटक एककों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में सलाह देना । व्यय और वित्तीय प्रस्तावों का कार्य । राजस्व विभाग से संबंधित अनुदान के लिए व्यय बजट तैयार करना और उनकी जांच करना और प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में व्यय बजट की जांच करना ।
- **सक्षम प्राधिकारी:**तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के तहत सम्पत्ति के समपहरण और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय-5 क से संबंधित कार्य ।
- **सम्पहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण:**सफेम (एफ ओ पी) अधिनियम, 1976 और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 के अध्याय 5 क के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित सम्पत्तियों के समपहरण के आदेशों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल अपीलों का न्याय-निर्णयन ।
- **सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण:**कार्यकारी आयुक्तों और आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई ।
- **सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति:**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की परियोजनाओं की सिफारिश करना।
- **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण :** आवेदक द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित लेन-देन,के संबंध में अनिवासियों द्वारा दाखिल आवेदन में विनिर्दिष्ट कानून अथवा तथ्य के प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय देना ।
- **सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग :**सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।
- **समझौता आयोग (आयकर/धन कर):**आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।
- **केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:**आसूचना एकत्रित करने की गतिविधियों, जांच-पड़ताल के प्रयासों और आर्थिक अपराधों की जांच से संबंधित विभिन्न एजेंसियां द्वारा प्रवर्तन की कार्रवाई और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन का समन्वय करना और उसे सुदृढ़ बनाना ।
- **प्रवर्तन निदेशालय:**विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार । विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबंदी के लिए मामलों की सिफारिश करना । विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनयम, 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यतः जांच और न्याय-निर्णयन एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है । धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संगत उपबंधों के तहत भी प्रवर्तन निदेशक को शक्तियां दी गई हैं ।
- **वित्तीय आसूचना एकक:**

  धन शोधन और संबंधित अपराधों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के एकत्रण और आदान-प्रदान को समन्वित और सुदृढ़ करना । निदेशक, भारत वित्त आसूचना एकक को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के संगत उपबंधों के तहत शक्तियां दी गई हैं ।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण**

  धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अथवा द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार शक्तियों व प्राधिकार का प्रयोग करना । प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह असंतुष्ट पक्षों को सुनने के बाद संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पुष्टि करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नियत अपराध अथवा धन शोधन अपराध के लिए चल रहे मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को बेचा न जाए ।
- **आयकर लोकपाल** : करदाताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए सात शहरों में आयकर लोकपालों को तैनात किया गया है ।
- **अप्रत्यक्ष कर लोकपाल** : सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के विरूद्ध लोक शिकायत से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए चार शहरों में अप्रत्यक्ष कर लोकपाल की नियुक्ति की गई है।

प्रत्यक्ष कर :

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक शीर्ष संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों अर्थात आयकर, धनकर, बैंककारी नकद संव्यवहार कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, आदि के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य हैं तथा यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है । दिल्ली में निम्नलिखित सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनके काम काज में सहायता करते हैं :

(i) आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)

(क) आयकर निदेशालय (जनसम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)

(ख) आयकर निदेशालय (वसूली)

(ग) आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा परीक्षा)

(ii) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)

(iii) आयकर महानिदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान)

(iv) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं)

(v) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)

(vi) आयकर निदेशालय (कारोबार प्रक्रिया पुनर्निर्माण)

(vii) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)

(viii) आयकर महानिदेशालय (छूट)

(ix) आयकर महानिदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य)

पूरे देश में तैनात विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष कर संग्रहण का पर्यवेक्षण तथा करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं । आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को रोकने और बेहिसाबी धन का पता लगाने के लिए जांच तंत्र का पर्यवेक्षण करते हैं । मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक की सहायता आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में करते हैं । यहां प्रथम अपीलीय तंत्र भी है जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) होते हैं जो कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के

निपटान का कार्य करते हैं । प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियों की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार हैं ।

अप्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। यह बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्तों के 23 ज़ोन, सीमा शुल्क के 11 मुख्य आयुक्त ज़ोन, 12 महानिदेशालय, 6 निदेशालय और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली अधिकरण के लिए एक मुख्य विभागीय प्रतिनिधि व्यवस्था शामिल है, के माध्यम से अपने कार्यों का निवर्हन करता है। इसके प्रकार्यों में निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा सहायता की जाती हैः-

(i) राजस्व आसूचना निदेशालय

(ii) संरक्षोपाय महानिदेशालय

(iii) केन्द्रीय उत्पाद आसूचना महानिदेशालय

(iv) निरीक्षण महानिदेशालय

(v) सतर्कता महानिदेशालय

(vi) सेवाकर महानिदेशालय

(vii) लेखापरीक्षा महानिदेशालय

(viii) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय

(ix) मूल्यांकन महानिदेशालय

(x) प्रणाली एवं डॉटा प्रबंधन महानिदेशालय

(xi) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय

(xii) लॉजिस्टिक्स निदेशालय

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियों की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेवार है ।

राजस्व विभाग में तीन अनुदान मांगे हैंः

i. **मांग सं0 42 - राजस्व विभाग**

ii. **मांग सं0 43 - प्रत्यक्ष कर और**

iii. **मांग सं0 44 - अप्रत्यक्ष कर**

2014-15 हेतु परिव्यय एवं परिणाम का विवरण

क्रम सं0	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रूपये में)		प्रमात्रात्मक प्रदाय / वास्तविक उपादान	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणी / जोखिम अवयव
			गैर योजना	योजना				
			4		5	6	7	8
1	2	3	4(i)	4(ii)				
1.	**मुख्य शीर्ष -2052 कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली की स्थापना, आदि** (यह बजट प्रावधान अधिकार प्राप्त समिति (ई सी) को कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन, जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता अनुदान तथा अधिकार प्राप्त समिति के प्रशासनिक खर्चों के लिए हैं ।	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली के माध्यम से अन्तरराज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता रखना एवं अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य संचालन और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में वेट का कम्प्यूटरीकरण ।	8.00	...	—कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन। —अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य करना । —जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण	—अन्तर-राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से नजर रखना ताकि राजस्व के रिसाव को रोका जा सकेगा । —जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आधुनिक वैट प्रशासन	कर सूचना आदान प्रदान परियोजना का कार्यान्वयन अधिकार प्राप्त समिति द्वारा एक सुविधा प्रदाता के माध्यम से बूट माडल पर किया जा रहा है। यह परियोजना 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो गई है । —जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है और इस परियोजना की प्रगति की मॉनिटरिंग अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जा रही है ।	
2.	**मुख्य शीर्ष 2047-माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी एस टी एन) हेतु विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी)** (यह बजट प्रावधान माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी एस टी एन) हेतु विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)	माल एवं सेवा कर नेटवर्क हेतु विशेष उद्देश्य वाहक	100.00	...	माल एवं सेवा कर की सहज शुरूआत के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना ।	माल एवं सेवा कर नेटवर्कः विशेष उद्देश्य वाहक केंद्र एवं राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं प्रदान करेगा।	विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) अब एक गैर-सरकारी सेक्शन 25 कंपनी के रूप में कार्य कर रहा है ।	
3.	**मुख्य शीर्ष - 3601/3602 राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों को वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति तथा वैट संबंधी अन्य खर्चे** (यह बजट प्रावधान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को (i) वैट की क्षतिपूर्ति के लिए और (ii) अन्य वैट संबंधी व्यय और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधन अध्ययन के	राज्य वैट का सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन	1.00	...	—सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वैट कार्यान्वयन	राज्य वैट का सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन	—सहमत फार्मूले के अनुसार वैट क्षतिपूर्ति वर्ष 2005-06 (राजस्व हानि का 100 प्रतिशत), वर्ष 2006-07 (राजस्व हानि का 75 प्रतिशत) और वर्ष 2007-08 (राजस्व हानि का 50 प्रतिशत) के लिए उपलब्ध कराई जानी थी । सभी राज्यों के दावों का निपटान पहले ही किया जा चुका है ।	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
	लिए दो संस्थानों की स्थापना /उन्नयन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)		0.02	...	—राज्य कर प्रशासन का आधुनिकीकरण जिसमें राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में कराधान अध्ययन के लिये दो संस्थानों की स्थापना /उन्नयन शामिल है।		वाणिज्य करों हेतु मिशन मोड परियोजना 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई है । राज्य अब अपने संसाधनों से इन परियोजनाओं को जारी रखेंगे ।कराधान अध्ययन केंद्र, केरल तथा सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता का लोक वित्त एवं नीति के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के रूप में उन्नयन तथा उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सहायता के रूप में उन्हें क्रमशः 14 करोड़ रुपए तथा 18 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं ।	
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) के चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति**(यह बजट प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)	माल एवं सेवा कर (जी एस टी) के प्रारंभ को सुकर बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) की क्षतिपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	0.01	...	—सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन। -केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करना।	केन्द्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध समापन का सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन ।	केन्द्रीय बिक्री कर को 1-4-2007 से तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना थी । केन्द्रीय बिक्री कर की दर को वर्ष 2007-08 में 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत और वर्ष 2008-09 में 2 प्रतिशत किया गया । सहमत फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति 2010-11 तक प्रदान की जानी थी ।	
5.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य**	गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां दो विभागीय उपक्रम हैं जो राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं । इनमें से प्रत्येक उपक्रम की दो अलग-अलग इकाइयां, अर्थात अफीम फैक्टरी एवं क्षारोध संयंत्र हैं । अफीम फैक्टरियां अफीम की मांग को पूरा करने के कार्य में लगी हैं और खेती से प्राप्त कच्ची अफीम का एक बड़ा भाग निर्यात किया जाता है ।	267.52	...	300 मीट्रिक टन कच्चे अफीम की अधिप्राप्ति 17 मीट्रिक टन कोडीन फॉस्फेट का आयात, अफीम का निर्यात (310 मी0टन) तथा क्षारोद की बिक्री(56.2 मी0 टन)	338.97 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली	राजस्व वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जाएगी ।	राजस्व वसूली एवं व्यय अनेक कारणों जैसे कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम की मांग, विदेशी मुद्रा की दर में उतार चढ़ाव, क्षारोध के उत्पादन, अफीम की खरीद की मात्रा आदि पर निर्भर करता है।

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहल

मूल्यवर्धित कर (वैट) योजना का कार्यान्वयन

1. राज्य स्तर पर राज्य वैट को लागू करना हाल के समय का एक अत्यधिक उल्लेखनीय कर सुधार उपाय है । राज्य वैट को कार्यान्वित करने का निर्णय 18-6-2004 को हुई राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिया गया था, जिसमें वैट को 1-4-2005 से लागू करने के लिए राज्यों के बीच व्यापक सहमति हुई थी । तदनुसार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, जहां बिक्री कर/ वैट नहीं है सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट को लागू कर दिया गया है, तथा वैट लागू करने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2005-08 तक के दावों के लिए 19002.82 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है ।

वैट संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 2014-15 हेतु बजट प्रावधान का प्रस्ताव राज्य स्तर पर वैट लागू करने में केन्द्रीय सरकार की सुसाध्यकर्ता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करना

यह राज्य वैट कार्यान्वयन का एक प्राकृतिक उप परिणाम है । केन्द्रीय बिक्री कर गैर छूट प्राप्त स्रोत-आधारित कर होने के कारण वैट के अनुरूप नहीं है तथा इसे चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने की आवश्यकता है । केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना एक एकीकृत राष्ट्र स्तरीय माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को 01.04.2010 से लागू करने की योजना के परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के संबंध में राज्य सरकारों से चर्चा के दौरान राज्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति दी जाए । केन्द्रीय बिक्री कर को 3 वर्षों अर्थात प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत घटाकर समाप्त करने के लिए राज्यों के साथ एक व्यापक सहमति हुई थी ताकि 31-3-2010 तक इसे समाप्त किया जा सके । इसी क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया तथा 1-6-2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया था ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति पैकेज देने पर भी पारस्परिक रूप से सहमति हुई थी । इस पैकेज के तहत राज्यों को राजस्व संवर्द्धी उपायों एवं बजटीय सहायता के संयोजन से क्षतिपूर्ति की जा रही है । राजस्व बढ़ाने के उपायों के रूप में और इस प्रकार केंद्रीय बिक्री कर हटाने से हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करते हुए, सरकारी विभागों द्वारा फॉर्म-घ पर केंद्रीय बिक्री कर की रियायती दर पर अंतर-राज्य क्रयों की सुविधा को 01.04.2007 से वापस ले लिया गया था । इसके अतिरिक्त, राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण के किसी भाग को खोए बिना तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर वैट लगाने के लिए राज्यों के लिए सशक्त प्रावधान किए गए हैं । इसके पश्चात, अवशिष्ट हानियों के लिए, केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दावा वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए सीएसटी की दर में कटौती से होने वाली हानि के लिए सीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 31 मार्च, 2014 तक 32800.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

वाणिज्यिक करों की मिशन मोड परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एन ई जी पी) के अंतर्गत राजस्व विभाग ñवाणिज्यिक करोंò पर एक मिशन मोड परियोजना (एम एम पी) का समन्वय कर रहा है जो कि राज्य करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ई- प्रशासन पहल है। इसी का अनुसरण करते हुए सरकार ने एनईजीपी के तहत राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी थी । 1133 करोड़ रूपये की कुल लागत वाली इस परियोजना से राज्यों को उनके वाणिज्यिक कर प्रशासनों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास तथा उन्नयन में सहायता मिलेगी । इस परियोजना का उद्देश्य एक ओर डीलरों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना था तथा दूसरी ओर राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों की दक्षता में सुधार लाना था । इस परियोजना के तहत, केन्द्र और राज्य सरकारों को लगभग 70:30 के अनुपात में निधि की भागीदारी करनी थी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष वर्ग स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए यह अनुपात 90:10 (केन्द्रीय भागःराज्य सरकार का भाग) पर निर्धारित किया गया थ जबकि बिना विधायिका के केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निधि जारी की जा रही थी।

राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अधिकार प्राप्त समिति(पी ई सी) का गठन किया गया था । पी ई सी ने सभी 33 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है, जिनकी कुल लागत 1030 करोड़ रूपए है । 31 मार्च, 2014 तक इन राज्यों को केन्द्रीय भाग के रूप में 626.22 करोड़ रूपए की राशि को जारी कर दिया गया है ।

टीआईएनएक्सएसवाईएस

अन्तर्राज्यीय संव्यवहार को सुसाध्य बनाने के लिए एक कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) बनाई गई है ताकि राज्यों को फार्म-ग के निर्गम तथा अन्य अन्तर्राज्यीय बिक्री से संबंधित जानकारी मिल सके । इस परियोजना में केन्द्र सरकार परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि लगा रही है जबकि राज्य शेष हिस्से को सामूहिक रूप से वहन करेंगे । अधिकार-प्राप्त समिति को अभी तक 23.83 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

माल एवं सेवा कर (जी एस टी)

एक राष्ट्रीय स्तर के माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को 1 अप्रैल, 2010 से लागू करने के प्रस्ताव को तत्कालीन वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में पहली बार प्रस्तुत किया था । चूंकि इस प्रस्ताव में केवल केन्द्र द्वारा लगाया जाने वाले अप्रत्यक्ष कर ही नहीं बल्कि राज्यों द्वारा भी लगाए जाने वाले करों में सुधार/पुनर्संरचना शामिल थी इसलिए जी एस टी को लागू करने के लिए डिजाइन तथा रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री डा0 असीम के. दासगुप्ता की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दी गई थी ।

अप्रैल, 2008 में अधिकार प्राप्त समिति ने केन्द्र सरकार को ñभारत में माल एवं सेवा कर के लिए मॉडल एवं रोड मैपò शीर्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसके अंतर्गत जी एस टी की संरचना तथा डिजायन के विषय में व्यापक सिफारिशें शामिल हैं । ñभारत में माल एवं सेवा कर पर प्रथम विचार-विमर्श पत्रò दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में जारी किया गया था । राज्यों के साथ लंबी बातचीत के बाद माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को

लागू करने के लिए संविधान में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए दिनांक 22-03-2011 को लोकसभा में संविधान (115वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया था । रीति के अनुसार इस विधेयक को वित्त की स्थायी समिति, लोकसभा के विचारार्थ भेज दिया गया है ।

स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में 7 अगस्त, 2013 को प्रस्तुत की । समिति की कुछ सिफारिशें निम्नानुसार हैं:- (क) जीएसटी की परिभाषा में पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों तथा एल्कोहोलिक शराब को शामिल करना ; (ख) राज्यों के बची, तथा संघ और राज्यों के बीच विवाद का निपटान जीएसटी परिषद द्वारा किया जाना ; (ग) प्रवेश कर को समाप्त करना ; (घ) संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि की स्थापना ; (ड.) वित्त वर्ष के अंत में आईजीएसटी के शेष आगमों का वितरण राज्यों और संघ के बीच करना ; (च) अंतर-राज्य व्यापार से होने वाले आगमों के निपटान के लिए संशोधित बैंक मॉडल की व्यवहार्यता ; और (छ) जीएसटी मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना इत्यादि । स्थायी समिति की उपर्युक्त सिफारिशों की विभाग में जांच की गई थी और इनमें से अनेक को मसौदा संशोधन विधेयक में शामिल कर लिया गया था । संशोधित मसौदा संशोधन विधेयक को अधिकार-प्राप्त समिति के विचारार्थ रखा गया था । संशोधित संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे पर अधिकार-प्राप्त समिति की टिप्पणियां दिसंबर, 2013 में विभाग को प्राप्त हो गई हैं और इनकी जांच चल रही है ।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष उद्देश्य वाहक की स्थापना

माल एवं सेवा कर अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक ऐसे गंतव्य आधारित उपभोग कर के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें कम से कम विकृतियां हैं। भारत में माल एवं सेवा कर लागू करने के व्यापक उद्देश्यों में, अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों को शामिल करके कर आधार को बढ़ाना तथा छूटों में कमी लाना ; प्रपाती और दोहरे कराधान को कम करना तथा माल एवं सेवाओं पर समग्र कर भार को कम करके बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है । प्रच्छन्न या अंतः स्थापित करों को हटाने से आयात की तुलना में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर होगी । यह सुधार लाने से माल एवं सेवाओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार का मार्ग भी प्रशस्त होगा ।

माल एवं सेवा कर की सफलता एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना पर भी निर्भर करेगी । माल एवं सेवा कर नेटवर्क के लिए सरकार ने एक विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) (जी एस टी एनः एस पी वी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है जिससे माल एवं सेवा कर को सुचारु रूप से लागू करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार हो सकेगा । जी एस टी एनः एस पी वी केंद्र तथा राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं उपलब्ध कराएगा ।

जी एस टी एनः एस पी वी को धारा 25 (लाभ के लिए नहीं) गैर-सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया जाएगा जिसका रणनीतिक नियंत्रण सरकार के पास रहेगा । इसकी 10 करोड़ रुपए की ईक्विटी पूंजी है जिसमें केंद्र और राज्यों प्रत्येक की 24.5 प्रतिशत की बराबर साझेदारी है । गैर-सरकारी संस्थानों की 51 प्रतिशत ईक्विटी है । कोई भी अकेला संस्थान 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी धारित नहीं करता ।

जी एस टी एनः एस पी वी का एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल होगा जो कर दाताओं तथा इसकी सेवाओं का लाभ उठाने वाले कर प्राधिकरणों पर उपभोक्ता प्रभार लगाएगा यद्यपि एस पी वी की सेवाएं निकट भविष्य में जी एस टी के वास्तविक प्रारंभ के समय महत्वपूर्ण होगीं, यह भी आशा की जा रही है कि यह जी एस टी लागू करने से पहले केंद्र/राज्य कर प्रशासनों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के उन्नयन हेतु सहायता

सरकार ने कराधान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए तथा पूर्वी भारत में इसी प्रकार का एक नया क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था ।

कराधान अध्ययन केन्द्र का गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान(जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन हेतु 33.13 करोड़ रूपये की कुल लागत का एक प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था । राजस्व विभाग ने इसमें से 23.63 करोड़ रूपये तक का सहायता अनुदान प्रदान करने को अपनी सहमति दे दी है । केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए तथा संस्थान को मदद के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 18 करोड़ रूपये की राशि 31 मई, 2014 तक जारी कर दी गई है।

सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन केन्द्र (सी एस एस एस), कोलकाता को कार्पस सृजित करने तथा पहचान किए गए क्रियाकलापों को चलाने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया । इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार तथा निदेशक, सीएसएसएससी, कोलकाता के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे तथा मार्च, 2014 तक पश्चिम बंगाल की सरकार को 14 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है ।

सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां

गाजीपुर(उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीओएडब्ल्यू) निर्यात के लिए कच्ची अफीम के संसाधन, अफीम क्षारोद के विनिर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यों को अपने गाजीपुर (उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित दोनों कारखानों के द्वारा पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं । सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीओएडब्ल्यू) द्वारा किये गये कुछ प्रमुख सुधार एवं पहल निम्न प्रकार से हैं:-

(क) अफीम पोस्त की अधिक पैदावार वाली किस्म के विकास व मौसम नियंत्रित कक्ष की स्थापना के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान में एक परियोजना आंरभ की जा रही है । इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि अफीम पोस्त का उन क़िस्मों को वाणिज्यिक तौर पर विकसित किया जाए एवं उनकी खेती की जाए जिनमें उच्च एल्कालायड की मात्रा हो ताकि एल्कालायड का उच्च मात्रा में उत्पादन हो सके । इससे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी तथा आयात पर निर्भरता भी कम होगी । इससे अफीम खेतिहरों को अधिक आय होगी / मुआवजे में वृद्धि होगी ।

परिणामी बजट की निगरानी व्यवस्था

परिणामी बजट के अंतर्गत प्रशासनिक एवं समन्वयकारी यूनिटों द्वारा अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की एक प्रणाली आरंभ की गई है । परिणामी बजट के अंतर्गत व्यय के रूझानों व प्रगति की मासिक व त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है । प्रमुख परियोजना संबंधी मदों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मॉनीटरिंग / कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किये जा रहे व्यापक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के उद्यमों के संबंध में समन्वित प्रयासों एवं शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ भी सदस्य हैं ।

2012-13 हेतु परिव्यय एवं परिणाम के संबंध में परिणाम की स्थिति

क्रम सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रूपये) ब.अ.	सं.अ.	प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 मार्च, 2013 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2052- वैट योजना का कार्यान्वयन**	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली को स्थापित करना तथा अन्य राज्यों में तत्समान कार्रवाई को सुसाध्य बनाना	0.19	0.14	पूर्वोत्तर राज्यों, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एवं मेघालय में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण।	परियोजना का टर्नकी आधार पर कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है ।	इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में वैट के कम्प्यूटरीकरण को और आगे बढ़ाने के लिए एवं वैट संबंधी अन्य व्यय के लिए प्रावधान किया गया था । परियोजना 31.3.2011 को समाप्त हो गई है और अब इन राज्यों को एमएमपी-सीटी स्कीम के माध्यम से निधियां प्रदान की जा रही हैं । इस वर्ष के दौरान 0.13 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी ।
2.	**मुख्य शीर्ष 2052 कर सूचना विनिमय प्रणाली (टीआईएनएक्सएसवाईएस) की स्थापना ।**	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का सुचारू रूप से कार्य करना तथा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकण।	10.51	6.38	अन्तर राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी खोज के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना को एक सेवा प्रदाता के माध्यम से बूट (बीओओटी) मॉडल के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण परियोजनाः 25.33 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से के साथ कुल 40.49 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है। अधिकार प्राप्त समिति इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है ।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात की भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है । इस परियोजना को 31-3-2013 तक बढ़ा दिया गया था । परियोजना संबंधी क्रियाकलापों को दोनों राज्यों में प्रारंभ कर दिया गया है। इन राज्यों ने अपने डीलरों के लिए पहले ही ई-पंजीकरण, ई-विवरणी, ई-भुगतान, ई-मालसूची की सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं । परियोजना के क्रियाकलापों की नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जा रही है । 31.3.2013 तक 9.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी
3.	**मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट कार्यान्वयन और अन्य वैट संबंधी व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति**	राज्यों को (i) वैट क्षतिपूर्ति और (ii) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	200.00	109.71	सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करने और साथ ही राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य खर्च को पूरा करने के लिए ।	सहमत फार्मूले के अनुसार, वैट की क्षतिपूर्ति 2005-2006, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए की जानी है। राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।	इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान मूल्य वर्धित कर लागू करने के कारण उनको होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए जारी किया जाता है । अब तक इन्हें 19002.82 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है। सभी राज्यों के दावों को निपटा लिया गया है । राज्य वैट प्रशासनों के आधुनिकीकरण हेतु वाणिज्यिक कराधान संबंधी मिशन मोड परियोजना (एम एम पी सी टी) को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था । 33 राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को पहले ही 1133 करोड़ रूपये की समग्र

1	2	3	4	5	6	7
						लागत के साथ अनुमोदित कर दिया गया है, जिनमें से केन्द्रीय भाग करीबन 725 करोड़ रूपये हैं । केंद्रीय भाग के रूप में 552.22 करोड़ रूपये की राशि (2009-10 में 145 करोड़ रुपए,2010-11 में 206.32 करोड़ रुपए तथा 2011-12 में 102.83 करोड़ रूपए तथा 2012-13 में 98.07 करोड़ रुपए) जारी की गई है ।
					राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/ उन्नयन करना	कराधान अध्ययन केन्द्र को 23.63 करोड़ रूपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान (जीआईएफटी) के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी तथा 4 करोड़ रूपये तथा 10 करोड़ रुपए की अनुदान की दो किश्त संस्थान को जारी कर दी गई थी । सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी एस एस एस) कोलकाता को कार्पस निधि उपलब्ध कराने के एक और प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई थी और सी एस एस एस एस को अंतरित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 14 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है ।
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति**	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान	300.00	10.00	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्षतिपूर्ति करना।	इस योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान राशि जारी की जाती है। मार्च, 2012 तक राज्य सरकारों को 30860.42 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2012-13 में कोई राशि जारी नहीं की गई थी।
5.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफ़ीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	380.19	460.35	अफ़ीम की अधिप्राप्ति (1143 मीट्रिक टन)50 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (438 मी0 टन) क्षारोद की बिक्री (86.6 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 440.03 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति होगी।	व्यय की तुलना में राजस्व की वसूली की प्रगति की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी ।	पूर्वानुमानित मात्रा के मुकाबले 2012-13 में 617 मीट्रिक टन अफीम और 62 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट की खरीद की गई थी । 438 मीट्रिक टन निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले में 372 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई थी । 86.6 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 55.996 मीट्रिक टन क्षारोद की बिक्री हुई थी । संशोधित अनुमान स्तर पर 440.03 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति के अनुमान के मुकाबले में 2012-13 में राजस्व प्राप्तियां 312.24 करोड़ रूपये थी । मार्च, 2013 तक सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य पर व्यय 441.03 करोड़ रूपये था ।

2013-14 हेतु परिव्यय एवं परिणाम के संबंध में परिणाम की स्थिति

क्रम सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2013-14 (करोड़ रूपये) ब.अ.	सं.अ.	प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 मार्च, 2014 की स्थिति (अनंतिम)
1	2	3	4		5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2052- वैट योजना का कार्यान्वयन**	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली को स्थापित करना तथा अन्य राज्यों में तत्समान कार्रवाई को सुसाध्य बनाना।	0.19	0.18	पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम एवं मेघालय में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण ।	परियोजना का टर्नकी आधार पर कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है ।	इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में वैट के कम्प्यूटरीकरण को आगे ले जाने और वैट संबंधी अन्य व्ययों के लिए प्रावधान किया गया था । यह परियोजना 31.3.2011 को समाप्त हो गई है तथा अब राज्यों को एमएमपी - सीटी योजना के माध्यम से निधियॉ उपलब्ध कराई जा रही हैं । एमएमपी - सीटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए परियोजना निगरानी ईकाई को वित्त पोषित किया गया था और 0.13 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी।
2.	**मुख्य शीर्ष 2052 कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना ।**	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का सुचारू रूप से कार्य करना तथा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकण।	15.61	6.00	-अन्तर राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी खोज के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना को एक सेवा प्रदाता के माध्यम से बूट (बीओओटी) मॉडल के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना 2009-10 के दौरान पूर्ण हो जानी थी । परंतु इसे 31.03.2013 तक बढ़ा दिया गया था । इस तारीख से आगे, कोई और समयावधि नहीं बढ़ाई गई है तथा परियोजना को अब स्वयं राज्यों द्वारा अपने ही संसाधनों से आगे बढ़ाना है ।	चूँकि इस परियोजना को 31-3-2013 से आगे नहीं बढ़ाया गया है, अतः वर्ष 2013-14 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी ।
						हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण परियोजना : 40.49 करोड़ रुपए की कुल लागत की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है जिसमें केंद्रीय हिस्सा 25.33 करोड़ रुपए है । अधिकार प्राप्त समिति इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है ।	दोनों राज्यों में परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है । राज्यों ने अपने-अपने डीलरों के लिए ई-पंजीकरण, ई-रिटर्न, ई-भुगतान, ई-बिलटी की सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं । परियोजना संबंधी कार्यों की नियमित अंतराल में समीक्षा की जा रही है । 31.3.2013 तक 9.99 करोड़ रुपए की राशि जारी गई थी तथा इस वर्ष 2013-14 में 6 करोड़ रुपए की और राशि जारी की गई थी ।

1	2	3	4		5	6	7
3.	**मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति तथा वैट संबंधी अन्य खर्चों के लिए ।**	राज्यों को (i) वैट क्षतिपूर्ति और (ii) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	51.00 81.00	0.00 74.00	सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करना और साथ ही राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए ।	सहमत फार्मूले के अनुसार, वैट की क्षतिपूर्ति 2005-2006, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए की जानी है ।	वैट लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के संबंध में, चूँकि राज्यों के सभी दावों का निपटान कर दिया गया है, अतः वर्ष 2013-14 के दौरान कोई राशि जारी नहीं की गई थी।
						राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।	राज्य वैट प्रशासनों के आधुनिकीकरण के लिए वाणिज्यिक कराधान संबंधी मिशन मोड परियोजना (एमएमपी - सीटी) के अंतर्गत 626.22 करोड़ रुपए (2009-10 में 145 करोड़ रुपए, 2010-11 में 206.32 करोड़ रुपए, 2011-12 में 102.83 करोड़ रूपए तथा 2012-13 में 98.07 करोड़ रुपए तथा 2013-14 में 74.00 करोड़ रुपए) की राशि केन्द्रीय भाग के रूप में जारी की गई है ।
						राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/ उन्नयन	कराधान अध्ययन केन्द्र को 23.63 करोड़ रूपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान (जीआईएफटी) के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी तथा अनुदान की 4 करोड़ रूपये, 10 करोड़ रुपए तथा 4 करोड़ रुपए की तीन किश्तें संस्थान को जारी कर दी गई हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी एस एस एस) कोलकाता को कार्पस निधि उपलब्ध कराने के एक अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है । केंद्र सरकार तथा राज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं । सीएसएसएस को अंतरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 14 करोड़ रुपए की एक राशि जारी की गई है।
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602-** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति ।	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	9300.00	1940.51	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति करना ।	सहमत फार्मूले के अनुसार, राज्यों को सीएसटी क्षतिपूर्ति 2009-10 तक प्रदान की जानी होगी । बाद में, राज्यों के अनुरोध पर और माल एवं सेवा कर संबंधी बातचीत को जारी रखने के लिए सरकार इस बात पर सहमत हुई है कि राज्यों को सीएसटी क्षतिपूर्ति 2010-11 के लिए भी दी जाए ।	मार्च, 2014 तक राज्य सरकारों को 32800.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें चालू वर्ष के दौरान वर्ष 2007-08 और 2009-10 के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को जारी की गई 1940.51 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है ।

1	2	3	4		5	6	7
5.	**मुख्य शीर्ष 2047** **माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए विशेष उद्देश्य वाहक**	माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए विशेष उद्देश्य वाहक स्थापित करना	100.00	58.84	जीएसटी को सुचारू रूप से लागू करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करना । जीएसटीएन-एसपीवी केंद्र व राज्यों सहित विभिन्न स्टेकधारकों को सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करेगा ।	मंत्रिमंडल ने जीएसटीएन को शामिल करने के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए इसकी प्रारंभिक स्थापना और कार्यचलन के लिए व्यय के रूप में 315 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वीकृत किया है ।	इसके द्वारा अपेक्षित परियोजना के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान जीएसटीएन को 2.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी ।
6.	**मुख्य शीर्ष 2875** **सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफ़ीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	260.14	343.41	अफ़ीम की अधिप्राप्ति (299 मीट्रिक टन) 20 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (310 मी0 टन) क्षारोद की बिक्री (56.90 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 316.47 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति होगी ।	व्यय की तुलना में राजस्व की वसूली की प्रगति की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी।	पूर्वानुमानित मात्रा के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 282 मीट्रिक टन अफीम और 19.975 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट की खरीद की गई थी । 310 मीट्रिक टन अफीम के निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले 340.49 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई थी । वर्ष के दौरान 56.90 मैट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 61 मीट्रिक टन क्षारोद की बिक्री हुई थी । संशोधित अनुमान स्तर पर 316.47 करोड़ रूपये की अनुमानित राजस्व प्राप्ति के मुकाबले 2013-14 में 347.72 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। सरकारी अफीम एवं क्षरोद कार्य पर मार्च, 2014 तक व्यय 319.98 करोड़ रूपये था ।

वित्तीय समीक्षा

वित्तीय समीक्षा – बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

(रूपये करोड़ों में)

	मुख्य शीर्ष	2011-12			2012-13			2013-14		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052	128.05	140.55	120.62	161.76	145.05	134.3	178.97	148.04	139.44
कुल	2052	128.05	140.55	120.62	161.76	145.05	134.30	178.97	148.04	139.44
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
प्रवर्तन निदेशालय	2047	39.41	41.43	41.49	53.80	49.50	45.32	70.86	59.34	60.57
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	7.84	7.66	7.66	8.50	18.65	18.65	10.03	8.38	8.16
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2047	0.72	1.05	1.01	0.78	1.00	0.95	1.01	1.17	1.07
अन्य व्यय (ए टी एफ पी/सीस्टेट)	2047	19.00	19.67	18.30	19.16	18.85	19.07	20.69	21.72	21.55
जी एस टी एनःएस पी वी	2047	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	58.84	2.78
कुल	**2047**	**66.97**	**69.81**	**68.46**	**82.24**	**89.00**	**84.99**	**202.59**	**149.45**	**94.13**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
स्वापक नियंत्रण	2070	39.61	40.63	33.14	37.92	36.62	31.66	39.35	37.08	32.51
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग इत्यादि	2070	3.55	3.49	3.38	3.54	2.94	2.30	2.74	6.13	5.69
नशीले पदार्थ के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि का अंतरण	2070	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
कर प्रशासन सुधार आयोग	2070	0	0	0	0	0	0	0	2.58	0.61
कुल	**2070**	**45.16**	**44.12**	**36.52**	**42.46**	**40.56**	**33.96**	**43.09**	**45.79**	**38.81**
अफीम और क्षारोद फैक्टरी										
राजस्व व्यय	2875	363.50	449.06	421.78	379.63	460.01	440.55	259.59	341.71	319.34
मुख्य नियंत्रक सरकारी अफीम और क्षारोद फैक्टरी	2875	0.58	0.56	0.51	0.56	0.55	0.49	0.55	0.56	0.64
कुल	**2875**	**364.08**	**449.62**	**422.29**	**380.19**	**460.56**	**441.04**	**260.14**	**342.27**	**319.98**
अन्य कर और वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क										
अन्तरदेशीय वायु यात्रा पर कर संग्रहण	2045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी यात्रा पर कर संग्रहण	2045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**2045**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
आय पर कर संग्रहण एवं व्यय										
अन्य प्रभार	2020	0.40	0.40	0.30	0.40	0.36	0.16	0.40	0.30	0.24
कुल	2020	0.4	0.40	0.30	0.40	0.36	0.16	0.40	0.30	0.24

(रूपये करोड़ों में)

	मुख्य शीर्ष	2011-12 ब.अ.	2011-12 सं.अ.	2011-12 वास्तविक व्यय	2012-13 ब.अ.	2012-13 सं.अ.	2012-13 वास्तविक व्यय	2013-14 ब.अ.	2013-14 सं.अ.	2013-14 वास्तविक व्यय (अनंतिम)
राज्यों को सहायता अनुदान (वैट)	3601	724.00	495.00	436.18	195.00	106.71	98.07	131.00	70.00	70.00
के0शा0 रा0 को सहायता अनुदान (वैट)	3602	10.00	5.00	0.00	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
राज्यों को सहायता अनुदान (सी एस टी)	3601	12000.00	4172.58	4172.58	300.00	10.00	0.00	9300.00	1940.51	1940.51
के0शा0 रा0 को सहायता अनुदान (सी एस टी)	3602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00
कुल		**12734.00**	**4672.58**	**4608.76**	**500.00**	**119.71**	**101.07**	**9432.00**	**2014.51**	**2014.51**
सहायता सामग्री एवं उपस्कर	**3606**	**0.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल (राजस्व विभाग)		**13339.01**	**5377.08**	**5256.95**	**1167.05**	**855.24**	**795.52**	**10117.19**	**2700.36**	**2607.11**
पूंजी भाग										
जी एस टी एनः एस पी वी हेतु पूंजीगत परिव्यय	4047	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00
जी ओ ए डब्ल्यू पर पूंजीगत व्यय	4875	0.84	0.70	0.50	1.53	0.30	0.02	0.70	0.50	0.00
बने बनाए आवास की खरीद										
आवासीय भवन	4216	7.05	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
लो0नि0कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059	10.00	5.00	3.06	10.00	6.16	4.39	100.00	13.00	13.00
कुल (पूंजी भाग)		**17.89**	**5.71**	**3.57**	**11.54**	**8.91**	**6.86**	**100.71**	**13.51**	**13.01**
महायोग		**13356.90**	**5382.79**	**5260.52**	**1178.59**	**864.15**	**802.38**	**10217.90**	**2713.87**	**2620.12**
घटा										
(i) राजस्व प्राप्तियां		312.00	432.47	383.54	366.73	440.03	312.24	347.73	316.47	347.72
(ii) वसूलियां		53.97	42.60	34.18	42.22	52.34	46.32	52.09	52.26	0.00
निवल		**12990.93**	**4907.72**	**4842.80**	**769.64**	**371.78**	**443.82**	**9818.08**	**2345.14**	**2272.40**

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 हेतु बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण - वस्तु शीर्षवार

(रूपये करोड़ो में)

शीर्ष	2011-12			2012-13			2013-14		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
राजस्व विभाग									
वेतन	152.44	158.87	153.16	187.58	177.29	167.18	202.52	182.13	181.36
मजदूरी	0.51	0.50	0.35	1.12	0.48	0.30	1.12	0.40	0.13
समयोपरि भत्ता	0.69	1.77	1.32	1.75	1.57	1.40	1.67	1.40	1.29
पेंशन प्रभार	1.29	1.03	0.92	0.99	0.96	1.00	0.87	0.93	0.90
पुरस्कार	0.32	0.30	0.28	0.32	0.07	0.01	0.13	0.12	0.02
चिकित्सा उपचार	2.98	3.29	2.52	3.42	3.09	2.50	3.24	3.17	2.74
घरेलू यात्रा व्यय	6.52	7.13	7.79	6.81	6.81	6.96	8.67	8.19	7.74
विदेश यात्रा व्यय	4.79	4.96	5.01	7.27	5.06	4.17	6.27	5.19	4.11
कार्यालय व्यय	26.5	27.54	26.15	28.85	25.91	25.50	33.85	30.34	45.82
किराया, दर एवं कर	8.71	13.41	12.52	16.78	16.95	14.47	24.54	24.08	20.62
प्रकाशन	0.51	0.64	0.59	0.60	0.60	0.35	0.69	0.59	0.44
बैंक संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4.41	4.28	4.38	2.62	3.16	2.95	3.42	3.50	3.38
आपूर्ति और सामग्री (दत्तमत)	265.58	353.57	335.11	285.39	355.68	335.83	157.28	208.70	197.04
आपूर्ति और सामग्री (प्रभारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00
विज्ञापन एवं प्रचार	0.49	0.48	0.22	0.38	0.29	0.15	0.34	0.29	0.14
गौण निर्माण कार्य	1.21	1.45	1.30	1.24	1.45	0.95	1.63	1.25	1.18
पेशेवर सेवाएं	12.41	21.57	18.38	16.55	18.70	16.28	19.03	20.17	18.57
अन्य संविदागत सेवाएं	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सहायता अनुदान सामान्य	12758.31	4687.13	4618.95	514.70	140.63	120.41	9522.10	2076.30	2024.67
पूंजीगत सम्पदा के सृजन हेतु अनुदान	0.01	0.00	0.00	0	0.50	0.50	30.00	7.04	0.00
वेतन सहायता अनुदान	0.00	6.38	0.00	6.92	7.21	7.21	8.19	6.54	8.16
अन्तरराष्ट्रीय योगदान	4.27	4.54	4.39	4.32	3.95	3.25	3.76	7.30	6.76

(रूपये करोड़ो में)

		2011-12			2012-13			2013-14		
		ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय (अनंतिम)**
गुप्त सेवा व्यय		2.18	2.25	1.92	4.01	2.16	1.94	4.30	2.26	2.27
पूंजी पर ब्याज		11.2	11.36	11.36	12.75	10.20	15.70	9.20	12.11	12.11
अन्य प्रभार										
	प्रभारित	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*
	दत्तमत	3.25	2.69	2.17	1.22	0.88	0.56	1.06	1.01	0.91
मशीनरी एवं उपस्कर		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.00
अन्तर खाता अन्तरण		48.69	42.41	35.86	43.04	53.13	47.75	52.90	52.69	66.75
सूचना प्रौद्योगिकी		21.33	19.47	12.26	18.36	18.45	18.16	20.34	18.10	
कुल-राजस्व भाग		**13339.01**	**5377.08**	**5256.95**	**1167.05**	**855.24**	**795.52**	**10117.19**	**2700.36**	**2607.11**
	प्रभारित	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*26.52*	*0.00*
	दत्तमत	13338.99	5377.06	5256.95	1167.03	855.22	795.52	10117.17	2673.84	2607.11
पूंजी भाग										
मशीनरी एवं उपस्कर		0.69	0.65	0.48	1.12	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00
मुख्य कार्य		10.15	5.05	3.08	10.41	6.46	4.41	100.45	13.40	13.01
निवेश		7.05	0.01	0.01	0.01	2.45	2.45	0.01	0.01	0.00
कुल-पूंजी भाग		**17.89**	**5.71**	**3.57**	**11.54**	**8.91**	**6.86**	**100.71**	**13.51**	**13.01**
महायोग		**13356.90**	**5382.79**	**5260.52**	**1178.59**	**864.15**	**802.38**	**10217.90**	**2713.87**	**2620.12**
	प्रभारित	*0.02*	*0.00*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*0.00*	*0.02*	*0.02*	*26.58*
	दत्तमत	13356.88	5382.77	5260.52	1178.57	864.13	802.38	10217.88	2713.85	2593.54

वित्तीय समीक्षा- बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

मांग सं0 41 के संबंध में तीन वर्षों में व्यय की स्थिति - संक्षेप में राजस्व विभाग निम्नानुसार हैः-

(रूपये करोड़ों में)

	2011-12			2012-13			2013-14		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
वैट* - मुख्य शीर्ष 2052	12.87	12.47	3.61	10.70	6.52	6.51	15.80	6.18	6.13
वैट/सी एस टी ** - 3601/3602	12734.00	4672.58	4608.76	500.00	119.71	101.07	9432.00	2014.51	2014.51
गैर-वैट/सी एस टी	610.03	697.74	648.15	667.89	737.92	694.80	770.10	693.18	599.48
कुल	13356.90	5382.79	5260.52	1178.59	864.15	802.38	10217.90	2713.87	2620.12
गैर-वैट/सी एस टी	610.03	697.74	648.15	667.89	737.92	694.80	770.10	693.18	599.48
सी सी एफ (स0अ0क्षा0का0)28754875	364.08	449.62	422.29	380.19	460.56	441.03	260.14	342.27	319.98
	0.84	0.70	0.50	1.53	0.30	0.03	0.70	0.50	0.00
अन्य *** - गैर-वैट/सी एस टी और गैर स0अ0क्षा0का0	245.11	247.42	225.36	286.17	277.06	253.74	509.26	350.41	319.98
कुल वेतन गैर वेतन	152.44	158.87	153.16	187.58	177.29	167.18	202.52	182.13	181.20
	13204.46	5223.92	5107.36	991.01	686.86	527.62	567.58	511.05	418.28

* मूल्यवर्धित कर स्कीम और टिनेक्स (टी आई एन एस एक्स वाई एस) परियोजना कार्यान्वयन और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति को इसके स्थापना व्यय हेतु अनुदानों के लिए बजट प्रावधान है ।

** ये बजट प्रावधान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वैट लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर की समाप्ति एवं वैट संबंधी व्यय के कारण होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है । .

*** केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो सहित राजस्व विभाग के विभिन्न घटकों पर व्यय संबंधी स्थापना के लिए बजट प्रावधान है ।

व्यय में रूझान

वेतन व्यय 2012-13 में 2011-12 की तुलना में 9.15 प्रतिशत अधिक हुआ क्योंकि अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, वेतन वृद्धियां इत्यादि का भुगतान किया गया। गैर वेतन व्यय इसी अवधि के दौरान 89.67 प्रतिशत कम हुआ जो कि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को वैट / सी एस टी की कम क्षतिपूर्ति दिए जाने के कारण है । वर्ष 2012-13 के दौरान, पिछले वर्ष में वैट/के0बि0कर प्रतिपूर्ति पर किए गए व्यय की तुलना में सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्ट्री पर किया गया 441.03 करोड रूपये के व्यय का एक बड़ा हिस्सा है अर्थात मांग सं0 42-राजस्व विभाग के तहत कुल व्यय का 54.97 प्रतिशत है।

यह देखा जा सकता है कि संस्वीकृत अनुदान की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान हुए वास्तविक व्यय में काफी गिरावट आई थी। 13356.90 करोड़ रू0 के आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय केवल 5260.52 करोड़ रू0 था। जो कि केंद्रीय बिक्री कर समाप्त करने के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति दिए जाने के लिए रखे गए प्रावधान के एक बड़े हिस्से के अभ्यर्पण के कारण था। इस उद्देश्य के लिए, वर्ष 2011-12 के लिए 12000 करोड़ रू0 का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से केवल 4172.58 करोड़ रू0 की राशि को ही राज्यों को जारी किया गया था और शेष प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था क्योंकि अनुवर्ती वर्षों के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने का सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसी तरह, वैट और वैट संबंधी व्यय के लिए 234 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया था जिसमें से राज्यों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति के कारण केवल 120.36 करोड़ रू0 की राशि ही जारी की जा सकी।

वर्ष 2012-13 के लिए भी बजट में भारी कमी हुई थी, क्योंकि राज्यों को आगे वैट के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जानी थी। सीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान राशि जो कि प्रारंभ में 300 करोड़ रू0 रखी गई थी, भी घटकर 10 करोड़ रू0 रह गई है क्योंकि वर्ष 2010-11 के लिए प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए सूत्र (फार्मूला) को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

वर्ष 2013-14 में, सी एस टी प्रतिपूति हेतु रखे गए 9300 करोड़ रूपए के प्रावधान की तुलना में काफी कमी हुई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के लंबित दावों के समझौते हेतु केवल 1940.57 करोड़ रूपए की राशि का ही उपयोग किया जा सका तथा शेष राशि को राज्यों को 2010-11 से आगे की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने का कोई निर्णय न लिए जा सकने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

अब तक, राज्य सरकारों को 19002.82 करोड़ रू0 की कुल वैट प्रतिपूर्ति और 32,800.93 करोड़ रू0 की सीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वैट प्रतिपूर्ति

(रूपये करोड़ो में)

क्रम सं0	राज्य सरकार का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	404.06	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	405.94
2.	असम	0.00	0.00	30.06	38.73	150.10	78.12	0.00	297.01
3.	बिहार	165.87	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.10
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	75.00	281.59	31.91	0.00	0.00	388.50
5.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	362.81	855.07	37.70	0.00	1255.58
6.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	27.84	59.85	0.00	0.00	87.69
7.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	104.73	86.45	0.00	0.00	191.18
8.	कर्नाटक	1038.92	625.36	354.71	369.05	180.30	0.00	0.00	2568.34
9.	केरल	456.47	426.23	123.19	243.46	0.00	0.00	0.00	1249.35
10.	मध्यप्रदेश	0.00	0.00	46.24	0.00	0.00	40.74	0.00	86.98
11.	महाराष्ट्र	259.89	2814.72	1203.83	1895.00	1475.00	277.40	261.33	8187.17
12.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.42	0.00	167.42
13.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	18.93	163.32	0.00	0.00	182.25
14.	सिक्किम	1.84	4.03	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	16.79
15.	त्रिपुरा	5.12	3.81	5.57	19.81	0.00	0.00	0.00	34.31
16.	तमिलनाडु	0.00	0.00	2040.00	1000.00	0.00	266.87	54.49	3362.36
17.	पश्चिम बंगाल	139.10	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.85
	कुल	**2471.27**	**4092.13**	**3880.48**	**4361.95**	**3002.00**	**879.17**	**315.82**	**19002.82**

सी एस टी प्रतिपूर्ति

(रूपये करोड़ो में)

क्रम सं0	राज्य सरकार का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1.	आन्ध्रपद्रेश	0	905.24	1095.50	2221.86	986.09	0	0	5208.69
2.	असम	70.89	0	228.79	150.90	34.99	0	0	485.57
3.	छत्तीसगढ़	101.37	48.64	794.95	682.97	415.02	0	0	2042.95
4.	दिल्ली	183.70	154.76	1052.00	1622.80	653.85	0	0	3667.31
5.	गुजरात	338.14	156.57	796.04	1787.84	0.00	0	0	3078.59
6.	हरियाणा	150.00	400.00	1177.12	1597.90	780.16	0	1275.28	5380.46
7.	झारखंड	69.47	35.55	394.58	511.76	242.88	0	0	1254.24
8.	कर्नाटक	350.00	155.00	710.30	1333.87	374.36	0	0	2923.53
9.	उड़ीसा	131.53	5.49	483.90	543.99	138.17	0	0	1303.08
10.	पंजाब	0	24.32	9.95	324.55	0.00	0	0	358.82
11.	राजस्थान	126.24	18.56	311.78	421.39	34.47	0	0	912.44
12.	तमिलनाडु	647.54	0	759.00	1171.04	58.92	0	0	2636.50
13.	उत्तराखंड	0	0	131.00	235.10	141.55	0	0	507.65
14.	पश्चिम बंगाल	0	45.87	464.77	496.11	190.14	0	0	1196.89
15.	महाराष्ट्र	0	0	123.00	306.49	29.86	0	0	459.35
16.	मध्यप्रदेश	0	0	110.96	106.56	0.00	0	0	217.02
17.	नागालैंड	0	0	4.43	0	1.63	0	0	6.06
18.	पुडुचेरी	0	0	86.91	199.78	90.19	0	0	376.88
19.	उत्तरप्रदेश	0	0	0	118.87	0.00	0	665.23	784.10
कुल		**2168.88**	**1950.00**	**8735.18**	**13833.78**	**4172.58**	0	**1940.51**	**32800.93**

2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान समग्र वित्तीय निष्पादन नीचे दिए गए हैं :-

(रूपये करोड़ो में)

	2011-12			2012-13			2013-14		
	ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक (अनंतिम)**
वैट योजना का कार्यान्वयन	1.79	1.60	1.57	0.19	0.14	0.13	0.19	0.18	0.13
कर सूचना विनिमय प्रणाली की स्थापना इत्यादि	11.08	10.87	2.04	10.51	6.38	6.38	15.61	6.00	6.00
राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि और अन्य वैट संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति	734.00	500.00	436.18	200.00	109.71	101.07	132.00	74.00	74.00
राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सी एस टी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति	12000.00	4172.58	4172.58	300.00	10.00	0	9300.00	1940.51	1940.51
जीएसटीएनःएसपीवी	0	0	0	0	1.00	1.00	100.00	58.84	2.84
कुल	**12746.87**	**4685.05**	**4612.37**	**510.70**	**127.23**	**108.58**	**9547.80**	**2079.53**	**2023.48**

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य :

2011-12, 2012-13 और 2013-14 सकल व्यय और राजस्व प्राप्तियों पर वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे दिए अनुसार है :

(रूपये करोड़ो में)

	व्यय			प्राप्तियां		
	ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**
2011-12	364.08	449.62	422.29	312.00	432.47	383.54
2012-13	380.19	460.56	441.03	366.73	440.03	312.24
2013-14	260.14	342.27	318.70 (अनंतिम)	347.73	316.47	347.72 (अनंतिम)

वर्ष 2012-13 में, व्यय का मुख्य संघटक सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य है जो कुल व्यय का 54.97 प्रतिशत है । कोडीन फोस्फेट के अतिरिक्त आयात के कारण वर्ष 2012-13 में संशोधित अनुमान स्तर पर वृद्धि हुई है । वर्ष 2012-13 के लिए 366.73 करोड़ रूपये की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 312.24 करोड़ रूपये का राजस्व एकत्रित किया गया । वित्त वर्ष 2013-14 में लगभग 347.73 करोड़ रू0 की राजस्व प्राप्तियों की उम्मीद है।

वर्ष 2011-12 , 2012-13 और 2013-14 के दौरान किए गए आवंटन और वास्तविक व्यय का विवरण

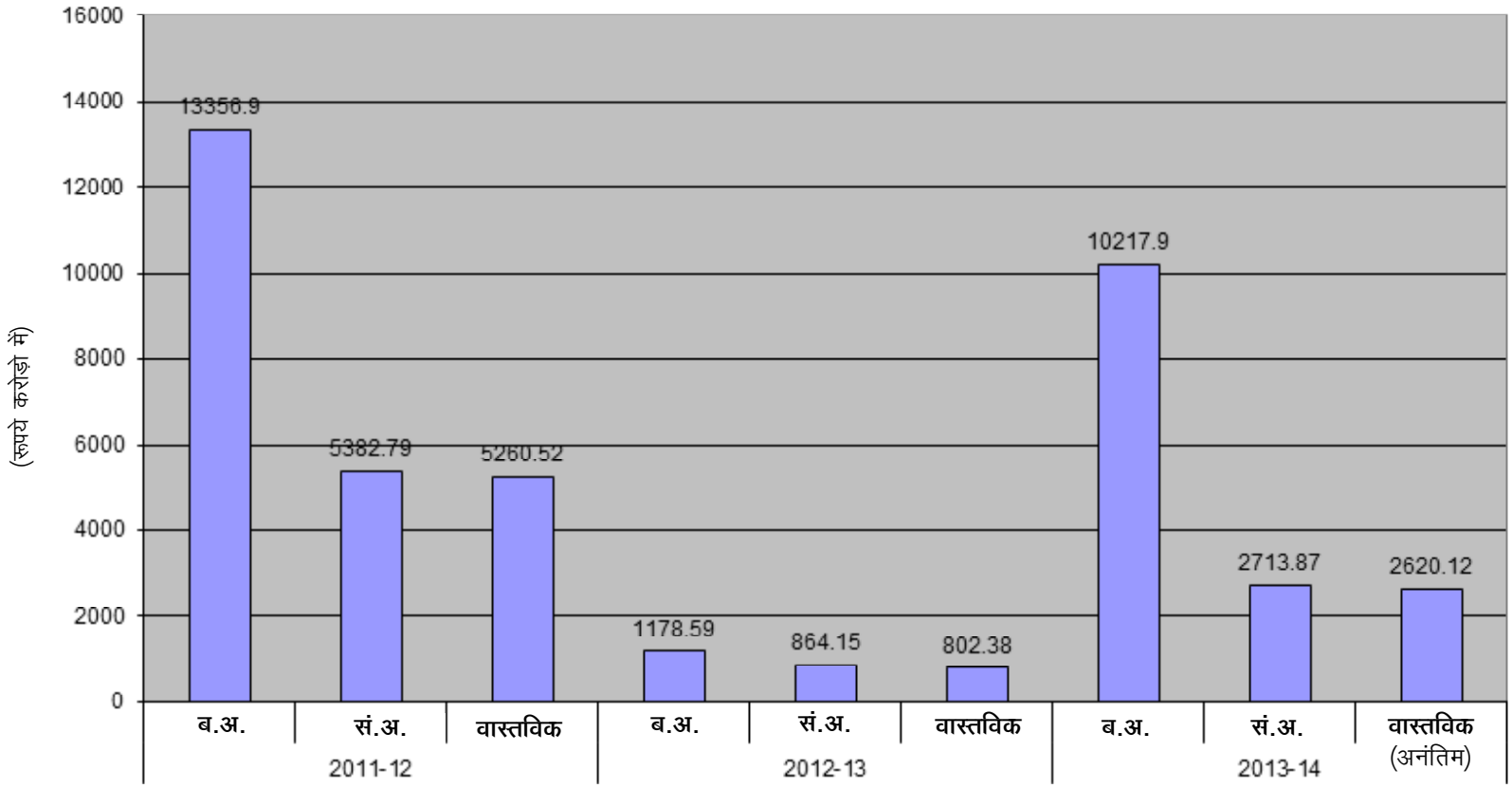

वास्तविक आंकड़े 2012-13 (रुपए करोड़ में)

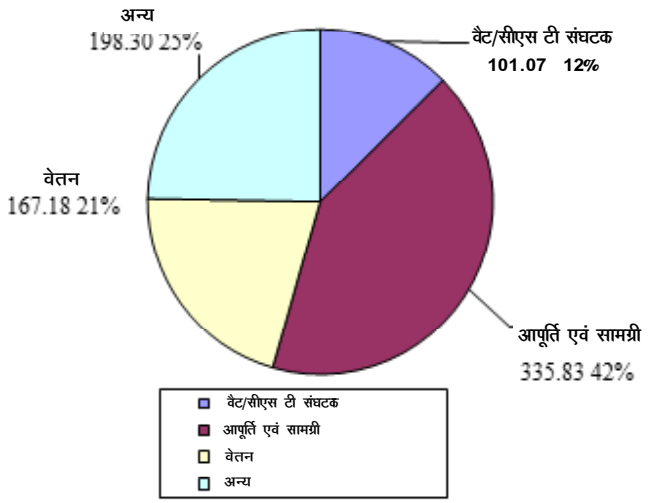

संशोधित अनुमान 2013-14 (रुपए करोड़ में)

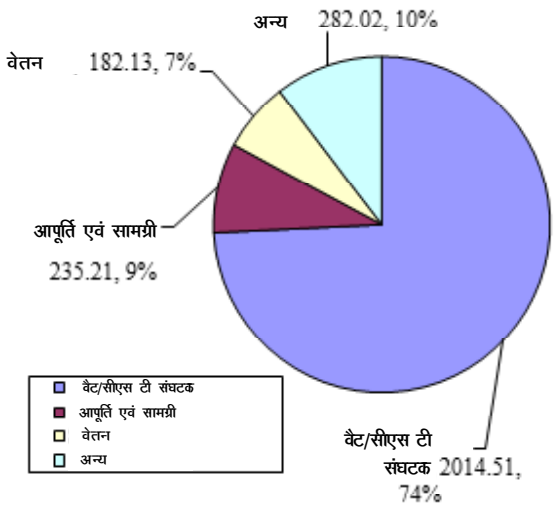

वर्ष 2012-13 की अनुदान के तहत वास्तविक व्यय 802.38 करोड रूपये है। वैट को लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने और वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को दी गई प्रतिपूर्ति की राशि 101.07 करोड़ रूपये है जो व्यय का 12.59 प्रतिशत है । आपूर्ति और सामग्री पर 335.83 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था जो कुल व्यय का 41.85 प्रतिशत है । यह व्यय मुख्यतः अफीम की खरीद और कोडीन फास्फेट के आयात के कारण हुआ है । वेतन पर व्यय कुल व्यय का 20.83 प्रतिशत है जबकि अन्य मदों पर होने वाला व्यय कुल व्यय का 24.71 प्रतिशत है ।

संशोधित अनुमान 2013-14 में केन्द्रीय बिक्रीकर /वैट प्रतिपूर्ति और वैट संबंधित व्यय 2014.51 करोड़ रूपये रखा गया था जो कुल व्यय का 74.23 प्रतिशत है । अगला मुख्य संघटक आपूर्ति एवं सामग्री है जिसमें 235.21 करोड़ रूपये की राशि है तथा कुल व्यय का 8.67 प्रतिशत है। वेतन पर व्यय की रशि 182.13 करोड़ रूपये है जो कि कुल व्यय का 6.71 प्रतिशत के लगभग है तथा अन्य मदों पर व्यय कुल व्यय का 10.39 प्रतिशत है ।

अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अभ्यर्पण और बचत का विवरण-पत्र

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अनुपूरक अनुदानों सहित 1178.59 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान के मुकाबले में 802.38 करोड़ रूपए का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 376.21 करोड़ की बचत और अभ्यर्पण हुआ। ये बचतें अनुदान के राजस्व और पूंजीगत भाग के विभिन्न उप-शीर्षों के तहत 464.32 करोड़ रूपये की कुल बचत और 88.11 कराड़ रूपए के कुल आधिक्य का निवल प्रभाव है।

इन बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग किया गया है:-

(i) संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के कारण हुई सामान्य बचतें

वर्ष के दौरान, कुल 2.91 करोड़ रूपए की बचत हुई, जोकि संसाधनों के बेहतर और सक्षम रूप से उपयोग और प्रशासनिक खर्चों की कम आवश्यकता के कारण हुई। इस श्रेणी में कुछ योजनाए/कार्यक्रम हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	गाजीपुर क्षारोद कार्य-अन्य व्यय	1.48	क्षारोद के उत्पादन हेतु गाजीपुर में कम अफीम को प्रभारित किया गया था।
2.	जब्त की गई सम्पत्ति के लिए अपीलीय अधिकरण	0.48	प्रशासनिक खर्चों हेतु कम व्यय
3.	नशीली औषधियों के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु यू एन निधि	0.95	निधि के अंशदान में कटौती

(ii) परियोजनाओं/योजनाओं के निष्पादन में गैर-कार्यान्वयन/विलंब के कारण बचतें

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कुछ योजनाओं/परियोजनाओं के निष्पादन/ कार्यान्वयन में विलंब हुआ था, जिसके कारण 64.69 करोड़ रूपए की बचत हुई। उनमें से कुछ योजनाएं जिनमें से बचतें हुई उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	प्रवर्तन निदेशालय	8.48	नए स्वीकृत पदों को न भरे जाने के कारण
2.	राजस्व विभाग-सचिवालय (भारत वित्त आसूचना एकक)	9.88	एफआईयू-इंड की फिननेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर सरकारों को उनके वैट कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के लिए कम निधियां जारी करना और रिक्त पदों का न भरा जाना।
3.	आयकर विदेशी यूनिटें	17.54	रिक्त पदों को भरा न जाना तथा आई टी ओ यू की स्थापना में विलंब
4.	राजस्व भवन का निर्माण	5.61	काम की धीमी प्रगति के कारण निधियों की मांग कम हुई
5.	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो	4.62	प्रशासनिक खर्चों हेतु कम आवश्यकता
6.	वैट संबंधी व्यय हेतु	15.93	राज्य सरकारों द्वारा एम एम राज्यों को अनुदान पी-सी टी परियोजना में धीमी प्रगति की गई
7.	वैट संबंधी व्यय हेतु संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	2.00	यू टी प्रशासकों से प्रस्तावों का प्राप्त न होना तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता का भी होना
8.	कर प्रशासन के अंतर अमरीकी केन्द्र को अंशदान	0.63	अंशदान के भुगतान के लिए सीआईटी से बीजक का प्राप्त न होना

(iii) परियोजना/योजना के पुराने/निष्क्रिय हो जाने के कारण अथवा परियोजना/ योजना के पूरे होने के कारण अभ्यर्पण/बचतें

कुछ मामलों में धन को वापस करने की आवश्यकता थी, जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा विलंब हुआ था अथवा योजना पूर्ण होने के कगार पर थी, जिसके कारण राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों की मांग कम की गई। केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति के मामले में, वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए फार्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता जिसके कारण शेष निधि को वापस लौटाना पड़ा। 387.10 करोड़ रूपए की समग्र राशि को वापस लौटाया गया। इन योजनाओं को संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों को अनुदान	300.00	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु फार्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
2.	वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति	81.00	निधियां वापस कर दी गई क्योंकि ई-पंजीकरण स्कीम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
3.	गाजीपुर अफीम फैक्ट्री-अफीम की खरीद	1.99	अफीम की कम खरीद के कारण
4.	गाजीपुर अफीम फैक्ट्री-पूंजी पर ब्याज	1.48	नियोजित पूंजी पर कम ब्याज प्रभारित करने के कारण
5.	नशीली औषधियों के दुरूपयोग के नियंत्रण पर व्यय	1.63	एन जी ओ/अन्य विभागों से निधि हेतु कम प्रस्तवों का प्राप्त होना
6.	नशीली औषधियों के दुरूपयोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि का अंतरण	2.00	चूंकि निधि से कोई खर्च नहीं किया गया, इसलिए और वृद्धि की आवश्यकता नहीं थी।

टिप्पणी: *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य बचत, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सुपुर्द की गई निधियों के कम उपयोग/उपयोग न किए जाने के कारण संचित बचतों के संबंध में बजट प्रभाग के दिनांक 23 मार्च 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं.7 (1)-बी(एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है।*

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत सांविधिक और स्वायतशासी निकायों के कामकाज की समीक्षा

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

परिणामी बजट

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, बहुत सी मुख्य राज्य सरकारों, विशिष्ट विद्याविदों एवं स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों, गैर-लाभकारी संगठनों की संयुक्त पहल से 1976 में स्थापित किया गया था और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। यह एक स्वतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठन है। यह बृहत-आर्थिक, राकोषीय नीति और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों दोनों पर अंतर-सरकारी वित्त पर अनुसंधान, सलाह और क्षमता निर्माण समर्थन प्रदान करता है। संस्थान का विजन ¡स्थिर और सतत विकास का संवर्धनò करना है।

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के विभिन्न स्रोतों से अनुदान/आय और व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं0	निधि का स्रोत	अनुदान/आय (रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
1.	वित्त मंत्रालय	18.65	18.65
2.	अन्य स्रोत	12.41	10.44
3.	**कुल**	**31.06**	**29.09**

वर्ष 2007-08 से वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान का ब्यौरा -

	(रुपए करोड़ में)
2008-09	8.67
2009-10	10.17
2010-11	7.10
2011-12	7.66
2012-13	18.65*
2013-14 के लिए बजट अनुमान	10.03
2013-14 के लिए संशोधित अनुमान	8.38
वास्तविक 2013-14	8.38

* दस करोड़ रू0 का कार्पस अनुदान सहित

अनुदान के संघटक और उसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(क) संस्थान ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 2 मई, 2012 को एक नया समझौता ज्ञापन किया है जोकि मंत्रालय द्वारा कराई गई समकक्ष समीक्षा पर आधारित है। नए समझौता ज्ञापन के अनुसार एनआईपीएफपी को अतिरिक्त सदस्य-क्षमता और स्वतंत्र अनुसंधान कार्य करने के लिए और अधिक समय दिया जाएगा ताकि उन्हें संदर्भित अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित कराने में सक्षम बनाया जा सके। यह वैश्विक कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थानों की लीग में शामिल होने के लिए प्रयास करने का अच्छा अवसर है।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी वेतन संशोधन या महंगाई भत्ते की किश्त के अवमुक्त किए जाने के फलस्वरूप संस्थान के मूल स्टाफ के वेतन में संशोधन या अन्य किसी भत्ते या वाहन भत्ते या महंगाई भत्ते, मकान किराया जैसे वेतन भत्ते पर होने वाले 90 प्रतिशत व्यय को पूरा करने के लिए वेतन अनुदान प्रदान किया जाता है। इस आवर्ती अनुदान से पूरा होने वाले वेतन का 90 प्रतिशत परिकलन वेतन एवं भत्ते के कुल व्यय पर निर्भर करेगा, जिसकी अनुलग्नक I से IV में यथा इंगित मूल स्टाफ से संबद्ध वेतनमान के मध्य बिन्दु पर गणना की जाएगी और यह संस्थान की भिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के कार्य प्रभारित मूल स्टाफ के वेतन व भत्तों का बिना हवाला देते हुए किया जाएगा ।

(ग) वित्त वर्ष के अंत में, वास्तविक वेतन व्यय के 90 प्रतिशत से अधिक के वेतन अनुदान की किसी अतिशयता/कमी को आगामी वित्तीय वर्षों की अनुदान में समायोजित किया जा सकता है।

(घ) मूल अनुदान जो संस्थान के गैर-वेतन व्यय पूरा को करने के लिए यथा आकलित किए गए वेतन अनुदान के 20 प्रतिशत के बराबर है, भी दिया गया है।

(ड.) वित्त मंत्रालय से प्रतिवर्ष 20.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से 9 जून, 2005 से संस्थान में एक कर अनुसंधान एकक (टी आर सी) स्थापित किया गया है ।

संस्थान में कुछ पूर्ण/चल रहे अध्ययन / आधार पत्र इस प्रकार हैं-

पूर्ण किए गए अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रम(2012-13)

1. 12वीं योजना अवधि में सीएडी और अन्य बृहत आर्थिक परिणामों पर स्वर्ण का प्रभाव
2. वैश्विक मूल्य आयात के साथ और उसके बिना आर्थिक सहायता समाप्त करनाः तेल मूल्य नीति सुधार के बृहत आर्थिक
3. वित्तीय समावेशन पर एनआईपीएफपी-यूआईडीएआई कार्यक्रम

4. वित्तीय क्षेत्र के विधायी सुधार आयोग के लिए अनुसंधान इनपुट
5. उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यवासय चक्र बनाए गए तथ्यों का वित्तीय समावेशन और संक्रमण
6. घरेलू मूल्यों पर विनिमय दर के घटबढ़ का प्रभावः भारत में गैर-ट्रेडिड क्षेत्र पर भूमिका
7. वन भूमि के प्रबंध से उत्पन्न होने वाले पहाड़ी राज्यों में अध्ययन विकास के लिए समिति हेतु आधार प्रपत्र
8. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के प्रभावी उपयोग का संवर्धन करना
9. भारतीय आर्थिक नीतियों संबंधी कार्यक्रमः मुक्त व्यापार, लोकतंत्र और उद्यमवृत्ति विकास
10. ओडिशा 2011-12 के एफआरबीएम में उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा
11. चुनावों में अपराधीः भारत से साक्षय
12. सेवाओं का निर्यातः भारतीय अनुभव
13. वास्तविक विनिमय दर और निर्यात विकासः क्या सेवाए भिन्न हैं?
14. राज्य स्तर पर एन आर एच एमः राजस्थान और कर्नाटक पर संकेन्द्रण
15. भारत में जस्ता-सीसा खनन की प्रतिस्पर्धात्मकताः रायल्टी तंत्र की भूमिका
16. बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास तंत्र के लिए ढांचे के तहत राजकोषीय और मौद्रिक नीति संबंधी पहलू
17. भारत में डीजल का मूल्य निर्धारणः नीति की भूलभूलैंया में उलझा
18. भारतीय राज्यों में शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन
19. देश के अंदर और बाहर गैर-लेखागत आय/संपदा पर अध्ययन
20. हिमाचल प्रदेश की राजस्व संभावनाः सुधार के लिए मूल्यांकन और सुझाव
21. आधार कटाव और लाभ-बदलाव पर कार्रवाई योजनाः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य
22. राज्य स्तर पर राजस्व उदासीन दर का अनुमान

जारी अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रम (2012-13)

1. गहन पूंजी खाते के खुलाव की प्रक्रिया में नीति विश्लेषण
2. राज्य स्तर पर राजस्व उदासीन दर का अनुमान
3. 12वीं योजना अवधि के दौरान सीएडी को नियंत्रित करने के लिए दृष्टिकोण
4. बृहत-आर्थिक विश्लेषण, राकोषीय नीति और पूर्व सूचना देना
5. व्यवासय चक्रों पर अनुसंधान
6. एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम
7. मेघालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करना
8. भारत में पहाड़ी राज्यों के लिए विकासात्मक असमर्थता सूचकांक
9. भारत में स्वास्थ्य की देखभाल का वित्तपोषण
10. लोक वित्त सूचना प्रणाली
11. 14वें वित्त आयोग के लिए उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अंतर-सरकारी राजकोषीय व्यवस्था का अनुभव
12 हवाई पत्तन क्षेत्र में जोखिम का मूल्यांकन और इक्विटी पर उचित प्रतिफल की दर के अनुमान से संबंधित कार्य को देना

प्रशिक्षण कार्यक्रम /कार्यशालाएं (मार्च, 2014 तक)

1. अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। 15-19 अप्रैल, 2013 के दौरान एनआईपीएफपी में योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
2. 22-26 अप्रैल, 2013 के दौरान एनईपीएफपी में व्यय प्रबंध/ राजकोषीय से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. 20 मई से 14 जून, 2013 के दौरान दक्षिण एशिया से विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के लिए एनआईपीएफपी में विश्वविद्यालय और कालेज के लिए अध्यापकों के लिए लोक वित्त में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. 24-28 जून, 2013 के दौरान एनआईपीएफपी में आईएसएस के 34वें बैच के परिवीक्षाधीनों के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम
5. 5-9 अगस्त, 2013 के दौरान एनआईपीएफपी में भारतीय सिविल लेखा (सीजीए द्वारा प्रयोजित) के अधिकारियों के लिए व्यय प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम
6. 19-23 अगस्त, 2013 के दौरान एनआईपीएफपी में आईएएस अधिकारियों के लिए राजकोषीय नीति और बृहत आर्थिक प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम
7. 25-30 अगस्त, 2013 के दौरान पुणे में महाराष्ट्र सरकार के उप सचिवों के लिए लोक वित्त और बजट बनाने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम
8 3 से 14 फरवरी, 2014 के दौरान एनआईपीएफपी में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी के आईए एण्ड एएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

1.1 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा सृजित सर्वोच्च निकाय है जो भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन में लगा हुआ है अर्थात आयकर, निगम कर, धन कर आदि। इसमें एक अध्यक्ष और छः सदस्य हैं। यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है। इसमें 59,290[1] की स्वीकृत संख्या की तुलना में **42,905**[1] अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्यबल नियुक्त है जिसमें से लगभग 22 प्रतिशत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी में राजपत्रित अधिकारी हैं और शेष समूह 'ख' एवं 'ग' श्रेणी में अ-राजपत्रित कर्मचारी हैं।

1.2.1 सीबीडीटी के कामकाज में निम्नलिखित निदेशालय उसकी सहायता करते हैं :

(i) आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)
  - क. आयकर निदेशालय (जन संपर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
  - ख आयकर निदेशालय (वसूली)
  - ग आयकर निदेशालय (आयकर)
  - घ आयकर निदेशालय (लेखा-परीक्षा)
  - ङ आयकर निदेशालय (स्रोत पर कर कटौती)

(ii) आयकर महानिदेशालय (संभार-तंत्र)
  - क आयकर निदेशालय (व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्ईजिनियरिंग)
  - ख आयकर निदेशालय (अवसंरचना)
  - ग आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं)
  - घ आयकर निदेशालय (व्यय बजट)

(iii) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)

(iv) आयकर महानिदेशालय (सतर्कता)

(v) आयकर महानिदेशालय (विधि एवं अनुसंधान)

(vi) आयकर महानिदेशालय (मानव संसाधन विकास)

(vii) आयकर महानिदेशालय (आसूचना एवं आपराधिक जांच)

(viii) आयकर महानिदेशालय (जोखिम आकलन)

1.3 देश के भीतर विभिन्न क्षेत्राधिकार क्षेत्रों वाले 18 संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर आयुक्त हैं। प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए) क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष करों के आकलन और संग्रहण तथा अपने क्षेत्र में कर प्रशासन के समग्र प्रभारी हैं। आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को रोकने और बेहिसाबी धन का पता लगाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर पर जांच तंत्र के समग्र प्रभारी हैं। आयकर महानिदेशक (छूट) कराधान से छूट मांगने वाली संस्थाओं से संबंधित मामलों से निपटता है। आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य-निर्धारण) अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य-निर्धारण के मुद्दों से निपटता है। मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों को उनके क्षेत्राधिकार में आयकर आयुक्तों/आयकर निदेशकों द्वारा सहायता दी जाती है। प्रथम अपीलीय तंत्र में आयकर आयुक्त (अपील) शामिल हैं जो कर-निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपीलों के निर्धारण का अर्द्ध-न्यायिक कार्य करते हैं।

1.4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ नागपुर में स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए आयकर महानिदेशक के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

1.5 क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों की सहायता से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी राजस्व संग्रहण के लेखांकन के साथ ही आयकर विभाग द्वारा किए गए व्यय के लिए जिम्मेदार है।

[1](1 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार। संवर्ग की पुनर्संरचना के कारण स्वीकृत संख्या वित्त वर्ष 2014-15 में 80041 तक बढ़ने की संभावना है।)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रु. में)	परिमाणनीय व्युत्पत्तियां/ भौतिक उत्पाद	निरूपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
2		3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर 4(ii) योजना गत				
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**448.54** -				
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए भावी योजना	क) सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के साथ प्रणाली एकीकरण।		• 1.6.14 तक संभावित कार्यभार को संभालने के लिए संगणन क्षमता • प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी संव्यवहारों को संभालने के लिए एकल राष्ट्रीय डाटाबेस • आयकर विभाग के कार्यालयों में सुविधा प्रबंधन	राष्ट्रीय डाटा केन्द्र की स्थापना और अनुरक्षण, क्षेत्रीय डाटाबेसों का एकल राष्ट्रीय डाटाबेस में समेकन।	सतत। कोई संव्यवहार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है । विभाग के अधिकारी आयकर विवरणियों को उनकी लंबित होने के अनुसार संसाधित करता है।	एसआई समझौता 1.6.2014 तक है, जिसमें (त) एसआई सेवाएं और (त्त) एफएमएस सेवाएं शामिल हैं। एसआई सेवाओं को आईटीबीए परियोजना द्वारा लिया जा रहा है। 1 वर्ष की अवधि के लिए एफएमएस सेवाओं के विस्तार के लिए प्रस्ताव प्रगति पर है. 2.6.2014 तक, व्यय 45 करोड़ रू. होने की संभावना है अर्थात 30 करोड़ रु. मौजूदा एसआई समझौते के लिए और 15 करोड़ रु. विस्तार की अवधि के लिए जिसमें विस्तार की अवधि के दौरान परिवर्तन आदेश का प्रावधान शामिल है।
		ख) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, निगरानी एवं कार्यान्वयन		पूरे देश के आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	515 शहरों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए "टैक्सनेट" पर केन्द्रीय डाटा केन्द्र को एक्सेस करने में समर्थ हैं। डाटा के त्वरित एवं विश्वसनीय	सतत कार्रवाई।	विक्रेता की संविदा का 31.12.2014 तक एक और वर्ष के लिए विस्तार किया गया है। खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नए एमएसपी के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
					स्थानान्तरण से करदाताओं को सेवाओं की समय पर सुपुर्दगी का सुनिश्चयन होगा।		इस परियोजना पर अनुमानित व्यय 31.8 करोड़ रू. होगा
		ग) प्राथमिक, बीसीपी एवं डीआर साइटों के लिए डाटा केन्द्रों को किराए पर लेना।		• उद्योग के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति। • परियोजना 2014 तक पूरी हो जाएगी।	विभिन्न प्रबंधन नियत्रणों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित डाटा उपलब्ध होगा।	प्रक्रिया चल रही है।	तीनों डाटा केन्द्र पीडीसी, बीसीपी एवं डीआर क्रियाशील हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए इस परियोजना पर अनुमानित व्यय लगभग 10 करोड़ रुपए होगा।
		घ) 2003-09 की अवधि के बकाया पैन फार्मों का भौतिक रूप से भण्डारण			2003-09 की अवधि के दौरान 5.73 करोड़ पैन आवेदन प्रपत्र प्राप्त हुए जिनका स्थायी रूप से भण्डारण किया जाना है।	सतत	वित्तीय वर्ष 2014-15 में संभावित व्यय 27 करोड़ रू. होगा।
		ङ) 2003-09 की अवधि के बकाया पैन फार्मों की स्कैनिंग सहित ई-भण्डारण					
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	निम्नलिखित से संबंधित सूचना के निक्षेपागार के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा आयोजित किया जा रहा है: • ऑन लाइन कर लेखा प्रणाली (ओल्टास), • बही समंजन के संबंध में सरकारी ओल्टास, • टी डी एस विवरणियों से होने वाली कर कटौतियां • वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से होने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार।		• टी डी एस कटौतियों की सटीक एवं त्वरित क्रेडिट, विवरणी न जमा करने वालों/ बंद करने वालों तथा अल्प कटौतियों के मामलों की पहचान सुकर करना	जांच कंप्यूटर आधारित चयन (सीएएसएस) सुकर करने हेतु एआईआर से व्यवसाय आसूचना डाटाबेस।	सतत	नए सेवा प्रदाता की पहचान और चयन की प्रक्रिया चल रही है। वित्त वर्ष 2014-15 में वर्तमान संविदा को जारी रखने के लिए अनुमानित व्यय 15 करोड़ रुपए (लगभग) है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
III	करदाता सेवाएं	हेल्पलाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र), के जरिए सूचना के प्रसार के लिए करदाताओं के साथ, सरल, पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता अनुकूल बातचीत करने हेतु। - करदाताओं को आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए आनलाइन सुविधाओं में सहायता करने हुते। - करों का ई-भुगतान। - प्रतिदाय स्थिति का आनलाइन पता लगाना।			➢ आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग में सहायता के लिए देश व्यापी सुविधाएं ➢ विभिन्न प्रपत्रों को डाऊन लोड करने में सहायता ➢ ई- मेल से फार्म भेजने की सुविधा • पैन और टैन आवेदनों की स्थिति तथा कर निर्धारण के क्षेत्राधिकार से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना ।	• सूचना का आसान एवं सुविधाजनक प्रसार • सुविधा में वृद्धि जिससे मैनुअल इंटरफेस घटेगा तथा कर-दाताओं की संतुष्टि में वृद्धि होगी ।	जारी	विभाग ने टोल फ्री नम्बर 18001801961 और शॉर्ट कोड 1961 के साथ आयकर संपर्क केन्द्र की स्थापना की है। गुड़गांव में एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर (एनसीसी) और जम्मू, जंगीपुर, शिलांग एवं कोच्चि में चार क्षेत्रीय कम्प्यूटर सेंटर (आरसीसी) हैं और करदाताओं को हिन्दी, अंग्रेजी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में सेवा दे रहा है। दूरभाष व्यय की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त परियोजना पर वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अनुमानित व्यय 5.5 करोड़ रू. होगी।
IV	प्रतिदाय बैंकर	(क) आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण, क्रेडिट तथा सुरक्षित सुपुर्दगी सुपुर्दगी। (ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाना तथा एक तीव्रतर 'प्रतिवर्तन काल' हासिल करना।			सुरक्षित सुपुर्दगी को समर्थ करने के लिए प्रतिदायों के निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण एवं क्रेडिट हेतु एक प्रणाली चालित प्रक्रिया।			वित्त वर्ष 2013-14 में प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से भेजे गए प्रतिदायों की संख्या 1,03,06,814 से अधिक है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्रतिदायों की संख्या वित्त वर्ष 2013-14 से अधिक होने की संभावना है। ईसीएस प्रतिदायों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अनुमानित व्यय की राशि 36 करोड़ रू. (लगभग) होगी।
V	केन्द्रीकृत संसाधन प्रकोष्ठ (सीपीसी) टीडीएस	कटौतीकर्ताओं/समाहर्ताओं को टीडीएस/टीसीएस संशोधन विवरण सरलता से दाखिल करने में समर्थ बनाने हेतु			परियोजना का प्रथम चरण चालू हो गया है।	- कर क्रेडिट का सटीक मिलान - चूककर्ता लेखांकन और शोधन - टीडीएस विवरणों का संसाधन	सतत	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए इस परियोजना पर संभावित व्यय **50 करोड़ रू.** होगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
		स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए केन्द्रीकृत संसाधन प्रकोष्ठ (सीपीसी) आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है।			- ट्रेसेस वबसाइट में वेब सुविधाएं		
VI	केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर	(क) कागज आधारित एवं इलेक्ट्रानिक रूप में दाखिल आयकर विवरणियों (आईटीआर) का केन्द्रीकृत संसाधन। (ख) सीपीसी विभाग को करदाताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि से निपटने और परिणामतः कर्मचारियों को कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा। (ग) यह विभाग को अधिक दक्ष प्रक्रियाएं लाने और पूरे विश्व में बेहतरीन कर प्रशासनों द्वारा पेश की जा रही आधुनिक नागरिक सेवाएं शुरू करने में समर्थ बनाएगा।			• बेहतर करदाता सेवाएं तथा शिकायतों में कमी। • करदाताओं के लिए अनुपालन लागत में कमी। • विभाग के लिए प्रशासनिक लागत में कमी। • त्वरित संसाधन जिससे प्रतिदायों की शीघ्रता से सुपुर्दगी होती है और ब्याज व्यय में कमी होती है। • सीपीसी ने कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल विवरणियों का संसाधन अगस्त 2012 से शुरू कर दिया है और तिमाही के दौरान इसने गति पकड़ी है। • कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 के अग्रानीत इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल विवरणियों को परिसमाप्त किए जाने थे • कर्नाटक और गोवा के कागजी विवरणियों के संसाधन पूरे किए जाने थे।	सतत	सीपीसी सितम्बर 2009 में शुरू हुआ। सीपीसी ने 31.3.2014 तक 6.22 करोड़ रू. से अधिक इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल विवरणियों का संसाधन किया। संविदा अवधि के लिए संस्वीकृति राशि जून 2013 को समाप्त तिमाही तक किए गए भुगतान से समाप्त हो गया है। अतिरिक्त संस्वीकृति के लिए प्रस्ताव सीएंडजी व्यवस्था की रिपोर्ट के बाद जब सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विवरणियों के संसाधन की संभावित मात्रा लगभग 3.4 करोड़ है। इस परियोजना पर वित्त वर्ष 2014-15 में किया जाने वाला अनुमानित व्यय वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बकायों और लेखा-परीक्षा खर्चों सहित 360 करोड़ रू. है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
VII	डाटा भण्डार एवं व्यवसाय आसूचना (डीडब्ल्यू एण्ड बीआई) समाधान	स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने, गैर-अनुपालन को रोकने हेतु सूचना की प्रभावी उपयोगिता के लिए एक व्यापक मंच का विकास करना और यह भरोसा दिलाना कि सभी पात्र व्यक्ति समुचित कर का भुगतान करें			सलाहकार को निम्नलिखित तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया हैः • परियोजना की योजना • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट • कार्यान्वयन एजेंसी चुनने के लिए आरएफपी • उच्च स्तरीय डिजाइन दस्तावेज • अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट कार्यान्वयन एजेंसी के चयन के लिए डीपीआर एवं आरएफपी को अंतिम रूप दिया जाना है।	(i) कर आधार को विस्तृत और बहरा करना (ii) कर कानूनों के साथ अनुपालन में सुधार (iii) धोखाधड़ी और राजस्व के रिसाव का पता लगाना (iv) जांच में सहयोग (v) कर संग्रहण की प्रभावकारिता को बढ़ाना (vi) उद्यम-वार रिपोर्टों का सजृन (vii) उच्च जोखिम परिदृश्यों की निगरानी नीति निर्माण के लिए निविष्टियां प्रदान करना	योजना तैयार कर ली गई है। आरएफपी को जुलाई, 2014 तक अंतिम रूप दिया जाना है और आईए के चयन की प्रक्रिया जनवरी, 2015 तक पूरा किया जाना नियत है।	परियोजना का डिजाइन चरण सलाहकार की नियुक्ति के साथ ही जनवरी 2014 में पहले ही शुरू हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जून, 2014 तक प्रस्तुत किया जाना नियत है।
VIII	ई-फाइलिंग एवं वेब आधारित सेवाएं	क. आईटीआर सहित आयकर अधिनियम के सभी प्रपत्रों की ई-फाइलिंग की अनुमति हेतु ख ई-फाइलिंग के साथ मोबाइल इंटरफेस और एसएमएस अलर्ट को एकीकृत करने हेतु ग. करदाता सेवाओं की ई-सुपुर्दगी में सुधार हेतु			परियोजना की परिमाणनीय उत्पत्तियां निम्नवत हैं क. लगभग 100 प्रतिशत का उपरिकाल विशेष रूप से उच्चतम फाइलिंग महीनों के दौरान ख. करदाता सेवाओं की ई-सुपुर्दगी के लिए एकल इंटरफेस ग सभी प्रत्यक्ष कर प्रपत्रों का ई समर्थ घ प्रपत्रों की पूर्व-फाइलिंग और वैयक्तिकरण ङ मल्टीपल इंटरफेस सार्वजनिक आईपी/मोबाइल/ वीपीएन	सभी प्रपत्रों को ई-समर्थित किया जाना है।	टीडीएस प्रपत्र के अलावा अन्य सभी प्रपत्रों को ई-समर्थित कर दिया गया है। टिन परियोजना से संबंधित एक पीओसी के कारण टीडीएस प्रपत्र लंबित है इसके अलावा, ई-फाइलिंग पर एक अनुपालन मॉड्यूल की परिकल्पना की गई है।	वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कम से कम 4 करोड़ रू. आईटीआर/ प्रपत्रों को ई-समर्थ किया जाएगा और अनुमानित व्यय 44.27 करोड़ रू. है। एसटीक्यूसी (सीईआरटी दिशा-निर्देशों के अनुसार तीसरा पक्ष लेखा-परीक्षा) के लिए अनुमानित भुगतान = 55.4 लाख रू. ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
IX	नया आईटीडी अनुप्रयोग	नए हार्डवेयर के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले नए आईटीडी अनुप्रयोग का पुनर्लेखन एवं पुराने अनुप्रयोग का भी अनुरक्षण।			1. नए आईटीडी अनुप्रयोग का पुनर्लेखन। 2. अनुप्रयोग के लिए डाटा केन्द्र का विकास। 3. प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र का विकास। 4. वैशाली में परीक्षण परिवेश का विकास। 5. 20,000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण। 6. एचआरएमएस माड्यूल का विकास। 7. पुराने अनुप्रयोग का अनुरक्षण। 8. विभाग की सभी प्रक्रियाओं (मुख्य कार्यों के अलावा) के लिए सॉफटवेयर। 9. यूटीआई/एनएसडीएल/सीपीसी बंगलुरू/सीपीसी टीडीएस/प्रतिदाय बैंकर आदि के साथ इंटरफेस। 10. हेल्पलाइन।	सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं हेतु नया आईटीडी अनुप्रयोग और विभाग के विभिन्न कार्यात्मकताओं को शामिल करते हुए।	एमएसपी 2.6.2014 से डाटा केन्द्रों को चलाएगा। सॉफ्टवेयर का विकास किया जाएगा।	परियोजना की परीक्षण और प्रमाणन सहित विभिन्न घटकों पर निर्भरता है। इस संबंध में कोई भी देरी समय-सीमा को प्रभावित कर सकती है। वित्त वर्ष 2014-15 में परियोजना पर अनुमानित व्यय 11.00 करोड़ रू. होगा।
1	राजस्व लेखांकन प्रबंधन सॉफ्टवेयर	राजस्व खातों का संकलन, एनआईसी हैदराबाद में केन्द्रीकृत डाटाबेस सर्वर को डाटा का हस्तांतरण एवं 28 नए सृजित जेडएओ में विभिन्न एमआईएस के सृजन हेतु बी.आई अनुप्रयोग को प्रचालनीय बनाना।	**0.7**	-	बी.आई अनुप्रयोग की खरीद कर ली गई है और परीक्षण मोड में है।	एक वर्ष	विशिष्ट उपलब्धियों को परियोजना प्लान के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।	बी.आई अनुप्रयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजस्व संग्रहण की विभिन्न रिपोर्टों और मुख्यालय तथा इसके 52 जेडएओ में विभिन्न अन्य अनुकूलित रिपोर्टों का सृजन होगा।
2	20 जेडएओ के साथ आनलाइन विडियो कांफ्रेसिंग का कार्यान्वयन	जेडएओ के साथ प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए की ऑनलाइन बातचीत हेतु	**0.3**	-	शारीरिक बैठकों से बचा जा सकता है	एक वर्ष (विभिन्न जेडएओ में चरण-वार)		एकीकृत कांफ्रेसिंग का कार्यान्वयन मुख्यालय में अधिकारियों को इसके 52 जेडएओ के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाएगा, इस प्रकार शारीरिक बैठकों से बचा जा सकेगा।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
	मुख्य शीर्ष 4059-सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-कार्यालय भवन		**700.00**	-				
1	एनएडीटी, नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास मेस का निर्माण	विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण सहित उन्नत पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता और एनएडीटी, नागपुर में उत्पन्न हो रही आवास की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने हेतु।			एनएडीटी, नागपुर में एटीसी, मेस सहित छात्रावास-रूरू का निर्माण	कालम-3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए।	पूरा होने की अंतरिम तारीख 25.1.2015	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 5.61 करोड़ रुपए है।
2	मोहाली में आर टी आई भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			मोहाली में आरटीआई भवन का निर्माण	कालम-3 में उल्लेख किए गए उद्देश्य को पूरा करना	कार्य प्रदान करने के बाद 18 से 24 माह	प्रस्ताव अनुमोदन की अवस्था में है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 30 करोड़ रुपये है।
3	4-5 इंफैंट्री रोड, बंगलौर में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			बंगलौर में कार्यालय भवन का निर्माण	कालम-3 में उल्लेख किए गए उद्देश्य को पूरा करना	प्रारंभिक जमा, अनुमोदन और बाधा रहित भूमि को सौंपने के बाद 24 माह	प्रस्ताव अनुमोदन की अवस्था में है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 40 करोड़ रुपये है।
4	[illegible]में कार्यालय सह आवासीय भवन को निर्माण	कार्यालय स्थान और आवास की कमी को कम करना			प्रशासनिक अनुमोदन/ वित्तीय स्वीकृति (ए/ए एंड एफ एस) प्रदान करने के पश्चात 24 माह में 16138 वर्गमीटर कार्यालय स्थान का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।	इससे कार्यालय स्थान की कमी में कमी आएगी और अधिकारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध होगा इसके परिणामतः करदाताओं को बेहतर सेवा प्राप्त होगी।	स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तारीख से 24 माह	प्रस्ताव अनुमोदन की अवस्था में है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 40 करोड़ रुपये है।
5	श्रीनगर में कार्यालय सह आवासीय भवन को निर्माण	कार्यालय स्थान और आवास की कमी को कम करना			प्रशासनिक अनुमोदन/ वित्तीय स्वीकृति (ए/ए एंड एफ/एस) प्रदान करने के बाद 46 माह में 11031 वर्ग मीटर कार्यालय स्थान का निर्माण करने का प्रस्ताव है	इससे कार्यालय स्थान की कमी में कमी आएगी और विभाग के अधिकारियों के लिए बेहतर कार्यवाता-वरण उपलब्ध होगा और परिणामतः करदाताओं को बेहतर सेवा प्राप्त होगी	स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तारीख से 46 माह	प्रस्ताव अनुमेदन की अवस्था में है और वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 10 करोड़ रुपये है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
6	बेलगांव में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			बेलगांव में कार्यालय भवन का निर्माण	कालम-3 उल्लेख किए गए उद्देश्यों को पूरा करना	कार्य आरंभ होने की तारीख से 18 माह	प्रस्ताव को मंजूरी 13.1.2014 को दी गई है वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 10 करोड़ रुपये है।
7	नवसारी में (बेसमेंट+5 मंजिल) कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			नवसारी में कार्यालय एवं आवासीय स्थान	कालम-3 उल्लेख किए गए उद्देश्यों को पूरा करना	स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 माह	प्रस्ताव अनुमोदन की अवस्था में है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 10 करोड़ रुपये है।
8	पठान कोट में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			पठान कोट में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद करना	इससे कार्यालय स्थान की कमी में कमी आएगी और विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त होगा परिणाम- स्वरुप करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्राप्त होगी।		प्रस्ताव अनुमोदन की अवस्था में है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 8.69 करोड़ रुपये है।
9	बशीरबाग में आयकर भवन का उन्नयन	भवन के संरचनात्मक पहलुओं में सुधार करना और कर्मचारियों तथा करदाताओं के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना।			संरचना में सुधार करना	कालम 3 में उल्लेख किए गए उद्देश्यों को पूरा करना	31 मार्च, 2014 तक पूरा होना संभावित	प्रस्ताव 6.12.2013 को स्वीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 7.32 करोड़ रुपये है।
10	गुन्टूर में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			कार्यालय भवन का निर्माण करने हेतु भूमि की खरीद करना	कालम 3 में उल्लेख किए गए उद्देश्यों को पूरा करना	-	प्रस्ताव अनुमोदन की अवस्था में है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 6.41 करोड़ रुपये है।
11	सकेत, दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			दिल्ली में आयकर के नए कार्यालय भवन का निर्माण	कालम 3 में उल्लेख किए गए उद्देश्यों को पूरा करना	-	प्रस्ताव अनुमोदन की अवस्था में है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 25 करोड़ रुपये है।
12	मोहाली में कार्यालय तथा निवास स्थानों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना			मोहाली में कार्यालय और आवासीय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद करना	कालम 3 में उल्लेख किए गए उद्देश्यों को पूरा करना	-	प्रस्ताव अनुमोदन की अवस्था में है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 14.52 करोड़ रुपये है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
	मुख्य शीर्ष 4216-लोक निर्माण-गृह निर्माण के संबंध में पूंजीगत परिव्यय		**50.00**	-				
1	हडपसर, पुणे में आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण	आवासीय स्थानों की कमी को कम करना			हडपसर, पुणे में अतिथि गृह सहित आवासीय काम्पलेक्स	कालम-3 में उल्लेख किए गए उद्देश्यं को पूरा करना	स्वीकृति की तारीख अर्थात् 25.3.2013 से 30 माह	प्रस्ताव 25.3.2013 को स्वीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिव्यय 7 करोड रुपए है।
2	एमजी रोड, चेन्नई में 38 संख्या में (जी+19) टाईप-VI क्वार्टर	स्टाफ सदस्यों के लिए आवास की आवश्यकता को पूरा करना			कर्मचारियों के लिए निवास स्थानो का निर्माण करना	कालम-3 में उल्लेख किए गए उद्देश्यों को पूरा करना	6 माह आयोजना के लिए और तत्पश्चात् कार्यान्वयन के लिए 24 माह	प्रस्ताव 24.9.2013 को स्वीकृत किया गया था। वित्त व, 2014-

सुधार के उपाय एवं नीतिगत पहलें

आयकर विभाग में सुधारात्मक पहलें

पिछले कुछ वर्षों में विभाग में सिस्टम संचालित व्यावसायिक परिवेश का निर्माण करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बहुत से कदम उठाये गए हैं। इन उपायों से करदाता सेवाओं में सुनिश्चित गुणात्मक सुधार हुए हैं और इनसे शिकायतों को न्यूनतम करने हेतु करदाताओं और विभाग के बीच इन्टरफेस में कमी लाने के लिए अभिप्रेत विषयनिष्ठता लाने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

2. कर प्रशासन का परम्परागत दृष्टिकोण राजस्व जुटाने और कर अपवंचन को रोकने हेतु एक साधन के रुप में प्रवर्तन के प्रयोग पर केन्द्रित रहा है। यह महसूस किया गया था कि जबकि प्रवर्तन और अंतर्वेधी तरीकों से केवल कम मात्रा में ही मामलों के बारे में कार्रवाई की जा सकी है परंतु संभावित अपवंचन के बड़ी मात्रा में मामलों पर कार्रवाई करने के बारे में इसकी अपनी परिसीमाएं है। यह भी चिंता का विषय रहा था कि अपर्याप्त प्रति मिलान तंत्र के साथ कर प्रशासन में छल-कपट और दुरुपयोग की गुंजाइश बनी रहती है।

3. यह स्वीकार किया गया था कि करदाताओं के लिए उत्तम श्रेणी की सेवाएं उपलब्ध कराना एक कुशल, कारगर और पारदर्शक कर प्रशासन की एक अभिन्न और महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि प्रक्रियाएं सरल, सहानुभूतिपूर्ण और करदाता अनुकूल हैं तो करदाताओं में कर प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा होगा और वे स्वैच्छिक अनुपालन का समर्थन करेंगे।

1. आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग

करदाताओं को वेब समर्थित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-फाइलिंग परियोजना आयकर विभाग द्वारा किया गया एक उत्कृष्ट ई-गवर्नेंस तथा ई-डिलिवरी उपाय है। इस परियोजना का लक्ष्य करदाताअें द्वारा आयकर विवरणियों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों तथा आयकर के अन्य प्रपत्रों की इंटरनेट पर सीधे ही और ई-रिटर्न मध्यवर्तियों (ई आर आई) के जरिए ई-फाइलिंग करना है। इस प्रणाली में संशोधनों को ऑन लाइन प्रस्तुत करना, आईटीआर-ज की प्राप्ति के संबंध में अद्यतन स्थिति का सत्यापन ऑनलाइन करना तथा सीपीसी, बंगलुरु में संसाधित ई-फाइल की गई विवरणियों के संबंध में प्रतिदाय को ऑन लाइन सूचित करना शामिल है। चयनित सूचना मोबाइल इन्टरफेस के माध्यम से भी उपलब्ध है।

ई फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर करदाताओं के लिए निम्नलिखित व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध हैं:-

- विवरणियों की ऑन लाइन या ऑफ लाइन फाइलिंग:
- निर्धारिती के ब्यौरे सहित विवरणियों की अग्रिम फाइलिंग (प्री-फाइलिंग) करना;
- पहले फाइल की गई **एक्स एम एल** फाइल को डाऊन लोड करने की सुविधा;
- संशोधनों को ऑन लाइन प्रस्तुत करना;
- आई टी आर-5 की प्राप्ति के संबंध में स्थिति अपडेट्स का सत्यापन करना;
- सूचना के लिए अनुरोध करना;
- यदि लिंक प्राप्त नहीं होता है या मेल पहले हटा दी गई हो तो रिसेन्ड एक्टीवेशन लिंक फीचर सहायक होता है;
- ''अधिकसुरक्षा का विकल्प'' अपनाने हेतु प्रयोक्ता को समर्थ बनाना।
- मृत व्यक्ति की ओर से ई-फाइल करने हेतु विधिक वारिस के रुप में पंजीकरण करना।

एक समर्पित कॉल सेंटर एवं हेल्प डेस्क ई-फाइलिंग के बारे में पूछताछ या शिकायत संबंधित कार्रवाई करता है। यह पोर्टल प्रयोक्ताओं को सहायता प्रदान करता है और स्थैतिक विषय वस्तु की 'हिन्दी में' जानकारी उपलब्ध कराता है।

आयकर विवरणियों की इलेक्ट्रौनिक फाइलिंग की मात्रा जो वित्तीय वर्ष 2006-07 में लगभग 4 लाख थी वित्तीय वर्ष 2012-13 में बढ़कर 214.87 लाख हो गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 31 दिसम्बर, 2013 तक लगभग 212.75 लाख विवरणियां प्राप्त हुई हैं जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 की इस अवधि के दौरान 147.51 लाख विवरणियां प्राप्त हुई थीं, इस प्रकार इसमें लगभग 44.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ई-फाइलिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रगति निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	ई-विवरणियों की संख्या (लाख में)	वृद्धि
2006-07	4	
2007-08	22	450%
2008-09	48.5	120%
2009-10	52.5	8%
2010-11	91.56	74%
2011-12	164.12	79%
2012-13	214.87	31%
2013-14 (31 दिसम्बर, 2013 तक)	212.75	44.2% (पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में)

ई-फाइलिंग साईट पर नए पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीकरण में महत्वूपर्ण वृद्धि हुई है, जो ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए ई-फाइलिंग तथा अन्य सुविधाओं के प्रयोग में वृद्धि को दर्शाता है। ई-फाइलिंग पोर्टल के पंजीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार लगभग 3.4 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तेरह विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्टों को अनिवार्य रुप से ई-फाइल किए जाने हेतु अधिसूचित किया गया है। करदाता अपने सीए को डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए कर लेखापरीक्षा रिपोर्टो (दस्तावेजों के साथ 3गक,3गख, 3गघ, 3गड.ख, फार्म 29ख) को ई-फाइलिंग पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है। ऑन लाइन और ऑफ लाइन ई-फाइल करने की सुविधा के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान फार्म 15गक उपलब्ध कराया गया है। सभी 8 आयकर विवरणियों सहित कुल 58 फार्म ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। कर-वृत्तिक इस पोर्टल पर प्रयोक्ता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 20.73 लाख फार्म ई-फाइल किए गए (31 दिसम्बर, 2013 तक)।

इसके अलावा करदाता ई-फाइलिंग के अपने लेखा-भाग में उसके विरुद्ध बकाया अदायगी न की गई कर मांग को देख सकता है।

1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक संभावनाएं/ अनुमान: वित्तीय वर्ष 2012-13 (जनवरी-मार्च, 2013 के दौरान 67.36 लाख ई-फाइल की गई विवरणियां दाखिल की गयी है) ई-फाइलिंग की प्रवृत्ति के आधार पर जनवरी-मार्च, 2014 के दौरान विवरणियों की ई-फाइलिंग की अनुमानित मात्रा 90 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। इस के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14

के दौरान ई-फाइलिंग की कुल मात्रा 300 लाख से कुछ कम रहने का अनुमान है। इस प्रकार ई-फाइल किए गए फार्मो के संबंध में जनवरी-मार्च, 2014 के दौरान फाइल किए गए फार्मों की संख्या 2.5 लाख होने का अनुमान है और वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कुल मात्रा 23.2 लाख के लगभग होने का अनुमान लगाया है। करदाताओं के संबंध में आगे अनुपालन से संबंधित सूचना वेबसाइट पर दिखाई जाएगी और करदाता संरचित उत्तर ऑनलाइन प्रस्तुत करने में समर्थ होंगे।

1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान वास्तविक परिणाम: 23.36 लाख संशोधित आवेदनों के अलावा 296 लाख ई-फाइल की गयी विवरणियां भी ई-फाइल की गई हैं। 31 मार्च, 2014 तक फाइल किए गए फार्मों की कुल संख्या 23.36 लाख है।

2. आयकर विवणियों के लिए केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी)

यह केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र परियोजना कर्नाटक और गोवा की सभी ई-फाइल की गई आयकर विवरणियों और कागज पर विवरणियों की बंगलुरु में केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग करने में समर्थ हुई है।

केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी), आयकर विभाग, बंगलुरु की स्थापना को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी, 2009 में अनुमोदित किया गया था। अक्तूबर, 2009 तक परिकलना तथा वित्तीय लेखाकरण प्रणाली के लिए कार-बार संबंधी नियमों की जांच की गई थी और आयकर विवरणियों के प्रथम सेट को प्रोसेस किया गया था। बंगलुरु में निर्धारण वर्ष 2008-2009 की कागज में फाइल की गई वेतन विवरणियों के अंकीकरण और प्रोसेसिंग का कार्य जनवरी, 2010 तक आरंभ किया गया था और निर्धारण वर्ष 2009-10 की ई-फाइल की गई विवरणियों के प्रोसेसिंग का कार्य अप्रैल, 2010 तक शुरु किया गया था। सीपीसी ने निम्नलिखित को प्राप्त किया है:-

- वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 31 दिसम्बर, 2013 तक 1.76 ई-फाइल की गई विवरणियों को प्रोसेस करना;
- इसके संचालन के चार वर्षों में 5 करोड़ ई-फाइल की गई विवरणियों को प्रोसेस करना जो प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 5 वर्षों की अवधि में परिकल्पित 2.7 करोड़ ई-फाइल की गई विवरणियों के लक्ष्य से कहीं काफी अधिक है।
- प्रतिदिन 2.80 लाख विवरणियों की अधिकतम प्रोसेसिंग क्षमता को प्राप्त करना।
- औसत प्रोसेसिंग समय को कम करके 66 दिन किया गया है जो नागरिक चार्टर में विनिर्दिष्ट अवधि (6 मास) और मैनुअल प्रोसेसिंग में निष्पादन (203 लगभग 14 माह) से काफी कम है।

सीपीसी द्वारा विवरणियों की तेजी से प्रोसेसिंग किए जाने से विवरणियों की ई-फाइलिंग के संवर्धन में और तेजी आई है और ई-फाइल की गई विवरणियों के अधिकांश भाग को सीपीसी में प्रोसेस किया जा रहा है। संपूर्ण ई-फाइल की गई विवरणियों जिन्हें सीपीसी में प्रोसेस किया गया है, की 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार समग्र प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

निर्धारण वर्ष	सकल ई-फाइल की गई विवरणियों	सीपीसी द्वारा प्रोसेस की गई ई-फाइल की गई विवरणियां	प्रतिशतता
2010-11	1,02,17,483	90,41,287	88%
2011-12	1,73,24,359	1,51,73,135	88%
2012-13	2,09,11,142	1,81,13,891	87%

प्रोसेसिंग कार्य तेजी से किए जाने के कारण करदाता को धारा 244क के अंतर्गत ब्याज अदायगी में कमी आई हैं। ब्याज पर बचत को नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

वित्तीय वर्ष	सीपीसी में प्रतिदाय (करोड़ रुपये में)	प्रतिदाय पर ब्याज (करोड़ रुपये में)	सीपीसी में संदत्त ब्याज की प्रतिशतता	सीपीसी के अलावा ब्याज की अखिल भारतीय औसत प्रतिशत	ब्याज पर बचत प्रतिशत	ब्याज पर बचत (करोड़ रुपये में)
2010-11	5,240	327.02	6.24%	14.54%	8.30%	434.98
2011-12	14,734	693.48	4.71%	12.0%*	7.29%	1,073.35
2012-13	12,620	829.28	6.57%	12.0%*	5.43%	685.39
2013-14#	14,456	857.49	5.93%	12.0%*	6.07%	877.73

31 दिसम्बर, 2013 तक * अनुमानित

सीपीसी ने करदाताओं के साथ उत्तरोतर ई-मेल और एसएमएस के जरिए संपर्क बनाए रखा। सीपीसी ने 13.66 करोड़ डिजिटल रुप में हस्ताक्षरित पीडीएफ आधारित सूचनाएं ई-मेल के जरिए और 5.92 करोड़ एसएमएस अलर्ट के द्वारा भेजी हैं। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए ई-डिलिवरी के कारण डाक द्वारा सूचनाएं भेजने में डाक व्यय में बचते नीचे सूचित किए गए अनुसार 205 करोड़ रुपये के लिए लगभग है:-

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14	कुल
करदाताओं को भेजी गई ई-मेल	59,27,080	3,67,69,270	4,29,43,613	5,10,02,668	13,66,42,631
डाक व्यय में बचत (रुपये)#	8,89,06,200	55,15,39,050	64,41,54,195	76,50,40,020	204,96,39,465

स्पीड पोस्ट/साधारण डाक की ली गई औसत लागत = 15 रुपए।

करदाताओं को सहायता और शिकायतों पर कार्रवाई तंत्र एकमात्र कॉल सेंटर के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। इस समय साठ कॉल सेंटर एजेंट 3 भाषाओं में प्रतिदिन 5000 कालें प्राप्त करते हैं (अटैन्ड करते हैं)। 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार 25 लाख कॉलें अटैन्ड की गई है। सीपीसी ने 31 दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार दायर किए गए 16.59 लाख अनुरोधों में से 16.28 संशोधन संबंधी अनुरोधों को प्रोसेस किया है (98 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा किया गया)। सीपीसी में संशोधन के लिए लिया गया औसत समय ऑन लाइन अनुरोध की तारीख से लगभग 45 दिन है। तथापि संशोधन संबंधी अनुरोधों में समग्र रुप से कमी आई है जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है:-

निर्धारण वर्ष	कुल प्रोसेस की गई विवरणियां (लाख में)	प्राप्त कुल संशोधन संबंधी प्रस्ताव	कुल की %
2008-09	4.1	26,091	7%
2009-10	46.41	332,922	7%
2010-11	90.41	424,108	5%
2011-12	151.73	490,834	3%
2012-13	181.13	343,248	2%
2013-14	84.18	42,628	<1%

जनवरी-मार्च, 29014 की अवधि के लिए संभावित/अनुमानित मात्रा

कार्यकलाप	जनवरी-मार्च, 2014 के लिए संभावनाएं	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए संभावनाएं	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक परिणाम
विवरणियों को प्रोसेस करना	68 लाख	245 लाख	244 लाख
संशोधन	1.40 लाख	6.61 लाख	6.55 लाख
कॉलों के संबंध में कार्रवाई	3.2 लाख	11.46 लाख	11.41 लाख
ई-मेल सूचनाए	150 लाख	660 लाख	656 लाख
एसएमएस सूचनाएं	155 लाख	539 लाख	538 लाख

(II) प्रतिदाय बैंकर योजना

प्रतिदाय बैंकर योजना प्रथमतः एक प्रायोगिक योजना के रुप में 24.1.2007 को दिल्ली तथा पटना में कार्यान्वित की गई थी। इसका विस्तार चरणबद्ध रुप से किया गया और आज बड़ी करदाता इकाइयों (एलटीडी) को और छूट प्रभारो को छोड़ कर संपूर्ण देश में लागू है। संख्यावार रुप में प्रतिदाय बैकर योजना के जरिए जारी किया गया प्रतिदाय जारी कुल प्रतिदाय का 98.93 प्रतिशत बैठता है। प्रतिदाय बैंकर योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2012 तक जारी प्रतिदाय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

कागजी रूप में	ईसीएस
सं. 2,45,95,429	सं. 149,93,010
रु. 95,474.01 करोड़	रु. 61,207.25 करोड़

भारतीय डाक तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) के साथ सहयोग से वेब आधारित स्टेट्स ट्रैकिंग सुविधा भी शुरु की गई है। प्रतिदाय स्थिति आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। संदत्त प्रतिदाय के बारे में सूचना करदाताओं को दिए जा रहे कर क्रेडिट विवरणों (फार्म सं. 26कघ) में उपलब्ध है।

(III) राष्ट्रीय कॉल सेंटर तथा क्षेत्रीय काल सेंटर

विभाग द्वारा शुरु की गई अन्य नागरिक अभिमुखी पहलें गुडगांव में रोबस्ट राष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना और जम्मू, शिलांग जंगीपुर और कोची में चार क्षेत्रीय कॉल सेंटरों की स्थापना करना है। काल सेंटरों के लिए अखिल भारत स्तर पर निशुल्क (टोल फ्री) नं. (1800-180-196/1961) आबंटित किया गया है और कॉल करने वाले का विवरणी फार्म, कर अदायगी प्रक्रिया, पैन, टिन, आवेदन, कर अदायगी की स्थिति, प्रतिदाय, ई-रिटर्न मध्यवर्तियों की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार आदि सहित विभिन्न सूचना सेवाओं के लिए अंतःक्रियात्मक ध्वनि-प्रत्युत्तर प्रणाली (इंटएक्टिव वॉइस रेसपोन्स सिस्टम) के जरिए मार्गदर्शन किया जाता है।

(IV) एटीएम के माध्यम से प्रत्यक्ष करों की अदायगी

यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र दोनो क्षेत्रों के 13 चयनित बैकों द्वारा शुरु की गई है। इस सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

(V) फार्म 26कध

करदाताओं को 26कध विवरण के अवलोकन की सुविधा इंटरनेट पर ऑन लाइन उपलब्ध है। 26कध योजना में बेमेलता को कम करने की क्षमता है क्योंकि करदाता अब कर क्रेडिट में अंतर की जानकारी रखता है और तदनुसार, वह विभाग की कटौती का पता लगाकर या इसे पूरा करके सहायता करता है।

- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) बेमेलता को समाप्त करने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र जारी किया है जिसके अनुसार सभी कटौतीकर्ताओं द्वारा टिन पोर्टल से फार्म 16क को डाऊन लोड करना अनिवार्य है।
- इससे संदत्त प्रतिदाय के बारे में, शेयरों, म्युच्यूअल फंड्स आदि में निवेश जैसी एआईआर सूचना प्राप्त होती हैं ओर कटौती किए गए टीडीएस और जमा किए गए टीडीएस का ब्यौरा भी प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्धारिती अपने ब्यौरों का सत्यापन कर सकता है।

(VI) सेवोत्तम

सेवोत्तम के अंतर्गत आयकर सेवा केन्द्र (एएसके) डाक की केन्द्रीकृत प्राप्ति, पंजीकरण एवं वितरण के लिए एकल खिड़की कम्प्यूटरीकृत सेवा तंत्र हैं।

विभाग ने आज की तिथि तक संशोधित सेंट्रल सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन के साथ 270 केन्द्रों पर आयकर सेवा केन्द्र (एएसके) खोले हैं ।

(VII) टीडीएस - सीपीसी

टीडीएस विवरणियों की प्रोसिसिंग के लिए वैशाली, गाजियाबाद में एक केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किया जा रहा है । सीपीसी टीडीएस अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा :

अधिकृत मध्यस्थ एवं कटोतीकर्ताओं के लिए ई-टीडीएस/टीसीएस सुधार विवरण दाखिल करने की वेब सेवाएं

- टीडीएस विवरणों में पैन संबंधी त्रुटियों का सुधार
- टीडीएस/टीसीएस 24जी विवरणों में चूकों को सही करना
- पोर्टल के माध्यम से कटौतीकर्ताओं/पीएओ/मध्यस्थों के साथ संचार
- हेल्प डेस्क/ काल सेंटर के माध्यम से कटौतीकर्ताओं को सूचित करना।
- कटौतीकर्ताओं/पीएओ द्वारा सूचित शिकायतों का समाधान
- टीडीएस के लिए व्यवसाय विश्लेषण

(VIII) आयकर विभाग की व्यवसाय प्रक्रिया के लिए नया अनुप्रयोग (एप्लीकेशन)

- करदाता सेवा और कर प्रशासन दोनों में सुधार करने के लिए विद्यमान सूचना का बेहतर प्रयोग करने तथा आयकर व्यवसाय अनुप्रयोगों (आईटीबीए) का प्रयोग करके, विभाग में सभी कार्यो करने हेतु नए सृजित अद्यतन साफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारण अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को समर्थ बनाने हेतु नई परियोजना शुरु की है जो आयकर के पुराने अनुप्रयोगों की पुनर्संरचना करेगी और नए इंटरफेसों और प्रक्रिया का विकास होगा।
- कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सूचना के कारगर उपयोग के लिए डाटा वेयरहाऊस एवं व्यवसाय आसूचना (डी डब्ल्यु एंड बी आई) को कार्यान्वित करके गैर अंतर्वेधी सूचना के द्वारा प्रेषित दृष्टिकोण को मजबूत करना। डी डब्ल्यू एवं बी आई प्लेटफार्म उद्यम डाटा वेयर हाऊस, डाटा माइनिंग, वेब माइनिंग, भविष्यसूचक मॉडलिंग, डाटा आदान-प्रदान, मास्टर डाटा प्रबंधन, केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग, अनुपालन जोखिम प्रबंधन और मामला विश्लेषण क्षमताओं को समेकित करेगा। डी डब्ल्यू एवं बी आई परियोजना का अभिकल्प सोपान जनवरी, 2014 में आरंभ किया गया है और सोपानबद्ध कार्यान्वयन शुरु करना 2015-17 में अनुसूचित किया गया है। इस परियोजना में पैन जनसंख्या, बड़ी मात्रा में पत्रों/सूचनाओं को तैयार करना, अधिक कार्यदक्षता के लिए प्रारंभिक जांच आदि जैसे संसाधन गहन आवृतीय कार्यो के संबंध में कार्रवाई करने हेतु दिल्ली में एक केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी-अनुपालन प्रबंधन) की स्थापना करना भी परिकल्पित है।

(IX) कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी)

मझोले एवं छोटे करदताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2007 में कर विवरणी तैयारकर्ता योजना (टीआरपीएस) शुरू की गई थी।

टीआरपीएस अब ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने में सहायता कर रही है ।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

1. आरएएमएस परियोजनाः चूंकि बैंकों ने सम्पर्क के प्रथम बिन्दु अर्थात संबंधित शाखा स्तर पर सभी चालान सूचना अंकीकृत (डिजिटाइज) की है अतः प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक प्रक्रिया की संकल्पना की है, जिसके द्वारा चालान की सभी सूचना नोडल शाखाओं से जोनल लेखा कार्यालयों (जैडएओ) को डिजिटल रुप में उपलब्ध करायी जा सकेगी। इस कार्यालय ने एक कम्प्यूटरीकृत राजस्व लेखा प्रणाली आरंभ की है जिसे आर एएमएस (राजस्व लेखाकरण प्रबंधन साफ्टवेयर) कहा जाता है और इसे एनआईसी की सहायता से विकसित किया गया है। बैंक इस कार्यालय के पोर्टल पर चालान अपलोड करते हैं जिसे चालान फाइल प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) कहा जाता है जहां से इसे जोनल लेखा कार्यालयों (जैड ए ओ) द्वारा डाऊन लोड किया जाता है और वे इन फाइलों को दैनिक आधार पर आरएएमएस में समाविष्ट करते हैं तथा प्रत्यक्ष करों के संबंध में विस्तृत राजस्व लेखे को लेखा महानियंत्रक के ई-लेखा पोर्टल पर अपलोड करते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक से पुट-थ्रू भी स्वचालित है। अब केन्द्रीकृत डाटा सर्वर में डाटा को समेकित करने के संबंध में एक योजना चल रही है और व्यापार आसूचना उपकरणों को नियोजित किया गया है ताकि विभिन्न एमआईएस को स्वचालन आधार पर सृजित किया जा सके। इसके अलावा कम्पैक्ट, ई-पेंशन, एमपीएलएस वीपीएन, ई भुगतान जैसे अन्य स्वचालित लेखा पैकेज प्रचालन में हैं। प्राप्ति लेखाकरण प्रबंधन सॉफ्टवेयर को इस कार्यालय के 24 जोनल लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया था। अब दूसरे चरण में इसे 28 नए सृजित जोनल लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित किए जाने की योजना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी सभी जोनल लेखा कार्यालयों के संबंध में पुट थ्रू आंकड़ों को केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड कर रहा है जिन्हें आंकड़ों के मिलान के लिए तथा दंड स्वरुप ब्याज के परिकलन के लिए संबंधित जोनल लेखा कार्यालयों द्वारा डाऊनलोड किया जाता है।

प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली (डीटीआईएस)

एक प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है, जहां पर सभी जोनल लेखा कार्यालयों का समेकित डेटा विश्लेषण के लिए उपलब्ध होगा। प्रोटोटाइप का परीक्षण प्रचालन चल रहा है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताए निम्नानुसार हैः-

- जोनल लेखा कार्यालय के समेकित आंकड़ा आधार (डेटाबेस) से प्रत्यक्ष कर सूचना सिस्टम डेटाबेस को आंकड़ों (डेटा) के अंतरण की प्रक्रिया;
- अपेक्षाअनुसार विभिन्न विश्लेषण क्षेत्रों में ग्राफों/रिपोर्टो/डैशबोर्डो को विकसित करना;
- एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करना जिसके द्वारा प्रति दिन नवीन डेटा प्रत्यक्ष कर सूचना सर्वर में शामिल हो सके।

प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली का विश्लेषण क्षेत्र

संपूर्ण प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली को विभिन्न विश्लेषण क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक विश्लेषण क्षेत्र विषय क्षेत्र के संबंध में पूर्ण विश्लेषण को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक विश्लेषण क्षेत्र डेटाबेस में उपलब्ध सभी मुख्य क्षेत्रों को विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा आवश्यकतानुसार नए परिकलित क्षेत्र भी सृजित किए जा सकते हैं जैसा कि विश्लेषण के लिए आंकड़े फाइल आधारित समेकन को शामिल करके जोनल लेखा कार्यालय से समेकित किए जाएंगे, परंतु विश्लेषण के लिए उपलब्ध आंकड़े (डेटा) केन्द्रीय सर्वर पर उपलब्ध आंकड़ों (डेटा) तक ही सीमित होंगे। पांच विश्लेषण क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक विश्लेषण क्षेत्र में प्राप्ति ब्यौरों, प्रतिदाय ब्यौरों, संग्रहण किस्मवार प्राप्ति और आर बी आई पुट थ्रू से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने हेतु 4-5 ग्राफ का एक सेट उपलब्ध होगा।

2. ई-भुगतान परियोजना :

वित्त मंत्री के अधिदेश के अनुसार ई-लेखा प्रणाली प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी के कार्यालय में तथा इसके 52 जोनल लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित की गई है। ई-भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रानिक भुगतान के कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप कार्यान्वयन में परिणत हुई है और इसके परिणामतः बैकों को सीधे इलेक्ट्रानिक सलाह का सृजन हुआ है और वर्तमान चैक जारी करने की प्रणाली काफी हद तक समाप्त हो गई है।

3. एकीकृत कान्फ्ररेन्सिंग प्रणालीः

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी का कार्यालय एकीकृत कान्फ्रेरेन्सिग प्रणाली लागू होने पर लाभन्वित होगा, जिसके द्वारा अधिकारी समग्र भारत में स्थित इसके 52 जोनल लेखा कार्यालयों के साथ वेब संचालित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आपस में बातचीत कर सकेंगे। यह प्रणाली अधिकारियों को अपने कम्प्यूटर से लॉग करने के लिए तथा वीडियो कान्फ्ररेन्सिग की तरह बातचीत आरंभ करने के लिए समर्थ करेगी। इसके अलावा इस प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं भी होगीः-

(क) एकीकृत श्रव्य पीएसटीएन वेब और वीडियो कान्फ्ररेन्सिंग,

(ख) बैठकों की जीवत कार्रवाई रिकार्ड की जा सकेगी और बैठक समाप्त होने के बाद इसे देखा जा सकता है।

(ग) ऑन लाइन प्रशिक्षण और हैंड होलडिंग,

(घ) संसाधनों को पहले अपलोड किया जा सकता है और किसी भी मशीन के साथ बांटा जा सकता है।

2012-13 के परिव्यय के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र.स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रु. में)	मात्रात्मक प्रदेय/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	31 मार्च, 2013 को मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
			4 योजनेतर ब. अ. स. अ.			
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**225.00 400.00**			
I.	वृहत्त कम्प्यूटरीकरण के सोपान-3 के लिए भावी योजना	क) सॉफ्ट प्रापण के साथ प्रणाली समेकन		• वर्ष 2014-15 तक के संभावित कार्यभार की व्यवस्था हेतु परिकलन क्षमता। • संव्यवहारों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था हेतु, एकल राष्ट्रीय डेटा बेस • आयकर विभाग के कार्यालयों में सुविधा प्रबंधन	चल रही है	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया व्यय 51.73 करोड़ रुपए था।
		ख) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना मानीटरिंग और कार्यान्वयन		समग्र देश में आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	परियोजना पूरी हो गई है।	सभी भवनों में एलएएन/डब्ल्यू एएन कनेक्टिवटी का कार्य पूरा हो गया हैवित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया व्यय 36.90 करोड़ रुपये है।
		ग) प्राथमिक, बीसीपी तथा डीआर स्थलों के लिए डाटा केन्द्रों को किराए पर लेना।		• डेटा केन्द्रों में औद्योगिक मानकों को पूरा करने वाले हार्ड वेयर उपस्करों का सह अवस्थापन • उपस्कर की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बीएस 7799 का सुरक्षा प्रमाणीकरण	कार्य चल रहा है। कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।	सभी तीन डेटा केन्द्र पीडीसी बीसीपी और डीआर प्रचालन में हैं।
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	निम्न के संबंध में सूचना के डिपोजिटरी के रुप में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा व्यवस्था की जा रही है		• संभावित अधिक जोखिम पूर्ण कर अपवंचन मामलों की पहचान • टीडीएस कटौतियों का सही और शीघ्र क्रेडिट, फाइल न करने वालों/फाइल	कार्यकलाप चल रहे हैं।	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया व्यय 6.93 करोड़ रु. है।

1	2	3	4 योजनेतर ब. अ. स. अ.	5	6	7
		• ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) • टीडीएस विवरणियों से प्राप्त होने वाली कर कटौतियां। • इलेक्ट्रॉनिक टीडीएस लेखाओं के सृजन के लिए सुविधा • वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से पता लगने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार		करना बंद करने वालों और कम कटौतियों के मामलों की पहचान करना • टीडीएस विवरणियों को प्रोसेस करना • करदाताओं या उनकी ओर से कर कटौतीकर्ताओं द्वारा की गई अदायगियों को देखने की सुविधा • कारगर मानीटरिंग और करों के संग्रहण के लिए विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन हेतु डैशबोर्ड सुविधाएं		
III.	व्यवसाय प्रक्रिया रिइंजीनिरिंग (बीपीआर)	भागीदारों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मौजूदा व्यवसाय प्रक्रियाओं की पूर्ण पुनःसंरचना		• परामर्शदाता तथा बीपीआर कार्यान्वयन (रोल आउट) योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। • अभिशासन में नीतिशास्त्र (एथिक्स इन गवरनेन्स) प्रशासनिक सुधार आयोग के चौथे प्रतिवेदन में निहित व्यवहार्य सिफारिशों का कार्यान्वयन	31.10.2007	बीपीआर के संबंध में रिपोर्ट सीबीडीटी को जनवरी, 2008 माह में प्रस्तुत की गई थी। पूर्ण बोर्ड को 18/19 और 24 मार्च, 2008 को प्रस्तुत की गई थी। आईटीसीसी अनुभाग द्वारा औपचारिक कार्यवृत्त अप्रैल, 2008 में जारी किया गया था। 64 सिफारिशों में से 13 संशोधित की गई थीं और स्वीकार की गई थीं। 47 पूर्ण रुप से स्वीकार की गई थीं और 4 स्वीकार नहीं की गई थीं।
IV.	करदाता सेवाएं	सहायक लाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र) आयकर विभाग की वेब साइट तथा ई-अनुकूल सेवाओं के द्वारा सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए करदाताओं के साथ सरल पारदर्शी, सीधी और प्रयोक्ता अनुकूल परस्पर वार्तालाप आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए - करदाताओं को ऑन लाइन सुविधाएं प्रदान करना		**आयकर सम्पर्क केन्द्र (एएसके) से प्राप्य सहायता निम्नानुसार है:** • पैन चालान, विवरणी फार्म तथा संबंधित सूचना प्राप्त होना • ई-मेल द्वारा फार्म भेजने की सुविधाह्न • पैन संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई • कर संबंधित सूचना की व्यवस्था विभिन्न फार्मो/चालानों को डाउन लोड करने की सुविधा	सतत	i) विभाग ने गुड़गांव में आयकर सम्पर्क केन्द्र स्थापित किया है तथा जम्मू जंगीपुर, शिलांग और कोच्चि में चार क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं। 1.4.2011 से लेकर 31.3.2013 तक कुल कॉलों में उत्तर दी गई कॉलों की कुल सं. 1051689 है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 6.12 करोड़ रुपये के लगभग भुगतान किए गए।

1	2	3	4	5	6	7
			4 योजनेतर ब. अ. स. अ.			
		- करों की ई-अदायगी - प्रतिदाय स्थिति का ऑन लाईन पता लगाना		और विवरणी तैयार करने संबंधी साफ्टवेयर की व्यवस्था - आयकर विवरणियों की ई-फाईलिंग हेतु देश भर में सुविधा - नामित प्रतिदाय बैंकर के जरिए केन्द्रीकृत रुप में प्रतिदाय जारी करना - प्रत्यक्ष करों की ई-अदायगी के लिए सुविधा	
V.	प्रतिदाय बैंकर	(क) आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन, निर्गम, प्रेषण, क्रेडिट और सुरक्षित डिलीवरी (ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित शीघ्रगामी तथा पारदर्शक बनाना तथा प्रतिवर्तन समय (टन अराउंड टाइम) को तेजी से प्राप्त करना।		प्रतिदाय के निर्धारण, सृजन निर्गम, प्रेषण और क्रेडिट के लिए प्रणाली संचालित प्रक्रिया और आयकर प्रतिदायों की कुशल तथा सुरक्षित डिलीवरी में समर्थ होना। इसने प्रतिदायों को फिजिकल रुप में जारी करने या प्रतिदायों के क्रेडिट के लिए तीसरा पक्ष को लागू किया हैं ताकि प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित, शीघ्रगामी और पारदर्शी तथा प्रतिवर्तन समय (टर्न आराउंड टाईम) को तेजी से प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके। प्रतिदाय की डिलीवरी के लिए वेब आधारित स्थिति ट्रैकिंग सुविधा		वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया व्यय 27.46 करोड़ रुपये हैं।
VI.	केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सी पी सी) परियोजना	(क) कागजी आधारित तथा ई-फाइल की गई आयकर विवरणियों को केन्द्रीकृत रुप में प्रोसेस करना (ख) यह विभाग के लिए अधिक कार्य कुशल प्रक्रियाएं लाने और विश्व में उत्तम कर प्रशासनों			(i) निर्धारण वर्ष 2011-12 के दौरान ई-फाइल की गई विवरणियों को प्रोसेस करने का कार्य शुरु किया गया और 57.79 लाख विवरणियों को प्रोसेस किया गया।	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 105.76 करोड़ रु. का व्यय हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7
			4 योजनेतर ब. अ. स. अ.			
		द्वारा उपलब्ध करायी जा रही आधुनिक नागरिक सेवाएं मुहैया करने में सहायक होगा।			(ii) निर्धारण वर्ष 2010-11 की 77.37 लाख विवरणियों को अभी तक प्रोसेस किया गया है।	
VII	टीडीएस को प्रोसेस करने हेतु केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी)	दायर किए गए टीडीएस विवरणों को प्रोसेस करने, लेखाकरण और मिलान में आयकर विभाग की कार्य कुशलता और कारगरता को बढ़ाने हेतु एक विस्तृत प्रणाली विकसित करना और उसे कार्यान्वित करना।				वित्तीय वर्ष 2012-13 में कोई व्यय नहीं किया गया है।
VIII	आयकर विभाग का नया अनुप्रयोग	नए परिदृश्य तथा नए हार्डवेयर के साथ अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने आयकर विभाग के नए अनुप्रयोग को तैयार करना और पुराने अनुप्रयोग को भी बनाए रखना				वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान पराशदाता को कोई भुगतान नहीं किया गया ऊ
IX	राजस्व लेखाकरण प्रबंधन साफ्टवेयर	राजस्व लेखाओं का संकलन, एन आई सी हैदराबाद में केन्द्रीकृत डेटाबेस सर्वर को डेटा अंतरण तथा विभिन्न एमआईएस का सृजन करने हेतु बी-1 अनुप्रयोग को संचालित करना				* जोनल लेखाकार्यालयों में आर एएमएस के कार्यान्वयन के लिए सर्वर कम्प्यूटर और प्रिंटर खरीद लिए गए है ओर इन्हें 24 जोनल लेखा कार्यालयों में प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। आरएएम एस साफ्टवेयर के संशोधन/उन्नयन अनुकूलन को 24 जोनल लेखा कार्यालयों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।
X	वित्त मंत्री द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार सभी 24 जोनल लेखा कार्यालयों में ई-भुगतान को कार्यान्वित करना	सभी 24 जोनल लेखा कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कार्यान्वित करना				* 24 जोनल लेखा कार्यालयों में ई-भुगतान को कार्यान्वित करने तथा प्रतिष्ठापित सर्वरों, कम्प्यूटरों तथा प्रिंटरों की खरीद के लिए निधियां उपयोग में लायी गई है। 24 जोनल लेखा कार्यालयों में ई-भुगतान साफ्टवेयर में संशोधन को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

1	2	3	4		5	6	7
			4				
			योजनेतर				
			ब. अ.	स. अ.			
	मुख्य शीर्ष 4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय - कार्यालय भवन		**777.48**	**426.00**			
1.	सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान का क्रय	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			दिल्ली में कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने के लिए 51,768 वर्ग मीटर के सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र के कार्यालय स्थान का अर्जन	31.9.2013	भुगतान राशि के हिस्से का भुगतान कर दिया गया और विभाग द्वारा भवन प्रयोग में लाया जा रहा है।
2.	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी), नागपुर में आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र, मेस/हास्टल का निर्माण	विदेशी अधिकारियों सहित देश के आई आर एस अधिकारियों हेतु आधुनिक पाठ्यक्रम आयोजित करना तथा स्थान की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना			एनएडीटी, नागपुर में एटीसी, मेस के साथ हॉस्टल का निर्माण	पूर्ण होने की अस्थायी तिथि 25.1.2015	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली।
3.	सावेरत, दिल्ली में एनबीबीसी प्लाजा का क्रय	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			कार्यालय भवन का निर्माण		5 करोड़ रुपए की अंतिम किश्त का भुगतान किया गया और विभाग द्वारा भवन इस्तेमाल में लाया जा रहा है।
4.	नोएडा स्थित आयकर विभाग हेतु कार्यलय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			नोएडा में कार्यालय भवन का निर्माण	31.3.2012	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर था।
5	गोल्फ लिंक्स नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	अतिथि गृह की कमी को दूर करना			गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	31.3.2013	निर्माण कार्य प्रस्ताव के एलबीजैड दिशानिर्देशों की पूर्ण अनुपालना न करने के कारण शुरु नहीं हो सका।
6	मोहाली, चंडीगढ़ में क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			डीटीआरटीआई भवन का निर्माण	कार्य सौंपे जाने के उपरांत 18-24 माह	प्रस्ताव पर अभी अनुमोदन लेना बाकी है।
7	फिरोजाबाद में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			कार्यालय का निर्माण	मंजूरी आदेश के प्राप्त होने के दिन से 18 माह	मंजूरी जून, 2011 में प्रदान की गई थी किन्तु कार्य में विलम्ब हुआ। फिर भी निर्माण कार्य दोबारा शुरु किया गया और 31.3.13 के अनुसार अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
			4 योजनेतर ब. अ. स. अ.			
8.	बंगलुरु में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय का निर्माण	आरंभिक जमा, अनुमोदन तथा बाधा रहित भूमि के किरए पर मिल जाने के बाद 24 माह	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
9.	लखनऊ में कार्यालय भवन व आवासीय भवन का निर्माण	कार्यालय आवासीय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	कार्याललयीय एवं आवासीय भवन का निर्माण मंजूरी आदेश प्राप्त होने के दिन से 24 माह	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
10.	श्रीनगर में कार्यालयीय व आवासीय भवन का निर्माण	कार्यालयीय व आवासीय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	मंजूरी आदेश प्राप्त होने के दिन से 46माह	प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है।
11.	शाहजहांपुर में कार्यालय व आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	कार्यालयीय व आवासीय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	मंजूरी आदेश प्राप्त होने के दिन से 15माह	प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है।
12.	नरीमन प्वाइंट, मुंबई में कार्यालय व आवासीय भवन का निर्माण	कार्यालयीय व आवासीय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	मंजूरी आदेश प्राप्त होने के दिन से 30 माह	प्रस्ताव को अभी अंतिम रुप देना बाकी है।

2012-13 के परिव्यय के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र.स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	31 मार्च, 2013 को मौजूदा स्थिति
	2	3	4		5	6	7
1			4(i) ब. अ.	4(ii) स. अ.			
	मुख्य शीर्ष 4216- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय - आवास		**30.00**	**6.00**			
1.	पुणे में आवासीय कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रस्ताव	आवासीय स्थान की कमी को दूर करना			आवासीय स्थान का निर्माण	मंजूरी आदेश की प्राप्त होने के दिन से 30 माह	प्रस्ताव को मंजूरी दिनांक 25.3.13 को दी गई।
2.	जम्मू में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	आवासीय स्थान की कमी को दूर करना तथा अधिकारियों को काम करने हेतु बेहतर माहौल उपलब्ध कराना । (विभाग के कार्मिकों को ताकि इससे बेहतर करदाता सेवाएं दी जा सकें)।			कार्यालय व आवासीय भवन के निर्माण का आरंभ	मंजूरी आदेश की प्राप्त होने के दिन से 26 माह	प्रस्ताव को मंजूरी दिसम्बर, 2012 में दी गई। तथापि, 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार ठेकेदार द्वारा दायर की गई याचिका पर न्यायालय के रोक लागने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

1	2	3	4		5	6	7
			4 योजनेतर				
			ब. अ.	स. अ.			
	मुख्य शीर्ष 2020- आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी		**421.00**	**400.00**			
1.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के तीसरे चरण हेतु भावी योजना	क) सॉफ्टवेयर की खरीद के साथ कम्प्यूटरों को एकीकृत करना। विक्रेता की संविदा जून, 2014 में समाप्त होने वाली है।			• 2014-15 तक परिलक्षित कार्यभार को संभालने की कंप्यूटिंग क्षमता • प्रत्यक्ष करों से जुड़े सभी लेन-देनो को संभालने हेतु एकल राष्ट्रीय डेटाबेस • आयकर विभाग के कार्यालयों में सुविधाओं का प्रबंधन	चालू है। कार्यालय आयकर विवरणियों का प्रसंस्करण उनके लंबन के आधार पर करता है।	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 40 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
		ख) अखिल कर नेटवर्क की स्थापना निगरानी व कार्यान्वयन			समूचे देश में आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	चालू गतिविधि	संविदा को 31.12.2014 तक बढ़ा दिया गया है नए एसएसपी हेतु खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयन की प्रक्रिया चल रही है। वित्त वर्ष 2013-14 में करों सहित 29.88 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।
		ग) प्राथमिक बीसीपी व डीआर साइटों हेतु डेटा केन्द्रों को भाड़े पर लेना			• औद्योगिक मानको को पूरा करने वाले डेटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की को-लोकेशन • परियोजना 2014 तक पूर्ण हो जाएगी	चालू गतिविधि	व्यय, वित्त वर्ष 2013-14 में 6.76 करोड़ रुपए के व्यय के अनुरुप हुआ।
		घ) 2003-09 की अवधि के बकाया पैन प्रपत्रों का भौतिक भंडारण					इस मद पर वित्त वर्ष 2013-14 हेतु व्यय शून्य था। पीएनसी विचार-विमर्श अब हो चुके हैं। सीएफसी प्रस्ताव को मंजूरी हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाना है।

1	2	3	4	5	6	7
			4 योजनेतर ब. अ. स. अ.			
		ड) 2003-09 की अवधि के बकाया पैन प्रपत्रों के ई-भंडारण सहित स्कैनिंग				इस मद पर वित्त वर्ष 2013-14 हेतु व्यय शून्य था। पीएनसी विचार-विमर्श अब हो चुके हैं। सीएफसी प्रस्ताव को मंजूरी हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाना है।
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा निम्नलिखित से जुड़ी सूचना के निक्षेप के रुप में आयोजित। • ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओल्टास) • बही समायोजन से जुड़ी सरकारी ओल्टास • टीडीएस विवरणियों से होनेवाली टीडीएस कटौतियां • वार्षिक सूचना विवरणी से होने वाले उच्च मूल्य वाले वित्तीय संव्यवहार		• टीडीएस कटौतियों के सटीक व त्वरित क्रेडिट करने, नॉन फाइलरों /स्टॉप फाइलरों और कम कटौतियों की पहचान करने की सुविधा देना। • करदाताओं अथवा उनकी तरफ से कर कटौतीकर्ताओं द्वारा किए गए कर भुगतान को देखने की सुविधा। • करों की प्रभावी निगरानी और संग्रहण हेतु विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन को डैशबोर्ड की सुविधा		वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान हुआ व्यय 12 करोड़ रु. है।
III.	करदाता सेवाएं	- हैल्पलाइन द्वारा सूचना के प्रचार-प्रसार हेतु करदाताओं के साथ सरल पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता-हितैषी बातचीत (आयकर संपर्क केन्द्र) - आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग हेतु ऑन-लाईन सुविधाओं में करदाता की सहायता करना - करों का ई-भुगतान - प्रतिदाय स्थिति का ऑनलाईन पता लगाना		- आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग में सहायता के लिए देशव्यापी सुविधाएं। - विभिन्न प्रपत्रों को डाउनलोड करने में सहायता। - पैन और टैन आवेदनों की स्थिति तथा कर निर्धारण के क्षेत्राधिकार से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना।	-चालू गतिविधियां	विभाग ने गुड़गांव में एक संतुलित राष्ट्रीय कॉल सेंटर तथा जम्मू, शिलांग, जागीपुर और कोच्चि में चार क्षेत्रीय कॉल सेंटरों की स्थापना की है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित भुगतान किए गए 1.08 करोड़ रू. के दूरभाष व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा 5.74 करोड़ रूपए ।

2012-13 के परिव्यय के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र.स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	31 मार्च, 2013 को मौजूदा स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब. अ.	4(ii) स. अ.			
IV.	प्रतिदाय बैंकर	(क) आयकर प्रतिदाय का पता लगाना, सृजित, जारी, प्रेषित क्रेडिट और सुरक्षित रुप से सुपुर्द करना (ख) प्रतिदाय की प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित और पारदर्शी बना तथा एक टर्न अराउंड टाईम को हासिल करना			• प्रतिदायों का पता लगाने, सृजन, जारी प्रेषित और क्रेडिट करने की सिस्टम चालित प्रक्रिया तथा आयकर प्रतिदायों की सक्षम एवं सुरक्षित सुपुर्दगी करता है। यह प्रतिदाय को भौतिक रुप से जारी करने या क्रेडिट करने में तृतीय पक्ष को प्रस्तुत करता है ताकि प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित और पारदर्शी बनाया जा सके और एक तेज टर्न अराउंड टाइम को हासिल किया जा सके। • प्रतिदायों की सुपुर्दगी हेतु स्थिति का पता लगाने की वेब-आधारित सुविधा		वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 35 करोड़ रु. की राशि का व्यय हुआ।
V.	केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सीपीसी) टीडीएस	केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सीपीसी) स्रोत पर कटौती किए गए कर हेतु आयकर विभाग द्वारा की गई एक परिवर्तनशील पहल है जो कटौतीकर्ताओं/ संग्रहणकर्ताओं द्वारा टीडीएस/ टीसीएस शुद्धि विवरणों की फाइलिंग को सरल बनाता है।			प्रथम चरण में एनएसडीएल द्वारा पूर्व में किए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार्यो को सीपीसी टीडीएस में प्रचलित किया गया है: **क) कटौतीकर्ता के मामले में-** • प्रपत्र 16/16क डाउनलोड करना • समेकित फाइल को डाउनलोड करना • वित्त वर्ष 2011-12 तक के औचित्य रिपोर्ट को डाउनलोड करना। **ख) कटौती किए गए व्यक्तियों के मामलों में** • प्रपत्र 26ए एस को देखना और डाउनलोड करना	परियोजना का प्रथम चरण 19 नवम्बर, 2012 को शक हुआ। परियोजना का दूसरा चरण वित्त 2012-13 तक पूरा हो जाएगा।	10.68 करोड़ रू. का भुगतान (मैसर्स इन्फोसिस लि. को 10.35 करोड़ रू. और मैसर्स भारतीय एयरटेल लि. को 33,24,433/- रु. का भुगतान) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
			4 योजनेतर ब. अ. स. अ.			
	केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी), बंगलुरू	(क) कागजी एवं ई-फाइल्ड दोनों तरह की आयकर विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रसंस्करण (ख) यह विभाग को अधिक सक्षम प्रक्रियाओं तथा दुनिया भर में उत्तम कर प्रशासनों द्वारा दी जानेवाली आधुनिक नागरिक सुविधाओं को शामिल करने हेतु अनुमत करेगा।			सीपीसी ने सितम्बर, 2009 से काम करना शुरु किया तथा इसने आज तक 3.2 करोड़ से ज्यादा विवरिणों की ई-फाइलिंग की है। 2013-14 हेतु विवरणियों की प्रोसेसिंग की परिलक्षित मात्रा लगभग 2 करोड़ है।	संविदा अवधि हेतु संस्वीकृत राशि जून, 2013 को समाप्त हो रही तिमाही तक किए भुगतानों में समाप्त हो गयी है। अतिरिक्त मंजूरी हेतु प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ बनी सीएनजी की रिपोर्ट के बाद अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। वित्त वर्ष 2013-14 में लेखा परीक्षा हेतु वास्तविक भुगतान 65.07 करोड़ रुपए (64.6 करोड़ रु. प्रसंस्करण एवं अन्य हेतु तथा 45 लाख रु. एस टीक्यूसी को) का हुआ। वित्त वर्ष 2013-14 हेतु बकाया इनवॉइस 121 करोड़ रु. है। (वित्त वर्ष 2014-15 में अग्रेनीत)
VII	डेटा भंडारगार और कारोबार आसूचना (डीडब्ल्यू एंड बी आई) साल्यूशन	आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना का इस्तेमाल निम्न-लिखित हेतु करना: (क) कर आधार को व्यापक एवं गहन बनाने हेतु (ख) कर कानूनों की अनुपालना को बढ़ाये हेतु (ग) विभागीय निष्पादन की निगरानी करने हेतु (घ) नीति बनाने हेतु निविष्टियां कराने के लिए		व्युत्तपतियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल है:- (i) परामर्शदाता हेतु कार्य दस्तावेज की संभावना (ii) प्रस्तावित समाधान का डिजाइन (iii) समाधान के चयन हेतु आरएफपी (iv) डेटा भंडारगार की तैयारी (v) कारोबार आसूचना के हथियारों की एकीकृत करना (vi) कार्यान्वयन एवं रोल आउट	परियोजना कार्यक्रम के अनुमोदन के उपरांत विशिष्ट योजना बिन्दुओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।	वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान परामर्श पर 8.80 लाख रु. का व्यय हुआ।
VIII	नयी आईटीडी एप्लीकेशन	नवीनतम प्रौद्योगिकी और नए हार्डवेयर के नए आईटीडी एप्लीकेशन की री-राइटिंग तथा पुरानी एप्लीकेशन का भी रखरखाव करना।		1. नई आईटीडी एप्लीकेशन की री-राइटिंग 2. एप्लीकेशन हेतु डेटा केन्द्रों का विकास 3. प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र का विकास 4. वैशाली में परीक्षा पर्यावरण का विकास 5. 20,000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण	परियोजना 2015 में शुरु की जाएगी और 2020 तक प्रचलित की जाएगी।	राज्य सरकार को 90.86 लाख रु. का भुगतान किया गया है।

1	2	3	4		5	6	7
			4				
			योजनेतर				
			ब. अ.	स. अ.			
					6. एचआरएमएस मॉड्यूल का विकास 7. पुरानी एप्लीकेशन का रख-रखाव 8. विभाग की सभी प्रक्रियाओं (अंतर्भूत प्रकार्यो से भिन्न। 9. यूटीआई/ एनएसडीएल/ सीपीसी बंगलुरु/ सीपीसी टीडीएस/ प्रतिदाय बैंकर आदि के साथ इंटरफेस 10. हेल्पलाइन		
IX	राजस्व लेखांकन प्रबंधन सॉफ्टवेयर	दैनिक आधार पर राजस्व लेखा का सकलन					क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों (जैडएओ) में रैम के कार्यान्वयन हेतु सर्वरों, कम्प्यूटरों और प्रिंटरों का क्रय किया गया है और 24 कार्यालयों में इंस्टौल भी कर दिया गया है। 24 जैड ए ओ में रैम सॉफ्टवेयर के आशोधन/उन्नयन/ कस्टोमाइजेशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर लिया गया।
X	वित्त मंत्री द्वारा अधिदेश दिए गए अनुसार सभी 52 क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में ई-भुगतान का कार्यान्वयन	सभी 52 क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में इलैक्ट्रानिक भुगतान को कार्यान्वित करना।					ई-भुगतान के कार्यान्वयन हेतु सर्वरों, कम्प्यूटरों और प्रिंटरों के क्रय में निधि का उपयोग किया गया है और 24 क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में इंस्टौल कर दिया गया है। 24 क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में ई-भुगतान सॉफ्टवेयर का आशोधन/उन्नयन और कस्टोमाइजेशन को सफलतापूर्वक कर लिया गया है।
	मुख्य शीर्ष 4059- लोक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-		**546.98**	**500.00**			
	कार्यालय भवन						
1.	नोएडा में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			नोएडा में 1935 वर्ग मीटर के फर्शी क्षेत्रफल वाले कार्यालय भवन का निर्माण	31.3.2013 तक पूरा होनी है।	भवन का उद्घाटन हो गया है और विभाग द्वारा इस्तेमाल की जा रही है।
2.	एनएडीटी, नागपुर में	एनएडीटी में प्रतिभागियों और			एनएडीटी, नागपुर में एटीसी,	10.06.2013 तक पूरा होनी है।	लगभग 80.4 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7
			4 योजनेतर ब. अ. स. अ.			
	आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र और मेस का निर्माण	आयोजित होने वाले पाठ्यक्रमों में बढ़ोतरी के साथ स्थान की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना तथा विदेशी अधिकारियों के साथ देश के आईआरएस अधिकारियों आधुनिक पाठ्यक्रम कराने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की जरुरत को पूरा करना		हॉस्टल-2 और मेस का निर्माण		
3.	फिरोजाबाद में आयकर विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं अतिथि गृह व ट्रांसिट स्थान का निर्माण	कार्यालय स्थान व अतिथि गृह की कमी को दूर करना		प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद 4342 वर्ग मीटर वाले कार्यालय भवन का निर्माण 18 माह के भीतर पूरा होने का प्रस्ताव है।	मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 18 माह	भवन का निर्माण पूरा होने को है। परियोजना पर हुआ संभावित व्यय 2.4 करोड़ रु. है।
4.	मोहाली में आरटीआई भवन का निर्माण	प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	कार्य सौंपे जाने के बाद 18-24 माह	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
5.	गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	अतिथि गृह की कमी को दूर करना		गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 माह	विरोधाभासी सीएलबीजैड दिशानिर्देशों के कारण कार्य अभी शुरु नहीं हुआ है। तदनुसार संशोधित अनुमान 2013-14 में मांगे गए आबंटन को घटाकर शून्य कर दिया गया है।
6.	इंफैन्ट्री रोड, बंगलुरु में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को पूरा करना		कार्यालय भवन का निर्माण	आरंभिक जमा, अनुमोदन और बाधा रहित भूमि को किराए पर लेने के बाद 24 माह	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
7.	लखनऊ में कार्यालय व आवासीय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान एवं आवास की कमी को दूर करना		प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने के बाद 16138 वर्ग मीटर के कार्यालय स्थान का निर्माण 24 माह तक पूरा होना प्रस्तावित है।	मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 24 माह	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
			4 योजनेतर ब. अ. स. अ.			
8.	श्रीनगर में कार्यालयीय व आवासीय भवन का निर्माण	कार्यालयीय व आवासीय स्थान की कमी को दूर करना		प्रशा. अनु. एवं वित्तीय सं. प्राप्त करने के बाद 11031 वर्ग मीटर के कार्यालय स्थान का निर्माण प्रस्तावित है।	मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 46 माह	प्रस्ताव की जांच चल रही है।
9.	नरीमन प्वाइंट, मुंबई में कार्यालय व आवासीय भवन का निर्माण	कार्यालयीय व आवासीय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय व आवासीय भवन का निर्माण	मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 36 माह	प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है।
10.	मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, भोपाल से रेडी-बिल्ट कार्यालय स्थान का क्रय	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना		कार्यालय स्थान का अर्जन		प्रस्ताव को 19.3.2013 को मंजूरी दी गई। बजट अनुमान 2013-14 के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए के आवंटन को संभावित व्यय के आधार पर संशोधित अनुमान 2013-14 के तहत घटाकर 1.2 करोड़ किया गया था।
11.	बेलगाम में कार्यालय, आवासीय एवं अतिथि गृह का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना		बेलगाम में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्य शुरू होने के बाद 18 माह की अवधि के भीतर	प्रस्ताव को 13.1.2014 को मंजूरी दी गई है।
12.	बरेली और शाहजहांपुर में कार्यालय व आवासीय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान एवं आवास की कमी को पूरा करना		1080.71 वर्गमीटर के कार्यालय स्थान का निर्माण होना प्रस्तावित है।	मंजूरी की तारीख से 15 माह	परियोजना को सक्षम प्राधिकारी से नवंबर, 2013 में अनुमोदन मिला।
13.	अहमदाबाद में आरटीआई भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थान की कमी को पूरा करना		अहमदाबाद में आरटीआई भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद		अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण को भुगतान कर दिया गया है तथा कब्जा कर लिया गया है।
14.	इरौड में कार्यक्रम के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	कार्यालय स्थान की कमी को पूरा करना		इरौड में कार्यक्रम के निर्माण हेतु भूमि की खरीद		प्रस्तव को 13.11.13 को मंजूरी दी गई है। 12 करोड़ रुपए के बजट अनुमान 2013-14 की तुलना में भूमि की कीमत 12.98 करोड़ रू. की है। आरई 2013-14 के तहत आवंटन को तदनुसार संशोधित कर 12.98 करोड़ रू. किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
			4 योजनेतर ब. अ. स. अ.			
15.	पुणे में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थान की कमी को पूरा करना		कर्वे रोड, पुणे में कार्यालय स्थान	मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 24 माह	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
16.	सूरत में कार्यालय भवन एनेक्सी का निर्माण	कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थान की कमी को पूरा करना		सूरत में कार्यालय स्थान	मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 माह	प्रस्ताव वापस ले किया गया है।
17.	नवसारी में कार्यालय भवन (बेसमेंट+5 मंजिल) का निर्माण	कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थान की कमी को पूरा करना		नवासारी में कार्यालय एवं आवासीय स्थान	मंजूरी आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 माह	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
18.	दमन में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थान की कमी को पूरा करना		दमन में कार्यालय भवन का निर्माण		प्रस्ताव में वापस ले लिया गया है।
19.	एटा में तैयार-निर्मित स्थान की खरीद	कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थान की कमी को पूरा करना		एटा में तैयार-निर्मित स्थान की खरीद		वर्तमान प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है तथा नए प्रस्ताव प्रतीक्षारत है।
20.	कोच्चि में तैयार-निर्मित भवन/भवन हेतु भूमि की खरीद	कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थान की कमी को पूरा करना		कोच्चि में तैयार-निर्मित भवन/भवन हेतु भूमि की खरीद		भूमि की खरीद हेतु प्रस्ताव को 26.4.2013 को मंजूरी दी गई है1 बीई 2013-14 के तहत 1 करोड़ रु. के आबंटन को आरई 2013-14 के तहत बढ़ाकर 12.25 करोड़ किया गया है। भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
21.	एनबीसीसी प्लाजा; साकेत, दिल्ली का क्रय	कार्यालय स्थल की कमी को दूर करने हेतु		एलटीयू के लिए एनबीसीसी प्लाजा; साकेत, दिल्ली का क्रय	करार के निष्पादन की दिनांक से 36 महीनों के भीतर	भवन अधिकृत कर लिया गया है और विभाग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। जुर्माना भुगतान पर स्पष्टता न होने के कारण बजट अनुमान 2013-14 के तहत 43.2 करोड़ रुपए के आबंटन को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर शून्य किया गया।
22.	सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान का क्रय	कार्यालय स्थल की कमी को दूर करने हेतु			31.09.2013	भुगतान किया जा चुका है और भवन का विभाग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

1	2	3	4		5	6	7
			4 योजनेतर				
			ब. अ.	स. अ.			
	प्रमुख शीर्ष 4216-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय ।		**41.00**	**23.00**			
1.	हडपसर, पुणे में आवासीय परिसर का निर्माण	आवासीय परिसर की कमी को दूर करना			आवासीय परिसर का निर्माण	संस्वीकृति आदेश प्राप्ति की दिनांक से 30 माह तक	प्रस्ताव 25.03.2013 को संस्वीकृत किया गया। बजट अनुमान 2013-14 के अंतर्गत 25 करोड़ रु. का आबंटन वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इस परियोजना पर संभावित व्यय को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान स्तर पर 8.3 करोड़ रु. तक कम कर दिया गया है।
2.	जम्मू में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	आवासीय क्वार्टरों की कमी को दूर करना			ए/ए एवं एफ/एस प्रदान करने के पश्चात 26 माह के भीतर कार्यालय स्थान का निर्माण प्रस्तावित है	संस्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तारीख से 26 माह तक	संविदाकार द्वारा दायर की गई याचिका पर न्यायालय द्वारा दिए स्थगन को ध्यान में रखते हुए इस योजना का कार्य अभी शुरु किया जाना है। बजट अनुमान 2013-14 के अंतर्गत 3 करोड़ रु. का आबंटन संशोधित अनुमान 2013-14 के अंतर्गत तदनुसार कम किया गया है।
3.	सीआर कालोनी, अन्नानगर, चेन्नई में टाइप-4 एवं 3 क्वार्टरों का निर्माण	आवासीय क्वार्टरों की कमी को दूर करना			अन्नानगर में क्वार्टरों का निर्माण	प्रस्ताव प्रगति पर है।	प्रस्ताव अभी अनुमोदित किया जाना है
4.	एमजी रोड, चेन्नई में टाइप-5 एवं 6 क्वार्टरों का निर्माण	आवासीय क्वार्टरों की कमी को दूर करना			एमजी रोड चेन्नई में क्वार्टरों का निर्माण	06 माह योजना के लिए और उसके बाद 24 माह निष्पादन के लिए	प्रस्ताव 24.9.2013 को संस्वीकृत किया गया।
5.	सूरत में टाइप-3 एवं 4 क्वार्टरों का निर्माण	रिहाइशी आवास की कमी को दूर करना			सूरत में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	संस्वीकृति आदेश प्राप्त होने से 30 माह तक	प्रस्ताव की जांच चल रही है।
6.	भोपाल में आवासीय क्वार्टरों का आधुनिकीकरण/ नवीकरण	भोपाल में पर्याप्त रिहाइशी सुविधाएं उपलब्ध कराना			भोपाल में क्वार्टरों का आधुनिकीकरण/नवीकरण		प्रस्ताव की जांच चल रही है।

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

विवरण		2011-12			2012-13			2013-14		
	मुख्य शीर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक अनंतिम
राजस्व भाग										
आय एवं व्यय पर करों का संग्रहण	**2020**	2901.45	2916.78	2904.45	2994.40	3218.97	3203.47	3677.61	3563.18	3544.24
सम्पदा शुल्क, धन एवं उपहार कर पर करों का संग्रहण (अन्य कर)**	**2031**	74.40	74.79	74.40	76.78	82.54	82.09	94.30	91.36	91.04
कुल राजस्व भाग		**2975.85**	**2991.57**	**2978.85**	**3071.18**	**3301.51**	**3285.56**	**3771.91**	**3654.54**	**3635.28**
पूंजीगत भाग										
तैयार निर्मित कार्यालय भवन का क्रय	**4059**	877.70	317.51	256.53	777.48	426.20	421.00	546.98	500.00	430.25
तैयार निर्मित आवासीय भवन का क्रय	**4216**	27.00	5.00	3.18	30.00	6.00	2.46	41.00	23.00	14.65
आयकर अधिनियम के तहत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	**4075**	1.00	1.70	1.29	1.80	1.80	1.05	2.00	2.00	1.10
कुल पूंजीगत भाग		**905.70**	**324.21**	**261.00**	**809.28**	**434.00**	**424.51**	**589.98**	**525.00**	**446.00**
कुल योग		**3881.55**	**3315.78**	**3239.85**	**3880.46**	**3735.51**	**3710.07**	**4361.89**	**4179.54**	**4081.28**

* सम्पदा शुल्क कर (उन्मूलित भेंट कर) अन्य करों के साथ मिलाया गया और 01.04.2012 से प्रभाव में नहीं है।

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के मुकाबले में लक्ष्य शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2011-12			2012-13			2013-14		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (एस वाई-II के अनुसार
राजस्व भाग									
वेतन	1831.55	1781.17	1779.98	1923.67	2002.09	1998.65	2162.25	2178.57	2187.63
मजदूरी	17.00	17.00	17.17	18.36	18.15	18.15	19.61	21.00	20.85
समयोपरि भत्ता	0.80	0.80	0.56	0.80	0.50	0.43	0.50	0.45	0.43
चिकित्सा उपचार	22.00	25.00	23.36	22.00	21.00	21.92	28.00	24.00	24.12
देशीय यात्रा व्यय	35.00	45.00	43.77	40.00	44.00	43.46	55.00	55.00	48.31
विदेश यात्रा व्यय	1.10	2.10	1.17	2.10	1.80	1.69	2.50	1.00	0.77
कार्यालय व्यय (प्रभारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय (स्वीकृत)	513.90	522.80	534.83	514.00	516.30	513.97	686.00	613.80	653.84
किराया, दरें एवं कर	180.00	147.00	116.62	160.00	130.00	128.60	150.00	149.77	153.56
प्रकाशन	2.80	2.80	2.74	2.80	2.52	2.24	3.00	2.70	2.35
बीसीटीटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	23.30	29.40	26.22	34.15	34.37	32.00	61.42	48.42	44.88
विज्ञापन एवं प्रचार	80.00	100.00	78.35	80.00	79.00	78.40	110.00	90.00	88.46
लघु निर्माण कार्य	8.00	8.00	6.61	8.00	8.00	6.81	13.23	13.23	12.57
व्यावसायिक सेवाएं	26.00	30.00	31.30	26.00	30.96	31.50	40.00	40.00	39.02
अंशदान	0.40	0.40	0.37	0.40	0.40	0.37	1.40	1.00	0.96
गुप्त सेवा व्यय	4.50	5.60	5.55	9.40	8.46	8.04	14.00	12.00	12.53
अन्य प्रभार	4.50	4.50	3.11	4.50	3.96	2.17	4.00	3.60	3.15
सूचना प्रौद्योगिकी	225.00	270.00	307.14	225.00	400.00	397.17	421.00	400.00	341.85
कुल राजस्व भाग	**2975.85**	**2991.57**	**2978.85**	**3071.18**	**3301.51**	**3285.57**	**3771.91**	**3654.54**	**3635.28**

(₹ करोड़)

विवरण	2011-12			2012-13			2013-14		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (एस वाई-II के अनुसार
पूंजीगत भाग									
एम एच - 4059									
एमएच-4059 तैयार निर्मित									
कार्यालय भवन का क्रय	877.70	317.51	256.53	777.48	426.20	421.00	546.98	500.00	430.25
एमएच-4216 तैयार निर्मित आवासीय									
भवन का क्रय	27.00	5.00	3.18	30.00	6.00	2.46	41.00	23.00	14.65
एमएच-4075 आयकर अधिनियम के तहत									
अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	1.00	1.70	1.29	1.80	1.80	1.04	2.00	2.00	1.10
कुल पूंजीगत भाग	**905.70**	**324.21**	**261.00**	**809.28**	**434.00**	**424.50**	**589.98**	**525.00**	**446.00**
कुल योग	**3881.55**	**3315.78**	**3239.85**	**3880.46**	**3735.51**	**3710.07**	**4361.89**	**4179.54**	**4081.28**

मांग सं. 43 में व्यय रुझान का विश्लेषण-प्रत्यक्ष कर

वर्ष 2013-14 के दौरान, 31 मार्च, 2014 तक किया गया कुल व्यय 4081.28 करोड़ रूपए है जोकि कुल बजट अनुमान प्रावधान 2013-14 का 93.57 प्रतिशत है। इसमें से, राजस्व भाग के तहत व्यय 3635.28 करोड़ रुपए है जोकि इस भाग के तहत बजट अनुमान प्रावधान 2013-14 का 96.38 प्रतिशत है। 'वेतनों' के लिए प्रावधान 2162.25 करोड़ रुपए है जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 2178.57 करोड़ रुपए किया गया जिसकी तुलना में 31 मार्च, 2014 तक व्यय 2187.63 करोड़ रुपए है। राजस्व भाग के तहत 686.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रावधान व्यय का अन्य महत्वपूर्ण घटक 'कार्यालय व्यय' है जिसकी तुलना में 31 मार्च, 2014 तक किया गया व्यय 653.84 करोड़ रुपए है। सूचना प्रौद्योगिकी (ओ.ई) एक अन्य प्रमुख घटक है जिसके लिए बजट अनुमान में 421.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसकी तुलना में 31 मार्च, 2014 तक व्यय 341.85 करोड़ रुपए है। बडी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के कारण प्रयोग में कमी थी, अर्थात केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) अनुसूची के 2 वर्ष पहले ही संस्वीकृत व्यय तक पहुंचने वाला है। परियोजना के लिए संशोधित संस्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी प्रकिग्राधीन है। 'पूंजीगत भाग' के तहत, 31 मार्च, 2014 तक व्यय 446.00 करोड़ रुपए है जोकि इस भाग के तहत बजट अनुमान प्रावधान का 75-60 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2013-14 के मुख्य घटक नीचे दर्शाये गए हैं:-

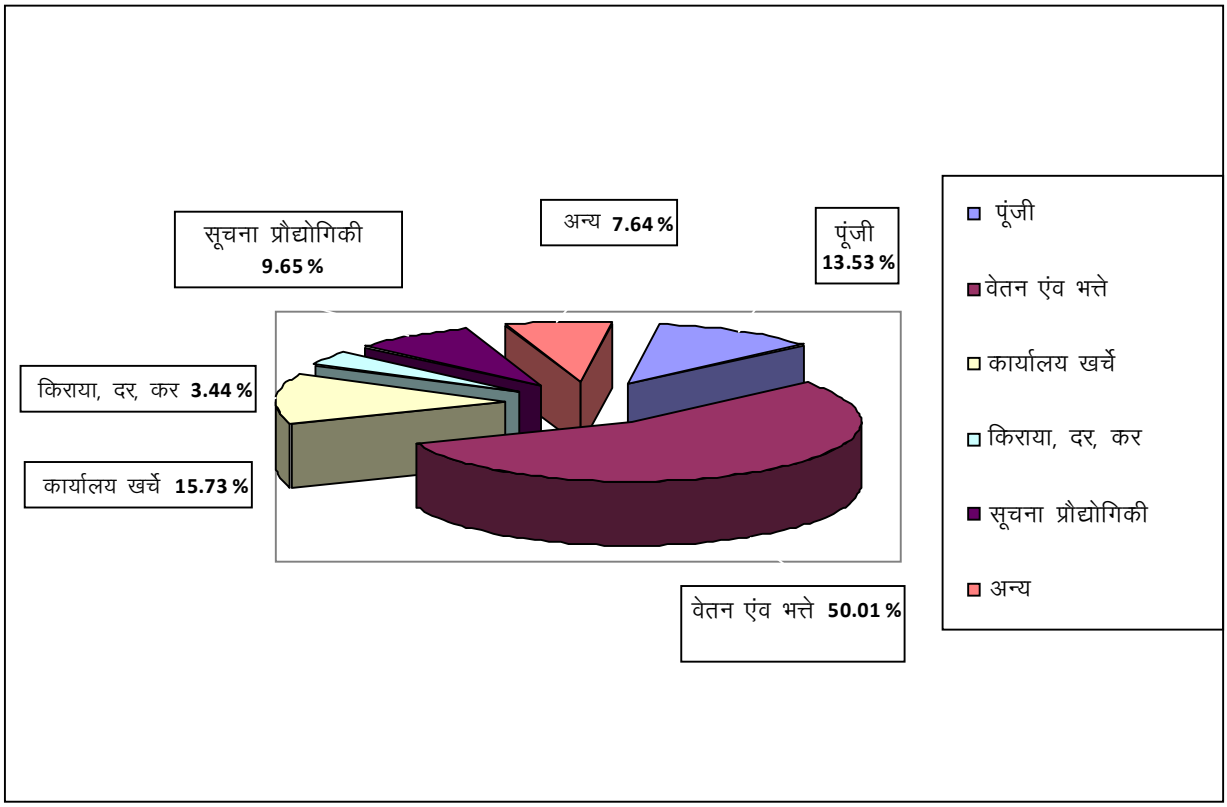

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अभ्यर्पण एवं बचत पर विवरण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, अनुपूरक अनुदान सहित 4110.79 करोड़ रु. के बजट प्रावधान की तुलना में, वर्ष के दौरान 3710.07 का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरुप 400.72 करोड़ रुपए की बचत हुई। ये बचतें निवल प्रभाव हैं और अनुदान के राजस्व एवं पूंजीगत भाग के विभिन्न उपशीर्षों के तहत अधिक व्यय नहीं हुआ है।

बडी बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया हैः-

i) सामान्य बचत : संसाधनों के आर्थिक प्रयोग के फलस्वरूप हुए बचतें

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचतें	अभ्युक्तियां/कारण
1	अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन	5.17	प्रशासनिक व्ययों की कम आवश्यकता। अन्य शीर्षों को 4.44 करोड़ रुपए पुनः विनियोजित किए गए।
2.	संगठन एवं प्रबंधन सेवा	1.77	प्रशासनिक व्ययों की कम आवश्यकता।
3	आयुक्त एवं उनके कार्यालय	47.27	प्रशासनिक व्ययों की कम आवश्यकता। अन्य शीर्षों को 36.37 करोड़ रुपए पुनः विनियोजित किए गए।

(ii) कम/गैर-प्रयोगः परियाजनाओं/योजनाओं के निष्पादन में गैर-कार्यान्वयन/देरी के कारण बचत; और

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचतें	अभ्युक्तियां/कारण
1	पूंजी परिव्यय एवं लोक निर्माण कार्य (कार्यालय भवन)	356.49	इसमें केवल एक परियोजना "सिविक सेंटर", दिल्ली शामिल है। बजट अनुमान में वास्तिवक बजट 600 करोड़ रुपए है। यह संशोधित अनुमान में 300 करोड़ रुपए तक घटाया गया। व्यय विभाग के अनुमोदन से अगले वित्तीय वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए का भुगतान टाल दिया गया।
2.	पूंजी परिव्यय एवं आवास	27.54	इसमें, पुणे में आवासीय परिसर एवं अतिथि गृह के निर्माण के लिए 25.00 करोड़ की परियोजना शामिल है। परियोजना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान स्तर पर इसे 1.00 करोड़ रुपए तक घटाया गया।

(iii) अभ्यर्पण अप्रचलित/निष्क्रय परियोजना/योजना के कारण बचतें अथवा परियोजना/योजना के पूर्ण होने के कारण तथा निधियाँ की और आवश्यकता नहीं है। शून्य

टिप्पणीः- *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थाई समिति द्वारा अपनी 33वीं रिपोर्ट द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचतें, कम/ प्रयोग न करने तथा निधियों के अभ्यर्पण करने के कारण बचतों के अलग करने के संबंध में बजट प्रभाग के का.ज्ञा. सं. 7(1)-बी (एसी)/2011 दिनांक 23 मार्च, 2012 के अनुपालन में शामिल किया गया है।*

अप्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

यह मांग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से संबंधित है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण से संबंधित नीतियों के सूत्रपात के लिए तथा तस्करी एवं शुल्क अपवंचन की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। यह आबंटित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 96 आयुक्तालयों, सीमा शुल्क के 35 आयुक्तालयों तथा सेवा कर के 6 आयुक्तालयों की सहायता से किया जाता है। आयुक्त से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय करने के अर्धन्यायिक कार्य निष्पादन के लिए अपीलीय एवं कर वसूली की मशीनरी है। कामकाज में बोर्ड की सहायता के लिए निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय कार्य करते हैं:-

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय

(ii) राजस्व आसूचना निदेशालय

(iii) निरीक्षण निदेशालय

(iv) मानव संसाधन विकास निदेशालय

(v) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी

(vi) सर्तकता निदेशालय

(vii) प्रणाली निदेशालय

(viii) आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय

(ix) लेखा-परीक्षा निदेशालय

(x) रक्षोपाय निदेशालय

(xi) निर्यात संवर्धन निदेशालय

(xii) सेवा कर निदेशालय

(xiii) मूल्यांकन निदेशालय

(xiv) प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय

(xv) संभारतंत्र निदेशालय

(xvi) विधायी कार्य निदेशालय

(xvii) मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय

(xviii) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक राजस्व संग्रहण एवं विभाग द्वारा किए गए व्यय के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है।

इस मांग में 89,924 अधिकारियों और स्टाफ के कार्यबल के प्रावधान सम्मिलित हैं जिसमें से 32.19% राजपत्रित तथा शेष गैर-राज पत्रित अधिकारी होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 का परिव्यय एवं परिणाम दर्शाने वाले गतिविधियों को आगामी विवरण में दिया गया है।

परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2014-15

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	परिलक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम कारक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
1	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 - सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेन्स के लिए आईटी क्षमता का सुदृढ़ीकरण	221.31	शून्य	-एक अखिल भारतीय व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना	1. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क परियोजना की देख-रेख तथा परिवर्तित आदेशों का कार्यान्वयन। 2. 399 स्थानों तथा 3 डेटा केन्द्रों पर 'बैंड विड्थ आगमैंटेशन। 3. डेटा केन्द्रों पर इन्टरनेट बैंडविच आगमैंटेशन। 4. 100 अतिरिक्त स्थानों पर व्यापक क्षेत्र नेटवर्क को लाना। 5. 20 मुख्य स्थानों पर एल्टरनेट वैन कनेक्टिवीटी। 6. आईपीवी6 का कार्यान्वयन		वाइड एरिया नेटवर्क को 528 स्थानों पर चालू कर दिया गया है। शेष 11 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क मुद्दों पर प्रयोगकर्ता की शिकायतों का निवारण करने के लिए सहयता केन्द्रों की व्यवस्था की गई है।
					प्रणाली एकीकरणः केन्द्रीय सर्वर स्थापित करना (हार्डवेयर, स्टोरेज और सुरक्षा आधारभूत संरचना इत्यादि)	सुविधा प्रबंधन और प्रणाली एकीकरण सेवाओं के ओ.ई.एम. व्यवसायिक सेवाओं, वार्षिक रख-रखाव के लिए समर्थन तथा डेटा		सतत रख-रखाव और समर्थनकारी सेवाएं, सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रोद्योगिकी घटकों के लिए वार्षिक

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
						केन्द्र उपस्करों के लिए समर्थनकारी प्रभार/ महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना और साफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद		रख-रखाव अनुबंध, वार्षिक तकनीकी समर्थनकारी सेवाएं, ओ.ई.एम. की प्रबंधित सेवाएं।
					सभी विभागीय प्रयोगकर्ताओं को लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान करना।	1. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लोकल एरिया नेटवर्क का रख-रखाव। 2. प्रिंटर, स्विच, प्रिंट सर्वर इत्यादि लैन उपस्करों की खरीद/ प्रतिस्थापन। 3. परिवर्तन आदेशों का कार्यान्वयन तथा नए स्थानों पर अतिरिक्त 1300 लैन नोड को स्थापित किया जाना।		लोकल एरिया नेटवर्क को 1177 स्थानों पर स्थापित कर दिया गया है। लैन मुद्दों पर प्रयोगकर्ता की शिकायतों का निवारण करने के लिए 24x7 सहायता केन्द्रों का प्रावधान किया गया है।
					डेटा वेयर हाऊस की स्थापना	1. मौजूदा टूल्स का रख रखाव, समर्थन तथा अगमैंटेशन। 2. मोबाइल पर ई.डी. डब्ल्यू, रिपोर्ट शुरू करना तथा मोबाइल साल्यूशन पर प्रयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण। 3. मैमोरी आंकलन और अग्रिम विश्लेषण		इस परियोजना की देख-भाल हो रही है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (एसीईएस) परियोजनाओं का स्वचालन	यह एसीईएस परियोजना तकनीकी समर्थन और रख-रखाव के अध्यधीन है इसकी वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है धनराशि की वापसी को ई- भुगतान के माध्यम से करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। कार्य करने के नए तरीके अर्थात विवाद निपटान और निवारण माड्यूल, अनंतिम मूल्यांकन माड्यूल, धनराशि के वापसी के दावों को ऑनलाइन भरा जाना, तथा निर्यात सम्बद्ध चुनिन्दा दस्तावेजों का ऑनलाइन रूप से भरा जाना शुरू किया गया है। विस्तृत एमआईएस रिपोर्ट, जिसमें पंजीकरण भी शामिल हो, विवरणी, लेखापरीक्षा और धनराशि की वापसी इत्यादि अतिरिक्त कार्यों की योजना बनाई गई है।	सभी व्यापारिक प्रक्रियाओं के आटोमेटिड कार्य प्रवाह के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के साथ पारदर्शिता बढ़ाना और इन्टरफेस को कम करना।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के सभी 104 आयुक्तालयों में ए सी ई एस लागू कर दिए गए हैं तथा इन का रख-रखाव तथा समर्थन का काम चल रहा है।
					सीमा शुल्क उन्नयन के लिए गेट-वे परियोजना	सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फिइलिंग के लिए एकल नेटवर्क रिमोट	आईसीईएस के आईसीईजीएटीई का उन्नयन वर्जन, 120 सीमा शुल्क केन्द्रों पर है। व्यापार	इस परियोजना का समर्थनकारी और रख-रखाव चरण चल रहा है। कुछ नए

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
						प्रणाली के माध्यम से कस्टम व्यापार साझेदारों और अन्य सरकारी अभिकरणों को जोड़ना इस परियोजना का उद्देश्य है। इसमें दस्तावेज ट्रैकिंग और जांच-पड़ताल प्रणाली, दैनिक रिपोर्ट और डी.टी.आर. व्यापारिक समुदाय और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के बीच डेटा का आदान-प्रदान प्रयोकर्ताओं के साथ फाइल करने और मूल्यांकन करने संबंधी आंकड़ों को सांझा करना, ई-भुगतान गेट-वे के माध्यम से ऑनलाइन सीमा शुल्क भुगतान, निर्यात प्रोत्साहन वितरण और 24x7 सहायता केन्द्र सुविधा ये सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर दी जाती है।	के विभिन्न साझेदारों और सरकारी विभागों के साथ संदेश के आदान-प्रदान को 127 से अधिक किस्मों की मदद से यह आंकड़ों की एक बड़ी मात्रा को सांझा करता है।	कार्यों में शामिल हैं- सेवाकर की ऑन लाइन वापसी, डी.एफ..आई. ए. लाइसेंस का ऑन लाइन पंजीकरण, केन्द्रीय बांड प्रबंधन तथा सीमा शुल्क का ई- भुगतान/ इस समय आईसीई गेट के माध्यम से सीमा शुल्क और इसके व्यापारिक साझेदारों के बीच 127 संदेशों का आदान-प्रदान होता है। नए-ई-भुगतान गेटवे के अन्तर्गत, अनिवार्य ई-भुगतान बहुचालन सुविधा शुरू की गई है। ई-पीएओ के साथ डेटा आदान-प्रदान शुरू किया गया है। अध्याय-3 रिवार्ड योजना के अन्तर्गत दस्तावेजों का ऑनलाइन आदान-प्रदान शुरू किया गया है। सेज के साथ आन लाइन इन्टरफेस पर चर्चा चल रही है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य केवल उच्च जोखिम वाले कार्गो को व्यापार सुविधा प्रदान करना और उनकी जांच करना है और अच्छा ट्रैक रेकार्ड वाले, सीमा शुल्क के विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले विशेष ग्राहकों के लिए विश्वसनीय कस्टम क्लिएरेंस की सुविधा।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस 3.1) का एक नया संस्करण जो कि आई सी ई एस 1.5 संस्करण के अनुरुप है, 89 पहचान किए गए सीमा शुल्क केन्द्रों में काम कर रहा है। निर्यात कारगो के लिए 55 सीमा शुल्क केन्द्रों पर आरएमएस शुरू किया गया है तथा इसे उन सभी आईसीईएस स्थानों पर लगाने की योजना है तथा आयात आरएमएस लागू किया गया है	
					आईसीईएस आईसीईएस 1.0 तथा 1.5 संस्करण का विकास/ अनुरक्षण	निर्यात तथा आयात निकासी संबंधित स्वचालित सीमा शुल्क प्रणाली हेतु भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली का डिजाईन, विकास, परीक्षण तथा अनुरक्षण।	116 सीमा शुल्क कार्य स्थलों पर आईसीईएस 1.5 लागू किया गया है।	आईसीईएस 1.5 रख-रखाव के चरण में है। नीतियों में परिवर्तन हेतु सतत् रूप से नए मॉड्यूल विकसित किए जाते हैं तथा आईसीईएस 1.5 में जोड़े जाते हैं।
					ईएएसआईईएसटी	इसका उद्देश्य राजस्व तथा करदाता लेखा हेतु बैंकों से सही-सही कर भुगतान आंकड़े उपलब्ध कराना है। ई-भुगतान सहित सभी तरह के संबंधित आंकड़े बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में रखे जाते	दिसम्बर, 2013 के दौरान 51.31 लाख चालान अपलोड किए गए हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का 98 प्रतिशत राजस्व तथा सेवा कर का 87 प्रतिशत राजस्व ई-भुगतान द्वारा प्राप्त हुआ। निधि के निपटान तथा बैंकों	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के साथ निधि के निपटान की तुलना में बैंकों द्वारा एनएसडीएल साइट पर 100 प्रतिशत चालान अपलोड करने हेतु प्रयास किए

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
						हैं तथा इलैक्ट्रोनिक तरीके से अपलोड करके विभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं। ई-भुगतान पोर्टल को डेटा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विकसित किया गया है।	द्वारा अपलोड किए गए चालानों का पता लगाया जा सकता है। 94 प्रतिशत चालान ईएएसईएसटी की वेबसाइट पर लोड कर दिए गए हैं।	जा रहे हैं। इससे समुचित राजस्व लेखा सुनिश्चित किया जा सकेगा।
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 — निवारक कार्य-जहाजों एवं बेड़ो की अधिप्राप्ति**	तस्कर रोधी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	20.00	शून्य	सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को 109 आधुनिक फास्ट यान मुहैया कराना।	आधुनिक फास्ट वेसल से सीमा शुल्क विभाग की तस्करी रोधी क्षमता सुदृढ़ होगी। संवर्धित तटीय सुरक्षा से घातक/ निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने, पर्यावरणीय खतरों का निवारण करने तथा खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी।	सभी 109 यान प्राप्त हो गए है तथा उन्हें तैनात कर दिया गया है। कार-I और कैट-II यानों के कल-पुर्जो की, इस वित्त वर्ष में खरीद किए जाने का प्रस्ताव है।	
3.	**मुख्य शीर्ष 4047 तस्करीरोधी उपस्करों का अधिग्रहण**	कार्गो क्लीयरेंस, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नान-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	112.72	शून्य	मैसर्स ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा तूतीकोरिन, चेन्नई और कांडला पोर्ट पर 3 मोबाईल गामा रे स्कैनरों को लगाना, मैसर्स बीईएल, बैंगलोर द्वारा सिविल निर्माण सहित 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर का, तूतीकोरिन, मुम्बई, चेन्नई और कोडला में 172.94 करोड़ रुपये की प्रोजैक्ट योजना और 18.61 करोड़ रुपये प्रति वर्ष	स्कैनिंग से अनियमिता की बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में इससे मदद मिलेगी और अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी तथा सुरक्षा के सरोकारों का निवारण होगा।	मोबाइल गामा रे स्कैनर एक मोबाइल स्कैनर तूतीकोरिन में शुरू हो गया है एक स्कैनर अप्रैल, 2014 में चेन्नई में लगा दिया गया है। कांडला में स्कैनर की अक्तूबर, 2014 तक शुरू होने की संभावना है। 4 फिक्सड एक्स रे स्कैनर परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुआ है, जो कि	इस परियोजना की निगरानी, सदस्य (सीमा शुल्क), सीबीईसी, नई दिल्ली की अध्यक्षता वाली प्रोजेक्ट कार्यान्वयन समिति द्वारा तथा सचिव (रक्षा उत्पादन) द्वारा भी निगरानी की जा रही है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					आवर्ती खर्च के आधार पर लगाया जाना।		सितम्बर, 2013 तक पूरी हो जानी थी। यह विलम्ब, जनशक्ति, मशीनरी तथा सामग्री के पर्याप्त रूप से न लगाए जाने के कारण हुआ है। इस मामले को रक्षा सचिव के ध्यान में लाया गया है। और इनके शुरू होने की संभावित तारीख अलग-अलग चरण में जुलाई, 2014 से नवम्बर, 2014 तक है।	
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय गृह का अधिग्रहण**	कार्यालय के लिए जगह की कमी को पूरा करने के लिए	133.59	शून्य	कार्यालय के लिए जगह की खरीद से कार्यालय के आवास संबंधी कमी पूरी हो जाएगी। रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो आयेगी।	कार्यालय के पास अपने प्रयोग के लिए पर्याप्त स्थान होने से विभाग की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी।	बंगलौर में एनएसीईएन हेतु एक नए कार्यालय कॅम्प्लैक्स का निर्माण यूटीआई, मुम्बई से भवन की खरीद, तिरूपति में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद, हापुड़ में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद, शिलांग में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद, दिल्ली-II आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण, हैदराबाद में एनएसीईएन परिसर का निर्माण, एनबीसीसी प्लाजा के संबंध में भुगतान, तथा गुवाहाटी में कार्यालय भवन की खरीद तथा अन्य सम्भावित छोटे-छोटे प्रस्ताव स्टैम्प ड्यूटी और	ऐसे मामलों में भुगतान औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित अधिकारियों से परामर्श करना होता है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
							अन्य प्रभारों का भुगतान, स्थानीय प्राधिकरण को किया जाना है, अर्थात मुम्बई में नवम्बर, 2006 में यूटीआई के विशिष्ट उपक्रम से खरीदे गए भवन के संबंध में ग्रेटर मुम्बई नगर निगम को स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान।	
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- रिहायशी आवासों का अधिग्रहण**	रिहायशी आवास संबंधी कमी को पूरा करना	4.50	शून्य	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो आयेगी।	रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से अधिक कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाए जा सकेंगे और इससे प्रेरणा और उत्पादकता में बढोत्तरी होगी।	नए रिहायशी आवास की खरीद के लिए एक मुश्त प्रावधान किया गया है।	डेवलपर को आक्युपैन्सी और कम्पलिशन प्रमात्र पत्र प्राप्त करना है।

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत कदम
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

कम्प्यूटरीकरण और आटोमेशन के क्षेत्र में उठाये गये कदम

कम्प्यूटरीकरण की एक भावी और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरु की गई है जिससे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर सेवाओं को समेकित किया जा सके, सभी प्रणाली को एक ही नेटवर्क/फ्लेटफार्म पर लाया जा सके और डाटा वेयर हाउस तथा डिजास्टर रिकवरी साइट को स्थापित किया जा सके । यह योजना अभी चल रही है। ड्यूटी का अपवंचन करने वाले बड़े-बड़े लोगों, तस्करों का पता लगाने और अनुपालन सहित व्यापार को सुकर बनाने की दृष्टि से एक रिस्क एसेसमेण्ट/ मैनेजमेण्ट साफ्टवेयर विकसित किया गया है। एक जोखिम प्रबंधन प्रभाग स्थापित किया गया है जिससे कि इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा सके ।

विभाग और क्लाइन्ट्स दोनों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किये गये उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य आंकलन कार्य में और शुल्क के संग्रहण में सहायता पहुंचाना है और निम्नलिखित तरीके से विभाग की क्षमता में और अधिक वृद्धि करना है यथाः-

(क) कार्गो के क्लियरेन्स में तेजी लाना
(ख) प्रक्रिया के चरणों की सं. संव्यवहार के समय और खर्च में कमी लाना
(ग) गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग आन लाइन मूल्यांकन, शुल्क भुगतान और क्लियरेंस प्रक्रिया
(घ) कोर बैंकिंग समाधान के तहत् राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीमा शुल्क का ई-भुगतान
(ड.) बैंक में प्रति अदायगी की इलेक्ट्रानिक क्रेडिट
(च) टेली इन्क्वायरी, टच स्क्रीन कियोस्क, एस एम एस आदि जैसे इन्टेरेक्टिव वायस रिस्पान्स सिस्टम्स
(छ) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना
(ज) प्रक्रिया का सरलीकरण
(झ) विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहवर्ती प्रक्रिया
(ञ) पारदर्शिता
(ट) मैन्युअल इन्टरफेस को न्यूनतम करना

598.97 करोड़ रूपये के खर्च वाली-समेकित कम्प्यूटरीकरण परियोजना को मंत्रिमंडल ने नवम्बर, 2007 में मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के विभिन्न घटकों को पूरा करने के लिये ठेका देने का काम पूरा हो गया है और इस समय कार्य प्रगति पर है।

बड़ी करदाता ईकाईयां (एल टी यू)

व्यापार में सुविधा प्रदान करने के महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, उत्पाद शुल्क, आयकर/निगमकर और सेवाकर का भुगतान करने वाले बड़े-बड़े करदाताओं के लिये एक सिंगल विण्डों सर्विस की अवधारणा की शुरुआत की गई है इस प्रकार की पहली एल टी यू 2006-07 में बेंगालुरु में स्थापित की गई है। दूसरी एल टी यू ने वर्ष 2007-08 से चेन्नै में अपना कार्य शुरु कर दिया है। वर्ष 2008-09 में मुम्बई और दिल्ली में भी एल टी यू ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

सहायता केन्द्र

जुलाई, 2005 से सभी सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों में सहायता केन्द्र खोले गये हैं जो कि कर संग्रहण के सम्प्रभुता सम्पन्न कार्य में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम है। ये केन्द्र छोटे करदाताओं, निर्धारितियों, आयातकों, निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं को दिशा-निर्देश और जानकारी देने के मामले में एक संस्थागत तंत्र का काम करते हैं।

कन्टेनर स्कैनर

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्हावा शेवा, मुम्बई में एक मोबाइल गामा रे कन्टेनर स्कैनर और एक फिक्स्ड एक्स रे कन्टेनर स्कैनर लगाने से एक प्रायोगिक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है जिससे कार्गो क्लियरेन्स, बहुत बड़ी तादात् में कन्टेनर ट्रैफिक की देखभाल, गैर हस्तक्षेप जांच के माध्यम से उन्नत सीमा शुल्क नियंत्रण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हासिल हुआ है। उत्साहवर्द्धक परिमाणों को देखते हुए कान्डला, चेन्नै और तूतीकोरिन में 172.94 करोड़ रूपये (अनावर्ती)और 18.61 करोड़ रूपये (आवर्ती) के खर्च से 3 मोबाइल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर को खरीदने की प्रक्रिया जारी है। लगाये जाने के लिए 3 मोबाइल स्कैनरों की खरीद के लिए मैसर्स ईसीआईएल, हैदराबाद को निविदा जारी कर दी गई थी। संविदा के अनुसार, मोबाईल कन्टैनर फरवरी, 2013 तक भिन्न चरणों में स्थापित कर दिए जाने चाहिए थे परन्तु मानव-संसाधनों, सामग्री तथा मशीनरी के अभाव के कारण विलम्ब हो गया। तूतिकोरिन में मार्च, 2014 में मोबाइल कन्टैनर स्कैनर स्थापित कर दिया गया हा तथा चेन्नई और कांडला में क्रमशः मई, 2014 तथा अक्तूबर, 2014 में स्थापित किया जाना संभावित है।

तुतिकोरिन, मुम्बई तथा कांडला में फिक्स्ड़ एक्स-रे स्कैनर स्थापित करने हेतु मैसर्स बीईएल, बंगलौर को संविदा प्रदान कर दी गई है तथा इन्हें विभिन्न चरणों में दिसम्बर,2012 से सितॅबर, 2013 के बीच स्थापित किया जाना था परन्तु मानव संसाधनों, सामग्री तथा मशीनरी के अभाव के कारण विलम्ब हो गया तथा अब इन्हें जुलाई, 2014 से नवम्बर, 2014 के बीच स्थापित करना संभावित है।

समुद्री बेड़ा

देश के समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने और सीमा शुल्क अधिनियम के आयात/ निर्यात संबंधी प्रावधानों को लागू करने की दृष्टि से विभाग के एक प्रतिरोधात्मक अस्त्र के रूप में तथा समुद्रीतट के साथ-साथ काम करने वाले सीमा शुल्क समुद्री बेड़े के रणनीतिक महत्व के विधिवत स्वीकार किया गया है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब आतंकवाद के अस्त्रों और शस्त्रों की तस्करी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और नशीली दवाऑ के व्यापार से खतरा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान बेड़े और भविष्य में इनकी आवयकता की समीक्षा की गयी है और बेकार, पुराने, टूटे फूटे यानों के स्थान पर 277.27 करोड़ रूपये के खर्च से चरणवद्ध तरीके से आधुनिक और तेज चलने वाले यानों को खरीदने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल ने फरवरी, 2007 में मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सीमा शुल्क संगठन विभिन्न वर्ग के 109 आधुनिक यानों की खरीद कर रहा है जिसकी विशेषतायें और उद्देय निम्न प्रकार हैंः-

यानों का संवर्ग	विशेषतायें	उद्देश्य
संवर्ग-I (24 यान)	चाल-25 नाट, लम्बाई 20 मीटर तथा उच्च सहिष्णुता	तटीय गश्ती और निगरानी
संवर्ग-II (22 यान)	उच्च चाल-40 नाट, लम्बाई-12 मीटर, कम सहिष्णुता	संदिग्ध यानों में तत्कालिक हस्तक्षेप
संवर्ग-IIIक (30यान)	चाल-30 नाट, लम्बाई 9 मीटर, कम सहिष्णुता	छिछले पानी, क्रीक और बंदरगाओं में उपयोगी
संवर्ग-IIIख (33यान)	चाल-35 नाट, लम्बाई 6 मीटर, कम सहिष्णुता	

वर्ग-I, वर्ग-II, वर्ग- III क और IIIख के सभी यान भी प्राप्त हो गये हैं और इन्हें तस्करी रोधी कार्यों के लिए आयुक्तालयों के अंतर्गत लगाया गया है।

1% राजस्व वृद्धि का उपयोग प्रोत्साहन प्रावधान के रूप में करना

व्यय प्रबंधन के बारे में व्यय विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसरण में, जिनसे राजस्व पैदा करने वाले विभागों को यह अनुमति मिलती है कि वे ऐसी योजना तैयार कर सकें जिससे कि 1% राजस्व वृद्धि का उपयोग ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन देने में हो सके जिनसे राजस्व का संकलन अधिकाधिक हो, संगठनात्मक क्षमता, बुनियादी सुविधाऑ में वृद्धि हो सके, सी बी ई सी ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 31.03.2014 तक 191.42 करोड़ रू. संस्वीकृत/आबंटित किया है अर्थात्:-

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क दायरों में क्षमता- सृजन/ अवसंरचना सुधार
- नासेन में प्रशिक्षण सुविधाऑ में क्षमता-सृजन
- पी ए ऑ में क्षमता- संवर्द्धन
- क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लैपटाप की व्यवस्था जिससे कि वे कर संग्रहण, जांच और आसूचना कार्य की मानीटरिंग में सुधार ला सकें।
- संगठनात्मक कार्यक्षमता में सुधार लाने और बाहर की निवारक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वाहनों को किराये पर लेना।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 के व्यय बजट में इसके लिए 40.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

पिछले काम काज की समीक्षा
परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2012-13

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक विवरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2013 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 सूचना प्रौद्योगिकी	ई-गवर्नेन्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ करना	150.00	178.00	-एक अखिल भारतीय व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना	सीबीईसी के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को दो विस्तृत स्तर पर राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्रों, बिजनेस कान्टीन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी साइट्स से जोड़ना। केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विवरणी की ई-फाइलिंग हेतु कस्टम विभाग तथा राजस्व विभाग में पर्याप्त इन्टरनेट बैंडविथ डाटा की तीव्र पुनः प्राप्ति हेतु कस्टम तथा राजस्व विभाग के बीच डैडिकेटिड लिंक का प्रावधान।	सीबीईसी के कार्य स्थलों पर वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) को 528 साइटों पर चालू कर दिया गया है। हेल्प डेस्ट सुविधा प्रदान कर दी गई है। वाईड एरिया नेटवर्क के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य स्थलों को लाया जा रहा है।	वाइड एरिया नेटवर्क के क्रियान्वयन में सहायता दी जा रही है और इसकी देख-रेख की जा रही है
					प्रणाली एकीकरण केन्द्र सर्वर स्थापित करना (हार्डवेयर, स्टोरेज और सुरक्षा आधारभूत संरचना इत्यादि)	• तीन राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र 99 प्रतिशत से अधिक सिस्टम अपटाइम के साथ कार्य कर रहे हैं। 24X7X365 के आधार पर केन्द्रीकृत सुरक्षा तथा मॉनीटरिंग। • इन डाटा आंकडा केन्द्रों से भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई व्यवस्था (ICES) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर एप्लीकेशन (ACES), इन्टरप्राइज डाटा वेयरहाउस (EDW), मुद्रा घोषणा पत्र फार्म तथा इन्ट्राक्टिव टैरिफ		• यह योजना समर्थन तथा देख-भाल चरण में है • इस परियोजना को जुलाई, 2011 एस टी क्यू सी के द्वारा आई एस ओ 270001 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है तथा दिसम्बर, 2012 में भारत की आंकड़ा सरक्षण परिषद (डीएससीआई) ने 'ई-शासन में सुरक्षा' के लिए पुरस्कार दिया।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						इत्यादि जैसी सभी केन्द्रीकृत व्यवसायिक सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशनों को इन डाटा केन्द्रों से चलाया जा रहा है। सिस्टम लगभग 35000 इन्टरनल यूजर्स/ डिपार्टमेंटल यूजर्स को सपोर्ट करता है। और इनसे सिंगल साइन-ऑन (SSO) आई डी को जारी किया गया है। ये लगभग 30 लाख करदाताओं को भी सपोर्ट करता है। • cbec.gov.in, icegate.gov.in तथा aces.gov.in जैसी वेबसाइटें इन केन्द्रीय संरचनाओं से चल रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के मेल को भी सपोर्ट करती हैं। webmail.icegate .gov.in के लिए 20.000 से अधिक आंतरिक प्रयोगकर्ताओं के लिए मेल संदेश की सुविधा • प्रयोगकर्ता समस्या के अन्त के लिए एक 24x7x365 हेल्प डैस्क कार्य कर रहा है। एवं नेटवर्क तथा आई टी आपरेशन सेंटर (NOC) इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रो- एक्टिव		

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						मॉनीटरिंग तथा एप्लीकेशन प्रयोगकर्ताओं को सपोर्ट प्रदान करने के लिए उपलब्ध है।		
					सभी विभागीय प्रयोगकर्ताओं को लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान करना।	सभी विभाग प्रयोगकर्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का प्रावधान	थिन क्लाइटंस, नेटवर्क प्रिंटर्स, प्रिंट सरवर्स, स्कैनर्स इत्यादि जैसे आवश्यक आईआईटी हार्डवेयर के साथ 1177 इमारतों में सीबीईसी प्रयोगकर्ताओं के लिए लोकल एरिया नेटवर्क क्नेक्टिविटी को प्रदान किया गया है।	एलएएन को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा यह सहायता तथा रख-रखाव के चरण में हैं। प्रयोगकताओं के एलएएन के प्रयोग से संबंधित समस्या के समाधान के लिए 24X7X365 हैल्प डैस्क की सुविधा उपलब्ध है।
					डेटा वेयर हाऊस का गठन।	डाटा वेयरहाउस, सभी सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर डाटा की केन्द्रीकृत संग्रह है। यह सभी प्रयोगकर्ता समूहों के लिए एमपीएलएस नेटवर्क (सीबीईसी डब्ल्यूएएन) पर उपलब्ध होगा और इसमें विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग जिसमें डाटा माइनिंग भी सम्मिलित है के लिए अनुकूल इन्टरफेस की सुविधा भी उपलब्ध होगी।	योजना को समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर पर कतिपय विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है तथा बिजनेस इन्टेलिजेंस सॉफ्टवेयर इसका प्रयोग करते हुए ई डी डब्ल्यू पर इसका प्रारंभ किया गया है।	डाटा वेयरहाउस सहायता तथा रख-रखाव के चरण में है।
					केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर परियोजनाओं का स्वचालन	सभी कार्य व्यापार में स्वचालित कार्य संवहन के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के लिए व्यापक सीमा तक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और इंटरफेस को कम करना।	104 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आयुक्तालयों में एसीईएस सुविधा चालू हो गई है।	• एसीईएस सुविधा चालू हो गई है और इसके तकनीकी समर्थन और देखभाल का कार्य चल रहा है। • एसीईएस की वेबसाइट को द्विभाषीय किया जा

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								रहा है। एसीईएस को वाणिज्य और उद्योग विभाग को ई-बिज परियोजना से जोड़ा जा रहा है।
					सीमा शुल्क उन्नयन के लिए गेट-वे परियोजना	गेटवे परियोजना का उद्देश्य एक सिंगल नेटवर्क के माध्यम से सीमा शुल्क भागीदारों को सरकारी अभिकरणों के साथ ईडीआई प्रणाली द्वारा जोड़ना है ताकि सीमा शुल्क कागजात ई-फाइलिंग की जा सके। यह कागजातों की ट्रेकिंग, जांच प्रणाली, दैनिक रिपोर्ट तथा व्यवसायिक समुदाय तथा अन्य नियामक अभिकरणों के बीच आंकड़ों का आदान-प्रदान तथा प्रयोगकर्ताओं के साथ आंकड़ों का संव्यवहार, फाइलिंग तथा मूल्यांकन हो सके। गेटवे परियोजना का स्तरोन्नयन किए ई-भुगतान गेटवे के द्वारा आनलाइन कस्टम ड्यूटी, निर्यात प्रोत्साहन राशि तथा 24x7 हेल्प डेस्क मुहैया कराया जा सके।	इस समय 115 सीमा शुल्क केन्द्रों पर आई सी ई एस 1.5 के स्थान पर आइसगेट कार्य कर रहा है1	यह योजना समर्थन तथा देखभाल चरण के अन्तर्गत है कुछ नए कार्य जैसे कि सेवा कर की आनलाइन रिफंड डीएफआईए लाइसेंसों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, केन्द्रीय बॉड प्रबंधन तथा सीमा शुल्कों का ई-भुगतान, इसमें सम्मिलित है। वर्तमान में आईसीईजीएटीई के माध्यम से इसके व्यापार साझेदारों तथा सीमाशुल्क के बीच 127 संदेशों का लेन-देन किया गया है। नए ई-भुगतान गेटवे के तहत अनिवार्य ई-पेमेंट, बहु गुणिक चालान व्यावस्था को प्रारंभ किया गया है। ई-पीएमओ के साथ डाटा ट्रांसमिशन को स्थापित किया गया है।
					जोखिम प्रबंध प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	आरएमएस का उद्देश्य केवल उच्च जोखिम वाले कार्गो को बुद्धिमता वाले निषेध के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन तथा व्यापार सुविधा और इसके साथ	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएम एस 3.1 ससंकरण) जो कि आईसीईएस 1.5 के अनुरूप है 80 सीमाशुल्क केन्द्रों में कार्य करने लगी है।	आर एम एस को अतिरिक्त स्थानों पर कार्यान्वित किया जाएगा तथा प्रदान की गई व्यापार सुविधा को संवर्धित किया जाएगा।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले तथा उन ग्राहकों को जो सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं, के लिए एक विश्वसनीय सीमाशुल्क क्लियरेंस प्रदान करना है।		निर्यात कार्गो के लिए भी आर एम एस की सुविधा को 30.4.2013 तक होने की आशा है।
					आईसीईएस विकास/1.5 तथा 1.0 के आईसीईएस संस्करण का अनुरक्षण	आयात तथा निर्यात क्लियरेंस से संबंधित कस्टम के कार्य प्रवाह को गतिशील करने के लिए डिजाइन, विकास, परियोजन तथा भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई व्यवस्था का रख-रखाव	आईसीईएस 1.0 को समाप्त कर दिया गया है तथा 109 सीमा शुल्क कार्य स्थलों पर आई सी ई एस 1.5 लागू किया गया।	आई सी एस 1.5 समर्थन तथा अनुरक्षण चरण में है नीतियों में परिवर्तन हेतु सतत रूप से नए माडयूल विकसीत किए जाते हैं तथा आईसीईएस 1.5 में जोड़े जाते हैं।
					वर्तमान सूचना प्रोद्योगिकी संरचनाओं की यथास्थिति अध्ययन कराना तथा अवधारणा का सीमित उद्देशीय प्रमाण/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सामान्य पोर्टल की स्थापना के लिए पायलट व्यवस्था ईएएसआईईएसटी	सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के सी टी डी और केन्द्रों की प्रक्रिया, पंजीकरण का विकास, रिटर्न और पायलट पोर्टल का भुगतान मॉडल, जीएसटी के रोलआउट के लिए डीपीआर की तैयारी और विकसित अनुप्रयोगों के लिए छः मास वाले चरण की देखभाल।	पायलट-पोर्टल के मॉड्यूल के लिए विकास का चरण समाप्त हो गया है तथा यथा स्थिति की रिपोर्ट एवं विकास के चरण के मॉड्यूल को प्रस्तुत किया गया है तथा केन्द्र और राज्यों के कतिपय मंचों पर चर्चा हुई है।	इस समय यह पायलट 31.3.2013 तक अनुरक्षण चरण में है।
					ईएएसआईईएसटी	इसका उद्देश्य राजस्व तथा करप्रदाता लेखों के लिए बैंकों से यथार्थ कर अदायगी डाटा को उपलब्ध कराना है। अनुकूल प्रारूप में अदायगी के सभी-प्रारूपों के माध्यम से जिसमें ई-पेमेंट भी सम्मिलित है, डाटा को बैंकों के द्वारा प्राप्त	2012-13 के दौरा 59.89 लाख चालान अपलोड हुए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 98 प्रतिशत राजस्व तथा सेवा कर में 87 प्रतिशत राजस्व ई-भुगतान के माध्यम से किया गया।	बैंको के द्वारा एनएसडीएल साइटों में बैंकों के द्वारा 100 प्रतिशत चालान अपलोड सुनश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी राजस्व की रिपोर्ट की गई है तथा

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						किया गया है तथा इसे इलेक्ट्रानिक फार्म में अपलोड किया गया है एवम सभी विभागों के लिए सुलभ बनाया गया है। ई ए एस आई ई एस टी ई-पेमेंट पोर्टल को ई-भुगतान को डाटा गुणवत्ता में सुधार के लिए विकसित किया गया है।		बेवसाइट में गणना हुई है।
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 – निवारक कार्य-जहाजों और बेड़ों की अधिप्राप्ति**	तस्करी रोधी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	10.18	20.00	सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को 109 आधुनिक फास्ट यान मुहैया कराना।	आधुनिक फास्ट वेसल से सीमा शुल्क विभाग की तस्करी रोधी क्षमता सुदृढ़ होगी। संवर्धित तटीय सुरक्षा से घातक/निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने, पर्यावरणीय खतरों का निवारण करने तथा खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी ।	- सभी 109 जलयान प्राप्त हो गए है तथा उन्हें तैनात कर दिया गया है। - वित्त वर्ष 2012-13 में 5.44 करोड़ रूपए की राशि दे दी गई है।	
3.	**मुख्य शीर्ष 4047 तस्करीरोधी उपकरणों का प्रापण**	कार्गो क्लीयरेंश, कंटेनर ट्रैफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नन-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	76.97	10.17	मैसर्स ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा तूतीकोरिन, चेन्नई और कांडला पोर्ट पर 3 मोबाईल गामा रे स्कैनरों को लगाना, मैसर्स बीईएल, बैंगलोर द्वारा सिविल निर्माण सहित 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर का, तूतीकोरिन, मुम्बई, चेन्नई और कोडला में 172.94 करोड़ की प्रोजेक्ट योजना और 18.61 करोड़ प्रति वर्ष आवर्ती खर्च के आधार पर लगाया जाना।	स्कैनिंग से अनियमिता की बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में इससे मदद मिलेगी और अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी तथा सुरक्षा के सरोकारों का निवारण होगा।	स्कैनरों को लगाने की संविदा तारीख निम्न प्रकार हैः मोबाईल स्कैनर्स कांडला-12.02.2013 चेन्नई 12.11.2012 तुतीकोरिन 12.11.2012 फिक्स्ड स्कैनर कांडला 28.02.2013 चेन्नई 28.02.2013 तुतीकोरिन 04.12.2012 मुम्बई 14.05.2013	परियोजना कार्यान्वियन समिति द्वारा प्रगति की मानीटरिंग की जा रही है। मानव संसाधन, मशीनरी तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की अपर्याप्तताः होने के कारण स्कैनरों को लगाने में विलम्ब हुआ है। मोबाईल गामा रे स्केनरों के लिए फैक्टरी अक्सेपटेंस टेस्ट करोलीना, यू एस ए में 3.12.2012 से 11.12.2012 तक

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								सी बी ई सी वेक प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया था। इसकी भारत में वित्त वर्ष 2013-14 में डिलिवरी होना संभावित है। मैसर्स बीईएल फिक्सड स्वैक्नर लगाने हेतु डिलिवरी में अवधि विस्तार का अनुरोध निम्न प्रकार से किया है:- कांडला 14.02.2014 तुतीकोरिन 31.1.2014 चेन्नई 31.01.2014 मुम्बई 14.02.2014
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 -- कार्यालय आवास का अधिग्रहण**	कार्यालय के लिए स्थान की अपर्याप्तता को पूरा करना।	28.00	4.31	कार्यालय के लिए स्थान की खरीद से यह कमी पूरी हो जाएगी।	मार्च, 2008 में खरीदी एन बी सी सी बिल्डिंग, साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय स्थल के संबंध में आगे का भुगतान। मुम्बई में नवम्बर, 2006 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विशिष्ट प्रतिष्ठनों से भवनों की खरीद के मामले में स्थानीय प्राधिकरण तथा मुम्बई नगर निगम को स्टाम्प ड्यूटी और प्रभारों का भुगतान। टी एन एस सी बी से चेन्नई तथा एल टी यू के लिए कोलकाता में कार्यालय स्थल की खरीद के अन्य प्रस्तावों को समाप्त कर दिया गया है।	ऐसे मामलों में भुगतान औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित अधिकारियों से परामर्श करना भी शामिल है। जी एफ आर में विहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन प्रस्तावों में सी पी डब्ल्यू डी, शहरी विकास मंत्रालय, एस एफ सी आदि से क्लियरेंस प्राप्त करना भी शामिल है।	सीबीईसी के उपयोग हेतु एन बी सी सी से दिल्ली में कार्यालय स्थल की खरीद के संबंध में मार्च, 2008 में 30.00 करोड़ रूपए का भुगतान। एनबीसीसी को कार्यालय स्थल के 75 प्रतिशत आंतरिक कार्य पूरा करने पर 7.95 करोड़ का मार्च, 2010 तक आंशिक भुगतान। पूर्णतः प्रमाण-पत्र हासिल नहीं हो जाने के कारण अन्य भुगतान नहीं किए गए जो कि एन बी सी सी तथा सीबीईसी के बीच सब्लोज समझौते हेतु अपेक्षित है। एसयूयूटीआई से मुम्बई स्थानीय अर्थात ग्रेटर मुम्बई नगर निगम को देय स्टेम्प ड्यूटी तथा

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								अन्य प्रभार का भुगतान स्टेम्प ड्यूटी की दर से संबंधित विवाद के कारण नहीं किया जा सका। टी एन एस सी बी से चेन्नई तथा एल टी यू के लिए कोलकाता में कार्यालय स्थल की खरीद के अन्य प्रस्तावों को समाप्त कर दिया गया है।
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- आवासीय स्थान का अधिग्रहण**	रिहायशी आवास संबंधी कमी को पूरा करना	4.00	0.10	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जाएगी। - आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	अजवेल में बने-बनाए रिहायशी आवासों की खरीद तथा अन्य चालू परियोजनाओं के संबंध में एक-मुश्त भुगतान संभावित है। सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को राष्ट्रीय डाटा केन्द्र से जोड़ना। व्यापार निरंतरता तथा आपदा रिक्वरी साइटस	आल इंडिया वाइड नेटवर्क का कार्यान्वयन	नेशनल गेम्स हाऊसिंग काम्प्लैक्स, रांची में 67 फ्लैटों की खरीद के लिए दो किस्तों में 12.04 करोड़ रूपए का भुगतान। कब्जा प्राप्त करने पर 1.24 करोड़ की बकाया राशि चुकाई जाऐगी। शिलांग में रिहायशी आवास की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया। संशोधित अनुमान के 0.10 करोड़ की तुलना में वास्तविक व्यय शून्य था।

2013-14 के परिव्यय के सन्दर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2013-14 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2014 की स्थिति (अनंतिम)
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 -सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेस के लिए आई टी क्षमता का सुदृढ़ीकरण	152.00	178.00	-एक अखिल भारतीय व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना	वाइड एरिया नेटवर्क (ज़एग़) को 528 साइटों पर लागू कर दिया गया है। बाकी बची 16 साइटों पर कार्य चल रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क मुद्दे पर प्रयोगकर्ता शिकायतों को संबांधित करने के लिए हेल्पडेस्क का प्रावधान किया गया है।		
					प्रणाली एकीकरण (एसआई): केन्द्रीय सर्वर स्थापित करना (हार्डवेयर, स्टोरेज और सुरक्षा आधारभूत संरचना इत्यादि)	• तीन राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र 99 प्रतिशत से अधिक सिस्टम अपटाइम के साथ कार्य कर रहे हैं। 24X7X365 के आधार पर केन्द्रीकृत सुरक्षा तथा मॉनीटरिंग। • भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई व्यवस्था (ICES) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर एप्लीकेशन (ACES), इन्टरप्राइज डाटा वेयरहाउस (EDW), मुद्रा घोषणा पत्र फार्म तथा इन्ट्राक्टिव टैरिफ इत्यादि जैसी सभी केन्द्रीकृत व्यवसायिक सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशनों को इन डाटा केन्द्रों से चलाया जा रहा है। यह सिस्टम		• यह योजना समर्थन तथा रख-रखाव चरण में है • इस परियोजना को जुलाई, 2011 एस टी क्यू सी के द्वारा आई एस ओ 270001 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है तथा दिसम्बर, 2012 में भारत की आंकड़ा सरक्षण परिषद (डीएससीआई) ने 'ई-शासन में सुरक्षा' के लिए पुरस्कार दिया।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			ब.अ.	सं.अ.				
						लगभग 35000 इन्टरनल यूजर्स/ डिपार्टमेंटल यूजर्स को सपोर्ट करता है। और इनसे सिंगल साइन-ऑन (SSO) आई डी को जारी किया गया है। ये लगभग 30 लाख करदाताओं को भी सपोर्ट करता है। • cbec.gov.in, icegate.gov.in तथा aces. gov.in जैसी वेबसाइटें इन केन्द्रीय संरचनाओं से चल रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के मेल को भी सपोर्ट करती हैं। webmail. icegate.gov.in के लिए 20.000 से अधिक आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए मेल संदेश की सुविधा • प्रयोगकर्ता समस्या के समाधान के लिए एक 24x7x365 हेल्प डेस्क कार्य कर रहा है। एवं नेटवर्क तथा आई टी आपरेशन सेंटर (NUI) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रो-एक्टिव मॉनीटरिंग तथा एप्लीकेशन्स प्रयोगकर्ताओं को सपोर्ट प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। • 88 आईसीईसी केन्द्रों पर आर एम एस निर्यात		

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						को प्रारंभ किया गया है। • वर्तमान में सीबीईसी डाटा केन्द्रों से 120 आई सी ई एस स्थानों पर आई सी ई एस एप्लीकेशनों को प्रारंभ किया जा रहा है। • वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर पर आई सी ई एस एप्लीकेशनों के नए मॉड्यूलों को प्रारंभ किया गया है। □ सागर से सागर स्थानांतरण मॉड्यूल □ कंटेनर्स चयन मॉड्यूल		
					सभी विभागीय प्रयोगकर्ताओं को लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान करना।	सभी विभाग प्रयोगकर्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का प्रावधान	थिन क्लाइटंस, नेटवर्क प्रिंटर्स, प्रिंट सरवर्स, स्कैनर्स इत्यादि जैसे आवश्यक आईआईटी हार्डवेयर के साथ 1177 इमारतों में सीबीईसी प्रयोगकर्ताओं के लिए लोकल एरिया नेटवर्क क्नेक्टिविटी प्रदान की गई है।	एलएएन को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा यह सहायता तथा रख-रखाव के चरण में हैं। एलएएन के प्रयोग से संबंधित समस्या के समाधान के लिए प्रयोगकर्ताओं के लिए 24x7x365 हैल्प डैस्क की सुविधा उपलब्ध है।
					डेटा वेयर हाऊस का गठन।	डाटा वेयरहाउस, सभी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर डाटा का केन्द्रीकृत संग्रह है। यह सभी प्रयोगकर्ता समूहों के लिए एमपीएलएस नेटवर्क (सीबीईसी डब्ल्यूएएन) पर	योजना को समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर पर कतिपय विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है तथा बिजनेस इन्टेलिजेंस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए ई डी डब्ल्यू पर इसके प्रारंभ	डाटा वेयरहाउस सहायता तथा रख-रखाव के चरण में है। मस्या ाओं ी

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						उपलब्ध होगा और इसमें विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग जिसमें डाटा माइनिंग भी सम्मिलित है के लिए अनुकूल इन्टरफेस की सुविधा भी उपलब्ध होगी।	किया गया है।	
					केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन (ACES)	सभी कार्य व्यवहारों में स्वचालित कार्य संवहन के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के लिए व्यापक सीमा तक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और इंटरफेस को कम करना।	104 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आयुक्तालयों में एसीईएस सुविधा चालू हो गई है।	• एसीईसी सुविधा कार्यान्वित हो गई है और यह सहायता तथा रख रखाव के चरण में है। • केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर पर ई-फाइलिंग अनिवार्य हो गई है । • माननीय वित्त मंत्री के निर्देशों के अनुसार रिफंड की ई- फाइलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
					सीमा शुल्क उन्नयन के लिए गेट-वे परियोजना	इस परियोजना का उद्देश्य सीमा शुल्क व्यापार साझेदारों तथा संस्थान साझेदारों को जोड़ता है। यह 19 वर्गों के संस्थानों/ व्यापार साझेदारों तथा अन्य सरकारी अभिकरणों के साथ 127 ईडीआई से अधिक संदेशों के माध्यम से व्यापार डाटा को विनिमय करता है। यह डाक्यूमेंट ट्रेकिंग तथा इंक्वायरी सिस्टम, दैनिक रिपोर्ट तथा डीटीआर, व्यापार समुदाय तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों के बीच डाटा	आईसीईएस 1.5 के लिए आईसीईजीएटीई के उन्नत संस्करण को 115 सीमा शुल्क केन्द्रों पर चालू हो।	यह योजना समर्थन तथा देखभाल चरण में अन्तर्गत है कुछ नए कार्य जैसे कि सेवा कर की आनलाइन रिफंड डीएफआईए लाइसेंसों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, केन्द्रीय बॉड प्रबंधन तथा सीमा शुल्कों का ई-भुगतान, इसमें सम्मिलित है। वर्तमान में आईसीईजीएटीई के माध्यम से इसके व्यापार साझेदारों तथा सीमाशुल्क के बीच 127

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						का ट्रांसमिशन, प्रयोगकर्ताओं के साथ फाइलिंग तथा मूल्यांकन से संबंधित डाटा का बंटवारा, ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन कस्टम ड्यूटी का भुगतान, निर्यात प्रोत्साहन संवितरण तथा 24x7 हेल्प डेस्क सुविधा प्रदान करता है।		संदेशों का लेन-देन किया गया है। नए ई-भुगतान गेटवे के तहत अनिवार्य ई-पेमेंट, बहु गुणिक चालान व्यवस्था को प्रारंभ किया गया है। ई-पीएमओ के साथ डाटा ट्रांसमिशन को स्थापित किया गया है। कार्गो आयात माड्यूल को चलाया गया हैकार्गो आयात माड्यूल को प्रारंभ किया गया है तथा निर्यात के तहत प्रमुख 88 कस्टम केन्द्रों पर आर एम एस को प्रारंभ किया गया है।
					जोखिम प्रबंध प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	आरएमएस का उद्देश्य केवल उच्च जोखिम वाले कार्गो को बुद्धिमता वाले निषेध के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन तथा व्यापार सुविधा और इसके साथ अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले तथा उन ग्राहकों को जो सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं, के लिए एक विश्वसनीय सीमाशुल्क क्लियरेंस प्रदान करना है।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएम एस 3.1 ससंकरण) जो कि आईसीईएस 1.5 के अनुरूप है 89 सीमाशुल्क केन्द्रों में कार्य कर रहा है। निर्यात कार्गो के लिए आर एम एस को आई सी डी, पटपड़गंज तथा आईसीडी मुलंद में कार्यान्वित कर दिया गया है और अब कुल 88 सीमा शुल्क केन्द्रों पर कार्य शुरू हो गया है।	यह योजना है कि आर एम एस को अतिरिक्त स्थानों पर कार्यान्वित किया जाएगा तथा प्रदान की गई व्यापार सुविधा को संवर्धित किया जाएगा।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					अवधारणा का सीमित उद्देश्यीय प्रमाण/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सामान्य पोर्टल की स्थापना के लिए पायलट व्यवस्था	वर्तमान सूचना प्रोद्योगिकी संरचनाओं की यथास्थिति का अध्ययन कराना तथा सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के सीटीडी और केन्द्रों की प्रक्रिया, पंजीकरण का विकास, रिटर्न और पायलट पार्टल का भुगतान मॉडल, जीएसटी के रोलआउट के लिए डीपीआर की तैयारी और विकसित अनुप्रयोगों के लिए छः मास वाले चरण की देखभाल।	पायलट-पोर्टल के मॉड्यूल के लिए विकास का चरण समाप्त हो गया है तथा यथा स्थिति की रिपोर्ट एवं विकास के चरण के मॉड्यूल को प्रस्तुत किया गया है तथा केन्द्र और राज्यों के कतिपय मंचों पर चर्चा हुई है।	पायलट चरण 31.03.2013 को पूरा हो गया।
					आईसीईएस के 1.5 तथा 1.0 के आई सी ई एस संस्करण का विकास/ देखभाल	आयात तथा निर्यात क्लियरेंस से संबंधित कस्टम के कार्य प्रवाह को गतिशील करने के लिए डिजाइन, विकास, परियोजना तथा भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई व्यवस्था का रख-रखाव	यह योजना अतिरिक्त् माड्यमल के विकास के साथ समर्थन तथा देखभाल के चरण में है जनवरी, 2014 में कीमती कार्गो के अयात माड्यूल के स्वचालन को प्रारंभ हो गया है।	कार्यों को संवर्धित करने के लिए नए मॉड्यूल तथा नीतियों के परिवर्तनों को पूरा करने के लिए नीतियां निरंतर रूप से विकसित हुई है और आईसीईएस 1.5 में जुड़ गई हैं।
					ईएएसआईईएसटी	इसका उद्देश्य राजस्व तथा करप्रदाता लेखों के लिए, बैंकों से यथार्थ कर अदायगी डाटा को उपलब्ध कराना है। अनुकूल प्रारूप में अदायगी के सभी-प्रारूपों के माध्यम से जिसमें ई-पेमेंट भी सम्मिलित है, डाटा को बैंकों के द्वारा प्राप्त किया गया है तथा इसे इलेक्ट्रानिक फार्म में अपलोड किया गया है एवम सभी विभागों के लिए सुलभ बनाया गया है। ई ए एस आई ई एस टी ई-पेमेंट	वर्ष 2012-13 के दौरा 59.89 लाख चालान अपलोड हुए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 98 प्रतिशत राजस्व तथा सेवा कर में 87 प्रतिशत राजस्व ई-भुगतान के माध्यम से प्राप्त हुआ।	बैंको के द्वारा एनएसडीएल साइटों में बैंकों के द्वारा 100 प्रतिशत चालान अपलोड सुनश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी प्रकार के राजस्व की रिपोर्ट की गई है तथा बेवसाइट के लिए गणना हुई है।

1	2	3	4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	5	6	7	8
						पोर्टल को ई-भुगतान के डाटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विकसित किया गया है।		
2.	मुख्य शीर्ष 4047 निवारक कार्य- जहाजों और बड़ों की अधिप्राप्ति	तस्करी रोधी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	17.95	7.00	सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को 109 आधुनिक तीव्र यान मुहैया कराना।	आधुनिक फास्ट वेसल से सीमा शुल्क विभाग की तस्कर-रोधी क्षमता सुदृढ़ होगी। संवर्धित तटीय सुरक्षा से घातक/निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने, पर्यावरणीय खतरों का निवारण करने तथा खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी ।	- सभी 109 जलयान प्राप्त हो गए है तथा उन्हें तैनात कर दिया गया है। - वित्त वर्ष 2013-14 में 4.00 करोड़ रूपए की राशि को दिसम्बर, 2013 में दे दिया गया है।	
3.	**मुख्य शीर्ष 4047- तस्करी रोधी उपकरणों का प्रापण**	कार्गो क्लीयरेंश, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नॉन-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	82.00	50.65	मैसर्स ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा तूतीकोरिन, चेन्नई और कांडला पोर्ट पर 3 मोबाईल गामा रे स्कैनरों को लगाना, मैसर्स बीईएल, बैंगलोर द्वारा सिविल निर्माण सहित 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कै्नरों को तूतीकोरिन, मुम्बई, चेन्नई और कांडला में लगानाः दोनों की ही कुल लागत योजना (172.94 करोड़ रूपए (गैर-आवर्ती) तथा 18.61 करोड़ रूपए प्रति वर्ष (आवर्ती) है।	स्कैनिंग से अनियमिता की बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में इससे मदद मिलेगी और अधिक राजस्व संग्रहीत होगा तथा कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी एवं सुरक्षा के सरोकारों का निवारण होगा।	गामा रे स्कैनर्स- गामा रे स्कैनर्स को फरवरी, 2013 तक स्थापित किया जाना था तथापि इस परियोजना में जनशक्ति, मशीनरी तथा सामान तथा अपर्याप्त परिनियोजन के कारण विलम्ब हुआ है। तूतीकोरिन की परियोजना को मार्च, 2014 तक 16 माह के विलम्ब के पश्चात चालू किया जा सकता है। अभी तक हुई प्रगति से यह दिखाई पड़ता है कि चैन्नई तथा कांदला पर स्कैनर्स को क्रमशः मई, 2014 तथा अक्तूबर, 2014 तक परिनियोजित किया जा सकता है। तूतीकोरिन में संस्थापित मोबाइल स्कैनर्स के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही में विक्रेताओं को 9.97 करोड़ रूपए के	मैसर्स बीईएल ,बंगलुरू तथा ईसीआईएल, हैदराबाद के द्वारा जनशक्ति, सामान तथा मशीनरी की कमी के कारण परियोजना में असाधारण रूप से विलम्ब हुआ है। इस मामले को सचिव (परमाणु ऊर्जा) तथा सचिव (सुरक्षा उत्पादन) के प्रकाश में लाया गया है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
							बराबर अदायगी की गई। फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर्सः दिसम्बर, 2012 से सितम्बर, 2013 तक विभिन्न चरणों में फिक्सड कंटेनर स्कैनर्स को चालू किया जाना था परन्तु जनशक्ति, मशीनरी तथा माल की अप्रर्याप्तता के चलते इसमें विलम्ब हुआ है। इनको जुलाई, 2014 से नवम्बर, 2014 तक विभिन्न चरणों में परिनियोजित किया जाना है।	
4.	मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय का अधिग्रहण	कार्यालय के लिए स्थान की अपर्याप्तता को पूरा करना।	47.91	21.90	कार्यालय के लिए स्थान की खरीद से यह कमी पूरी हो जाएगी।	कार्यालय के पास अपने प्रयोग के लिए पर्याप्त स्थान होने से विभाग की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी।	बंगलुरू में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा नाकोटिक्स अकादमी (एनएसीईएन) के लिए एक नए कार्यालय परिसर का निर्माण। यूटीआई, मुम्बई से भवन की खरीद एन बी सी सी, प्लाजा तथा गुवाहाटी में कार्यालय भवन की खरीद तथा अन्य छोटे-मोटे प्रस्तावों के संबंध में भुगतान किए जाने की संभावना है। - मुम्बई में नवम्बर, 2006 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विशिष्ट प्रतिष्ठानों से भवनों की खरीद के मामले में स्थानीय प्राधिकरण तथा मुम्बई नगर निगम को स्टाम्प ड्यूटी और प्रभारों का भुगतान।	ऐसे मामलों में भुगतान औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित अधिकारियों से परामर्श करना भी शामिल है।
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 - आवासीय स्थान का अधिग्रहण**	रिहायशी आवास संबंधी कमी को पूरा करना	1.34	3.36	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जाएगी।	रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से कर्मचारियों में संतोष पैदा होगा और परिणाम में वृद्धि होगी।	अन्य जारी परियोजनाओं के संबंध में संभावित अन्य भुगतान किए जाने की संभावना है।	जी एफ आर में विहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन प्रस्तावों में सीपीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय, एस एफ सी आदि से क्लियरेंस प्राप्त करना भी शामिल है।

समग्र निष्पादन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समग्र निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2013-14 में कुल अप्रत्यक्ष कर राजस्व 4,91,205 करोड़ रू. था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण 34.34% (1,68,702 करोड़ रू.), सीमा शुल्कः 35.01% (1,71,962 करोड़ रू.) एवं सेवाकर, 30.65% (1,50,541 करोड़ रू.) था ।
- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2003-04 के 1,47,294 करोड़ रूपए से 233.49% बढ़कर 2013-14 में 4,91,205 करोड़ रू. हो गया।
- पिछले वर्ष के मुकाबले 2013-14 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क संग्रहण में 4.32% और सीमा शुल्क संग्रहण में 3.74% बढ़ोत्तरी आयी है।
- पिछले वर्ष के मुकाबले सेवाकर संग्रहण में 2013-14 में 15.01% की वृद्धि हुई। इसके अलावा सेवाकर के संग्रहण में 2003-04 (7,891 करोड़ रू.) के मुकाबले 2013-14 (1,50,541 करोड़ रू.) में सेवाकर संग्रहण में 1807.76% की वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर में सेवाकर का हिस्सा 1995-96 के 1% से बढ़कर 2013-14 में 30.65% हो गया है।
- 2013-14 में, संग्रहित कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक अवधि की तुलना में 4.12% अधिक वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर संग्रहण में क्रमशः- 3.67%, 3.74% और 15.01% की वृद्धि अथवा कमी हुई है।
- वर्ष 2005-06 के बाद से अप्रत्यक्ष कर संग्रहण की लागत निम्न तालिका में दी है:-

संग्रहण की लागत

शुल्क का शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सीमा शुल्क	0.51%	0.72%	1.09%	0.67%	0.67%	0.63%	0.64%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	0.64%	0.98%	1.32%	1.00%	0.96%	0.83%	0.83%

- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2004-05 की जी डी पी में 5.3% की तुलना में कम होकर 2012-13 की जी डी पी में 4.70% हो गया है।
- पिछले तीन वर्षों का प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर व्यय और औसत राजस्व संग्रहण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर औसत व्यय (लाख रू.में)	प्रति कर्मचारी औसत राजस्व संग्रहण (करोड़ रू. में)
2011-12	5.68	7.31
2012-13	5.10	8.83
2013-14	5.41	9.19

ई-गर्वनेंसः

प्रणाली महानिदेालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना समेकन परियोजना के क्रियान्वयन का काम पूरा कर लिया है। इस समेकित परियोजना के भाग के रूप में क्रियाचित की गई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को नीचे दिया गया है:-

(i) **वाईड एरिया नेटवर्किंगः**- वाईड एरिया नेटववर्क (डब्लू ए एन) :- 20,000 विभागीय उपयोग कर्त्ताओं को नेशनल डाटा सेंटर, डाटा रिप्लीकेान और डी आर साइट से जोड़ते हुए एक आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क तैयार किया गया है जिससे कि सी बी ई सी के अधिकारियों को नेशनल डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट्स से जोड़ा जा सके। वाइड एरिया नेटवर्क को उन स्थानों को छोड़कर जहां कि बड़े-बड़े मद्दे है, क्रियान्वित कर दिया गया है। हेल्पडेस्क की व्यवस्था कर दी गई है जिससे कि उपयोगकर्त्ताओं की डब्लूएएन और एलएएन मुद्दों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(ii) **सिस्टम इन्टीग्रेान**- सिस्टम इन्टीग्रेशन- तीन राष्ट्रीय डाटा केन्द्र **99** प्रतिशत से अधिक समय प्रणाली के साथ प्रचालन में है; इसमें चौबीस घंटे, सातों दिन और पूरे वर्ष आधार पर केन्द्रीकृत निगरानी और सुरक्षा है। सभी केन्द्रीकृत बिजनेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे कि भारतीय सीमा शुल्क डीडीआई प्रणाली (आईसीईएस), केन्द्रीय उतपाद शुल्क और सेवाकर एप्लीकेशन (एसीईएस), भारतीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क गेटवे (आईसीईजीएटीई), एन्टरप्राइज डाटा वेयर हाउस (ईडीडब्ल्यू), आदि इन राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों से परपोषित है। यह प्रणाली लगभग **37000** आंतरिक प्रयोक्ताओं को सहयोग देता है और इसके लगभग **35** लाख पंजीकृत बाह्य प्रयोक्ता (करदाता) हैं। परपोषित वेबसाइट्स - कॉरपोरेट वेबसाइट (**cbec.gov.in**), ई- वाणिज्य पोर्टल (**icegate.gov.in**) और ए सी ई एस वेबसाइट (**aces.gov.in**) इस केन्द्रीय अवसंरचना से चल रही हैं।

एक **24x7x365** एस आई डेस्क अंतिम प्रयोक्ता समस्याओं के समाधान और अवसंरचना के लिए प्रचालन में है।

37000 पंजीकृत प्रयोक्ताओं से अधिक को सहयोग वाला एक एल साइन-ऑन (एस एस ओ) आवेदन विभिन्न आवेदनों हेतु सीबीईसी

के अधिकारियों के लिए नीति आधारित पहुंच हेतु भी कार्यान्वित किया गया है।

ओनड ई मेल डोमेनः **webmail.icegate.gov.in** मेल मैसेजिंग का समाधान **20,000** से अधिक आंतरिक प्रयोक्ताओं हेतु सरकारी मेल एकाउंटस प्रदान किए जाने हेतु डाटा केन्द्र से कार्यान्वित किया गया है।

एक नेटवर्क और आई टी आपरेशन्स केनद्र (एन ओ सी) को अवसंरचना की अनुकूल निगरानी ओर आवदेन प्रयोक्ताओं को समर्थन प्रदान किए जाने हेतु गठित किया है।

अवसंरचना ने निम्नलिखित को समिर्पित किया हैः-

- नए आवेदन/ करदाता सेवाएं जैसे कि आर एम एस निर्यात 88 आई सी ई एस स्थलों पर शुरू की गई है जिसमें से जनवरी, 2014 मार्च, 2014 की तिमाही में 33 स्थलों पर इसे वलित किया गया है।
- इस समय आई सी ई एस आवेदनों की सीबईसी के डाटा केन्द्र से 120 आई सी ई एस स्थलों पर बंद किया गया है।
- आई सी ई एस आवेदन के निम्नलिखित नए मॉड्यूल्स विद्यमान अवसंरचना पर शेल आउट किए गए हैंः-
  - समुन्द्र से समुन्द्र मं माल ढुलाई मॉड्यूल
  - कन्टेनर चयन मॉड्यूल

(iii) **लोकल एरिया नेटवर्क्स(एलएएन)**- थिन क्लाइन्ट्स, नेटवर्क प्रिन्टर्स, प्रिंट सर्वर्स, और स्क्रेनर्स आदि जैसे अपेक्षित आई टी हार्डवेयर के साथ लगभग **1177** भवनों में सीबीईसी प्रयोक्ताओं को लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एल ए एन का प्रयोग कर, सीबीईसी के अधिकारी केन्द्रीय कॅम्प्यूटरिंग सुविधा तक सुरक्षात्मक पहुंच / सम्बद्धता बनाने हेतु सबल होंगे। एल ए एन हेल्पडेस्क का प्रावधान स्थलों पर भोगे जा रहे एल ए एन मुद्दों हेतु सेवा प्रदाता द्वारा किया गया है।

सीमा शुल्क

गेटवे परियोजना एक एकल नेटवर्क के माध्यम से सीमा शुल्क व्यापार भागीदारों और अन्य सरकारी अभिकरणों से जुड़ाव के प्रति लक्षित है। रिमोट ईडी आई प्रणाली (आर ई एस) प्रसुविधा निर्यातकों / सी एच ए एस / एयर लाइन्स / पोत परिवहन लाइन्स आदि के परिसरों से सीमा शुल्क दस्तावेज की ई- फाइलिंग हेतु; दस्तावेज अनुकरण और पूछताछ प्रणाली, दैनिक रिपोर्ट और डी टी आर एस; व्यापार समुदाय और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के मध्य डाटा का संचरण; प्रयोक्ताओं के साथ फाइलिंग और आंकलन संबंधी डाटा को बांटना; माल के आकलन के दौरान प्रश्नों और उत्तरों संबंधी सेवाएं; ई-भुगतान गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क ड्यूटी वेतन हेतु बैंकों के साथ ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन; निर्यात पारितोषण संवितरण; और **24x7** सहायता डेस्क प्रसुविधा आई सी ई- जी ए टी ई पर उपलब्ध विभिन्न व्यापार प्रक्रियाओं के आधार हैं। यह डोरस्टेप सेवा प्रदान करता है और क्षमताओं के बढ़ते स्तर पर व्यापार और उद्योग को प्रसुविधित करने और सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी में सर्वोत्कृष्ठता समाविष्ट करने की से विभिन्न सरकारी अभिकरणों केा जोड़ता है। यह एक समेकित वातावरण में कार्य करता है और सभी सेवाओं को एक ही जगह पर उपलबध कराता है।

आई सी ई एस 1.5 अब 120 सीमा शुल्क स्थलों पर लागू है। नई कार्यात्मकता में सेवा कर कीऑनलाइन वापसी डी एफ आई ए लाइसेंसों का ऑनलाइन पंजीकरण, केन्द्रीकृत बांड प्रबंधन और किसी भी सीमा शुल्क स्थल पर किसी भी प्राधिकृत बैंकों से सीमा शुल्कों का ई-भुगतान हेतु शामिल की गई प्रसुविधा शामिल है। अन्य मॉडयूल्स जैसे कि कीमती कार्गो का स्वचालन, ए सी ई एस और आर एम एस के साथ बृहत्त संघटन तथा सेज़ के साथ ऑन लाइन इंटरफेस, विकास के अन्तर्गत है। नई ई-भुगतान गेटवे के अन्तर्गत अनिवार्य ई- भुगतान, बहु चालान प्रसुविधा प्रारंभ की गई है, जिसे बड़े पैमाने पर व्यापार और उद्योग जगत द्वारा सराहा गया है। ई-पी ए ओ के साथ डाटा पारेषण पहले ही स्थापित किया गया है।

अध्यायः- **3** के अन्तर्गत दस्तावेज का ऑनलाइन पारेषण हेतु पुरस्कार योजना आरंभ की गई है डीजीएफटी को अध्याय-**3** अनुज्ञाप्तियों के ऑनलाइन पारेषण की तिथि अधिसूचित करनी है।

व्यापार भागीदारों के साथ उनके साथ परामर्श में अनंतिम रूप दिए गए शेष संदेशों के कार्यान्वयन हेतु इसे भी प्रस्तावित किया गया है। सेज़ के साथ ऑन लाइन इंटरफेस पर चर्चा जारी है। आई सी ई एस 1.5 के साथअनुकूल एक नया जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर एम एस 3.1) का संस्करण 89 सीमा शुल्क स्थलों पर प्रचालित है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

ए सी ई एस परियोजना लागू की गई है और तकनीकी सामर्थ्य और देख-रेख के अन्तर्गत है। अतिरिक्त कार्य प्रक्रियाओं को योजनाबद्ध किया गया है जैसे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पंजीकरण, लेखा परीक्षा और पुनर्भुगतानों को समाविष्ट करने वाली विस्तृत एम आई एस रिपोर्टें। इसके अतिरिक्त, ए सी ई एस वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की ई- फाइलिंग को अनिवार्य बनाया गया है। माननीय वित्त मंत्री के निर्देशों के अनुसार पुनर्भुगतान कीई- अदायगी किए जाने हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है।

डाटा वेयर हउस

डाटा वेयरआऊस तकनीकी समर्थन और देख-रेख चरण के अन्तर्गत है। डाटा वेयरहाऊस तक पहुंच हेतु सीबीईसी अधिकारियों के लिए अतिरिक्त लाइसेसों का प्रापण किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। बोर्ड, टी आर यू और अन्य अधिकारियों से डाटा के लिए अनुरोध दैनिक आधार पर प्रक्रमित भी किए जा रहे हैं। सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर वापसी और अदायगी डाटा दोनों पर अनेक विश्लेषणात्मक रिपोर्टें विकसित की गई हैं और ऑफ ब्रीड' व्यावसायिक बौद्धिकता साफ्टवेयर टूल्स का प्रयोग करते हुए, ई डी डब्ल्यू पोर्टल पर होस्ट की गई।

स्कैनर्स की प्राप्ति

इलेक्ट्रोनिक स्कैनर्स की प्राप्ति आयात और निर्यात कार्गो कन्टेनरो की स्कैनिग जो कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आते है जिससे कि औषधि अस्त्र एवं शस्त्र एवं अन्य अघोषित कार्गो का पता लगाने के लिए किया जाता है यह एक पायलेट परियोजना है, जिसमें एक मोबाईल गामा रेस्कैनर एवं एक पुनस्थापित एक्स रे स्कैनर जवाहर लाल नेहरु पोर्ट न्हावा शेवा पर स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गयी थी और जून, **2005** तक इसे पूरा किया गया। पायलेट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से एक मुख्य कदम कार्गो निकासी कंटेनर यातायात के बढ़े हुए परिमाण एवं गैर हस्तक्षेप परीक्षा के द्वारा सुधरा हुआ सीमा शुल्क नियंत्रण को प्रभावी रुप से प्राप्त किया गया है। उत्साहपूर्वक परिणामों को देखते हुए, तूतीकोरिन, चैन्नई, कांडला में **3** मोबाइल स्कैनरों को मुम्बई, कांडला चेन्नै एवं तूतीकोरन में **4** फिक्सड स्कैनरों को स्थापित करने के लिए अधिग्रहण हेतु निविदा आमंत्रित करने की प्राप्ति की प्रक्रिया शुरु की गई है। पोत परिवहन मंत्रालय ने मुम्बई, कांडला, चेन्नै और तूतीकोरिन पर स्कैनर्स को लगाए जाने हेतु भूमिका आवंटन अनुमोदित कर दिया है। मैसर्स ईसीआईएल, हैदराबाद और मैसर्स बीईएल, बंगलोर द्वारा मशीनरी मानवशक्ति की अपर्याप्त तैनाती के कारण कंटेनर स्कैनरों को सजग निगरानी के कारण क्रमशः **14** मार्च और **14** अप्रैल को लगाया गया है, जबकि कांडला में इस प्रकार के कंटेनर स्कैनर को सितम्बर, **2014** तक स्थापित किया जाएगा। मैसर्स बीईएल द्वारा अपूर्ति किए गए, फिक्स्ड एक्स-रे कंटेनर स्कैनर को अंततः नवम्बर, **2014** तक, विभिन्न चरणों में तूतीकोरिन, चेन्नै, मुंबई और कांडला में स्थापित किए जाने की संभावना है।

मैसर्स ईआईसीएल, हैदराबाद (मोबाइल कंटेनर स्कैनर के आपूर्तिकर्ता) के साथ हस्ताक्षरित अनुबंधों के अनुसार, फरवरी, **2013** तक विभिन्न चरणों में चालू किए जाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। फिक्स्ड कंटेनर स्कैनर (मैसर्स बीईएल द्वारा अपूर्ति किए जाने वाले) को अंततः सितम्बर, **2013** में विभिन्न चरणों में चार स्थलों पर चालू किया जाना था। तथापि, दोनों आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मानवशक्ति की तैनाती, मशीनरी और सामग्री की अपर्याप्तता के कारण परियोजनाओं के निष्पादन में अत्यधिक देरी हुई है। एक उच्च स्तर पर सतर्क निगरानी की गई थी, जो मार्च, **2014** माह में तूतीकोरिन में मोबाइल कंटेनर स्कैनर की कमीशनिंग में परिणत हुई। चैन्नई में परियोजना अप्रैल, **2014** में पूरी हो गई और कांडला में सितम्बर, **2014** के अंत तक पूरी हो जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार, फिक्स्ड एक्स-रे कंटेनर स्कैनर्स अंततः नवम्बर, **2014** तक, विभिन्न चरणों में कमीशन किए जाने की सम्भावना है।

विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कैनरों द्वारा स्कैन किए गए कंटेनरों की संख्या निम्न प्रकार हैः-

2011-12 के दौरान, नियम स्कैनर के माध्यम से जहां जब्त माल की कीमत **36.23** करोड़ रू. थी और समाविष्ट सीमा शुल्क

(रुपए हजार में)

वर्ष	निम्नलिखित माध्यम से स्कैन्ड कंटेनर्स		निर्धारित मामलों की संख्या	माल की कीमत	समाविष्ट शुल्क (आरएफ+पीपी+आईएनटी)
	मोबाइल स्कैनर	फिक्स्ड स्कैनर			
2011-12	50169	66374	122	362308	61788
2012-13	82625	81369	152	453724	88265
2013-14 (अनंतिम)	61922	78750	192	935459	217699

6.18 करोड़ रू. था निर्धारित (बुक) किए गए थे। **2012-13** के दौरान, जब्त माल की कीमत **45.37** करोड़ रू. थी और सीमा शुल्क **8.83** करोड़ रू. था समावेशन वाले **152** मामले निर्धारित (बुक) किए गये थे। **2013-14** के दौरान, सीमा शुल्क **2.18** करोड़ रू. समावेशन वाले **93.55** करोड़ रू. जब्त माल की कीमत वाले **192** मामले निर्धारित (बुक) किए गये थे।

समुद्री यानों की प्राप्ति

आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक **22.02.2007** को **358.19** रुपये की लागत पर **109** समुद्री यानों की प्राप्ति को अनुमोदित किया था। वर्ग-**I** के सभी **24** यानों की डिलीवरी हो गई है और उनको मुम्बई (**03**), गोवा (**02**), मंगलोर (**03**), कोचिन (**04**), पुणे (रत्नागिरि) (**02**) और अहमदाबाद (उमर गांव), जामनगर (ओखा), कांडला, विशाखापटनम, चेन्नै, ट्रिची, (तूतीकोरिन), ट्रिची (नागापटनम) विशाखापटनम-**II** (काकीनाडा) कोलकाता और भुवनेश्वर-**I** (पारादीप) आयुक्तालयों में तैनात कर दिया गया है।

वर्ग-**II** के सभी स्वीकृत **22** यानों, की डिलीवरी हो गई है और उनको मुम्बई (**03**), जामनगर (**02**), पुणे (रत्नागिरि) (**02**), मंगलोर (**02**), अहमदाबाद (**01**), गोवा (**01**), और काण्डला (**01**) कोचीन (**03**), चैन्नई (**01**), ट्रिची (**02**), विजाग(**01**) भुवनेश्वर (**01**) तथा कोलकाता (**02**) आयुक्तालयों में तैनात कर दिया गया है।

वर्ग-**III** के सभी **63** यानों (वर्ग- **III**क में **30** यान और श्रेणी-**I** वर्ग-**II**ख में **33** यान) की डिलीवरी हो गई है और उनको मुम्बई (**07**), गोवा (**02**), मंगलोर (**02**), पुणे (**04**), कोचिन (**04**), अहमदाबाद (**02**), जामनगर (**02**), कांडला (**02**), चैन्नई (**03**), विशाखापटनम(**01**), विशाखापटनम-**II**(**02**) गुण्टूर (**01**) ट्रिची(**10**), कोलकाता (**10**) , भुवनेश्वर (**02**), पटना (**03**) और शीलांग (**06**) आयुक्तालयों में तैनात कर दिया गया है।

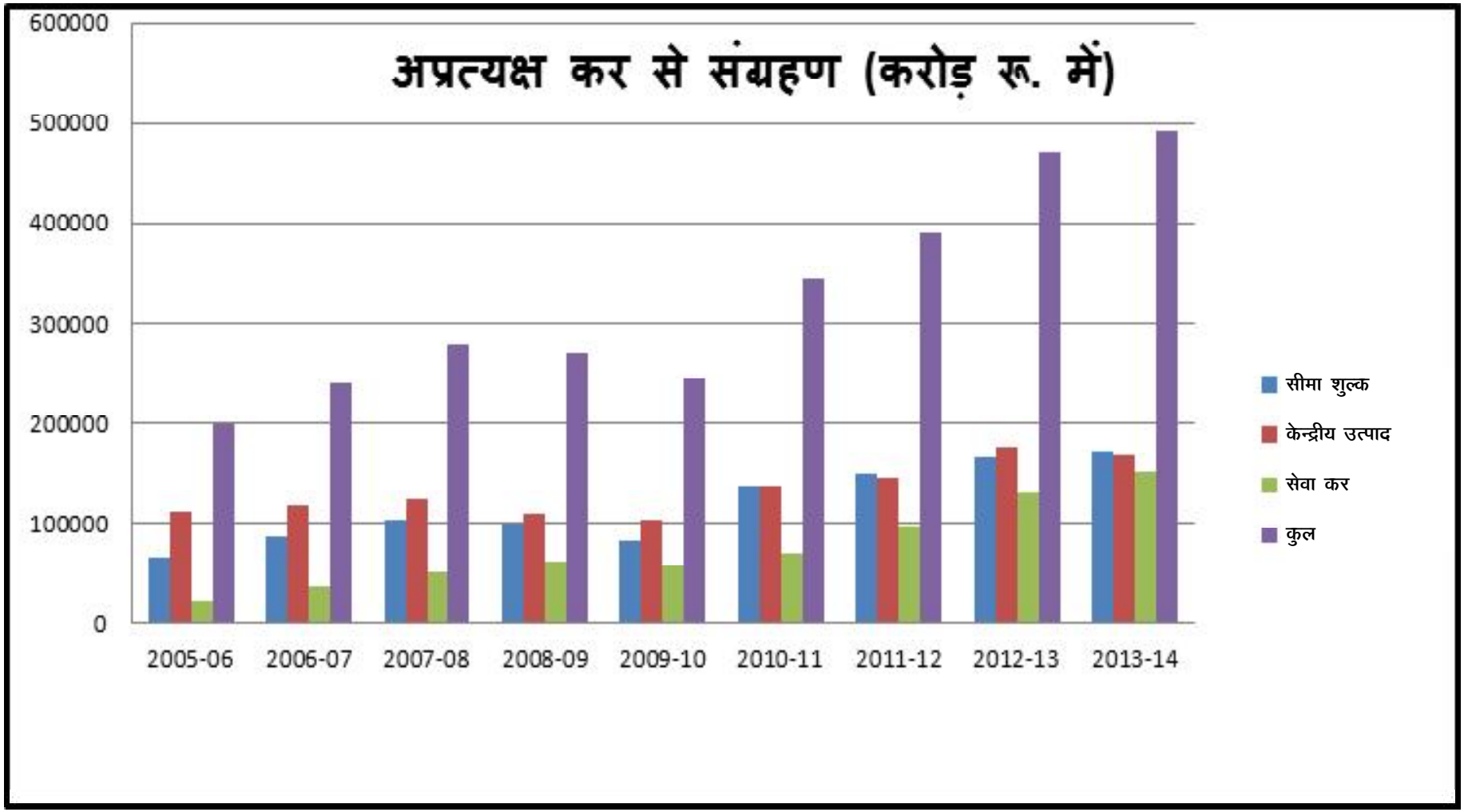
अप्रत्यक्ष कर से संग्रहण (करोड़ रू. में)
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
सीमा शुल्क
केन्द्रीय उत्पाद
सेवा कर
कुल

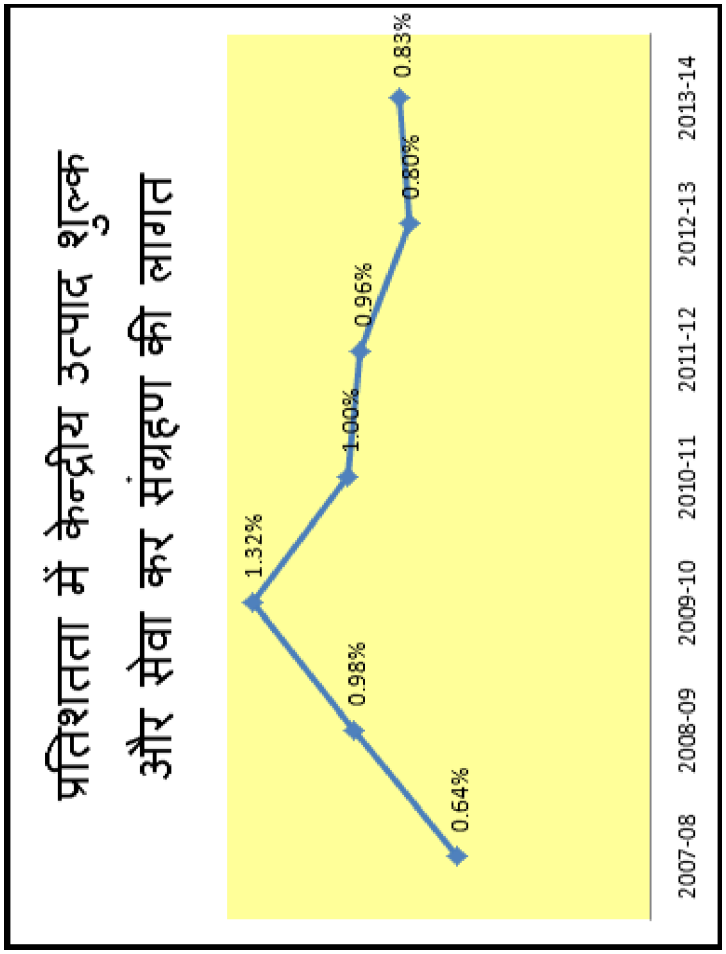
प्रतिशतता में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
और सेवा कर संग्रहण की लागत
1.32%
0.98%
0.64%
1.00%
0.96%
0.80%
0.83%
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

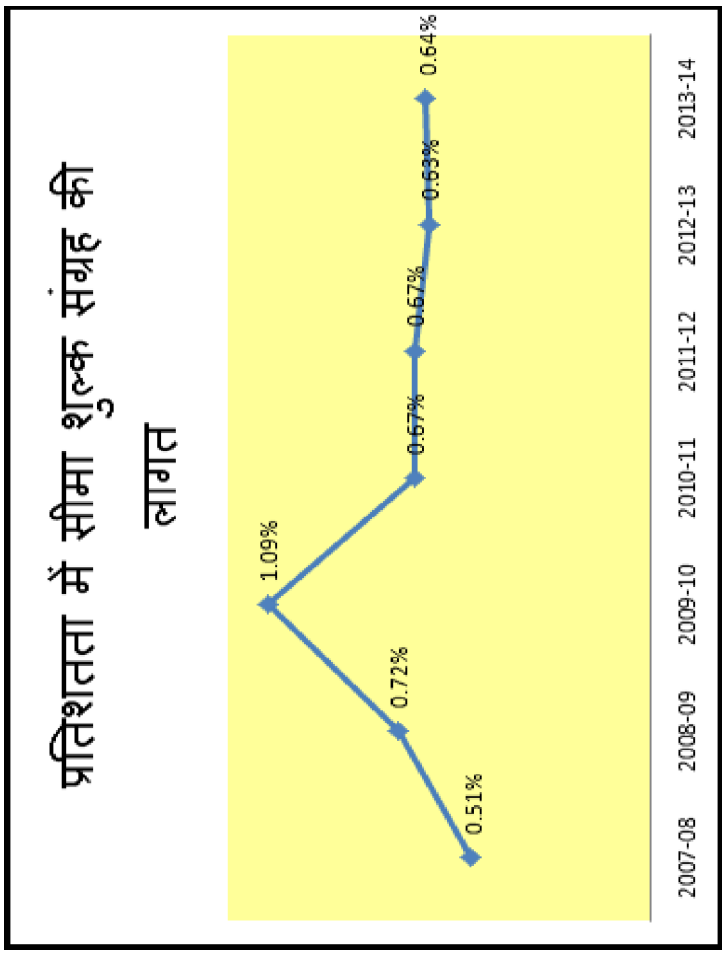
प्रतिशतता में सीमा शुल्क संग्रह की
लागत
1.09%
0.72%
0.51%
0.67%
0.67%
0.63%
0.64%
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

बजट निष्पादन 2013-14 के अंतर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	स्कीम	2012-13			2013-14			2014-15
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम)	ब.अ.
1.	ई-शासन हेतु आईटी क्षमता का सुदृढ़ीकरण	150.00	178.00	161.55	152.00	147.00	137.56	221.31
2.	जहाजों और बेड़ों का अधिग्रहण	10.18	20.00	5.45	17.95	7.00	4.00	20.00
3.	कंटेनर स्कैनरों का अधिग्रहण	76.97	10.17	0.00	82.00	50.65	10.79	112.72
4.	कार्यालय आवासों का अधिग्रहण	28.00	4.31	4.50	47.91	21.70	4.31	133.59
5.	निवासी आवासों का अधिग्रहण	4.00	0.10	0.00	1.34	3.36	3.20	4.50
	कुल	**269.15**	**212.58**	**171.50**	**301.20**	**229.71**	**159.86**	**492.12**
	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता			80.68%			69.59%	

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के योजना-वार वास्तविक व्यय बनाम
बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2011-12			2012-13			2013-14		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम)
	राजस्व खंड										
1.	**एम एच-2037 (सीमा शुल्क)**										
	सीमा शुल्क का संग्रहण	2037	981.51	978.03	960.56	1047.03	1051.21	1026.52	1148.47	1129.19	1093.42
	सीमा शुल्क कल्याण कोष	2037	0.00	6.14	0.00	6.20	5.58	5.58	6.20	5.58	0.00
	विदेश मिशन	2037	1.70	2.10	2.10	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	1.15
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण	2038	1970.27	1964.87	1938.32	2103.84	2126.49	2118.41	2325.63	2318.67	2267.64
	बेन्डरोल्स इत्यादि का मुद्रण	2038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	निरीक्षण निदेशालय	2038	31.83	34.76	31.75	37.12	38.71	35.77	39.38	42.98	37.32
	व्यवस्था तथा सांख्यिकी प्रबंधन	2038	135.15	134.80	131.25	138.00	165.49	155.76	143.75	139.55	128.52
	सर्तकता	2038	12.61	12.32	11.61	13.10	12.73	11.43	13.78	14.13	13.46
	राष्ट्रीय सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मादक पदार्थ अकादमी	2038	37.83	43.37	41.09	44.31	44.60	39.27	59.15	66.55	57.34
	प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय	2038	30.21	31.35	31.18	35.44	33.48	33.07	35.37	75.34	74.27
	उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय	2038	30.73	32.92	29.88	33.91	36.66	33.04	37.21	47.96	42.57
	अन्य कार्यालय	2038	13.50	12.88	11.97	13.63	13.53	12.48	14.01	14.53	13.94
3	आवास रखरखाव एवं मरम्मत	2216	6.00	5.30	3.96	7.00	5.00	2.80	5.00	4.50	1.95
4	सहायता सामग्री एवं उपस्कर	3606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल-राजस्व खण्ड		3251.34	3258.84	3193.67	3481.88	3535.78	3476.43	3830.25	3861.28	3731.58
5	मेरीन पोत का अधिग्रहण	4047	13.50	38.27	3.23	10.18	20.00	5.45	17.95	7.00	4.00
	कंटेनर स्कैनरों का अधिग्रहण	4047	70.00	43.65	43.29	76.97	10.17	0.00	82.00	50.65	10.79
	मुख्य कार्य	4047	0.05	0.03	0.00	0.05	0.25	0.00	0.05	0.07	0.00
6	कार्यालय भवनों का अधिग्रहण	4059	40.00	7.00	0.00	28.00	4.31	4.50	47.91	21.70	4.31
7	तैयार निर्मित आवासीय भवनों का अधिग्रहण	4216	4.00	4.00	0.82	4.00	0.10	0.00	1.34	3.36	3.20
	कुल-पूंजी खण्ड		**127.55**	**92.95**	**47.34**	**119.20**	**34.83**	**9.95**	**149.25**	**82.78**	**22.30**
	महायोग		**3378.89**	**3351.79**	**3241.01**	**3601.08**	**3570.61**	**3486.38**	**3979.50**	**3944.06**	**3753.88**
	वसूलियां		**-0.50**	**-0.50**	**-0.54**	**-0.50**	**-0.50**	**-0.41**	**-50**	**-0.50**	**-0.65**
	निवल		**3378.39**	**3351.29**	**3240.47**	**3600.58**	**3570.11**	**3485.97**	**3979.00**	**3943.56**	**3753.23**

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के शीर्षवार वास्तविक व्यय बनाम बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2011-12			2012-13			2013-14		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम)
	राजस्व खण्ड										
1	वेतन		2521.00	2500.00	2476.80	2700.00	2760.00	2728.02	2981.00	2981.00	2894.04
2	मजदूरी		12.50	13.00	12.29	14.00	15.65	15.78	16.91	16.91	16.75
3	समयोपरी भत्ता		12.00	10.20	8.70	11.00	9.89	6.60	11.00	6.60	5.80
4	इनाम		20.00	23.15	19.01	20.50	20.50	20.19	25.00	40.00	36.91
5	चिकित्सा उपचार		25.00	24.90	23.18	26.00	25.45	24.17	28.00	28.00	25.45
6	घरेलू यात्रा खर्चे		55.00	56.50	53.91	59.50	60.60	57.83	66.00	60.00	56.73
7	विदेश यात्रा खर्चे		1.75	1.75	1.41	1.75	1.58	1.51	2.00	1.10	0.70
8	कार्यालय खर्चे		258.00	257.55	259.08	273.00	246.00	257.59	284.01	284.01	282.13
9	किराया, दर एवं कर		110.00	127.00	115.92	119.00	124.00	121.63	130.00	134.00	133.05
10	प्रकाशन		1.20	1.16	1.11	1.20	1.40	1.18	1.40	1.27	1.27
11	अन्य प्रशासनिक खर्चे		3.10	3.00	3.03	3.00	2.70	2.47	25.00	25.00	22.34
12	विज्ञापन एवं प्रचार		26.00	26.96	26.21	31.00	28.00	27.28	36.00	70.42	69.28
13	लघु कार्य		14.00	14.75	11.18	17.00	12.30	8.19	17.00	15.30	8.26
14	व्यावस्यायिक सेवाएं		14.00	16.70	15.75	17.00	15.30	15.11	17.00	18.25	19.04
15	सहायता अनुदान		0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08
16	गुप्त सेवा खर्च		4.80	5.39	5.29	6.20	5.58	5.65	6.20	5.58	5.87
17	अन्य प्रभार										
	(भारित)		0.50	0.50	0.16	0.50	0.50	0.09	0.50	0.50	0.19
	(स्वीकृत)		2.40	2.60	2.54	2.94	2.87	2.69	2.94	2.88	1.58
18	मशीनरी एवं उपस्कर		20.00	17.50	13.72	22.00	19.80	13.25	22.00	17.80	14.55
19	अंतर खाता स्थानांतरण		0.00	6.14	0.00	6.20	5.58	5.58	6.20	5.58	0.00
20	सूचना प्रौद्योगिकी		150.00	150.00	144.31	150.00	178.00	161.55	152.00	147.00	137.56
	कुल-राजस्व अनुभाग		3251.34	3258.84	3193.67	3481.88	3535.78	3476.43	3830.25	3861.28	3731.58
21	शिप एवं बेड़े का अधिग्रहण		13.50	38.27	3.23	10.18	20.00	5.45	17.95	7.00	4.00
22	तस्करी रोधी उपकरण का अधिग्रहण		70.00	43.65	43.29	76.97	10.17	0.00	82.00	50.65	10.79
23	मुख्य कार्य		0.05	0.03	0.00	0.05	0.25	0.00	0.05	0.07	0.00
	कुल - मुख्य शीर्ष '4047'		83.55	81.95	46.52	87.20	30.42	5.45	100.00	57.72	14.79
24	कार्यालयी आवास की खरीद		40.00	7.00	0.00	28.00	4.31	4.50	47.91	21.70	4.31
25	तैयार निर्मित रिहायशी आवास की खरीद		4.00	4.00	0.82	4.00	0.10	0.00	1.34	3.36	3.20
	कुल - पूंजी खण्ड		**127.55**	**92.95**	**47.34**	**119.20**	**34.83**	**9.95**	**149.25**	**82.78**	**22.30**
	महायोग		**3378.89**	**3351.79**	**3241.01**	**3601.08**	**3570.61**	**3486.38**	**3979.50**	**3944.06**	**3753.88**
	वसूलियां		**-0.50**	**-0.50**	**-0.54**	**-0.50**	**-0.50**	**-0.41**	**-0.50**	**-0.50**	**-0.65**
	निवल		**3378.39**	**3351.29**	**3240.47**	**3600.58**	**3570.11**	**3485.97**	**3979.00**	**3943.56**	**3753.23**

वित्तीय समीक्षा-
व्यय में प्रवृत्ति का विश्लेषण

2013-14 के दौरान, 3753.23 करोड़ रूपये का कुल व्यय 2012-13 में उपगत 3485.97 करोड़ रूपये के व्यय की तुलना में 7.67 प्रतिशत अधिक है। राजस्व अनुमान में, 7.26 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से वेतन और भत्तों पर अधिक व्यय के कारण है।

पूंजी अनुभाग के अंतर्गत, 2012-13 में व्यय की तुलना में 2013-14 में 124.22 प्रतिशत अधिक है। यह मुख्यतः तस्करी रोधी उपकरण के साथ-साथ तैयार आवासीय आवास के अधिग्रहण के अर्जन के प्रति अधिक व्यय के कारण है।

2013-14 में 'विज्ञापन और प्रचार-प्रसार' के अंतर्गत व्यय 69.28 करोड़ रू. है जो 2012-13 में 27.28 करोड़ रू. की तुलना में 153.96 प्रतिशत अधिक है। यह 2013-14 के दौरान स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना (वीसीईएस) के प्रति अधिक व्यय के कारण बाहरी तथा विविध मीडिया के माध्यम से प्रचार के बृहत्तर अधिमानों के कारण है।

2013-14 के दौरान 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत व्यय 137.56 करोड़ रू. है जो 2013-14 के दौरान कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के संघटन के अधिकांश अवयवों के कार्यान्वयन के प्रति कम व्यय के कारण 2012-13 में उपगत 161.55 करोड़ रू. के व्यय से 14.85 प्रतिशत कम है।

2013-14 के दौरान समुद्री यानों की प्राप्ति हेतु व्यय 4.00 करोड़ रू. है जो नावों की निर्माण और सुपुर्दगी के साथ संबद्ध नाव निर्माताओं की गैर अदायगी के कारण 2012-13 में उपगत 5.45 करोड़ रू. के व्यय से 26.61 प्रतिशत कम है। प्रापण हेतु 109 यानों में से, 109 यान (श्रेणी- I में 24, श्रेणी- II में 22 श्रेणी III-क में 30 और श्रेणी- III-ख में 33) दिसम्बर, 2012 तक विभाग को सुपुर्द किए गए हैं।

कंटेनर स्कैनर्स के प्रापण हेतु, 2013-14 के दौरान उपगत व्यय 2012-13 के शून्य व्यय की तुलना में 10.79 करोड़ रू. है जो तस्करी विरोधी उपकरणों के अधिग्रहण के प्रति व्यय के कारण है।

कार्यालय परिसर के अधिग्रहण हेतु, 2013-14 के दौरान उपगत व्यय 2012-13 के दौरान उपगत 4.50 करोड़ रूपये के व्यय के प्रति 4.31 करोड़ रू. है जो बैंगलोर स्थित एनएसीईएन के नए कार्यालय परिसर और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के प्रति अपेक्षकृत कम व्यय के कारण 4.22 प्रतिशत है।

निवासी आवासों के अधिग्रहण हेतु, 2013-14 के दौरान व्यय 3.20 करोड़ रू. है जबकि 2012-13 के दौरान व्यय शून्य था।

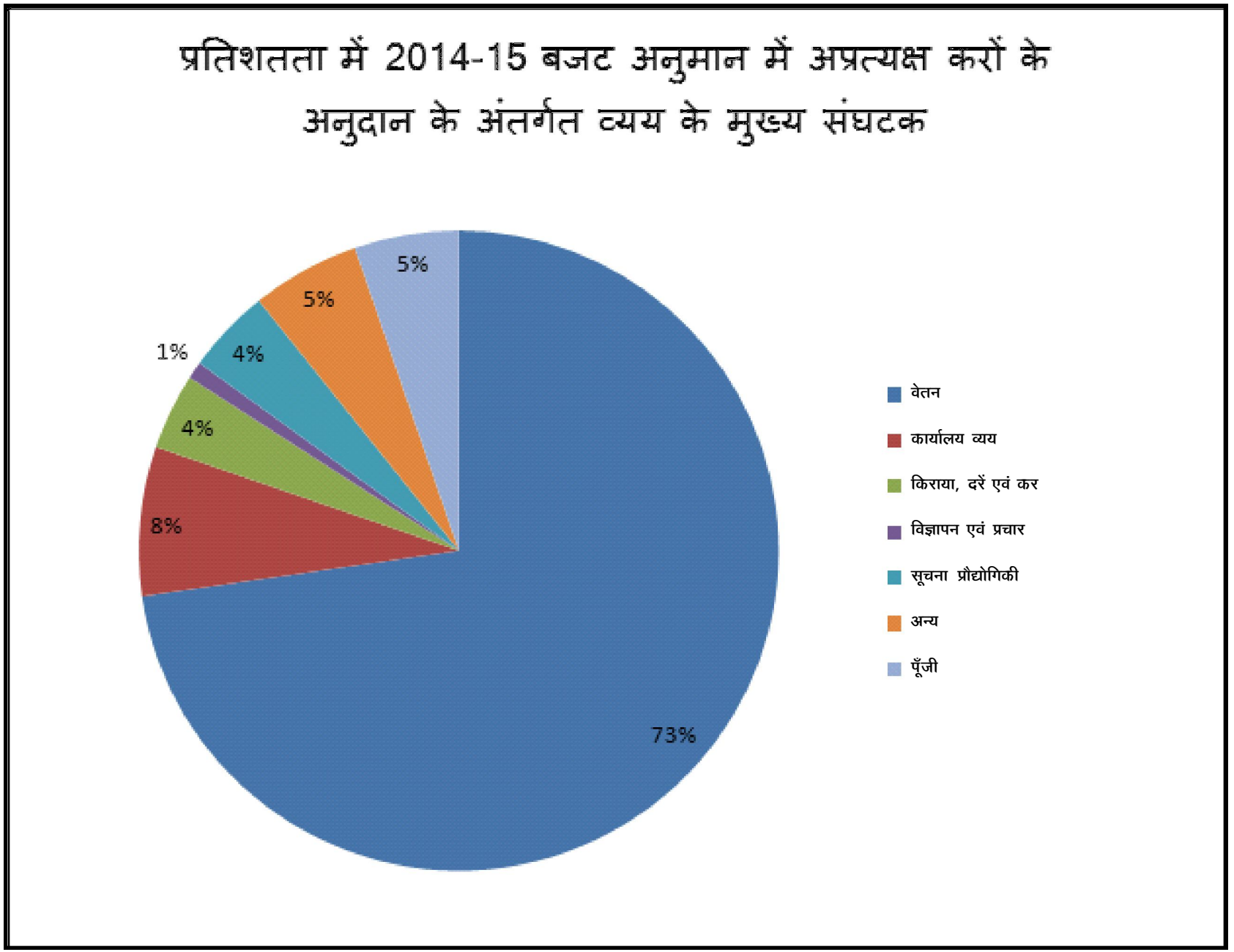
प्रतिशतता में 2014-15 बजट अनुमान में अप्रत्यक्ष करों के अनुदान के अंतर्गत व्यय के मुख्य संघटक
73%
8%
4%
1%
4%
5%
5%
वेतन
कार्यालय व्यय
किराया, दरें एवं कर
विज्ञापन एवं प्रचार
सूचना प्रौद्योगिकी
अन्य
पूँजी

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अभ्यर्पित राशियां तथा बचत का विवरण

अनुपूरक अनुदान सहित 3654.98 करोड़ रू. के एक बजटीय प्रावधान के प्रति वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 3486.38 करोड़ रू. का व्यय था जो 168.60 करोड़ रू. की बचतों और अभ्यर्पण में परिणत हुआ। ये बचतें अनुदान के राजस्व और पूंजीगत भाग के विभिन्न उप-शीर्ष 37.77 करोड़ रू. के कुल अधिक्य और 206.37 करोड़ रू. की कुल बचतों के नियम प्रभाव हैं।

इन बचतों को निम्नलिखित वर्गों में अलग-अलग दर्शाया गया है:-

(i) संसाधनों के किफायती प्रयोग के कारण सामान्य बचतः शून्य

(ii) योजनाओं/ परियोजनाओं के विलम्ब होने निष्पादन न होने के कारण बचतः-

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जिन योजनाओं के निष्पादन में विलंब हुआ उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	टिप्पणी/कारण
1.	राजस्व-सह-आयात/ निर्यात व्यापार नियंत्रण प्रकार्य-आयुक्तालय	21.32	बचतें, रिक्त पदों को न भरने, किराए पर कार्यालय भवन के संबंध में किरया परिशेधन का गैर-निष्पादन, कार्यालय भवन का रख-रखाव और कार्यालय परिसरों के नवीकरण के प्रति प्रस्ताव का गैर-निर्णयन, कंप्यूटर और संबद्ध मदों की कम खरीद और मशीन तथा उपस्करों की देख-रेख के प्रति कम ऋणों की अपेक्षा के कारण था।
2.	केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला	3.11	बचत प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर की खरीद में विलम्ब, समयोपरि भत्ते की अदयगी पर कर व्यय और कम्प्यूटर और संबंधित मदों की कम खरीद के कारण हुई थी।
3.	संभार तंत्र निदेशालय	3.31	बचत रिक्त पदों को न भरे जाने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण थी।
4.	विभागीय कैंटीन	1.06	बचत कैंटीन कर्मचारियों की तैनाती हेतु वेतन पर कम व्यय के कारण थी।
5.	निरीक्षण	4.30	बचत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण अधिकारियों/ स्टाफ हेतु वेतन और भत्तों पर मुख्यतः कम व्यय के कारण थी।
6.	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी (एनएसीईएन)	5.04	बचत कम परिवीक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने, कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति हेतु कम चिकित्सा दावों की प्रस्तुति और स्टाफ और अधिकारियों द्वारा किए गए कम घरेलू/ विदेश दौरों के कारण थी।
7.	सतर्कता	1.68	बचत अधिकारियों/ कर्मचारी वर्ग के वेतन और भत्तों पर कम खर्च, समयोपरि भत्ते पर कम व्यय और कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति हेतु कम चिकित्सा दावों की प्रस्तुति के कारण थी।
8.	प्रचार और प्रवार तथा जन संपर्क निदेशालय	2.37	बचत इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर कम निधियों की अपेक्षा के कारण थी।
9.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय	5.13	बचत रिक्त पदों के कम भरे जाने कम पुरस्कार मामलों की संस्वीकृति, चिकित्सा दावों की कम प्रस्तुति और फर्नीचर और उपस्करों की कम खरीद के कारण थी।
10.	प्रणालियां और डाटा प्रबंधन	11.67	बचत मुख्यतः 'सूचना प्रौद्योगिकी जो अनुपूरक अनुदानों में की गई है, के साथ-साथ निधियों के पुनर्नियोजन, वस्तु शीर्ष के प्रति कम व्यय के कारण थी।
11.	संग्रह प्रभार आयुक्तालय (एचक्यू)	21.83	बचत, भत्तों, समयोपरि भत्ते पर कम व्यय, प्रतिपूर्ति हेतु कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावों पर कम व्यय, स्टाफ/ अधिकारियों द्वारा किए गए कम घरेलू दौरों के साथ-साथ विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर कम व्यय के कारण थी।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	टिप्पणी/कारण
12.	वेतन और लेखा-कार्यालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-प्रधान मुख्य लेख-नियंत्रक)	1.00	बचत, भत्तों पर कम व्यय, कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति पर कम व्यय, स्टाफ/ अधिकारियों द्वारा किए गए कम घरेलू दौरे, फर्नीचर और दूसरे कार्यालय उपकरणों की कम खरीद के कारण थी।
13.	लैंड सीमा शुल्क संग्रह	2.86	बचत रिक्त पदों को न भरे जाने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति और मजदूरी पर कम व्यय के कारण थी।
14.	अन्य मदें-लघु कार्य	2.86	बचत भवनों की मरम्मत और देख-रेख पर कम निधियों की अपेक्षा के कारण थी।
15.	मुख्य शीर्ष- 2216 (हाउसिंग)	4.20	बचत, वर्ष के दौरान विभागीय आवासीय भवन की देख-रेख और मरम्मत हेतु कम मांग के कारण थी।
16.	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	81.75	बचत, नाव आपूर्तिकर्ता द्वारा नावों की तकनीकी विशिष्टता की पूर्ति न होने तथा 18 गामा रे स्कैनर्स और 2 एक्स-रे स्कैनर्स के आयात में देरी के कारण थी।
17.	बने बनाये आवास का अधिग्रहण	27.00	बचत, पट्टे पर से स्वामित्व वाले संपरिवर्तन और पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी तथा कार्यालय आवास की खरीद हेतु प्रस्ताव के गैर-निर्णयन के कारण थी।
18.	तैयार फ्लैटों का अधिग्रहण	4.00	रांची स्थित राष्ट्रीय खेल आवास परिसर में आवास की खरीद के प्रस्ताव के पूरे न होने के कारण बचत हुई।

(iii) अप्रचालित/निष्क्रिय प्रोजेक्ट/ योजना के कारण या प्रोजेक्टों के समापन के कारण, अभ्यर्पित राशि या/बचतः शून्य

टिप्पणीः *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य बचत, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सुपुर्द की गई निधियों के कम उपयोग/उपयोग न किए जाने के कारण संचित बचतों के संबंध में बजट प्रभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.7 (1)-बी(एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है।*

विनिवेश विभाग

प्रस्तावना

विनिवेश विभाग को निम्नलिखित कार्य के लिए अधिकृत किया गया है:—

(1) (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ;

(ख) बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले;

टिप्पणी: पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवयक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से, प्रशासनिक मंत्रालय या संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

(2) पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिों पर निर्णय लेना ;

(3) सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करना ;

(4) विनिवेश आयोग;

(5) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम; और

(6) राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति।

विभाग के मुखिया सचिव (विनिवेश) हैं, जिनका सहयोग चार संयुक्त सचिव करते हैं।

परिणाम बजट 2014-2015 में परिव्यय का विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वर्ष 2014-15 का व्यय (करोड़ रुपए में)			मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	संसाधन जुटाना तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करना	50	...	...	₹51,925 करोड़ (बजट अनुमान 2014-15)	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व के व्यापक वितरण का लक्ष्य हासिल करना। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आम जन-मानस के स्वामित्व में वृद्धि करना। निगमित नियंत्रण में सुधार करना। सीपीएसईस की लाभप्रदता में सुधार सीपीएसईएस की दक्षता में सुधार।	विनिवेश, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की तैयारी सहित सरकार के अनुमोदन और उसके बाद सेबी द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करता है। कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, विभाग द्वारा एक रोडमैप तैयार किया जाता है जिस पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।	- बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होना। - घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट में उतार-चढाव।

सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल

- **सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई-ईटीएफ):** सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों को मिलाकर एक सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत मार्च, 2014 में की गई थी। सीपीएसई - ईटीएफ के माध्यम से सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 3,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा

विनिवेश विभाग की कोई योजनाबद्ध अथवा गैर-योजनाबद्ध स्कीम नहीं है। विनिवेश विभाग का समस्त बजट, वेतन, मजदूरी, व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान और अन्य प्रशासनिक व्ययों आदि के लिए गैर-योजना बजट के अन्तर्गत आता है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए राजस्व भाग के लिए बजट अनुमान 63.24 करोड़ रुपए था और संशोधित अनुमान 30 करोड़ रुपए था।

1. (i) वर्ष 2013-14 के दौरान संपन्न किए गए विनिवेश सौदे

(क) **एमएमटीसी लि. (एमएमटीसी)** - सरकार ने एमएमटीसी में 99.33% सरकारी शेयरधारिता में से 9.33% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 571.71 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(ख) **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)** - सरकार ने एचसीएल में 99.59% सरकारी शेयरधारिता में से 9.59% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश का अनुमोदन किया था। एचसीएल में 5.58% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश की पहली खेप वर्ष 2012 में संपन्न की गई थी। एचसीएल में प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से 4.01% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश की दूसरी खेप जुलाई, 2013 में संपन्न की गई थी। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 259.56 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(ग) **नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल)** - सरकार ने एनएफएल में 97.64% सरकारी शेयरधारिता में से 7.64% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को 101.08 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(घ) **भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)** - सरकार ने आईटीडीसी में 92.11% सरकारी शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश **(ओएफएस)** के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 30.17 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(ङ) **भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एसटीसी)** - सरकार ने एसटीसी में 91.02% सरकारी शेयरधारिता में से 1.02% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 4.54 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(च) **नेवेली लिग्नाइट कारर्पोरेशन लि. (एनएलसी)** - सरकार ने एनएलसी में 93.56% सरकारी शेयरधारिता में से 3.56% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। तदुपरांत, तामिलनाडु सरकार के अनुरोध्र पर विनिवेश प्रक्रिया को ओएफएस से बदल कर संस्थागत व्यवस्थापन कार्यक्रम (अईपीपी) पद्धति कर दिया गया था, जिसमें आबंटन में तमिलनाडु सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को तरजीह दी जा सकती थी। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 358.21 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(छ) **एनएचपीसी लि. (एनएचपीसी)** - एनएचपीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी की सीमा तक अपने शेयरों की निविदा मार्ग के माध्यम से 19.25 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर वापस खरीद का अनुमोदन किया था। मंत्रियों के शक्तिसंपन्न समूह ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि विद्युत मंत्रालय एनएचपीसी लि. का प्रवर्तक होने के नाते और भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्रवाई करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित प्रति शेयर मूल्य पर कंपनी द्वारा प्रस्तावित वापस खरीद के आकार तक शेयरों की पेशकश करे। कंपनी द्वारा खरीदे गए शेयरों के बदले प्रतिफल के रूप में सरकार को 2131.28 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

(ज) **पावर ग्रिड कारर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल)** - सरकार ने कंपनी की 13% निर्गम-पूर्व प्रदत्त इक्विटी के साथ पीजीसीआईएल में सरकार की 69.42% शेयरधारिता में से 4% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। इससे सरकार को 1637.32 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

(झ) **इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल)** - सरकार ने इंजीनियर्स इण्डिया लि. (ईआईएल) में सरकार की 80.40% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में एक प्रॉस्पेक्टस आधारित अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 497.32 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ञ) **भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)** - सरकार ने बीएचईएल में 67.72% सरकारी शेयरधारिता में से 4.66% इक्विटी का स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ब्लॉक डील के जरिए विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 1886.77 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ट) **इंडियन ऑयल कारर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (आईओसीएल)**- सरकार ने आईओसीएल में 78.92% सरकारी शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का प्रवर्तकों द्वारा सेबी के नियमों और विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। सरकार को एक गैर-बाजार सौदे से विनिवेश प्राप्ति के रूप में 5341.49 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(ठ) **सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)**- सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों के शेयरों को मिलाकर एक सीपीएसई ईटीएफ के सृजन का अनुमोदन किया था। इस बास्केट का हिस्सा बनने के लिए प्रत्येक

सीपीएसई के लिए अधिकतम 3% सरकारी शेयरधारिता का अनुमोदन किया गया है। सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 3000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ii) **अन्य अनुमोदित तथा कार्यान्वयन हेतु लंबित सौदे**

(क) **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)** - सरकार ने आरआईएनएल की 10% इक्विटी का विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। आरएचपी, सेबी के पास 27.09.2012 को दायर कर दिया गया था। सलाहकारों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। नकारात्मक बाजार परिस्थितियों के कारण इस निर्गम को फिलहाल आस्थगित कर दिया गया है।

(ख) **एनईईपीसीओ** - सरकार ने एनईईपीसीओ में 100 प्रतिशत सरकारी शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। इस निर्गम को वर्ष में कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाएं पूरी न किए जाने के कारण आस्थगित कर दिया गया था।

(ग) **हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)** - सरकार ने एचएएल में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। इस निर्गम के लिए बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों, विधिक सलाहकारों तथा पंजीयक की नियुक्ति कर ली गई है। बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों तथा विधिक सलाहकार द्वारा कंपनी की उचित उद्यमिता प्रगति पर है।

(घ) **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)** - सरकार ने सेल में सरकार की 85.82% शेयरधारिता में से 10.82% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का विनिवेश करने का अनुमोदन किया था। 10.82% इक्विटी पूंजी में से 5.82% शेयरधारिता का विनिवेश मार्च, 2013 में संपन्न कर लिया गया था। शेष 5% इक्विटी का विनिवेश उचित समय पर किया जाएगा।

II वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के लिए बजटीय लक्ष्य और संशोधित अनुमान तथा विनिवेश के माध्यम से प्राप्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः -

वर्ष	बजटीय लक्ष्य (करोड़ रुपए)	संशोधित अनुमान (करोड़ रुपए)	विनिवेश से प्राप्ति (करोड़ रुपए)	अभ्युक्तियां	(करोड़ रुपए)
2012-13	30,000	24,000	23,956	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम. लि0 :	124.97
				हिन्दुस्तान कॉपर लि0 :	807.03
				राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि0 :	5973.27
				ऑयल इंडिया लि0 :	3141.00
				राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि0 :	11456.78
				राष्ट्रीय केमिकल एंड फटिलाइजर्स लि0 :	310.15
				नेशनल एल्युमिनियम कंपनी :	627.84
				भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 :	1514.50
2013-14	40,000	16,027	15,819.45	एमएमटीसी लि0 :	571.71
				हिन्दुस्तान कॉपर लि0 :	259.56
				नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0 :	101.08
				भारतीय पर्यटन विकास निगमः	30.17
				राज्य व्यापार निगम :	4.54
				नेवेली लिग्नाइट कार्पो. :	358.21
				एनएचपीसी लि. :	2131.28
				पावर ग्रिड कार्पो. ऑफ इंडिया लि0 :	1637.32
				इंजीनियर्स इंडिया लि0 :	497.32
				भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 :	1886.77
				इंडियन ऑयल कार्पो. लि0 :	5341.49
				सीपीएसई ईटीएफ :	3000.00

III **दिनांक 17 जनवरी, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में** आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एनआईएफ का प्रबंधन करने वाले कोष प्रबंधकों की सेवाएं 31 मार्च, 2013 को समाप्त कर दी गई थी। कोष प्रबंधकों ने कोष की 1814.45 करोड़ रुपए की राशि उस पर उपार्जित 209.20 करोड़ रुपए की आय सहित लौटा दी थी जिसे एनआईएफ-लोक लेखा में जमा कर दिया गया है।

वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में वस्तु शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2011-12			2012-13			2013-14		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (अन्नतिम)
राजस्व भाग										
1	वेतन	2.99	3.34	3.24	3.60	3.46	3.51	3.73	3.73	4.10
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	समयोपरि भत्ता	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
4	चिकित्सा उपचार	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
5	घरेलु यात्रा व्यय	0.40	0.40	0.14	0.40	0.20	0.17	0.40	0.40	0.33
6	विदेश यात्रा व्यय	3.00	3.00	0.30	3.00	1.00	0.88	3.00	3.00	3.00
7	कार्यालय व्यय	0.95	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20
8	प्रकाशन	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
9	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
	विज्ञापन तथा प्रचार	...	...	...	...	...	...	...	6.00	4.69
10	व्यावसायिक सेवाएं	55.14	42.57	30.31	55.09	20.04	12.10	54.97	15.51	11.61
11.	सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)	0.05	0.07	0.08	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
	कुल राजस्व भाग	**62.63**	**50.58**	**35.26**	**63.24**	**25.83**	**17.77**	**63.24**	**30.00**	**25.05**
	पूंजीगत भाग	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	सकल योग	**62.63**	**50.58**	**35.26**	**63.24**	**25.83**	**17.77**	**63.24**	**30.00**	**25.05**

व्यय में समग्र प्रवृत्ति का विश्लेषण

इस अनुदान के तहत समग्र राजस्व व्यय, वर्ष 2011-12 में 35.26 करोड़ रूपए, वर्ष 2012-13 में 17.77 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2013-14 में (अनन्तिम) 25.05 करोड़ रूपए था। यह व्यय मुख्यतः विभाग के सचिवालय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान लौटाई गई निधियों तथा बचत का विवरण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सचिवालय आर्थिक सेवा के लिए 63.24 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान की तुलना में 17.77 करोड़ रुपए का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरुप 45.47 करोड़ रुपए की बचत हुई।

इस बचत को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग दर्शाया गया है :-

(i) सामान्य बचतः संसाधनों के किफायती उपयोग के परिणामस्वरुप बचत

45.47 करोड़ रुपए (सार्वजनिक पेशकशों के संपन्न न होने के कारण)

(ii) कम उपयोग/उपयोग न किया जानाः परियोजनाओं/स्कीमों के गैर-कार्यान्वयन/निष्पादन में विलंब के कारण बचत।

शून्य

(iii) निधियों की वापसी (सरेंडर): अप्रचलित/पुरानी परियोजनाओं/स्कीमों के कारण या ऐसी परियोजना/स्कीम के सम्पन्न होने के कारण बचत जिसके लिए निधियों की और अधिक आवश्यकता न हो।

शून्य

टिप्पणी: *यह अनुबंध, वित्त वर्ष 2011-12 के लए सामान्य बचत, कम उपयोग/उपयोग न किए जाने तथा निधियों की वापसी (सरेंडर) के कारण बचत को अलग-अलग दर्शाने के बारे में बजट प्रभाग के दिनांक 23 मार्च, 2012 के का.ज्ञा.सं.7(1)-बी(एसी)/2011 के अनुपालन में शामिल किया गया है जैसा कि वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अपनी 33वीं रिपोर्ट में इच्छा जताई गई है।*